लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 19 अप्रैल, 1989/29 चैत्र, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
4	नीचे से 3	"बासवराज" के स्थान पर "बासवराजू" पढ़िये।
39	नीचे से 11	"डी0एस0 कृष्ण अय्यर" के स्थान पर "वी0एस0 कृष्ण अय्यर" पढ़िये।
50	नीचे से 5	प्रश्न संख्या "6944" के स्थान पर "5944" पढ़िये और "श्री नारायण चौबे" के स्थान पर "श्री नारायण चौबे" पढ़िये।
53	11	"(थ)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
56	नीचे से 12	"जी, नहीं" से पहले "(क)" अंत: स्थापित करिये।
63	2	
114	नीचे से 13	"श्रीमती सुमित उरांव" के स्थान पर
116	7	"श्रीमती सुमति उरांव" पढ़िये।
103	1	शीर्षक में "भर्ती" के स्थान पर "भर्ती" पढ़िये।
111	नीचे से 8	"(क) से (ग)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
118	2	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
[illegible]	[illegible]	[illegible]
147	नीचे से 7	"जी, " के पहले "(क)" अंत: स्थापित करिये।
149	नीचे से 14	"स्वार्थ" के स्थान पर "स्वास्थ्य" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
202	नीचे से 9	प्रश्न संख्या "6।24" के स्थान पर "6। पढ़िये।
234	1	शीर्षक में "निर्भर" के स्थान पर "निर्भरत पढ़िये।
237	11	"अध्यक्ष" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िये।
244	6	"एम0वी0एन0सोमू" के स्थान पर "एन0 एन0सोमू" पढ़िये।
245	10	"अगली" के पश्चात "मद" शब्द अंत: स्था करिये।
329	6	"इमें" के स्थान पर "इसे" पढ़िये।

विषय–सूची

अष्टम माला, खंड 49, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 32, बुधवार, 19 अप्रैल, 1989/29 चैत्र, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 638, 642, 646, 652 और 637	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—235
तारांकित प्रश्न संख्या : 616 से 635 (17-4-89) 636, 639 से 641, 643 से 645, 647 से 651 और 653 से 655 (19-4-89)	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5944, 5946 से 5986 और 5988 से 6052 (17-4-89) और 6053 से 6179 (19-4-89)	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	241—242
लोक लेखा समिति	
149वां और 151वां प्रतिवेदन	242
प्रमुख पत्तनों पर पत्तन और गोदी कर्मकारों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य	242—244
श्री राजेश पायलट	
केन्द्रीय सरकार के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाए जाने के बारे में वक्तव्य	244—245
श्री पी० चिदम्बरम	
अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	245—253
बिहार तथा देश के अन्य भागों में कालाजार के बढ़ते हुए प्रकोप तथा इस बारे में सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय	
डा० गौरी शंकर राजहंस	245, 248, 250
कुमारी सरोज खापर्डे	246, 251–253

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	253—257
(एक) चित्रकूट का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास किए जाने की मांग श्री भीष्म देव दुबे	253
(दो) जम्मू में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की मांग श्री जनक राज गुप्त	254
(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का मूल्य मनमाने ढंग से न बढ़ाया जाना तथा पंजीकरण के समय घोषित मूल्य पर ही पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन किया जाना सुनिश्चित किए जाने की मांग श्री मदन पांडे	254
(चार) राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों को जोड़े जाने हेतु पुलों और सड़कों के निर्माण किये जाने, विशेष रूप से राजस्थान के चौमहला और मध्य प्रदेश के सीतामऊ के बीच चम्बल नदी पर एक पुल बनाए जाने के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की मांग श्री जुझार सिंह	255
(पांच) नालन्दा जिले के बिहार शरीफ में एस. टी. डी. प्रणाली में त्रुटियों को दूर किये जाने की मांग ताकि बिहार शरीफ और दिल्ली तथा अन्य स्थानों के बीच टेलीफोन पर बातचीत सरलता से हो सके। श्री विजय कुमार यादव	255
(छः) सरकारी अस्पतालों को घटिया दवाइयों की आपूर्ति को रोके जाने तथा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मिलावटी अंतःशिरा द्रव से हुई एक व्यक्ति की मृत्यु की उच्च-स्तरीय जांच कराए जाने की मांग श्री सनत कुमार मंडल	256
(सात) यमुना-सतलज सम्पर्क नहर की तरह इन्दिरा गांधी नहर का सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने तथा सागरमल गोपा शाखा का विस्तार गढ़रा रोड तक और पोकरण लिफ्ट नहर का विस्तार बालोतरा तक किए जाने की मांग श्री वृद्धि चन्द्र जैन	256
(आठ) नवोदय विद्यालय की कमियों को दूर किए जाने की मांग ताकि नवोदय विद्यालय उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जिनके लिए वे मूलतः खोले गये थे तथा उनमें ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित स्थानों पर केवल ग्रामीण बच्चों को ही दाखिला दिया जाये डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	257

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें 1988–89	258–301
कृषि मंत्रालय	
श्री जुझार सिंह	258
श्रीं एम० रघुमा रेड्डी	262
श्री के० एन० प्रधान	271
श्री नित्यानंद मिश्र	275
श्री जायनल अबेदिन	278
श्री उत्तम राठौर	282
प्रो० पी० जे० कुरियन	285
श्री विजय कुमार यादव	288
प्रो० एन० जी० रंगा	291
श्री मुरलीधर माने	298
श्री मुहीराम सैकिया	301
मध्य रेलवे के बीना-झांसी खण्ड पर 18-4-1989 को बंगलौर-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	
श्री महाबीर प्रसाद	296–298
नियम 193 के अधीन चर्चा	302–336
अखिल बोडो छात्र संघ द्वारा एक अलग राज्य के लिए चलाए जा रहे आंदोलन से उत्पन्न स्थिति	
श्री चिन्तामणि जेना	303
श्री शांताराम नायक	307
श्री दिनेश गोस्वामी	311
श्री बिपिन पाल दास	320
श्री बाजू बन रियान	325
श्री एन० टोम्बी सिंह	327
श्री समर ब्रह्म चौधरी	330

लोक सभा

बुधवार, 19 अप्रैल, 1989/29 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बेरोजगारों को रोजगार देना

[अनुवाद]

*638. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष-वार और राज्य-वार कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(ख) सरकार और अधिक बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की, जो सभी अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं होते, नियुक्तियों के बारे में सूचना देने वाला एक ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है ।

(ख) 7वीं योजना की विकास निति का केन्द्रीय तत्व उत्पादक रोजगार का सृजन है । यह उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों तथा अनेक लाभोन्मुख/रोजगारोन्मुख योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वःरोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) ग्रामीण युवकों को स्वः रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०), शहरी गरीबों के लिए स्वः रोजगार कार्यक्रम (सेपप), इत्यादि, के माध्यम से प्राप्त किया जाना है । 1989-90 के दौरान जवाहरलाल रोजगार योजना नामक एक नया कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिला देने का प्रस्ताव है ।

अनुबन्ध

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई नियुक्तियां

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	निम्न के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या			
	1985	1986	1987	1988
1	2	3	4	5
राज्य :				
1. आन्ध्र प्रदेश	19.2	19.8	20.7	19.5
2. अरुणाचल प्रदेश ‡	...	...	...	...
3. असम	7.3	5.2	5.5	6.4
4. बिहार	11.2	22.7	20.5	18.7
5. गोवा	0.9	0.7	1.1	1.9
6. गुजरात	13.0	12.9	13.7	13.0
7. हरियाणा	17.0	14.7	13.8	12.1
8. हिमाचल प्रदेश	6.7	7.0	7.6	7.1
9. जम्मू व कश्मीर	1.3	1.9	2.3	1.5
10. कर्नाटक	14.8	9.3	8.8	8.4
11. केरल	13.7	15.3	14.1	15.6
12. मध्य प्रदेश	37.2	23.3	23.1	25.3
13. महाराष्ट्र	42.9	38.1	30.3	29.7
14. मणिपुर	0.3	0.9	0.8	0.4
15. मेघालय	0.2	0.2	0.2	0.3
16. मिजोरम	0.3	0.6	1.0	1.5
17. नागालैण्ड	0.3	0.4	0.4	0.5
18. उड़ीसा	14.0	15.4	11.2	10.0
19. पंजाब	8.1	7.3	8.4	9.0
20. राजस्थान	24.3	17.4	16.6	13.3
21. सिक्किम †	...	...	...	...
22. तमिलनाडु	52.6	50.9	45.6	50.6
23. त्रिपुरा	1.1	2.0	2.0	1.7
24. उत्तर प्रदेश	30.2	31.8	28.0	29.1
25. पश्चिम बंगाल	13.1	9.4	10.1	12.9

1	2	3	4	5
संघ शासित प्रदेश :				
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.5	0.4	1.0	1.4
2. चण्डीगढ़	1.7	1.7	1.8	1.4
3. दादर और नगर हवेली‡	...	...	...	...
4. दिल्ली	56.0	41.5	45.5	36.0
5. दमन और द्वीव ††	...	...	...	...
6. लक्षद्वीप ‡‡	...	...	...	...
7. पांडिचेरी	0.3	0.4	0.3	1.4
जोड़ :	388.5	351.3	334.4	328.5

टिप्पणी :—1. † कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2.†† आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

3. ‡ आंकड़े केवल 1988 से रखे जा रहे हैं।

4.‡‡ आकड़े 50 से कम हैं।

5. ऐसा हो सकता है कि घूर्णांकों के कारण आंकड़े मेल नहीं भी खाते हों।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने बहुत डिटेल में प्रान्तवाइज आंकड़े दिये हैं। जिन प्राइवेट कम्पनियों या फर्मों में 20 से ज्यादा एम्पलाइज होते हैं वहां एम्पलाइमेंट एक्सचेंज ऐक्ट लागू होता है। लेकिन देखने में यह आया है कि प्राइवेट कम्पनियों या फर्मों वाले ही नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी भी उस ऐक्ट की धाराओं का उल्लंघन करते हुए अपने चाहने वाले लोगों को पहले डेली वेजिज पर रख लेते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उनको रैगुलराइज कर देते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस प्रकार का कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो कितने ऐसे लोग अलग-अलग दफ्तरों में प्रान्तवाइज भर्ती किये गये और उनमें से कितने लोग एम्लायमेंट एक्सचेंज के थ्रू आये व कितने लोग दूसरे गलत तरीके से भर्ती किये गये ?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में जो स्टेटमैण्ट दिया है, उसके अनेक्सचर में विभिन्न प्रान्तों के एम्पलायमैण्ट एक्सचेंजों में कितने लोगों की प्लेसमैण्ट हुई, उसका पूरा ब्यौरा दिया है। एम्पलायमैण्ट एक्सचेंज कम्पलसरी नोटिफिकेशन एक्ट के मुताबिक एम्पलायमैण्ट एक्सचेंज में नौटिफाइ करना उनका स्टेचुटरी आब्लीगेशन है। वहां उसी में से लेंगे, बाहर से नहीं लेंगे, ऐसा कोई स्टेचुटरी प्रोवीजन नहीं है, खास तौर पर कैजुअल लेबर के बारे में। रैगुलर एम्पलायमैण्ट के लिए तो उनको हर हालत में नोटिफाइ करना ही है लेकिन ऐसा होता है, इससे

इन्कार नहीं किया जा सकता कि कैजुअल लेबर को एम्पलायमैण्ट देकर बाद में उसको रैगुलराइज कर लेते हैं लेकिन इन सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में कोई सर्वे नहीं हुआ है कि कितने लोग लिये और कितने लोग रैगुलराइज कर दिये गये।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया। मैं बहुत स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने खुद एडमिट किया है कि बहुत से केसिज में डेली विजिज पर भर्ती कर लेते हैं ओर बाद में उनको रैगुलराइज कर लेते हैं जबकि किसी पोस्ट के लिए नोटिफाइ करना और एम्पलायमैण्ट एक्सचेंज से नाम मंगवाना जरूरी है। क्या ऐसे केसिज उन के सामने आये और क्या उन के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई या प्रोसीक्यूशन लांच किया गया, जिन लोगों ने कि उस प्रावधान का उल्लंघन किया है।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्थाई जगहों के नोटिफिकेशन की बात है, वैसे केसिज नोटिस में अधिक नहीं आये हैं, जहां स्थाई जगहों के लिए किसी एम्पलायर ने नोटिफिकेशन नहीं की हो, वेकेंसीज की और जब कभी ऐसी कोई चीज आई है, स्टेट गवर्नमैण्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कण्ट्रोल में एम्पलायमैण्ट एक्शचेंज हैं वह उस पर कार्यवाही करते हैं लेकिन कैजुअल वेकेंसीज के लिए या कैजुअल एम्पलायमैण्ट के लिए नोटिफिकेशन कम्पलसरी नही है इसलिए इस सम्बन्ध में कोई एक्शन लेन. सम्भव नहीं होता।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं नाम दे सकता हूं लेकिन उनकी नौकरी चली जायेगी। इस प्रकार की धांधली पर सरकार को चैक करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि सरकार ने यह जानने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार लोगों के नाम दर्ज हैं और हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में कितने श्रमिक हैं। मैं राज्यवार आंकड़े चाहता हूं।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : मेरे पास रोजगार कार्यालयों में दर्ज लोगों के राज्यवार आंकड़े हैं। ये आंकड़े मैं पेश कर सकता हूं।

श्री एम० रघुना रेड्डी : आप मुझे कुल पंजीकृत लोगों की संख्या दे सकते हैं।

श्री बिंदेश्वरी दुबे : देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोगों की संख्या लगभग 300 लाख है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर—अनुपस्थित
श्रीमती जयन्ती पटनायक—अनुपस्थित
श्री कमला प्रसाद सिंह—अनुपस्थित

पटसन उत्पादों का विविधीकरण

+

*642. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** :

श्री जी० एस० बासवराज : क्या वस्त्र मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उत्पादों के विविधीकरण के लिए एक शीर्ष निकाय गठित करने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो विचार-गोष्ठी में क्या मुख्य सुझाव दिए गए; और

(घ) सरकार द्वारा उन सुझावों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ) पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जे. एम. डी. सी.) के तत्वावधान में नई दिल्ली में दिनांक 17-18 मार्च, 1989 को विविधीकृत पटसन उत्पादों पर एक सेमीनार आयोजित किया गया । सेमीनार में की गई एक सिफारिश यह थी कि सम्पूर्ण देश और विदेशों में विविधीकृत पटसन उत्पादों के विपणन हेतु एक नया संगठन स्थापित किया जाए अथवा यह कार्य पटसन क्षेत्र में कार्यरत मौजूदा किसी एक संगठन को सौंप दिया जाए । कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुझावों में शामिल थे :—

(1) पटसन आधारित हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों को अभिज्ञात करना और उनका बाजार सर्वेक्षण करना;

(2) सेब, चाय आदि के लिए लकड़ी के डिब्बों की एवज में पटसन के सस्त पैकिंग डिब्बे बनाने के लिए लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित परियोजना की रूपरेखा तैयार करना ।

(3) भू-संरक्षण, सड़क निर्माण और अन्य कार्यों के लिए भू-पटसन वस्त्र आरम्भ करना ।

इस सेमीनार में दिये गये विभिन्न सुझावों की स्तरों पर विस्तृत जाँच की जा रही है और उन पर केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर सम्बन्धित संगठनों द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।

श्री जी० एस० बासवराजू : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्रालय ने उन उद्यमियों को, जो विविधीकृत पटसन उत्पादों की इकाईयाँ लगाने के लिए तैयार हैं, प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मन्त्रालय से बात की है और यदि हां, मन्त्रालय द्वारा क्या मुख्य रियायतें दी जाती है ?

श्री राम निवास मिर्धा : हम विविधीकृत पटसन उत्पादों के सम्बन्ध में पहले ही रियायत दे चुके हैं । हमारे पास एक योजना है जिसे आन्तरिक बाजार सहायता योजना कहते हैं । एक दूसरी योजना है जिसे वाह्य बाजार सहायता योजना कहते हैं । उदाहरण के लिए हम इन विविधीकृत उत्पादों की बिक्री पर छूट देते हैं । इसके लिए कुछ संस्थायें नियत की गयी हैं और उसके आधार पर हम उन्हें रियायत देते हैं ।

निर्यात के लिए भी कई रियायतें दी गयी हैं । हम हर तरह से इन विविधीकृत परियोजनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री जी० एस० बासवराजू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पटसन निर्माताओं से देश में विविधीकृत पटसन उत्पादों के निर्माण की इकाईयाँ स्थापित करने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां तो प्रत्येक राज्य से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पटसन निर्माताओं से पटसन निर्माण शुरू करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। वास्तव में हमारे पास क्षमता से अधिक पटसन है। जब तक कुछ विशेष उत्पादों जैसे टाट और बोरी का निर्माण नहीं किया जाता है मैं नहीं समझता कि तब तक सामान्य क्षमता को बढ़ाना संभव हो सकेगा। इसलिए हमारी वर्तमान नीति यह है कि हमें उत्पादों में विविधता लानी चाहिए और किसी भी अधिक क्षमता का उपयोग करना चाहिए जो आम माल का उत्पादन करने के लिए उपलब्ध हो बल्कि उस विविधीकृत माल के लिए भी हो जिसका मैंने यहां उल्लेख किया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० बी० सिदेमाल—अनुपस्थित;

श्री सोमनाथ रथ—अनुपस्थित;

प्रो० रामकृष्ण मोरे—अनुपस्थित;

श्री बनवारी लाल पुरोहित—अनुपस्थित।

तैयार औषधियों, टीकों और सीरम की जांच

*646. **श्री राज कुमार राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान बाजार से तैयार औषधियों, टीकों और सीरम की जांच हेतु कितने नमूने लिये गये थे;

(ख) कितने नमूनों की जांच रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं; और

(ग) कितने मामलों में औषधियों टीके तथा सीरम घटिया अथवा नकली पाए गए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए जाँचे गए नमूनों की संख्या एवं जाँच के परिणाम निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	जाँचे गये नमूनों की संख्या	घटिया पाये गये	नकली पाये गये
1986-87	26,397	4,025	78
1987-88	24,715	3,336	33

घटिया/नकली पाई गई औषधों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

औषधों की श्रेणी	1986-87			1987-88		
	जाँचे गए नमूनों की संख्या	घटिया पाए गए नमूनों की संख्या	नकली पाए गए नमूनों की संख्या	जाँचे गए नमूनों की संख्या	घटिया पाए गए नमूनों की संख्या	नकली पाए गए नमूनों की संख्या
विटामिन	3,766	262	6	3,563	254	2
हार्मोन	1,437	98	2	1,518	106	1
एन्टिबायोटिक	5,834	416	10	5,177	362	5
जैविक	1,740	123	2	1,561	110	11
केमोथिरेप्युटिक	2,976	213	5	2,806	209	2
गैलेनिकल	1785	126	4	1,314	93	1
सीरम एवं वैक्सीन	108	6	—	87	1	—
अन्य	8751	2,781	49	8,689	2201	21
	26397	4025	78	24715	3336	33

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष जी, मेरे इस प्रश्न का संबंध कुछ ऐसी चीजों से नहीं है, जिन का उत्तर हृदयहीनता से दिया जाए। आंकड़े जब भी पार्लियामेंट में मांगे जाते हैं, मन्त्री दे दिया करते हैं लेकिन अगर खराब कपड़ा है, तो आदमी नंगा भी रह लेता है और थोड़ा दुःख बर्दाश्त कर लेता है और उसमें उसको थोड़ी दिक्कत भी होती है और अगर शिक्षा में कमी है, तो वह भी वह सह लेता है लेकिन दवाइयां अगर सब-स्टैन्डर्ड हों, खराब हों और उनका उल्टा असर हो, तो जो आदमी किसी तरह से बैंग, वारो और स्टील करके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने दोस्तों के लिए दवा लाता है, तो उस का बड़ा खराब असर होता है। माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस में यह नहीं बताया कि 1987-88 में कितनी दवाइयों की जांच की और सैम्पिलिंग की। उन्होंने यह नहीं बताया। तो एक सवाल तो यह है और अगर आंकड़े और ब्यौरा सदन को दे दें, तो अच्छा होगा। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब विटामिन, हार्मोन, जैविक और गैलेनिकल आदि इन सारी चीजों की जांच की गई, तो सब में ज्यादा से ज्यादा अंश घटिया और खराब पाये गये। तो उन लोगों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही हुई ? क्या उन दवाइयों को बैन कर दिया गया ?

कुमारी सरोज खापर्डे : सर, माननीय सदस्य ने जो अभी सदन के सामने कहा है कि घटिया किस्म की जो दवाइयां होती हैं, उन के बारे में सरकार क्या करती है। आप को याद होगा कि पिछले सप्ताह भी इसी प्रकार का एक सवाल इस सदन में आया था और उस में मैंने कहा था कि जहां तक लाइसेंस देने का सवाल है या पेनेल्टी लगाने का सवाल है, उस के लिए गवर्नमेंट की अपनी मशीनरी बनी हुई है और उसके द्वारा जो सजा कानून के मुताबिक देनी चाहिए, वैसी सजा दी जाती है।

अगर सवाल रहा यह, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस 1987-88 में कितने कैंसिल किये और क्या कार्यवाही की गई, तो मैं यह बताना चाहूंगी कि आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऐसी कई स्टेट्स जो हमारी हैं, जहां पर हम लोगों ने इस प्रकार की दवाइयों के बारे में कुछ कार्यवाही की है और अभी जो इन्फार्मेशन मिली है, उस के मुताबिक 1987-88 में कुल 53 केसेज थे प्रोस्यूकेशन के लिए। इनमें से 22 एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के हैं और 31 केसेज स्क्रूरियस ड्रग्स के हैं, इनके ऊपर कार्यवाही की गई है।

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि देश बहुत बड़ा है और 28-30 कैसेज का कोई मतलब नहीं होता है। इतनी दवायें बिकती हैं, इनके खुद के एडमिशन के द्वारा दवायें घटिया, सब-सैंटेंडर्ड हैं और ये जीवन रक्षक दवायें हैं। यह इनकी स्थिति है। मामूली दवाओं को तो आप छोड़ दीजिए, एस्प्रिन, ब्रिस्प्रिन आदि। ड्रग इन्सपैक्टर की ड्यूटी है, कानून बना हुआ है कि वह ज्यादा से ज्यादा सैम्पलिंग करे और सरकार को बताए। उनकी संख्या भी कम नहीं है। उनको तनख्वाहें अच्छी दी जाती हैं, उनको इमोलिमेंट्स व दूसरी एमेंनिटीज भी हैं, इसके बावजूद भी काफी कम सैम्पलिंग होता है। वे पैसा लेकर, लोगों से बंधा हुआ रहता है, महीना-साल कम्पनीज से, फैक्ट्रीज से, डीलर्स से और रिटेलर्स से, उनका सैम्पलिंग नहीं करते हैं। यदि करते हैं, तो जांच करके जो रिपोर्ट दी जाती है, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। क्या

माननीय मन्त्री जी यह देखते हुए कि जीवन-रक्षक दवाओं की यह स्थिति है, ड्रग इन्सपैक्टर्स या विभाग के जो दूसरे लोग संबंधित हैं, उन पर इस किस्म की पाबन्दी लगायेंगी कि वे ज्यादा से ज्यादा सैम्पलिंग करें और उसकी सही-सही रिपोर्ट दें और जो रिपोर्ट मिले उसके अनुसार एन्जैम्पलरी, पनिशमेंट, जिस पनिशमेंट को एक देख कर दूसरा डरे, लाने की व्यवस्था करेंगे ?

कुमारी सरोज खापर्डे : अध्यक्ष महोदय, कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के केसेज के लिए सुविधा जरूर दी गई है, लेकिन जैसा कि आपने निवेदन किया, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई सोलिड केस आदि आपके पास हो तो आप हमारे ध्यान में लायें। हम फिर उसके बारे में राज्य सरकार से पूछताछ करेंगे और उसके ऊपर जरूर इम्पलीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। आप कोई सोलिड सबूत दीजिए ।

श्री राज कुमार राय : मेरे पास सोलिड सैंकड़ों केसेज हैं, जिसमें पैसा लेकर जांच नहीं की गई है और जाँच की है तो नमूना आपके पास नहीं आया है। मैं आपको इस के लिए धन्यवाद देता हूं।

कुमारी सरोज खापर्डे : आपके पास सैकड़ों केसेज हैं, मैं सैंकड़ों के बारे में नहीं पूछ रही हूं, मैं एक सोलिड केस आप बता दीजिएगा। राज्य सरकार को हम कहें कि वे उसके ऊपर एक्शन लें।

श्री राज कुमार राय : मैं जरूर दूंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे, यह मुझे भय है—**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे : जरूर लेंगे। आप पहले से क्यों कहते हैं।—**(व्यवधान)**

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष जी, इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए, पहले भी कहा जा चुका है।—**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहले एक-आध को सजा दिलवा लें। फिर करते हैं। राय साहब हमारे ड्रग एक्सपर्ट हैं।

(व्यवधान)

श्री राज कुमार राय : इसीलिए कह रहा हूं कि आधे घण्टे की चर्चा करा दीजिए। सारे मामले साफ हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पहले देखें तो सही क्या करते हैं।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत—अनुपस्थित

श्री राज कुमार राय : यह इतना महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हम देखते हैं कि वे अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं।

श्री हरीश रावत—अनुपस्थित

श्री प्रकाश चन्द्र—अनुपस्थित

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा—अनुपस्थित
श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन —अनुपस्थित
श्री तम्पन थामस—वह भी अनुपस्थित हैं।
श्री शरद दिघे—

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, आप ही हमारा उद्धार कीजिए, भगवन ।

आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल मेडिसन एण्ड रिहेबिलिटेशन

[अनुवाद]

*652. **श्री शरद दिघे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल मेडिसन एण्ड रिहेबिलिटेशन के कर्मचारी संगठन ने 24 नवम्बर, 1988 को एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान के कर्मचारी संघ के दिनांक 24 नवम्बर, 1988 के पत्र में लिखी शिकायतें और प्रत्येक मद पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :—

क्र. सं.	शिकायत	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1.	अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान में निदेशक का पद 2 वर्ष से खाली है और अभी तक निदेशक की नियुक्ति के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।	चूंकि संघ लोक सेवा आयोग को कोई भी उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए इस पद की अर्हताओं में छूट दी जाए । तदनुसार, नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं और इस पद पर नियुक्ति के लिए इस आयोग को एक नया मांगपत्र भेजा गया है।
2.	वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, जो इस संस्थान के प्रभारी हैं, इस संस्थान के प्रभावशाली कार्य से संबंधित मुख्य मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक प्रशासनिक शक्तियां नहीं दी गई हैं। इसलिए, अनेक वरिष्ठ पद खाली पड़े हुए हैं ।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा 8 दिसम्बर, 1988 को आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी गई थी.।

3.	इस संस्थान के कर्मचारियों के लिए कोई भी स्वास्थ्य और कल्याण सुविधायें नहीं हैं।	यह सही नही है। इस संस्थान में अपने कर्मचारियों के कल्याण की देखरेख के लिए एक मान्यता प्राप्त खेल और मनोरंजन क्लब है। जहां तक कर्मचारियों के स्वास्थ्य परिचर्या का सम्बन्ध है, वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जो कि इस शहर में कार्य कर रही है, के अन्तर्गत आती है।
4.	मौजूदा कर्मचारियों के भविष्य में पदोन्नति का कोई चैनल नहीं है जिसके कारण उनमें कुण्ठा, असंतोष तथा उत्साहहीनता है।	समूह "ग" और समूह "घ" कर्मचारियों की संवर्ग समीक्षा पूरी कर ली गई है तथा कार्यान्वित किए जाने हेतु इस योजना पर कार्रवाई की जा रही है।
5.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को भेजे गए अभ्यावेदनों के बावजूद भी कार्यशाला कर्मचारियों को 1200—1800 रुपये का ग्रेड नहीं दिया गया है।	यह मामला विसंगतियों संबंधी समिति को भेजा गया है।
6.	ऐसा सुनने में आया है कि इस संस्थान को सांविधिक स्तर दिया जा रहा है ताकि इसका सुचारू विकास सुनिश्चित हो सके। लेकिन अब तक न तो यह प्रस्ताव उठाया गया है और न ही संघ को इस बारे में विश्वास में लिया गया है।	संस्थान को सांविधिक दर्जा देने का इस प्रकार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।
7.	माननीय स्वास्थ्य मन्त्री, श्री मोतीलाल वोरा, ने अगस्त, 1988 को इस संस्थान के अपने दौरे के दौरान आश्वासन दिया था कि वे इस संस्थान की समस्याओं के समाधान के लिए सितम्बर, 1988 में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेंगे। बहरहाल इस सम्बन्ध में हमें आगे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।	केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री ने जुलाई, 1988 में इस संस्थान का दौरा किया। उनके दौरे के अनुसरण में रिक्त पदों की स्थिति की सरकार द्वारा समीक्षा की गई तथा उन्हें शीघ्र से शीघ्र भरने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं।

संस्थान के कर्मचारियों की कुछ दूसरी शिकायतें रोगी परिचर्या भत्ता और जोखिम भत्ता दिए जाने के बारे में है। इन शिकायतों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

रोगी परिचर्या भत्ता : इस मामले की जांच की जा रही है।

जोखिम भत्ता : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री शरद दिघे : अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान पिछले तीस से अधिक वर्षों से सहायता सेवा में सराहनीय कार्य कर रहा है। तथा इसने स्वयं को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में एक अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित कर लिया है और अपने विभिन्न विभागों के जरिये शारीरिक रूप से अपंग रोगियों के लिए व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम चलाता हैं भले ही यह संस्थान अपंग व्यक्तियों को न केवल बम्बई शहर में बल्कि आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सेवा करता है लेकिन जैसे कि मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है स्थिति यह है कि इसके निदेशक का पद पिछले दो वर्षों से रिक्त पड़ा है। फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही संस्थान के प्रभारी हैं। और उन्हें काफी समय से कोई शक्तियां नहीं सोंपी गयी है। कुछ समय के लिए वे दी गयीं थी लेकिन दुर्भाग्यवश उस मुख्य चिकित्सा अधिकारी का भी निधन हो गया और अब पुनः निदेशक की शक्तियां किसी को भी नहीं सोंपी गयी है। इसके अलावा समूह ब और समूह घ कर्मचारियों संवर्ग की समीक्षा की मांग काफी समय से लम्बित पड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय न केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी बल्कि अन्य 14 उच्च पदों को जो पिछले कई वर्षों से खाली पड़े हैं भरने के लिए गम्भीरता से कदम उठायेंगे इस प्रकार इस इतने अच्छे संस्थान को ही अपंग बना दिया गया है क्योंकि निदेशक का उच्च पद खाली है और अन्य उत्तरदायी अधिकारी भी नहीं है। और समूह (ग) और समूह (घ) के कर्मचारियों के ग्रेडों की, जिनमें ज्यादातर कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, काफी समय से समीक्षा नहीं की गयी है। यह काफी समय से लम्बित पड़ा है। क्या मन्त्री महोदय इसे गंभीरता से लेंगे और इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेंगे ? कई वर्षों से शौर्य पद नहीं भरा गया है अर्थात टापलैस रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : टापलैसनैस तो आधुनिकता है।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय; संघ लोक सेवा आयोग योग्य उम्मीदवार नहीं खोज पाया था अतः उन्होंने सलाह दी कि इस पद के लिए अहर्ता को अधिक अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के लिए कुछ कम कर दिया जाना चाहिए। तद्नुसार नियमों में आवश्यक संशोधन किये गये और आयोग को इस पद की भर्ती के लिए एक नये सिरे से मांग भेजी गयी है।

महोदय, जहां तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात है उन्हें स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक द्वारा 4 दिसम्बर, 1988 को आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सौंप दी गयी थी।

जहां तक माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है मैं सम्माननीय सभा को आश्वस्त कर सकती हूं कि निश्चित रुप से हम पूरे मसले पर गौर करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री शरद दिघे : महोदय; जो कठिनाईयां इस संबंध में कहीं गयी हैं उन्हें पहले हल किया जा सकता था। खैर, मैं कर्मचारियों की एक और मांग पेश करना चाहूंगा, यह रोगी परिचर्या भत्ता है, जिसका आपके उत्तर में पृष्ठ 3 पर जिक्र किया गया है। अब रोगी परिचर्या भत्ता तो कम से कम एकदम दे दिया जाना चाहिए क्योंकि रोगी परिचर्या भत्ता, आपके अवर सचिव के पत्र दिनांक 25 जनवरी 1988 के तहत 1 दिसम्बर 1987 से सफदरजंग अस्पताल नई

दिल्ली, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली और श्रीमती एस० के० अस्पताल नई दिल्ली को पहले ही दिया जा चुका है। आप दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों तथा बम्बई में इस संस्थान में जहां अपंग व्यक्तियों का इलाज किया जाता है, पुनर्वास का बहुत अच्छा कार्य कर रहे कर्मचारियों में भेदभाव क्यों करते हैं ?

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से अवगत हूं क्योंकि वह बम्बई से हैं। और हाल ही में, पिछले सप्ताह के आस पास इस संगठन का एक प्रतिनिधि-मंडल माननीय सदस्य सहित मुझसे मिला था।

महोदय, जहां तक समूह (ग) और समूह (घ) कर्मचारियों को रोगी परिचर्या भत्ता देने का प्रश्न है अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, बम्बई सहित डी. जी. एच. एस, के अन्तर्गत गैर मन्त्रालय अधीनस्थ संगठनों को यह भत्ता देने का मामला विचाराधीन है। परन्तु मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगी कि इस संबंध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है .....(**व्यवधान**)

श्री शरद दिघे : यही तो मैं पूछ रहा हूं ..... (**व्यवधान**)

कुमारी सरोज खापर्डे : यह मांग विचाराधीन है मैं सभा को आश्वासन देना चाहूंगी कि हम अपनी तरफ से कुछ न कुछ शीघ्रातिशीघ्र करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन भाई पटेल—अनुपस्थित
श्री वी० कृष्ण राव—अनुपस्थित
श्री वी० तुलसीराम—अनुपस्थित

अब प्रश्न सूची समाप्त हो गयी है। मैं पुनः उन माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा जो पहले अनुपस्थित थे। यह हमारा दूसरा दौर होगा।

डा० दिग्विजय सिंह—अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 637 : श्री वाई० एस० महाजन

उन्हें इसके लिए प्राधिकृत किया गया है।

"परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति"

*637. **श्री वाई० एस० महाजन**

(प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर की ओर से) : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसी योजनाओं को मंजूरी देने में जिनके अन्तर्गत पेड़ों को काटा जाना होता है, अत्यधिक विलम्ब के विरोध स्वरूप उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में लोग बड़े पैमाने पर पेड़ों को अनधिकृत रूप से काट रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आई है; और

(ग) उनके मन्त्रालय के विचाराधीन योजनाओं के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्कीमों को आवश्यक मंजूरी देने में अत्यधिक विलम्ब होने के विरोध स्वरूप उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों द्वारा पेड़ों को अनधिकृत रूप से काटे जाने की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून के चार जिलों में 393 पेड़ों के काटे जाने की सूचना मिली है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी के लिए लंबित मामलों की पुनरीक्षा करने से पता चला है कि अधिकांश मामले परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पूरी सूचना न भेजे जाने के कारण काफी समय से लंबित थे। यह महसूस किया गया था कि यदि परियोजना प्रस्तावकों को साफ-साफ बता दिया जाए कि निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना नहीं दी गई तो ऐसे मामलों को नामंजूर किया गया समझा जाएगा, ऐसा करने से उन्हें अपेक्षित सूचना शीघ्र भेजने के लिए प्रेरित करने में सहायता मिलेगी। ऐसी परिस्थितियों में अब यह व्यवस्था की गई है कि जिन मामलों में पूरी सूचना उपलब्ध कराई गई है, उन्हें प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाए। जिन मामलों में भेजी गई सूचना में कमी पाई जाए, उनके संबंध में परियोजना प्रस्तावकों को सलाह दी जाए कि वे अपेक्षित सूचना एक माह के भीतर भेज दें। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर पूरी सूचना नहीं भेजी जाती है, तो उन मामलों को सूचना के अभाव में नामंजूर किया गया समझा जाता है।

यह बात भी ध्यान में आई है कि प्रत्येक मामले में क्षतिपूरक वनरोपण के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में आने वाली कठिनाइयों के कारण अनेक प्रस्ताव काफी समय से राज्य सरकारों के पास लंबित हैं। इस समस्या के हल के लिए राज्य सरकार को क्षतिपूरक वनरोपण के प्रस्तावों के लिए गैर-वनभूमि, विशेषरूप से उसर भूमि जैसी परती भूमि के कुछ बड़े खण्डों का पता लगाने की सलाह दी गई है ताकि इनका "बैंक" के रूप में इस्तेमाल किया जा सके तथा इन "बैंकों" से प्रत्येक मामले में क्षतिपूरक वन रोपण की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन से अलग-अलग मामलों को मंजूर करने की प्रक्रिया में काफी तेजी आने की आशा है।

श्री वाई० एस० महाजन : हमारी वन नीति पूर्णतया असफल रही है। पिछले 40 वर्षों के दौरान देश में वन आच्छादित प्रदेश 22 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत रह गया है। यद्यपि हमारे वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य यह देखना है कि वन आच्छादित क्षेत्र बढ़े, परिणाम यह है कि पर्यावरण और वन विभाग द्वारा कई विकास योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिल रही है।

इसके कारण लोगों की प्रतिक्रिया सर्वविदित है। इसलिए, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार विकास योजनाओं और नदी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करेगी ? और उत्तर प्रदेश की इस प्रकार की कितनी योजनायें लम्बित हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उन मामलों को स्वीकृति देने के प्रश्न पर इस सभा में कई बार चर्चा हुई है। मेरी समस्या यह है कि यदि मामले पूरे तथ्यों के साथ नहीं भेजे जा रहे हैं तो उन मामलों पर निर्णय लेना हमारे लिए बहुत कठिन है यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि मामले हमारे पास नहीं आ रहे हैं और उन पर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, आन्दोलनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। हम इस विषय को राज्य सरकारों के साथ बातचीत के लिए उठा रहे हैं और हम उन्हें मामलों को ठीक प्रकार पूरी जानकारी के साथ भेजने के लिए कह रहे हैं ताकि हम उन मामलों का शीघ्र निपटारा कर सकें। हमने कुछ उपाय किये हैं ताकि मामले शीघ्रता से निपटाये जा सकें।

श्री वाई० एस० महाजन : कभी-कभी 8 वर्ष, 9 वर्ष और यहां तक कि 10 वर्ष भी लग जाते हैं। इन्जीनियरी डिवीजन, जो परियोजनाओं के साथ स्थित हैं, वर्षों तक बेकार पड़े रहते हैं। इस प्रकार पैसे की बर्बादी होती है और लोग हताश हो जाते हैं। अतः केवल अधिनियम में संशोधन करना ही आवश्यक नहीं है परन्तु यह देखना भी आवश्यक है कि विभागीय प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जाये। राज्य सरकारों का कहना है कि जानकारी भेजी जा चुकी है। परन्तु जब हम यहां अधिकारी के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। क्या हो गया है ? या तो डाक विभाग में कोई गड़बड़ है या प्राप्तकर्ता विभाग में। मेरे विचार में उन्हें राज्य सरकार को यह देखने के लिए वापस लिखना चाहिए कि जानकारी समय पर वापस भेजी गई है। चाहे वे जानकारी समय पर वापस नहीं भेजते हैं तो भी उन्हें योजनाओं को शीघ्र आगे बढ़ाने और तय करने के लिए कदम उठाने चाहिए क्योंकि विकास केवल राज्यों की ही समस्या नहीं है परन्तु पूरे देश की है। क्या माननीय मन्त्री यह देखने के लिए कदम उठायेंगे कि इन योजनाओं को यथाशीघ्र स्वीकृति दी जाये ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि शायद माननीय सदस्य को लम्बित पड़े मामलों की पूरी जानकारी नहीं है। हमारे पास तीन-चार महीने से ज्यादा मामलों के लम्बित पड़े रहने का प्रश्न ही नहीं है। अब नवीनतम प्रक्रिया हमने यह अपनाई है कि यदि मामले हमारे पास पूरी जानकारी के साथ स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं तो हम उन्हें 6 सप्ताह की अवधि में स्वीकृति दे देंगे, यदि वे वन सम्बन्धी मामले हैं तो। यदि पर्यावरण सम्बन्धी मामले हैं और हमें पूरे तथ्य भेजे गये हैं तो हम उन्हें तीन महीने की अवधि में स्वीकृति दे देंगे। यदि किसी जानकारी की कमी है तो हम राज्य सरकार को जानकारी भेजने के लिए केवल एक बार कहेंगे। यदि एक महीने की अवधि में वे जानकारी भेज देते हैं तो हम मामलों पर विचार करेंगे। उसके बाद हम जानकारी न भेजने के कारण उन मामलों को अस्वीकृत कर देंगे। हमारे पास तीन महीने से अधिक मामलों के लम्बित रहने का प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उनको "लकीर के फकीर" मत बनाया कीजिए।.....

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : "लकीर के फकीर" का प्रश्न ही नहीं है। प्रक्रिया का प्रश्न है और प्रक्रिया को अपनाना होगा। महोदय, मुझे बहुत खेद है, मुझे.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनने से पहले ही नाराज हो रहे हैं। अगर आप सुनते तो आपको पता लगता कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं अन्डमान गया था, वहां एयरपोर्ट का विस्तार होना है, आगे बिल्कुल वहां कोई दरख्त नहीं था, लेकिन उसमें अड़चन है क्योंकि कोई चीज बना दी है। उनके लीटल अन्डमान भी मैं गया था। छोटा सा जरूर है लेकिन उसमें पांच सौ मीटर का लगा दिया है। कोई चीज वहां नहीं बना सकते हैं इसलिए मैं यह कह रहा था कि कोई ऐसी चीज न हो जाए कि "लकीर के फकीर" होने से उनको नुकसान हो जाए, क्योंकि हमने बना दिया है। आप खुद वहां जाकर देखिए तभी आपको पता लगेगा।

[अनुवाद]

हमें मामलों पर दी हुई परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए।

[हिन्दी]

मैंने यह नहीं कहा कि "लकीर के फकीर" आपका डिपार्टमेंट है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको मौके के हिसाब से ठीक समझा जाता है, मर्ज के हिसाब से दवा देनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, आपकी सलाह मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं अधिकारियों से मामलों पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार के मुख्यालय में जाने के लिए तैयार हूं। बल्कि मैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश गया भी था और उन्हें पूरी जानकारी देने के लिए कहा था। यदि वे पूरी जानकारी दे देते हैं तो मैं वहीं उसी वक्त निर्णय ले लूंगा। महोदय, मैं यही कह रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप वहां जाकर देखिए, हमने उन लोगों को तरक्की देनी है।

[अनुवाद]

उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है।

श्री सुरेश कुरुपं : महोदय, केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जल विद्युत परियोजनायें अभी तक पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास लम्बित पड़ी हैं। ऐसी एक परियोजना पुयामकुट्टी परियोजना है। इस परियोजना के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी रिपोर्टें आ रही हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय पहले ही इसे स्वीकृति दे चुका है। कुछ अन्य रिपोर्टों में कहा गया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय स्वीकृति नहीं देगा या अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इसे स्वीकृति दे चुका है। यदि अभी तक स्वीकृति नहीं दी है तो कब तक इसे स्वीकृति दे दी जायेगी और स्वीकृति देने में देरी क्यों हो रही है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, मुझे इसके लिए एक अलग नोटिस चाहिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मन्त्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बोलते हुये

[हिन्दी]

आपने फरमाया था कि उनको लकीर के फकीर मत बनाया करो,

[अनुवाद]

प्रक्रिया के दास मत बनिये। प्रक्रिया ऐसी है कि, जैसा कि उन्होंने कहा, एक भी मामला अब सरकार के पास लम्बित नहीं है क्योंकि सभी फाइलें बन्द कर दी गई हैं। यदि एक महीने के अन्दर जानकारी नहीं मिलती है तो फाइल स्वत: ही बन्द कर दी जाती है।

[हिन्दी]

"न मर्ज रहा न मरीज"

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विभिन्न विवरणों, जो राज्य सरकारों द्वारा भेजे जाने हैं, से सम्बन्धित प्रक्रिया के प्रश्न पर विचार करेगी और क्या सरकार यह देखने के लिए इस प्रक्रिया में संशोधन करेगी कि यह सरल बन जाये और राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी ऐसी हो कि उसके आधार पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सके।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे गलत समझा है। वास्तव में हमने प्रक्रिया को सरल बना कर ही यह कदम उठाया है। पहले ऐसा होता था कि मामला अधूरी जानकारी के साथ हमारे पास भेजा जाता था। यदि हम राज्य सरकार को पूर्ण विवरण के लिए लिखते थे तो महीनों तथा वर्षों तक हमारे पास जानकारी नहीं पहुँचती थी और ऐसा मामला या तो लम्बित रहता था या उसे बन्द कर दिया जाता था। अब हमने ऐसा कदम उठाया है कि यदि पूरी जानकारी मिल जायेगी तो मामले को तीन महीने में स्वीकृति दे दी जायेगी। यदि वे पूरी जानकारी नहीं देते हैं अथवा उसमें कोई कमी है, हम राज्य सरकार को इसके लिए केवल एक बार लिखेंगे कि यह जानकारी इसमें नहीं दी गई है। हम उन्हें यह जानकारी देने के लिए लिखेंगे ताकि हम निर्णय ले सकें। वास्तव में हमने ये कदम मामलों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए उठाए हैं।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, मैं एक परियोजना विशेष के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछना चाहता, यद्यपि मेरे पास एक ऐसा मामला है, क्योंकि शायद उनके पास तथ्य और आंकड़े न हों। परन्तु मैं एक सामान्य प्रश्न पूछना चाहता हूं जो सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के संबंध में है, पहले मन्त्रालय द्वारा एक मान-दण्ड यह रखा गया था। कि यदि राज्य सरकार एक विशेष प्रकार के वन को कम से कम दो या तीन बार लगाना चाहती है, तो परियोजना को स्वीकृत देदी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपकी वर्तमान नीति क्या है और राज्य सरकारों द्वारा इन शर्तों को पूरा किये जाने के बाद क्या इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, मामले को स्वीकृति देते समय केवल एक ही विशेष तथ्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। महोदय, यदि इसमें वन शामिल हो तो यह वनरोपण प्रतिपूरक प्रश्न है; यह विस्थापित लोगों के पुनर्वास का प्रश्न है जो वन क्षेत्रों में रहते हैं और जिनकी आजीविका वनों पर निर्भर है और उनके लिए परियोजनाओं में क्या प्रस्ताव रखे गये हैं, उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रस्ताव रखे गये हैं। यह परिस्थितिकी सन्तुलन का भी प्रश्न है; यह 'जीन-पूल रिजर्व' का प्रश्न है; किस प्रकार का वन है और वनों के विनाश से किस हद तक विकास के नाम पर क्षति होगी यह इस बात का भी प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : हमारे यहां पर वन काटने की बात नहीं है, लेकिन एक जगह जहां जंगल की जमीन है वह किसान के वसाहत बनाने के लिए दी गयी है लेकिन वन के अधिकारी बोलते हैं कि हम नहीं देंगे। वह थोड़ी सी जमीन है वहां पर वन नहीं हैं, पेड़ वगैरह कुछ नहीं हैं। जैसे अभी लकीर के फकीर वाली बात हुई, वहां पर फसात के लिए केन्द्र से 12 लाख रुपये आ गये हैं, लोगों को वह नहीं मिल रहा है, आप इसकी जांच करवायें। वहां पर एक परियोजना 1967 से अधूरी पड़ी है, उसका नाम मैं बताती हूं वलाइराडैम है कच्छ जिले में, इसकी जांच करायें क्योंकि आप तो कहते हैं तीन महीने में करा देते हैं....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। नहीं।

[हिन्दी]

स्पेसिफिक सवाल पूछें, यह इससे सम्बन्धित नहीं है। आप ऐसे कैसे बता रही हैं, कैसे बता पायेंगे।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	— अनुपस्थित
श्रीमती जयंती पटनायक	— अनुपस्थित
श्री कमला प्रसाद सिंह	— अनुपस्थित
श्री एस० बी० सिदनाल	— अनुपस्थित
श्री सोमनाथ रथ	— अनुपस्थित
प्रो० रामकृष्ण मोरे	— अनुपस्थित
श्री बनवारी लाल पुरोहित	— अनुपस्थित
श्री हरीश रावत	— अनुपस्थित
श्री प्रकाश चन्द्र	— अनुपस्थित
श्री अतीश चन्द्र सिन्हा	— अनुपस्थित
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	— अनुपस्थित

श्री तम्पन थामस — अनुपस्थित

श्री मोहन भाई पटेल — अनुपस्थित

श्री वी० कृष्णराव — अनुपस्थित

श्री वी० तुलसीराम — अनुपस्थित

अब प्रश्न सूची समाप्त हुई।

प्रश्न सूची समाप्त हुई

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में शस्त्र व्यापारियों के साथ काम करने वाले सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी

[अनुवाद]

*616. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शस्त्र व्यापारियों के साथ कितने सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारियों के सम्पर्क पाये गये,

(ख) क्या सरकार द्वारा उन्हें इन शस्त्र व्यापारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई थी, और यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या थीं; और

(ग) इस प्रकार के निर्णय किस अधिकारी स्तर पर लिए जाते हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के दिल्ली के शस्त्र विक्रेताओं के साथ कथित "संबंधों" के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) : ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में चरस का पकड़ा जाना

*617. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1989 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि राजधानी में 114 कि. ग्रा. चरस पकड़ी गयी :

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गयी है :

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बीच कोई जांच की गई है; और

(घ) नशीली औषधियों का अवैध व्यापार रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : पुलिस थाना त्रिलोकपुरी, दिल्ली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131/89 दिनांक 15-3-89 के तहत एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20/61/85 के अधीन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे 1141 किलोग्राम (न कि 114 किलोग्राम) चरस भी बरामद की गई थी ।

(घ) संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों से निकट सम्पर्क स्थापित किए हुए है ।

विकास संबंधी कार्यों के लिए धनराशि का उपयोग

*618. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विकास संबंधी कार्यों के लिए दी गई धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) क्या इस धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य योजनाओं और विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दी गई तथा इन क्षेत्रों में प्रयुक्त की गई धनराशियों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण–1, विवरण–2, विवरण–3, और विवरण–4 में दिया गया है । यद्यपि वास्तविक रूप में सभी राज्यों ने, दी गई केन्द्रीय सहायता के बराबर या अधिक व्यय की सूचना दी है, तथापि कुछ मामलों में अनुमोदित योजना परिव्यय से भी कम व्यय किया गया । विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों में वर्ष विशेष के दौरान खर्च न की गयी राशि बची है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये धनराशियां विशेष समस्याओं का निपटारा करने के लिए थीं, राज्यों से यह कहा गया कि वे खर्च न की गई राशि को योजना अवधि के भीतर ही खर्च कर लें ।

(ख) और (ग) वर्ष 1986-87 से ही व्यय की प्रगति की तिमाही आधार पर निगरानी रखी जा रही है और राज्यों का ध्यान विशिष्ट कमियों की ओर आकृष्ट कराया जा रहा है ताकि अनुमोदित योजना परिव्ययों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके ।

विवरण—1

राज्यों को वार्षिक योजनाओं 1985-86 से 1987-88 के लिए परिव्यय/केन्द्रीय सहायता और व्यय

(करोड़ रु०)

राज्य	परिव्यय	1985-86 स्वीकृत केन्द्रीय सहायता	व्यय	परिव्यय	1986-87 स्वीकृत केन्द्रीय सहायता	व्यय	परिव्यय	1987-88 स्वीकृत केन्द्रीय सहायता	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. विशेष श्रेणी राज्य									
1. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	110.00	133.27	111.78
2. असम	410.00	406.88	400.92*	500.00	467.79	499.02	575.00	528.52	572.40
3. हिमाचल प्रदेश	177.00	169.88	192.32	215.00	172.49	238.80	235.00	234.81	276.96
4. जम्मू और कश्मीर	260.00	326.45	274.42*	337.65	359.22	337.66*	387.50	418.84	405.18*
5. मणिपुर	70.00	98.92	69.68*	87.00	105.97	84.13*	105.00	120.03	105.33*
6. मेघालय	75.00	64.37	73.67	91.00	91.62	89.04*	110.00	108.20	110.35
7. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	70.00	63.67	71.66
8. नागालैंड	65.00	123.31	63.45*	78.00	135.57	73.86*	94.75	159.66	95.25*
9. सिक्किम	41.00	45.72	42.13*	50.88	53.39	52.71*	54.10	60.36	57.93*
10. त्रिपुरा	86.00	92.06	93.76	105.00	107.57	115.06	125.00	125.62	138.24*
ख. गैर-विशेष श्रेणी राज्य									
11. आंध्र प्रदेश	810.00	330.23	942.92	1000.00	291.97	1204.70	1112.43	319.12	1123.21
12. बिहार	851.00	539.23	932.21	1277.24	452.28	1281.21	1400.00	500.84	1194.84
13. गुजरात	804.00	204.26	825.02	950.00	219.79	965.61	890.51	254.34	1101.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. गोवा	—	—	—	—	—	—	79.75	129.75	88.72
15. हरियाणा	480.00	160.74	422.81	525.00	130.60	480.92	430.28	59.33	468.84
16. कर्नाटक	651.00	190.00	637.67	766.00	189.23	696.17	769.45	185.78	702.10
17. केरल	355.00	274.41	366.39	390.00	259.35	427.55	380.60	203.68	390.43
18. मध्य प्रदेश	1170.00	318.62	1009.76	1377.16	342.68	1169.00	1516.11	379.22	1412.90
19. महाराष्ट्र	1700.00	329.34	1747.20	1925.00	341.58	1963.77	2100.00	313.95	2190.47
20. उड़ीसा	450.00	201.84	445.64	605.00	241.26	574.26	742.02	261.61	701.39
21. पंजाब	500.00	252.17	467.83	575.00	390.63	678.93	650.00	698.56	790.32
22. राजस्थान	430.00	223.54	427.64	530.00	236.61	527.84	606.00	266.65	644.84
23. तमिलनाडु	960.00	291.98	999.29	1153.00	262.62	1150.68	1250.00	333.77	1276.58
24. उत्तर प्रदेश	1642.00	640.00	1710.45	1907.60	659.43	2005.42	2009.78	784.84	2214.93
25. पश्चिम बंगाल	675.00	187.63	700.34	788.00	232.20	714.95	871.25	253.43	782.93
जोड़ (क) + (ख) :	12662.00	5472.50	12845.52	15231.53	5743.85	15331.29	16674.53	6897.87	17024.18

*तब राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था ।

* — केन्द्रीय सहायता की तुलना में कम व्यय होने का कारण यह है कि केन्द्रीय सहायता के बकाया से गैर-योजना व्यय को पूरा करने की अनुमति दी गयी थी ।

विवरण— 2

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय और व्यय

(करोड़ रु०)

		परिव्यय			व्यय		
		रा० यो०	वि० के० स०	जोड़	रा० यो०	वि० के० स०	जोड़
1985-86	असम	28.70	22.08	50.78	28.52	22.20	50.73
	उत्तर प्रदेश	69.00	107.98	176.98	82.04	108.55	190.59
	प० बंगाल	14.50	9.21	23.71	18.63	9.26	27.89
	तमिलनाडु	6.30	6.73	13.03	15.94	5.85	21.79
1986-87	असम	35.00	25.90	60.90	35.00	25.90	60.90
	उत्तर प्रदेश	85.00	120.00	205.00	86.86	120.00	206.86
	प० बंगाल	13.63	9.50	23.18	20.35	9.50	29.85
	तमिलनाडु	16.11	7.30	23.41	17.29	7.48	24.77
1987-88	असम	41.00	27.69	68.69	40.92	27.36	68.28
	उत्तर प्रदेश	105.35	120.65	235.00	101.35	129.65	231.00
	प० बंगाल	18.88	10.44	29.32	21.43	10.44	31.87*
	तमिलनाडु	10.38	7.90	18.28	18.40	7.90	26.30

रा० यो०— राज्य योजना प्रवाह

वि०के० स०— विशेष केन्द्रीय सहायता

* —प्रत्याशित

विवरण—3

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रु०)

क्र. सं०	राज्य	1985-86			1986-87			1987-88			1987-88 के अन्त तक व्यय न की गई परिव्यय राशि
		जारी की गई राशि	व्यय की गई राशि	व्यय न की गई राशि	जारी की गई राशि	व्यय की गई राशि	व्यय न की गई राशि	जारी की गई राशि	व्यय की गई राशि	व्यय न की गई राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	महाराष्ट्र	729.00	691.90	37.10	826.32	838.07	—	901.00	864.65	36.35	73.45
2.	कर्नाटक	457.00	401.01	55.99	633.00	606.69	26.31	667.00	589.70	77.30	159.60
3.	केरल	492.50	492.50	—	509.00	488.67	20.33	507.18	439.88	67.30	87.63
4.	तमिलनाडु	372.51	372.41	0.10	434.00	433.30	0.70	471.00	459.90	11.10	11.90
5.	गोवा	110.00	104.95	5.05	110.00	103.07	6.93	115.00	113.61	1.39	13.37

नोट : पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए राज्यों ने शेष परिव्यय राशि उपयोग करने के लिये उन्हें अनुमति दिये जाने के लिये एक मामला तैयार किया है क्योंकि यह राशि विशेष समस्याओं से निपटने के लिये थी। उनसे इस शेष परिव्यय राशि को 1988-89 तक उपयोग करने के लिये कहा गया है।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1988-89 के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गऐ प्रत्याशित व्यय के विवरण के अनुसार ऐसा कर लिया है। लेकिन, केरल तथा गोवा सरकार 1988-89 के अन्त तक शेष परिव्यय राशि का उपयोग नहीं कर पाई तथा 1988-89 के लिये उन्हें अन्तिम विशेष केन्द्रीय सहायता जारी करते समय उनके पास उपलब्ध शेष परिव्यय राशि का समायोजन पहले ही कर लिया गया है तथापि, उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें बची हुई शेष राशि वार्षिक योजना 89-90 के दौरान उपयोग करने की अनुमति दी जाये।

विवरण—4

जनजातीय उप-योजना

वर्ष 1985-86 से 87-88 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई राशि तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताए गए व्यय :

(लाख रू०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि	बताया गया व्यय 1985-86	जारी की गई राशि	बताया गया व्यय 1986-87	जारी की गई राशि	बताया गया व्यय 1987-88
आंध्र प्रदेश	740.00	772.79	850.38	972.77	1063.23	1190.43
असम	632.40	493.38	710.63	689.00	705.83	784.00
बिहार	1964.41	1841.23	2066.05	1920.69	2178.10	1863.57
गुजरात	1126.66	1126.66	1246.95	1246.95	1347.58	1023.75
हिमाचल प्रदेश	205.36	202.52	241.24	233.93	237.19	253.94
कर्नाटक	148.13	142.30	116.26	129.88	127.47	142.59
केरल	70.01	76.75	77.76	72.16	83.74	83.80
मध्य प्रदेश	3969.98	3180.52	4399,72	4392.00	4518.48	4787.00
महाराष्ट्र	950.69	1028.56	1972.00	1075.78	1284.51	1167.60
मणिपुर	252.85	257.89	280.91	303.86	281.76	306.01
उड़ीसा	1915.00	1896.82	2174.48	2174.24	2263.82	2125.02
राजस्थान	910.28	595.76	1019.90	700.40	1138.15	716.16
सिक्किम	38.99	38.71	38.96	37.53	39.57	36.47
तमिलनाडु	145.93	145.39	162.09	155.60	178.54	185.03
त्रिपुरा	250.17	229.65	263.67	178.76	273.23	219.16
उत्तर प्रदेश	27.87	18.34	31.10	18.28	35.23	19.68
पश्चिम बंगाल	616.27	617.15	701.29	702.30	831.57	836.57
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	30.00	24.35	40.00	25.36	50.00	45.96
गोवा, दमन और द्वीव	5.00	4.98	6.00	5.10	7.11	7.11

टिप्पणी : विशेष केन्द्रीय सहायता की बची हुई शेष राशि की एक योजना अवधि के अन्दर-अन्दर उपयोग स्वीकार्य है ।

बिना पिक्चर ट्यूब के टेलीविजन सैट

*619. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **प्रधान मन्त्री** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनुसंधान संस्थानों द्वारा निकट भविष्य में बिना पिक्चर ट्यूब के टेलीविजन सैट तैयार करने के सम्बन्ध में प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और ऐसी तकनीक का कब तक विकास किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख) : तरल क्रिस्टल प्रदर्श के कुछ पहलुओं पर कुछ संगठनों में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, जिसकी भविष्य में पिक्चर ट्यूबों की आवश्यकता को ही समाप्त करने में मुख्य भूमिका रहेगी ।

असम सरकार द्वारा केन्द्रीय बलों की तैनाती के लिए अनुरोध

*620. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने दारंग जिले के कोकराझार और बदालगुड़ी सब-डिवीजन के बोडो निवासी क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए और अधिक केन्द्रीय बल तैनात करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार असम सरकार के अनुरोध पर विचार करने को सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) असम सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और असम राइफल्स की अनेक कम्पनियां उपलब्ध कराई गई हैं और वे अभी तक वहां तैनात हैं ।

सेना के अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

*621. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के कई अधिकारियों ने उच्च पदों पर पदोन्नति के मामले में अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजे हैं और कानूनी कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो कर्नल तथा उससे उच्च पदों के अधिकारियों से वर्ष 1988 के दौरान प्राप्त अभ्यावेदनों, रद्द किए गए अभ्यावेदनों और सरकार के विरुद्ध दायर मामलों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन करने पर विचार कर रही है जिससे इस प्रकार के अभ्यावेदन कम प्राप्त हों और चयन प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाया जा सके ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी नहीं। कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के 2% से भी कम अफसरों ने अन्य अधिकारी/अधिकारियों द्वारा अधिक्रमित किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 1988 के दौरान, कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के कुल 71 अफसरों ने अधिक्रमित किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। इन पर विचार किया गया और सेनाध्यक्ष/केन्द्रीय सरकार ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। इनमें से सात अफसरों ने न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कीं जिनमें से 3 याचिकाएँ खारिज कर दी गईं और 4 अभी न्यायाधीन हैं।

(ग) सेना में चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और सुव्यवस्थित है और इसके अंतर्गत अधिक्रम से पूर्णतया बचा नहीं जा सकता। इस चयन प्रक्रिया में कोई विशेष परिवर्तन करना विचाराधीन नहीं है।

वायुसेना के पायलट आफिसरों के वेतनमान

*622. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 में वायुसेना में कितने पायलट आफिसरों को कमीशन प्रदान की गई;

(ख) भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतनमान क्या हैं; और

(ग) क्या वायुसेना के पायलटों के वेतन नागर विमानन विमानों के पायलटों के वेतन से बहुत कम हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1)	1987	—	134
(2)	1988	—	135
(3)	1989	—	शून्य (अद्यतन)
			269

(ख) कमीशन प्राप्त अफसरों के वेतन-मान इस प्रकार हैं :—

(1) पायलट अफसर के रैंक से एयर कमोडोर रैंक तक के एकीकृत वेतनमान	— 2300-100-3900-150- — 4200-द.रो.-150-5100 रुपये
(2) एयर वाइस मार्शल	5900-200-6700 रुपये
(3) एयर मार्शल	7300-100-7700 रुपये
(4) सह-वायुसेनाध्यक्ष/वायु अफसर वायुसेना कमानों के कमांडिंग-इन-चीफ	8000 रुपये (निश्चित)

(5) वायुसेनाध्यक्ष — 9000 रुपये (निश्चित) इसके अतिरिक्त, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक से एयर कमोडोर रैंक तक रैंक वेतन देय है जिसकी दर 200/- रुपये से 1200/- रुपये तक है।

(ग) तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि वायु सेना पायलटों और नागर विमानन वायु पायलटों की सेवा शर्तें/अपेक्षाएं भिन्न-भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त, वायु-सेना के पायलटों और नागर विमानन पायलटों के भत्ते/परिलब्धियां भी एक जैसी नहीं हैं अथवा तुलनीय नहीं हैं।

भारत-पाक सीमा पर तार लगाना

[हिन्दी]

*623. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाने का कार्य, जिसके मार्च, 1989 के अन्त तक पूरा किये जाने की सम्भावना थी, पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी लम्बी सीमा पर कांटेदार तार लगाये जाने थे;

(ग) इस पर कुल कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या सीमा पर तार लगाने से तस्करी, घुसपैठ आदि पर प्रभावी ढंग से नियन्त्रण हो सका है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान की सीमा पर भी यह कार्य प्रारम्भ करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जो इस कार्य का निष्पादन कर रहा है, से प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब क्षेत्र में हाथ में ली गई 120 कि० मीटर लम्बाई के कुल टुकड़े में से 104 कि० मीटर बाड़ पूरी कर ली गई है और 31 मार्च, 1989 तक परियोजना पर 1,546 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

(घ) यह उग्रवादियों और तस्करों की घुसपैठ को रोकने में लाभदायक सिद्ध हुई है।

(ङ) और (च) राजस्थान के गंगानगर जिले में सीमा के चुने हुए हिस्से में बाड़ लगाने का काम हाथ में ले लिया गया है जबकि जम्मू क्षेत्र के बारे में अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कुष्ट रोग से मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

[अनुवाद]

*624. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रत्येक राज्य में अब तक स्थापित पुनर्वास कालोनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें अपनी जीविका कमाने के लायक बनाने और स्वावलम्बी बनाने के लिए दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

1. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की कल्याण मन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत ऐसे संगठनों को अनुदान दिये जाते हैं जो कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा नियोजन के लिए कार्य करते हैं।

2. राज्यवार कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों की संख्या अनुबंध में देखी जा सकती है।

3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की इन्दिरा आवास योजना स्कीम के अन्तर्गत जिन समूहों का लक्ष्य रखा गया है वे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग और मुक्त हुए बंधुआ मजदूर हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित कुष्ठ रोग से मुक्त रोगियों के बारे में यदि कोई सूचना है तो उसे एकत्रित नहीं किया जाता।

अनुबन्ध

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा डिस्चार्ज किए गए कुष्ठ रोगियों के मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अगस्त, 1988 तक डिस्चार्ज किए गए मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	813651
2.	अरुणाचल प्रदेश	628
3.	असम	9762
4.	बिहार	204949

1	2	3
5.	गोआ	1889
6.	गुजरात	77582
7.	हरियाणा	264
8.	हिमाचल प्रदेश	2164
9.	जम्मू एवं काश्मीर	1344
10.	कर्नाटक	114115
11.	केरल	54137
12.	मध्य प्रदेश	100881
13.	महाराष्ट्र	452272
14.	मणिपुर	3456
15.	मेघालय	1059
16.	मिजोरम	280
17.	नागालैण्ड	568
18.	उड़ीसा	181188
19.	पंजाब	2881
20.	राजस्थान	4535
21.	सिक्किम	100
22.	तमिलनाडु	739417
23.	त्रिपुरा	1381
24.	उत्तर प्रदेश	237373
[illegible]	[illegible]	294243
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1895
27.	चण्डीगढ़	...
28.	दादर एवं नागर हवेली	....
29.	दिल्ली	197
30.	लक्षद्वीप	283
31.	दमन एवं दीव	603
32.	पाण्डिचेरी	6027

सेना के नियमों का संहिताबद्ध किया जाना

625. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के नियमों को हाल ही में संहिताबद्ध कर उसमें सेना प्रशासन, सशस्त्र सेनाओं के वित्तीय, सामग्री तथा जन-प्रबंध मामलों में समय-समय पर हुआ परिवर्तन दर्शाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और ब्रिटेन के शासनकाल के दौरान बने पुराने नियमों की तुलना में नए नियमों के माध्यम से क्या-क्या सुधार हुए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) सेना नियमों में संशोधन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और 1954 में बनाये गये इन नियमों में समय-समय पर समुचित संशोधन किए गए हैं। 1962 में पहले जारी की गई सेना विनियमावली में हाल ही में संशोधन किया गया है, तथा उसे अद्यतन किया गया है। इनमें सेना के दिन-प्रति-दिन के कार्य संचालन संबंधी विभिन्न विषय आते हैं।

बालासौर जिले में प्रक्षेपण अस्त्रों के लिए परीक्षण क्षेत्र

626. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बालासौर जिले में प्रक्षेपण अस्त्रों के लिए परीक्षण क्षेत्र बनाने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है,

(ख) इस क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है,

(ग) क्या इस क्षेत्र के आसपास सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना करने का विचार है ताकि इस क्षेत्र के प्रभावित लोग अपनी जीविका कमा सकें, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?.

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रेंज की स्थापना के लिए जिस भूमि की जरूरत है उसके बारे में अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है। इस भूमि से विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास आदि की योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम आदर्श ग्राम का विकास 50-बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण; सड़कों की मरम्मत और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) विस्थापित परिवारों के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने और उनके पुनर्वास कार्य के एक भाग के रूप में अनेक औद्योगिक और परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इनमें कपड़ा उद्योग, बनस्पति संयंत्र, चमड़े का कारखाना, खेती के काम आने वाले औजारों के निर्माण की फैक्ट्री, औद्योगिकी बस्ती आदि शामिल हैं। कुछ परिवारों जैसे मछुआरों और भूमिहीन मजदूरों को विशेष सहायता देने के लिए स्व-रोजगार योजनाएं चलाई जाएंगी।

हिन्दी पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा संवर्ग बनाना

*627. **डा० मनोज पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए एक सेवा संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि उन्हें पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जा सके;

(ख) यदि हां, इसकी मुख्य बातें क्या हैं और प्रस्तावित संवर्ग के कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार को इन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध न होने कारण इनमें व्याप्त असन्तोष की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री सरदार बूटासिंह) : (क) जी, नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) व (घ) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालय देश के सभी क्षेत्रों में स्थित हैं और इन कार्यालयों में हिन्दी पदों के लिए एक सामान्य संवर्ग का गठन किया जाना प्रशासनिक तौर पर व्यवहारिक नहीं होगा । सभी मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के पदोन्नति के अवसरों का जायजा लें, ताकि आवश्यकतानुसार प्रोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान किये जा सकें ।

इलेक्ट्रानिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थान

628. **श्री नुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में अपनी राय प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायण) : (क) और (ख) इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के लिए नीचे दिये अनुसार बहुमुखी दृष्टिकोण अपना रही है :–

1. विशिष्ट रेंज के उत्पादों तथा प्रणालियों के विकास के लिए अनुसंधान तथा विकास के लिए अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं की स्थापना जैसे कि प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलैक्ट्रा-

निकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्था (समीर), उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) तथा राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रोद्योगिकी केन्द्र (एन० सी० एस० टी०)।

2. परिषदों के माध्यम से अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना और साथ ही उद्योग के साथ सम्पर्क स्थापित करना जैसे कि प्रोद्यौगिकी विकास परिषद (टीडीसी), राष्ट्रीय रेडार परिषद (एन आर सी), राष्ट्रीय सूक्ष्म इलैक्ट्रोनिकी परिषद (एन एम सी); तथा इलैक्ट्रोनिकी सामग्री विकास केन्द्र (सी डोम) यह कार्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भी सम्पादित किया जाता है जैसे कि ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणालियां (के बी सी एस) नेटवर्किंग में शिक्षण एवं अनुसंधान (अर्नेट), कम्प्यूटर साधित डिजाइन (कैड)/कम्प्यूटर साधित प्रबंध (कैम माइक्रोप्रोसेसर अनुप्रयोग इंजीनियरी कार्यक्रम (एम ए ई पी), समुचित स्वचालन संवर्धन कार्यक्रम (ए ए पी पी) खनन इलैक्ट्रोनिकी उपस्कर विकास कार्यक्रम (एम इ इ पी), राष्ट्रीय उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा प्रोद्यौगिकी परियोजना (एन एचवीडीसी), तंतु प्रकाशिकी प्रणाली अनुप्रयोग संवर्धन कार्यक्रम (एफ ओ एस ए पी पी) प्रणाली इंजीनियरी तथा परामर्श सेवा (सीको) और उन्नत इलैक्ट्रोनिकी अध्ययन केंद्र (केस)।

3. केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सीरी) पिलानी जैसे अनुसंधान तथा विकास संस्थानों और अन्य मन्त्रालयों तथा संगठनों के कार्यक्रमों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

4. सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में अपने ही संगठन में अनुसंधान तथा विकास पर बल देना।

5. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विशिष्ट प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में ग्रामीण इलैक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देना।

6. प्रायोगिक इलैक्ट्रोनिकी में अनुसंधान तथा विकास चलाने के लिए, जिसमें कृषि के क्षेत्र में इलैक्ट्रोनिकी भी शामिल हैं, तथा संबंधित क्षेत्रों में विनिर्माताओं को अनुसंधान तथा विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए त्रिवेन्द्रम स्थित वर्तमान इलैक्ट्रोनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के अतिरिक्त, लखनऊ, मोहाली पुणे तथा कलकत्ता में राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ मिल संयुक्त उद्यम के रूप में क्षेत्रीय इलैक्ट्रोनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देना।

दिल्ली पुलिस का ढांचा

*629. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने सरकार से पुलिस स्टेशनों के दर्जे में परिवर्तन लाने तथा राजधानी के पुलिस बल को बम्बई पुलिस व्यवस्था के अनुरूप पुनर्गठित करने का अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किये गये प्रस्तावों पर अब तक विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली पुलिस बल को कब तक पुनर्गठित किया जाएगा ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ख) तथा (ग) दिल्ली पुलिस ने दिल्ली प्रशासन को दिल्ली में बम्बई पैटर्न लागू करने के लिये 10.4.1989 को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से अतिरिक्त निरीक्षकों की तैनाती करना शामिल है। सरकार को दिल्ली प्रशासन की टिप्पणियां/विचार प्राप्त नहीं हुए हैं।

दिल्ली में शस्त्र विक्रेता

*630. **श्री साभाजीराव ककाड़े** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शस्त्र अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत शस्त्र विक्रेताओं की सूची रखती है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे पंजीकृत शस्त्र विक्रेताओं के नाम क्या हैं तथा वे किस प्रकार के शस्त्र बेचते हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। विक्रय लाइसैंस राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी किये जाते हैं क्योंकि शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 1962 के अधीन उन्हें इस बारे में आवश्यक शक्तियां सौंपी गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट के बारे में विशेषज्ञ समिति

*631. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी संबंधी विशेषज्ञ समिति ने, जो वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक निकाय है, इन्स्टीट्यूट में विकसित तकनीकी जानकारी का उपयोग किये जाने की अनेक सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इन्स्टीट्यूट के कार्यकरण में कोई बाधाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान (सीरी), पिलानी की अनुसंधान परिषद् ने विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी।

(ख) इस विशेषज्ञ समिति की कुछ मुख्य संस्तुतियां इस प्रकार हैं :

(1) केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान (सीरी), पिलानी ने इलेक्ट्रॉनिकी के कुछ मुख्य क्षेत्रों में प्रशंसनीय विशेषज्ञता अर्जित की है और उसे इन क्षेत्रों में विस्तार करने तथा भविष्य की संवृद्धि के लिए प्रबल समर्थन प्राप्त करने का अधिकार है;

(2) सीरी को क्रांतिक और रणनीति विषयक क्षेत्रों सहित आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित परिष्कृत वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त योगदान देने में प्रभावी भूमिका अदा करने लायक बनाया जाना चाहिए।

(3) सीरी, औद्योगिक उपक्रमों और उपयुक्त सरकारी संगठनों के बीच संगठनात्मक सम्बन्धों की स्थापना।

(4) प्रौद्योगिकी मिशनों से जुड़े हुए कार्यक्रमों से सम्बद्ध क्रियाकलापों में बढ़ोतरी।

(5) परिणामोन्मुख राष्ट्रीय कार्यों से सम्बद्ध सीरी की वास्तविक भूमिका माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर-आधारित सिस्टम्स व पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए क्रांतिक युक्तियों व घटकों जैसे सीमान्त क्षेत्रों में निहित है। इन सभी में उच्च प्रौद्योगिकी सुविधाएं शामिल हैं जिन्हें सीरी द्वारा कई वर्षों से सी एस आई आर, यू एन डी पी, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इत्यादि से प्राप्त निधि के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। इनका भरपूर उपयोग करने तथा चुनिन्दा क्षेत्रों में उद्योग को नेतृत्व प्रदान करने व अन्य देशों की निर्भरता को उत्तरोत्तर कम करने हेतु सीरी को योग्य बनाने के लिए सीरी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सतत् वार्तालाप कायम रखे व नये उभरते क्षेत्रों में सुविधाओं को भी अद्यतन रखे।

(6) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा रहे विदेशी सहयोग हेतु सभी प्रस्तावों के साथ सीरी को शुरूआत से ही पूरी तरह से जुड़ा होना चाहिए जिससे कि स्वदेशी बनाम विदेशी प्रौद्योगिकी की भूमिका संबंधी उपयुक्त निर्णय लेने तथा सही प्रकार की प्रौद्योगिकी के चुनाव करने में भी सहायता मिल सके जिससे ऐसी प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सके।

(ग) विशेषज्ञ समिति द्वारा किसी विशिष्ट बाधा (गत्यवरोध) का अभिनिर्धारण नहीं किया गया। अनुसंधान परिषद् से उनके आवंटित संसाधनों के अन्तर्गत ही संस्तुतियों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा भारत में प्रवेश करने वाले घुसपैठियों को सहायता देना

*632. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तानी रेजरों द्वारा भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों को संरक्षण देने के बारे में दिनांक 15 जनवरी, 1989 के "दी टाइम्स आफ इन्डिया" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सीमा सुरक्षा बल ने अनेक बार पाक रेन्जरों से विरोध प्रकट किया है सीमा चौकियों, निगरानी बुर्जों; आधुनिक उपकरणों, वाहनों, इत्यादि के साथ सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ किया गया है । भारत पाक सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ लगाकर अवरोध पैदा करना, तेज रोशनी (फ्लड लाइट) करना इत्यादि जैसे विशेष उपाय शुरू किए जा रहे हैं ।

मध्य प्रदेश में पर्यटकों का आगमन

[हिन्दी]

*633. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन केन्द्रों का भ्रमण करने वाले देश और विदेश के पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राज्य में महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों के विकास और वहां पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौनसी योजनाएं विचाराधीन हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख पर्यटक केन्द्रों की जिन स्वदेशी और बिदेशी पर्यटकों ने यात्रा की, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

केन्द्र		1985-86	1986-87	1987-88
खजुराहो	स्वदेशी	166,500	150,100	135,200
	विदेशी	37,200	49,500	40,500
	जोड़	203,700	199,600	175,700
सांची	स्वदेशी	44,100	48,300	49,900
	विदेशी	1,500	1,600	1,500
	जोड़	45,600	49,900	51,400

शिवपुरी	स्वदेशी	21,000	25,400	27,100
	विदेशी	100	100	200
	जोड़	21,100	25,500	27,300
कान्हा	स्वदेशी	26,100	33,000	38,500
	विदेशी	500	1,400	900
	जोड़	26,600	34.400	39,400
ग्वालियर	स्वदेशी	66,200	83,200	77,600
	विदेशी	7,400	9,200	9,000
	जोड़	73,600	92,400	86,600
मांडु	स्वदेशी	28,200	108,400	115,100
	विदेशी	300	600	400
	जोड़	28,500	109,000	115,500
ओरछा	स्वदेशी	301,800	496,000	457,000
	विदेशी	3,200	1,100	900
	जोड़	305,000	497,100	457,900

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं में, सांची में एक अल्पाहार-गृह का निर्माण कुतुमरार, दंतेवाड़ा और चित्रकूट में अल्पाहार-गृह-व-शौचालय सुविधाओं का निर्माण, जगदलपुर में पर्यटक परिसर, केसकल, देवरी, ईसानगर, भोरमदेव, करेरा एवं विओरा में मार्गस्थ सुविधाएं, सांची एवं खुजराहो में शौचालय और पेयजल सुविधाएं, खुजराहो में सांस्कृतिक केन्द्र, ग्वालियर में ध्वनि-व- प्रकाश प्रदर्शन, ग्वालियर किले हेतु मास्टर प्लान तैयार कराना तथा दतिया महल की प्रकाश-पुंज व्यवस्था। इन सभी परियोजनाओं को अभी राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का यह प्रयास है कि किसी अन्य नई परियोजनाओं पर विचार करने से पूर्व 1989-90 के दौरान पहले से चल रही उपर्युक्त सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाए।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु में कमी

[अनुवाद]

*634. **श्री वी० कृष्ण राव : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु सीमा 55 वर्ष है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इससे अनुमानतः कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री पी० चिदम्बरम् : (क) राज्य लोक सेवाओं को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-11 अर्थात् राज्य सूची में शामिल किया गया है और ये सेवायें संबंधित राज्य सरकारों की अनन्य अधिकारिता के भीतर आती हैं। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्ति की आयु संबंधी नीति तैयार करती हैं। इस बारे में सूचना कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा किराये में वृद्धि किया जाना

[हिन्दी]

*635. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने किरायों में हाल ही में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो बढ़ोत्तरी का प्रतिशत क्या है और किराये बढ़ाने का औचित्य क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस ने सरकार के अनुमोदन से 500 कि० मी तक विभिन्न दूरी के स्लैबों पर अपने अंतर्देशीय किराये में 10% से लेकर 5% तक की वृद्धि की है। यह वृद्धि मुख्यतः कम दूरी के सैक्टरों पर परिचालन की उच्चतम लागत को कुछ हद तक प्रतिसंतुलित करना था। यह नोट किया जाएगा कि किराये में वृद्धि के बावजूद इंडियन एयरलाइंस के अन्तर्देशीय किराये विश्व के सबसे कम किरायों में से हैं।

"राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में अवैध कब्जा"

(अनुवाद)

*636. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में मानस वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में अवैध कब्जा कर लिया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन लोगों को इन क्षेत्रों से बाहर बसाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उस पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) क्या ऐसे अवैध कब्जाधारियों की बेदखली के लिए कोई समय सीमा निश्चित की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग)।

(1) हाल के बोडो आन्दोलन से पहले मानस वन्यजीव अभयारण्य में अवैध कब्जों की कोई सूचना नहीं थी। असम सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार यह पता चलता है कि यद्यपि, मानस वन्यजीव अभयारण्य में मानस नदी की पूर्व दिशा में किसी अवैध कब्जे का पता नहीं चला है, फिर भी वहां व्याप्त कठिन स्थिति होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों से वन कर्मचारियों को हटा लेने के कारण पश्चिम दिशा में सही स्थिति का पता लगाना कठिन है।

(2) जहां तक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि 31 हैक्टेयर क्षेत्र में अवैध कब्जा हुआ है और अवैध कब्जा करने वालों को उस क्षेत्र से निकालने की कार्रवाई की जा रही है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

(3) उत्तर प्रदेश सरकार राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के 512 गूजर परिवारों को उद्यान के बाहर शिवालिक वन प्रभाग के पाथरी ब्लाक में 80 हैक्टेयर वन भूमि पर बसाने की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। 287 लाख रुपये की अनुमानित लागत से आवासीय कालोनी और अन्य आधारभूत ढांचों का निर्माण कर लिया गया है। राज्य सरकार 12.18 लाख रुपये की अनुमानित लागत से तोंग्या पट्टाधारियों के 181 परिवारों को फिर से बसाने की भी एक योजना कार्यान्वित कर रही है। 44 परिवारों को पहले ही उद्यान के बाहर बसाया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् शेष परिवारों को बसाने पर विचार किया जाएगा।

क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र की स्थापना

*639. **श्री डी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एण्डन्युरो साइन्सेज" की तरह क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर की पद्धति पर क्षेत्रीय चिकित्सा परिचर्या केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, क्षेत्रीय आधार पर मानसिक अस्पताल/चिकित्सा कालेजों के विकास का प्रस्ताव रखा गया है ताकि उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कार्मिकों को मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या में प्रशिक्षण दिया जा सके।

"साइबेरिया के सारस और प्रवासी पक्षियों की जातियों का विलुप्त होना

*640. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइबेरिया के सारस और कुछ अन्य प्रवासी पक्षियों की जातियों का लोप होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पक्षियों की विलुप्त हो रही इन जातियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, गत कुछ वर्षों में शीत ऋतु में आने वाले साइबेरियाई सारसों की संख्या में लगातार कमी हुई है जो 1984-85 में 41 से घटकर 1987-88 में 31 तथा 1988-89 में इनकी संख्या में और कमी होकर केवल 23 रह गई । अन्य प्रवासी पक्षियों के बारे में हाल के वर्षों में उनकी संख्या में कमी आने के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) साइबेरियाई सारसों के संरक्षण के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान, जो पिछली शीत ऋतु तक साइबेरियाई सारसों का एकमात्र जाना-माना उद्यान था, का व्यापक रूप से संरक्षण और निगरानी करना ।
2. प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा हेतु भारत-रूस समझौते के प्रावधानों के तहत रूस की सरकार से साइबेरियाई सारस और उसके प्रजनन क्षेत्रों के बेहतर संरक्षण का अनुरोध किया गया है ।
3. पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकारों से उन क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रस्ताव रखना, जो क्षेत्र उन देशों के साइबेरियाई सारसों के उड़ने वाले मार्ग में आते हैं ।

2. संकटापन्न प्रवासी पक्षियों और विशेषकर साइबेरियाई सारसों की सुरक्षा के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

1. शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी जिन मैदानों में आकर ठहरते हैं, उनकी सुरक्षा करना और उन्हें अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में घोषित करना,
2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की विभिन्न अनुसूचियों में इनको शामिल करके इनके शिकार और अवैध व्यापार के विरुद्ध इन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करना,
3. शीत ऋतु में इनके ठहराव के क्षेत्रों की निगरानी के लिए सुसज्जित सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना,
4. प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण वासस्थलों वाली नमभूमि के संरक्षण और प्रबन्ध के कार्यक्रमों के लिए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कार्यान्वयन और उन पर अनुसंधान को बढ़ावा देना,

5. वन्य प्राणिजात और वनस्पति-जात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौता, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर समझौता और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के और विशेषकर मुरगाबी वास स्थलों (रामसार) पर समझौता जैसे विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर करके प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, और

6. प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा पर भारत-रूस समझौते के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कार्यवाई करना।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम

*641. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई तथा लोक प्रिय हो रही गर्भ निरोधक तकनीकों के बारे में परीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य प्रारम्भ करने हेतु क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए परीक्षणों के क्या परिणाम निकले; और जनता को इनमें किस प्रकार लाभ पहुँचा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पास 33 सहयोगी केन्द्रों का एक नेटवर्क है, जो मानव प्रजनन अनुसंधान केन्द्र कहलाते हैं और देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान विभागों में स्थापित किए गए हैं इनमें से 5 केन्द्रों का नाम बदल कर क्षेत्रीय मानव प्रजनन अनुसंधान केन्द्र कर दिया गया है। ये सभी केन्द्र नई गर्भ निरोधक तकनीकों की निरापदता, प्रभावकारिता और स्वीकार्यता की जांच करने के लिए क्लिनिकल परीक्षण करने में सहयोग देते हैं और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में पहले से ही उपलब्ध तरीकों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं पर भी अनुसंधान करते हैं।

(ख) पिछले सात वर्षों के दौरान इन केन्द्रों ने आई० यू० डी०, मुखसेव्य गर्भ-निरोधक, रोपणों, इंजेक्टेबल आदि जैसे विभिन्न तरीकों के क्लिनिकल परीक्षणों में भाग लिया है। इन अध्ययनों से ऐसे गर्भ-निरोधक शुरू करने पर रोक लगी है जो भारतीय परिस्थिति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इन क्लिनिकल अध्ययनों में उन डाक्टरों के लिए निरन्तर फीड-बैक सामग्री उपलब्ध है, जो मुखसेव्य तथा अन्य गर्भ-निरोधकों से सम्बन्धित तकनीकी मामलों सम्बन्धी कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं।

हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना

*643. **श्री एस० वी० सिदनाल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता देने की कोई योजनाएं आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता दी गई है या देने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संगठित क्षेत्र में श्रमिक

*644. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है; और

(ख) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मन्त्री (विन्देश्वरी दुबे) : (क) कर्मकारों की जनगणना में कार्यकलाप के सैक्टर द्वारा गिनती की जाती है जिसमें वे नियोजित है अर्थात कृषि और सम्बद्ध व्यवसाय, खनन और उत्खनन, विनिर्माण, भवन निर्माण, सेवाएं आदि । चूंकि "संगठित" श्रमिक और "असंगठित" श्रमिकों शब्दों की स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं है, इसलिए इन दो श्रेणियों में कर्मकारों की सही संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

(ख) उन विभिन्न श्रम कानूनों के तहत, अर्थात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार व विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, ठेकी श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1976, आदि, जो उन्हें लागू होते हैं, श्रमिकों को उपलब्ध संरक्षण के अतिरिक्त, श्रम मन्त्रालय का उन कल्याण कार्यकलापों को भी करता है जिसके अन्तर्गत लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खानें चूना पत्थर और डोलोमाइट खानें, अभ्रक खानें और बीड़ी कर्मकार आते हैं । बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन बाल श्रमिक आते हैं जबकि बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अधीन बागान श्रमिक आते हैं । इन कानूनों के प्रवर्तन की राज्य श्रम मन्त्री सम्मेलन की बैठकों में पुनरीक्षा की जाती है । इसके अतिरिक्त बीमा/सामाजिक सुरक्षा योजनायें हैं जो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती हैं, जिनके अन्तर्गत भूमिहीन कृषि कर्मकार, हथकरघा बुनकर, रिक्शा चलाने वाले, आटो-रिक्शा ड्राइवर तथा निर्धन परिवार आते हैं । आई. आर. डी. पी., एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी. जैसे गरीबी निवारण कार्यक्रमों का उद्देश्य भी उन भूमिहीन कृषि कर्मकारों की स्थिति में सुधार करना है जो असंगठित श्रमिकों का अधिकांश हिस्सा है ।

रक्त उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिबन्ध

*645. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्त और प्लाज्मा के सभी उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो रक्त और प्लाज्मा के उत्पादों का उत्पादन करने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का रक्त और प्लाज्मा से तैयार विदेशी उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) : उक्त उत्पादों के स्वदेशी निर्माताओं को रक्त/प्लाज्मा उत्पादों का निर्माण करने से नहीं रोका जाता लेकिन उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है। इसमें प्रत्येक रक्त स्राव तथा संगृहीत प्लाज्मा का परीक्षण शामिल है ताकि रक्त/प्लाज्मा उत्पादों के निर्माण के लिए केवल वही रक्त/प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाए जो एच आई वी प्रतिपिण्डों से मुक्त हो। ये भी हिदायतें जारी की गई हैं कि निर्माताओं को चाहिए कि वे रक्त/अपरा उत्पादों में वायरस को निष्क्रिय बनाने के लिए उठाए गए अतिरिक्त कदमों सहित कोटन-ऑनवले और/या क्रोमेटोग्राफिक तकनीकें इस्तेमाल करें। जो विधियाँ सुझाई गई हैं उनमें शामिल हैं उपयुक्त अपमार्जक या 10 घण्टे तक 60 डिग्री सेल्सियस ताप की विधि का इस्तेमाल कर संसाधन प्रक्रिया में विषाणुनाशक तकनीकें।

बहरहाल, निर्माताओं को उत्पादन फिर शुरू करने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों के पालन करने में समय लगेगा। इस बात को देखते हुए सरकार ने इन रक्त उत्पादों के आयात को उदार बनाया है तथा आयात तथा निर्यात नीति की ओ जी एल के अन्तर्गत इनके आयातित किए जाने की अनुमति दी है। आयातित उत्पादों के साथ एड्स वायरस से मुक्त होने का एक प्रमाण-पत्र लगा होना आवश्यक होता है तथा इन उत्पादों का एच आई वी प्रतिपिण्डों के लिए भारत में भी परीक्षण किया जाता है।

उन फर्मों के नाम जो मानव रक्त/प्लाज्मा तथा अपरा से रक्त उत्पाद निर्मित कर रहे हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

परीक्षण करने पर रक्त के कुछ उत्पादों में एच आई वी प्रतिपिंड पाए गए। जाँच-पड़ताल की गई तथा इस मामले की समीक्षा विशेषज्ञों के एक दल द्वारा की गई। अत्यधिक सावधानी बरते जाने का मामला होने के कारण मार्च, 1989 में राज्य औषध नियन्त्रण प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रक्त प्लाज्मा तथा अपरा से बनाये गये अब तक के सभी उत्पाद नष्ट कर दिए जाएं।

विवरण

रक्त/अपरा उत्पादों के निर्माताओं की सूची

1. मैसर्स सीरम इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया, पूना
2. मैसर्स प्लाज्मा फ्रैक्शन्स आफ इण्डिया, बम्बई

3. मैसर्स हाफ्किन बायोफार्मास्यूटिकल कारपोरेशन, बम्बई
4. मैसर्स भारत सीरमस एण्ड वैक्सीन, बम्बई
5. मैसर्स इम्यू कीनिया प्रयोगशाला, बम्बई
6. मैसर्स बायोजेनिक्स (आई) लिमिटेड, बम्बई
7. मैसर्स न्यूअरवेल (इण्डिया) लिमिटेड, फरीदाबाद
8. मैसर्स केमेक प्रयोगशाला लिमिटेड, मद्रास
9. मैसर्स अल्बर्ट डेविड लिमिटेड, कलकत्ता

सहकारी कताई मिलों को ऋण

[हिन्दी]

647. **श्री हरीश रावत** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सहकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कताई मिलों के लिए सार्वाधक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से यह सिफारिश की है कि इन मिलों के आधुनिकीकरण तथा इनकी क्षमता बढ़ाने के लिये ऋण मंजूर किये जायें; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) वित्तीय संस्थानों को हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम से दो नये कताई एककों अर्थात् एटा तथा जसपुर में एक-एक कताई एकक के वित्तपोषण के लिये पूछताछ प्राप्त हुई है। वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा विस्तृत परियोजनाएं प्रस्तुत करने के बाद किया जायेगा। नगीना सहकारी कताई मिल्स तथा संत कबीर सहकारी कताई मिल्स से प्राप्त आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आई. एफ. सी. आई. के पास हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की नियुक्ति

[अनुवाद]

*648. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय में वर्ग एक से वर्ग चार के पदों पर प्रति वर्ष कितनी नियुक्तियां की गईं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उक्त वर्गों में नियुक्त उम्मीदवारों में से कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों का कोटा भर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) वस्त्र और वाणिज्य मन्त्रालयों में समूह ख, ग और घ पदों के लिए सम्मिलित भर्ती होती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण सामान्यतः समूह "क" के सबसे निचले स्तर तथा समूह ख, ग और घ पदों के लिये है। समूह क, ख और ग पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग चुने गये अधिकारियों को विभिन्न मन्त्रालयों में भेजता है। वस्त्र और वाणिज्य मंत्रालयों के लिए अधिकारियों का आबंटन करते समय, वे अ० जा०/अ० ज० जो० के लिये निर्धारित कोटा को ध्यान में रखते हैं। समूह घ पदों के लिये, मंत्रालय स्वयं ही भरती करता है। वस्त्र तथा वाणिज्य मंत्रालयों में, समूह "घ" पदों के लिये की गई अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों की भर्ती उनके लिये आरक्षित कोटे से अधिक है।

वर्ष 1986, 1987 तथा 1988 के दौरान, समूह "क" से समूह "घ" तक के पदों पर की गई नियुक्तियों की संख्या तथा उनमें अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारियों का प्रतिशत अनुपात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समूह (श्रेणी)	की गयी नियुक्तियों की कुल संख्या	अ० जा०	कालम (2) से अ०जा० का प्रतिशत अनुपात	अ० जा०	कालम (2) से अ०ज०जा० का का प्रतिशत अनुपात
1	2	3	4	5	6
			1986 में		
क (I)	28	1	3.6	1	3.6
ख (II)	34	4	11.8	3	8.8
ग (III)	46	8	17.4	1	2.2
घ (IV)	1	1	100.0	—	—
			1987 में		
क (I)	13	—	—	—	—
ख (II)	31	5	16.1	—	—
ग (III)	48	2	4.2	1	2.1
घ (IV)	22	4	18.2	3	13.6
			1988 में		
क (I)	23	—	—	—	—
ख (II)	32	4	12.5	—	—
ग (III)	42	4	9.5	1	2.4
घ (IV)	—	—	—	—	—

रुई के निर्यात का कोटा

*649. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान रुई के निर्यात के लिये कुछ कोटा निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के लिए रुई के निर्यात का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी, चालू रुई वर्ष 1988-89 के दौरान सरकार ने बंगाल देसी की 1,01,241 गांठों तथा रुई का अधिक लम्बी स्टेपल किस्मों की एक लाख गांठों के कोटे रिलीज किये हैं।

विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत केरल को सहायता

650. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेक्सटाइल यूनिटों/सोसाइटियों को विपणन विकास सहायता प्रदान करने की कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र द्वारा केरल राज्य सरकार को वर्ष 1986-87 के लिये विशेष छूट के रूप में कितनी सहायता दी गई; और

(घ) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान केरल सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि की छूट मांगी गई और उसको कितनी धनराशि दी गई ?

वस्त्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) यह योजना राज्य हथकरघा विकास निगमों और राज्य हथकरघा शीर्ष और प्राथमिक समितियों को बहुउद्देशीय सहायता प्रदान करती है जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे (1) ब्याज उपदान (2) रियायत/छूट (3) शो रूम आदि की स्थापना के लिये पूंजी/मार्जिन राशि और (4) केन्द्रीय और अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रयोजन। शीर्ष समितियों और निगमों के संबंध में यह सहायता इस शर्त पर सीमित रहती है कि सहायता की राशि इन संगठनों के हथकरघा फैब्रिक्स, मेड-अप्स और परिधानों (जनता कपड़े को छोडकर) की औसत बिक्री कारोबार के 8% से अधिक नहीं होगी जैसा कि इस वित्तीय वर्ष के पहले दो तीन वर्षों के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है, जिस वर्ष की सहायता राशि की मंजूरी पर बिचार किया जा रहा है अथवा यह राशि उस वित्तीय वर्ष से पहले के 3 वर्ष की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त। प्राप्त किए जाने योग्य विशेष छूट सहायता की (राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी में दी जाने वाली छूट को छोड़ कर) और शेयर पूंजी सहायता की औसत राशि के बराबर होगी जिस वित्तीय वर्ष के लिये अनुदान सहायता पर विचार किया जा रहा है या यह राशि, उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित छूट सहायता (राष्ट्रीय

हथकरघा प्रदर्शनी में दीं जाने वाली छूट को छोड़कर) और शेयर पूंजी सहायता के बराबर होगी जिसके लिये अनुदान सहायता पर विचार किया जा रहा है प्राथमिक समितियों के संबंध यह सहायता, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य की पात्र प्राथमिक समितियों को वित्तीय संस्थानों (अर्थात केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य वित्त निगम आदि) द्वारा स्वीकृत नकद ऋण सीमा के 15% तक सीमित होगी अथवा उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती 3 वर्षों में राज्य की सभी प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त। प्राप्त किये जाने योग्य छूट सहायता की औसत राशि (थोक बिक्री पर छूट और राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी में दी जाने वाली छूट को छोड़ कर) शेयर पूंजी सहायता और प्रबंधकीय उपदान सहायता के बराबर होगी जिस वित्तीय वर्ष की अनुदान सहायता विचाराधीन है या यह राशि, उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में राज्य की सभी प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त। प्राप्त किये जाने योग्य छूट सहायता (थोक बिक्री पर छूट और राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी में दी जाने वाली छूट को छोड़ कर), शेयर पूंजी सहायता और प्रबंधकीय उपदान सहायता के बराबर होगी जिस वित्तीय वर्ष की अनुदान सहायता विचाराधीन है।

(ग) वर्ष 1986-87 के लिये केरल सरकार को विशेष छूट के रूप में केन्द्रीय सरकार का योगदान 103.37 लाख रु० था।

(घ) केरल सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 में दावा की गई छूट की कुल राशि 113.71 लाख रु० थी जिसमें से अन्तिम दावों के प्रस्तुत किये जाने तक 'लेखागत' भुगतान के रूप में 82.20 लाख रु० की राशि रिलीज की गई। केरल सरकार ने वर्ष 1988–89 के दौरान दावा की गई 125.00 लाख रु० की राशि में से विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने तक 'लेखागत' आधार पर 93.75 लाख रु० की राशि रिलीज करने का अनुरोध किया था। दावे की यह राशि इसलिये रिलीज नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही एक 'लेखागत' भुगतान का अन्तिम रूप से निपटान किया जाना बाकी था।

"वन भूमि के कब्जाधारियों को स्वामित्व के हक देना"

651. **श्री तम्पन थामस** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन भूमि के वर्ष 1977 से पूर्व के कब्जाधारियों को स्व मित्व के हक देने के लिये कुछ आवेदन केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : केरल सरकार ने केरल के इददुक्की जिले सहित 5 जिलों 28588.15 हेक्टेयर वन भूमि को वनेत्तर उपयोग में लाने के लिए कृषकों में आवंटित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। केरल उच्च न्यायालय ने इददुक्की जिले में वन भूमि के आवंटन से संबंधित सभी कार्यों पर रोक लगा दी है। इसको देखते हुए प्रस्ताव पर आगे विचार करने के मामले को आस्थगित रखा गया है।

दृष्टिहीनता के मामले

653. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति वर्ष दृष्टिहीन हो जाने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण के फलस्वरुप देश में दृष्टिहीनता के मामलों की रोकथाम और साथ ही दृष्टिहीन व्यक्तियों के इलाज के लिये क्या और कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :(क) से (ग) : वर्ष 1971-73 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में दृष्टिहीन व्यक्तियों (बच्चों सहित) की कुल संख्या लगभग 90 लाख थी । इसके अतिरिक्त डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र द्वारा वर्ष 1985-88 के दौरान एक देशव्यापी सर्वेक्षण भी किया गया है । अब तक 14 प्रमुख राज्यों से सम्बन्धित आंकड़ों का विश्लेषण किया जा चुका है । इस सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चों में दृष्टिहीनता की व्याप्तता दर 0.05% है और 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में यह दर 0.26% है । दृष्टिहीनता के मुख्य कारण रोहे, नेत्र को लगी चोटें, मोतियाबिन्द, ग्लोकोमा आदि हैं दृष्टहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दृष्टहीनता को रोकने/उपचार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

(I) भारत सरकार वर्ष 1976-77 से देश भर में राष्ट्रीय दृष्टहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम चला रही है । इस नीति में प्राथमिक, द्वितीय तृतीय स्तरों पर आधारभूत ढांचा स्थापित करना दुर्गम क्षेत्रों में नेत्रपरिचर्या सेवाओं के लिए शिविर लगाना तथा दृष्टहीनता को रोकने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा उपाय करना शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टहीनता को रोकने के लिए परिवार कल्लाण विभाग के जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से विटामिन "ए" का वितरण किया जा रहा है ।

(II) स्कूली शिक्षा तथा मातृत्व-पितृत्व शिक्षा के माध्यम से बच्चों में नेत्र-विक्षतियों की रोकथाम तथा सरकारी औषधालयों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र विक्षतियों की उचित देख-भाल ।

(III) नेत्र बैंकों की स्थापना तथा दृष्टहीनता को शल्यचिकित्सा द्वारा उपचार करने के लिए देश भर के खास-खास केन्द्रों में कार्निया प्रत्यारोपण की सुविधायें उपलब्ध कराना ।

(IV) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सा सहायक स्कूलों तथा समुदाय में दृष्टिविकारों तथा दृष्टहीनता के अन्य कारणों की जांच करते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों के पास उपयुक्त उपचार के लिए रोगियों को भेजते हैं ।

"राजधानी में प्रदूषण"

*654. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण प्रदूषण विरोधी कार्यकर्ताओं ने राजधानी में पर्यावरणीय प्रदूषण के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है; यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का प्रदूषण के प्रति जन चेतना पैदा करने के लिए अन्य शहरों में भी ऐसे अध्ययन कराने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां। भारतीय पर्यावरण समिति से सम्बद्ध पत्रकारों के एक दल द्वारा तैयार की गई "काली धूप.' नामक रिपोर्ट दिल्ली में निम्नलिखित पाँच श्रेणियों के प्रदूषण के बारे में है :–

(1) **वायु प्रदूषण :**

वायु प्रदूषण में वृद्धि के मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि, वाहनों की संख्या में वृद्धि, औद्योगिक इकाइयों, जिनकी संख्या लगभग 73,000 है और ताप विद्युत संयन्त्रों से निकलने वाले उत्सर्जन हैं।

(2) **यमुना नदी में जल प्रदूषण :**

दिल्ली में यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है क्योंकि इसमें 17 बड़े नालों के जरिये नगर पालिका और उद्योगों के अशोधित बहिस्राव गिरते हैं जिनमें नजफगढ़ नाला सबसे बड़ा है।

(3) **मल जल और घरेलू कचरे से उत्पन्न प्रदूषण :**

वर्तमान शोधन सुविधा में वृद्धि होने के बावजूद प्रतिदिन लगभग 100 मिलियन गैलन अशोधित मलजल नदी में प्रवाहित होता है। कचरे से भी प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि दिल्ली में प्रतिदिन 3000 टन कचरा उत्पन्न होता है।

(4) **शोर प्रदूषण :**

दिल्ली में शोर प्रदूषण है जो यद्यपि बढ़ी हुई आबादी की विभिन्न गतिविधियों से होता है किन्तु यह मुख्य रूप से ऐसे वाहनों के चलने से होता है जिनका रखरखाव अच्छी तरह से नहीं किया जाता है।

(5) **प्रदूषण के अन्य स्रोत :**

कृषि में रसायनों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो रही हैं। दिल्ली में हरे आवरण में कमी आने के कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया है कि पर्यावरणीय समस्या का कारण यह है कि पर्यावरण पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि विकास पर दिया गया है। आबादी और उद्योगीकरण में भारी वृद्धि होने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है।

(ख) फिलहाल, दूसरे शहरों में इस प्रकार के अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन।

(2) पर्यावरणीय जागरूकता अभियान से सम्बन्धित विशेष परियोजनाओं को धन देना।

(3) प्रदूषण नियन्त्रण और पर्यावरण में सुधार के सम्बन्ध में सेमीनार/कार्यशालाएं/सम्मेलन।

(4) लोगों में निःशुल्क वितरण के लिए पर्यावरण से सम्बन्धित पोस्टरों और पुस्तकों का प्रकाशन।

(5) विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-पुस्तकों में पर्यावरणीय विषयों को शामिल करना।

आंध्र प्रदेश में लम्बित पड़े कर्मचारी भविष्य निधि के मामले

*655. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष से क्षेत्रीय भविष्य निधि के कुल कितने मामले लम्बित पड़े हैं, और इसके क्या कारण हैं ?

(ख) ये मामले कुल कितनी राशि के हैं;

(ग) इन मामलों में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए क्या मार्ग-निर्देश जारी किये हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एक वर्ष या इससे अधिक अवधि से कोई दावा मामला लम्बित नहीं था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) मौजूदा दिशा-निर्देशों में व्यवस्था है कि यदि दावा मामला सब तरह से पूरा है, तो उनका निपटान इनकी पावती के 20 दिनों के अन्दर किया जाय।

अकबर होटल से सामान को अन्यत्र ले जाया जाना

[अनुवाद]

6944. **श्री नरायण चौबे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकबर होटल, दिल्ली के बंद किये जाने के परिणामस्वरूप वहां से कितने मूल्य का सामान भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न एककों में इस्तेमाल किये जाने के लिये ले जाया गया है;

(ख) क्या अकबर होटल से अन्यत्र ले जाये गये सामान को भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न एककों की सामान-सूची में दर्ज किया गया है और आंतरिक/सरकारी/सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इस सामान की अकबर होटल के रिकार्ड से जांच की है तथा इन्हें सही पाया है;

(ग) क्या कुछ सामान अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह सामान कितने मूल्य का था;

(ङ) अकबर होटल से स्थानांतरित और किसी विशेष एकक द्वारा इस्तेमाल न किये गये अथवा नीलाम किये गये सामान का ब्यौरा क्या है और इसका कितना मूल्य था ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

साम्प्रदायिक हिंसा

5946. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर ध्यान दिया है जिसके कारण देश के विभिन्न भागों में गत तीन वर्षों के दौरान तनाव बढ़ा है तथा आतंकवादी दलों के हाथों जान-माल का नुकसान हुआ है तथा जिसके मुख्य शिकार समाज के कमजोर तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ही हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रवृत्तियों को रोकने एवं साम्प्रदायिकता के बीज को नष्ट करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा वर्ष 1986 से 1989 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन घटनाओं की, राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं; तो क्या इस समस्या का कोई विश्लेषण किया जायेगा तथा कोई उपचारात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) सरकार का यह सुविचारित मत है कि साम्प्रदायिक हिंसा, साम्प्रदायिक और समाज-विरोधी तत्वों का कुकृत्य है और ऐसे आतंकवादी समूह, राष्ट्र-विरोधी तथा अन्य घृणित गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं। तथापि, लोक व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना एक समय की कार्यवाही नहीं है। यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है फिर भी केन्द्र सरकार लोक व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने तथा हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विरुद्ध हिंसा को रोकने की दृष्टि से विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से लगातार सम्पर्क बनाये रखती है। इसके अलावा, समय-समय पर एलर्ट किया जाता है और जब भी आवश्यक हो मार्ग निर्देश तथा सलाह दी जाती है। राज्यों को, उनके अनुरोध पर, उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय बल भी उपलब्ध कराये जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विशेष रूप से जोर दिया गया है और उन्हें अनुरोध किया गया है कि वे समाज विरोधी तत्वों को गिरफ्तार करने, अवैध शस्त्रों और गोली बारूद को बरामद करने के लिये तलाशी लेने तथा जब्त करने और हिंसा भड़काने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने जैसे उपाय करें।

मंत्रियों के लिए संशोधित आचार संहिता

5947. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य मन्त्रियों के लिये आचार-संहिता में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) अभी तक कोई संशोधित आचार संहिता जारी नहीं की गई है।

अंडमान द्वीप में फर्नीचर बनाने वाले कारखानों की स्थापना

5948. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान द्वीप में उपलब्ध इमारती लकड़ी का उपयोग करने के लिये वहां फर्नीचर बनाने वाले कारखाने स्थापित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) द्वीप में लकड़ी का फर्नीचर बनाने के 113 पंजीकृत कारखाने हैं, जिनमें स्थानीय लकड़ी का प्रयोग किया जाता हैं। अच्छी किस्म के फनींचर के लिये पड़ाक लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो चथाम और बितापुर के सरकारी आरा मिलों से उपबन्ध होती है। अन्य प्रकार के फर्नीचर के लिए सख्त लकड़ी सरकारी तथा गैर-सरकारी आरा मिलों से उपलब्ध होती है। कारखाने अपनी आवश्यकतानुसार काटी गई लकड़ी दोनों स्थानों से प्राप्त करते हैं।

दिल्ली में अवैध बंगलादेश आप्रवासी

5949. **डा. बी० एल० शैलेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में इस समय काफी संख्या में बंगलादेश से आये आप्रवासी बिना पासपोर्ट बीसा के अवैध रूप से रह रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कभी ऐसे अवैध आप्रवासियों की संख्या का पता लगाया है और उन्हें गिरफ्तार किया है;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ आप्रवासियों ने राजधानी को यौनव्यापार के लिए पारगमन-स्थल बना दिया है जो कथित रूप से बंगला देश की लड़कियों को पाकिस्तान भेज देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से कैसे निपटने और इन अवैध आप्रवासियों द्वारा इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को रोकने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कोणार्क सूर्य मंदिर में यात्री निवास होटल का निर्माण

5950. **श्री के० प्रधानी०** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मन्दिर को पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान घोषित किया गया है;

(ख) क्या पर्यटकों और उस स्थान को समुचित सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोणार्क में कोई यात्री निवास होटल बनाया है; और

(घ) इस पर्यटन स्थल के प्रति स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उड़ीसा में कोणार्क स्थित सूर्य मन्दिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा "संरक्षित स्मारक" के रूप में रखने की घोषणा की गयी है ।

(ख) इस समय कोणार्क में उड़ीसा पर्यटन विकास निगम, राज्य लोक निर्माण विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम के नियन्त्रण में 38 शैयाओं का आवास उपलब्ध है ।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कोणार्क में 29.25 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 60 शैयाओं वाले यात्री निवास की मंजूरी दी है जो निर्माणाधीन है ।

(घ) कोणार्क को लोकप्रिय बनाने के लिए इस विभाग ने कोणार्क पर निम्नलिखित प्रचार सामग्री प्रकाशित की है :

1. उड़ीसा ब्रोशर
2. पुरी-भुवनेश्वर-कोणार्क-फोल्डर
3. शैल फोल्डर आफ कोणार्क व्हील
4. उड़ीसा सप्लीमेंट ऑफ नो इण्डिया न्यूजलैटर
5. "लैंड ऑफ अनफारगेटएबल मैमोरीज" शीर्षक से एक फिल्म

विमानपत्तनों, विमानों के रखरखाव पर खर्च की गई धनराशि

5951. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इन्डियन एयरलाइंस, एयर इन्डिया और वायुदूत के विमानों द्वारा प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत स्वदेशी यात्रियों का आवागमन होता है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन प्राधिकरणों द्वारा विमानपत्तनों विमानों के निर्माण और रखरखाव में खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मौसम की भविष्यवाणी के क्षेत्र में भारत-सोवियत संघ सहयोग

5952. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग के दीर्घावधि समेकित कार्यक्रम के अंतर्गत थोड़े समय पूर्व तथा काफी समय पूर्व मौसम संबंधी भविष्यवाणी के क्षेत्र में कौन-कौन से वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के लिए भी ऐसा अथवा कोई अन्य वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) भारत सोवियत संघ सहयोग कार्यक्रम में क्या-क्या तकनीकी और अन्य सहायता का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग के दीर्घावधि समेकित कार्यक्रम के अन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में कोई कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

महाराष्ट्र में भ्रमण हेतु आये विदेशी पर्यटक

5953. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार- महाराष्ट्र में कितने विदेशी पर्यटक आये ।

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष आये कुल विदेशी पर्यटकों का कितने प्रतिशत महाराष्ट्र आए; और

(ग) विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गत 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विदेशी पर्यटकों का आगमन तथा उनका देश में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की तुलना में प्रतिशत निम्नलिखित है :—

वर्ष	महाराष्ट्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या	भारत में कुल पर्यटक आगमन पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों को सम्मिलित करते हुए)	कालम (3) पर का प्रतिशत
1986	5,13,294	14,51,076	35.4
1987	5,59,498	14,84,290	37.7
1988	5,87,430	15,90,661	36.9

(ग) महाराष्ट्र में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वे हैं उस राज्य में पर्यटक केन्द्रों का व्यापक प्रचार तथा पर्यटन आधार-संरचना को सुदृढ़ करना। पर्यटन आधार-संरचना को सुदृढ़ करना और पर्यटक केन्द्र के संबंध में देश में प्रचार करना भी राज्य सरकार का दायित्व है।

नीची उड़ान भरने वाले विमानों के लिए राडार लगाना

5954. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नीची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगाने के लिए स्वदेश में निर्मित एक उच्च तकनीक वाले राडार को सैनिक उपकरणों में शामिल करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इस आधुनिक राडार के कब तक शामिल किए जाने की आशा है, और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणग्रही) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) देश में बने प्रथम रेडार को मार्च, 89 में वायु सेना को सौंप दिया गया है। इस रेडार के उत्पादन और इसे वायुसेना में शामिल करने के कार्य पर एक उच्च-स्तरीय परियोजना प्रबंध बोर्ड पूरी निगरानी रखे हुए है। उत्पादन कार्यक्रम संतोषजनक रूप से चल रहा है।

पेंशन भोगियों को मकान किराया भत्ता

5955. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को मकान किराया भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि उन्हें भी अपने रिहाइशी मकानों के लिये बाजार दर पर मकान किराया देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और पेंशनभोगियों को मकान किराया भत्ता देने के प्रश्न पर कब तक निर्णय लिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मकान किराया भत्ता प्रतिपूर्ति भत्ते का स्वरूप है और यह कार्यरत कर्मचारियों को जिन विशेष परिस्थितियों में कार्य करना होता है उनके द्वारा अपेक्षित व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति के लिए मंजूर किया जाता है । उक्त भत्ते की मात्रा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न-भिन्न है, जो कार्यरत कर्मचारी के तैनाती के स्थान पर निर्भर करती है । चूंकि इन बातों का संबंध पेंशन-भोगियों के मामले से नही होता है इसलिए उन्हें मकान किराया भत्ता मंजूर करने का कोई उचित कारण नहीं है । चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग, जिसने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन ढाँचे की हाल ही में गहराई से जांच की थी, उसने भी यह टिप्पणी की थी कि कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध सभी प्रसुविधाओं को पेंशनभोगियों पर लागू किया जाना व्यावहारिक नहीं है ।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कुछ एककों का दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाना

5956. **श्री टी० बशीर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कुछ एककों को केरल से दूसरे राज्यों में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में पर्यटन केन्द्र

5957. **श्री कमल चौधरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के पर्यटन केन्द्रों को और आर्थिक आकर्षक बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पंजाब में नये स्थानों को पर्यटक स्थल बनाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और इन स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटक केन्द्रों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिये स्कीमें हाथ में नहीं लेता है बल्कि यह पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना के निर्माण के लिए राज्यों

को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अब तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभाग ने पंजाब में निम्नलिखित केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना के निर्माण के लिए परियोजनाएं मंजूर की हैं :—

रोपड़, करतारपुर, सरहिंद, माधोपुर, शम्भू, फागवाड़ा, पटियाला, होशियारपुर, नदमपुर, दसूया, मोगा, गुरुदासपुर एवं जालंधर।

विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 1989-90 के दौरान विभाग को पंजाब सरकार से केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

1. माधोपुर में यात्री निवास
2. संथोल में मार्गस्थ सुविधाएं
3. बरनाला में मार्गस्थ सुविधाएं
4. तलबारा में हिल रिसार्ट

नेयवेली और मद्रास के बीच वायुदूत सेवा

5958. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेयवेली और मद्रास के बीच वायुदूत सेवा बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका संचालन किस तारीख से किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय मद्रास और नेयवेली के बीच उपलब्ध कराई गई विमान क्षमता इस सैक्टर पर मौजूदा यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

नई दिल्ली नगर पालिका के प्रशासक के विरुद्ध शिकायतें

5959. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली के प्रशासक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) क्या कुछ शिकायतें अभी भी लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन्।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में प्रशासक तथा अन्य 8 अधिकारियों के विरुद्ध बड़े दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आगे कहा है कि नियमित विभागीय कार्रवाई करने की उनकी सिफारिशें उच्च न्यायालय के आदेशों पर निर्भर रहेंगी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

रक्षा उत्पादन के मामले में भारत-तुर्की सहयोग

5960. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तुर्की के साथ सहयोग करने का विचार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में संयुक्त कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) (क) और (ख) : रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तुर्की के साथ सहयोग करने के लिए इस समय कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

5961. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों में विशेष कर बिहार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या पटना में रह रहे ऐसे लोगों के लिए बिहार सरकार द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं भेजी गई हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमित उरांव) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) जी, नहीं।

विवरण

समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें बिहार के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं। ये योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत है जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, आवास तथा स्वास्थ्य। इनमें से कुछ योजनाएं निम्न प्रकार हैं :–

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति ।

2, अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10 तक)

3. मेडिकल एवं इन्जीनियरिंग कालेजों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक ।

4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए हॉस्टल भवन ।

5. कोचिंग एवं संबद्ध योजना (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति)

6. स्ययं सेवी संगठनों को सहायता (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति)

7. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की कार्यान्विति ।

8. गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक सहायता ।

9. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति ।

10. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाएं ।

11. शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए योजना जिसमें पेयजल, विद्यमान गलियों और मार्गों का विस्तार करना, सामुदायिक स्नानगृह और शौचालयों, तथा जल प्रवाहित नालियों जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

11. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा उनके पुनर्वास की योजना (शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करते हुए) को 1980-81 से बिहार के 16 कस्बों में शुरू किया गया है, परन्तु इसमें पटना शामिल नहीं है ।

इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा आयात किये गये टेलीविजन "डीकोडर्स"

5962. **चौधरी खुर्शीद अहमद :**

श्री हेतराम : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ने फ्रांस की एक कम्पनी से कितने टेलीविजन "डीकोडर्स" का आयात किया है;

(ख) क्या फ्रांस की कम्पनी के साथ सौदे को अन्तिम रूप देने से पहले कोई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये थे; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम के किसी दल ने सौदे को अन्तिम रूप देने के लिए फ्रांस का दौरा किया था; यदि हां, तो सौदे को अन्तिम रूप देने से पहले कितने निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करने का प्रयास किया गया था;

(घ) क्या इनमें से किसी निर्माता के साथ टेलीविजन "डीकोडर्स" का सौदा तय किया गया था अथवा इन्हें केवल एक व्यापारी से ही खरीदा गया था; और

(ङ) यदि सप्लायर से कोई प्रतिभूति ली गई थी तो उसका स्वरूप क्या है तथा एक व्यापारी से "डीकोडर्स" खरीदने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 10,500 दूरदर्शन के डिकोडरों का आयात किया गया ।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर, दूरदर्शन में (टैलीटेक्सट) की सेवाएं आरम्भ करने के लिए, फ्रेंच प्रणाली "एन्टिओप" अपनाई गई थी । मैसर्स सोफ्राटेव फ्रांस नामक, फ्रांस सरकार का उपक्रम फ्रांस की ओर से एक ऐसा प्रमुख संगठन था जो भारत में इस प्रणाली को प्रतिष्ठापित करने से संबद्ध था । उनके जरिए डिकोडरों का आयात करना उचित समझा गया ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि खरीदे गए डिकोडर चुनिन्दा प्रणाली के लिए पूर्णतः मुआफिक तो हैं ।

ई. टी. एण्ड टी. के एक अधिकारी ने औपचारिक क्रयादेश देने से पहले आयात के सम्बन्ध में केवल माल लदान (शिपमेंट) के ब्यौरों आदि को अन्तिम रूप देने के ठीक पहले फ्रांस का दौरा किया ।

ई. टी. एण्ड टी. ने जिस तारीख से इसे खरीदा था, उससे, 12 महीनों की अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता से वारन्टी (समाश्वासन) ली गई जो सामग्री, कारीगरी तथा उसके प्रचलन में पाए जाने वाले दोषों के लिए थी ।

टी० वी० डीकोडरों का आयात

5963. **श्री हेतराम :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा फ्रांस से टी. वी. डिकोडरों का आयात करने पर कुल कितनी राशि धनराशि व्यय होगी;

(ख) क्या सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के एक हजार डीकोडरों का आयात करने संबंधी मूल प्रस्ताव को बढ़ाकर दस हजार डीकोडर कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक कितने डीकोडरों की बिक्री की गई है और शेष डीकाडरों का मूल्य कितना है;

(ङ) इस सौदे में कुल कितनी हानि हुई है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) : दूरदर्शन डिकोडरों पर आने वाली कुल लागत 2.66 करोड़ रु० थी ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने पहले 15000 डिकोडरों के आयात की मांग की थी जिसे घटाकर बाद में केवल 10,500 कर दिया गया ।

(घ) अब तक बेचे गए डिकोडरों की संख्या लगभग 300 है तथा शेष 10,200 डिकोडरों की कीमत 2.58 करोड़ रु० है।

(ङ) दूरपाठ (टेलीटेक्स्ट) सेवाओं में सुधार करने के लिये निरन्तर कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इसे और अधिक लोक प्रिय बनायी जा सके। इसके साथ ही साथ, विकास तथा विपणन सम्बन्धी प्रयास भी किये जा रहे हैं ताकि विभिन्न प्रयोगकर्त्ताओं अर्थात होटल एयर लाइन्स, ट्रैवल ऐजेण्ट, बैंक, शेयर तथा स्टाक ब्रोकर अदि इसे अधिकाधिक स्वीकार कर सकें। इसके फलस्वरूप, यह आशा की जाती है कि इस समय ई टी एण्ड टी में पड़े इन डिकोडरों की मांग बढ़ जायेगी और इस प्रकार इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

"विप्रो" इंफार्मेशन टेक्नालाजी लिमिटेड द्वारा विदेशों के साथ सहयोग

5964. **श्री थाई० एस० महाजन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विप्रो इंफार्मेशन टेक्नालाजी लिमिटेड को सन माइक्रोसिस्टम वर्कस्टेशंस बनाने के लिये सन माइक्रासिस्टम ईकापोरेटिड के साथ सहयोग करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इस पर विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सहयोग की अनुमति देने से क्या विशिष्ट लाभ होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) जी, नहीं। किन्तु विप्रो इंफार्मेशन टेक्नोलाजी लिमिटेड ने मिनी कम्प्यूटर/माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित प्रणालियों के विनिर्माण के लिये, प्रोद्योगिकी विकास कोष (टी डी एफ) योजना के अन्तर्गत डिजाइन तथा ड्राइंगों के आयात के लिये एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

इण्डियन रेअर अर्थ्स लि० से इल्मेनाइट का निर्यात

5965. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रेअर अर्थ्स द्वारा उड़ीसा के गोपालपुर लघु पत्तन से अब तक इल्मेनाइट का कितनी मात्रा में निर्यात किया; और

(ख) वर्ष 1989 के अन्त तक इल्मेनाइट का कितनी मात्रा निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किय गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) : गोपालपुर पत्तन को जब से चालू किया गया तब से लेकर अब तक वहां से निर्यात की गई इल्मेनाइट की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :–

1986-87	2,808	(मीटरीटन)
1987-88	30,254	(मीटरीटन)
1988-89	16,410	(मीटरीटन)
योग	49,472	(मीटरीटन)

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान, लगभग 50,000 मीटरी टन इल्मेनाइट का निर्यात किए जाने की आशा है।

अन्य देशों की विकास प्रक्रियाओं से भारतीय वैज्ञानिकों का सम्बद्ध होना

5966. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं की अनुसंधान और विकास विंग अन्य देशों के अनुसंधान और विकास विंगों की तुलना में बहुत पीछे है,

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों में अनुसंधान और विकास प्रक्रियाओं के साथ भारतीय वैज्ञानिकों को सम्बद्ध करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं जिनके साथ भारत का समझौता है; और

(ग) हार्डवेयर के बड़े पैमाने पर आयात को रोकने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) (क) रक्षा प्रौद्योगिकी में हमारा अनुसंधान और विकास कार्य अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी आगे है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि जहाँ तक रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का सम्बन्ध है, हम औद्योगिक रूप से उन्नत अन्य देशों के लगभग समकक्ष हैं।

(ख) हमारी इन उपलब्धियों के बावजूद अभी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हम प्रौद्योगिकी को शामिल कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के इस अन्तराल को कम करने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-विदों को सम्मेलनों/सेमीनारों/बैठकों में भाग लेने के लिए तथा जहां सम्भव हो कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा है और सुलभ होने पर वैज्ञानिकों को दीर्घ-अवधि के लिए विदेश भी भेजा जाता है।

(ग) विस्तृत प्रणालियों का भारी मात्रा में आयात कम करने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने अब बड़े कार्यक्रम आरम्भ किये हैं जिनके अन्तर्गत सेनाओं की इन महत्वपूर्ण शस्त्र प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये उनका उत्पादन होने लगा है। इस क्षेत्र में हमने राकेटों, निर्देशित प्रक्षेपास्त्रों के आयुध एवं गोलाबारूद, हल्के लड़ाकू विमान एवं मुख्य युद्धक टैंक उत्पादन के कार्यक्रम शामिल किए हैं।

जनजाति उप योजना के अन्तर्गत केरल को आवंटन

5967. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनजाति उप-योजना के लिए केरल को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इस सहायता से राज्य में कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमित उरांव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में केरल को दी गई धनराशियां निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	दी गई धनराशि
1986-87	77.76
1987-88	83.74
1988-89	115.78

(ख) आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत विकासात्मक कार्यक्रमों में आदिवासी विकास से सम्बन्धित सभी क्षेत्र शामिल हैं जिनमें पेयजल की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार सुविधाये, ऋण एवं विपणन, भूमि संरक्षण उपाय एवं भूमि सुधार, कुटीर एवं लघु उद्योग, बागवानी डेरी विकास कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य योजनाएं शामिल हैं ।

दिल्ली से बाहर शस्त्र विक्रेताओं के पास सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों की नियुक्ति

5968. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से बाहर कितने शस्त्र विक्रेता हैं; और

(ख) इन शस्त्र विक्रेताओं की फर्मों में कितने सेवा निवृत्ति रक्षा कार्मिक नियुक्त हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी सूचना संकलित नहीं की जाती है क्योंकि शस्त्रों के विक्रय के लिए लाइसेंस राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दिये जाते है, जिन्हें शस्त्र अधिनियम 1959 तथा शस्त्र नियम, 1962 के अधीन इस बारे में आवश्यक शक्तियां सौंपी गई हैं । इसके अलावा, शस्त्र विक्रेताओं के लिए अपने कर्मचारियों के बारे में लाइसेंस प्राधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य नहीं है ।

आंध्र प्रदेश को बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए धनराशि का आबंटन

5969. **श्री सी० सम्बु** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को वर्ष 1987-88 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने के लिए कितनी धनराशि दी गई थी; और

(ख) राज्य सरकार ने इसी अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए वास्तव में सूत्रवार कितनी धनराशि खर्च की है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) आंध्र प्रदेश को 1987-88 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये राज्य योजना में 67029 लाख रु० की राशि प्रदान की गई थी ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये अवधि के दौरान सूत्रवार खर्च की गई सूचित राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रु०)

सूत्र सं.	मद का नाम	व्यय
1.	**ग्रामीण गरीबी के खिलाफ संघर्ष :**	
	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2444
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	3499
	सामुदायिक विकास तथा पंचायत	2470
	ग्राम तथा लघु उद्योग	1889
2.	वर्षा पर निर्भर कृषि विकास	520
3.	सिंचाई जल का बेहतर उपयोग	27075
4.	उन्नत कृषि-अधिक उत्पादन	3580
5.	भूमि सुधार	120
6.	पीने का साफ पानी	2584
7.	सभी के लिये स्वास्थ्य	1048
8.	दो बच्चों का परिवार-पोषाहार	299
9.	शिक्षित राष्ट्र	5037
10.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को न्याय	7622
11.	युवा वर्ग के लिये नये अवसर	113
12.	सबके लिए मकान	4808
13.	तंग बस्तियों का सुधार	353
14.	वन-विस्तार	1070
15.	पर्यावरण की रक्षा	137
16.	उपभोक्ता कल्याण	5
17.	गांवों के लिये ऊर्जा	शून्य

एअर लाइंस के टिकटों की अधिक दरें

5970. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बिमान भाड़े विश्व में सबसे अधिक हैं;

(ख) क्या अन्य एअर लाइनों की तुलना में हमारे यहां के विमान चालकों को बहुत कम वेतन मिलता है;

(ग) टिकटों के इतने अधिक मूल्य लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या टिकटों का अधिक मूल्य होने का एक कारण अलाभकारी मार्गों पर विमान चलाना भी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। भारतीय अन्तर्देशीय किराये विश्व के सबसे कम किरायों में से है।

(ख) अन्य विदेशी विमान कम्पनियों के विमानचालकों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले वेतन, परिलब्धियां इत्यादि के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। विमानचालकों के वेतन स्तर, स्थानीय रहन-सहन की परिस्थितियों और संबंधित देशों के मूल्य सूचकांक पर आधारित होते हैं। अतः भारत के विमानचालकों और विदेशी विमान कम्पनियों के विमानचालकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वेतनों में तुलना करना सार्थक नहीं होगा।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की आय

5971. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत संचालित पांच सितारा होटलों की आय गैर सरकारी क्षेत्र के होटलों की आय के बराबर है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को लाभ अर्जित करने के मामले में गैर सरकारी क्षेत्र के होटलों के समान स्तर तक लाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : भारत पर्यटन विकास निगम के 5 स्टार होटलों की आय प्राइवेट सेक्टर के होटलों की आय की तुलना में अनुकूल ही है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की परिचालन कुशलता लाभांश में सुधार लाने के लिये निरंतर प्रयास किये जाते हैं और भारत पर्यटन विकास निगम इस संबंध में उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :-

(i) अधिभोग में वृद्धि करने के लिये विज्ञापन पर जोर;

(ii) प्रोत्साहन के रूप में छूट की पेशकश;

(iii) व्यय पर नियन्त्रण;

(iv) उत्पाद में सुधार; आदि

जनशक्ति संबंधी आंकड़े

5972. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुशल जनशक्ति सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नही हैं, जैसा कि 29 जनवरी, 1989 को "टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) जन साधन अनुसंधान संस्थान द्वारा यह बताया गया कि जनशक्ति सांख्यिकी पर हाल ही में आयोजित एक सेमिनार में निदेशक, जनसाधन अनुसंधान संस्थान ने कहा कि इष्टतम आयोजन के लिये जनशक्ति अनुसंधान के क्षेत्र में विशुद्ध आकलन तथा विश्लेषण के लिये अधिक विस्तृत तथा स्पष्ट जनशक्ति सांख्यिकी की आवश्यकता है।

1985 तथा 1990 में शिक्षित जनशक्ति की विभिन्न श्रेणियों के आर्थिक रूप से सक्रिय समूह के आकलन तैयार कर लिये गये हैं तथा सातवीं योजना दस्तावेज के खण्ड-2 के पृष्ठ 123 में दिये गए हैं। जन साधन अनुसंधान संस्था ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रशिक्षित कार्मिकों के समूह का 1981 के लिये आकलन किया है। भारत के महा पंजीयक तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कर्मचारियों के व्यावसायिक वर्गीकरण सम्बन्धी आंकड़े प्रदान करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठयक्रमों में नामांकन तथा आउटटर्न सम्बन्धी आंकड़े भी विभिन्न प्रशासनिक अभिकरणों से उपलब्ध हैं। जनशक्ति आंकड़ों की सीमा तथा क्षेत्र में सुधार संसाधनों की बाध्यताओं के अनुसार एक सतत् प्रक्रिया है।

पक्षियों का विमानों से टकराने से होने वाली विमान दुर्घटनाओं को रोकने सम्बन्धी विचार गोष्ठी

5973. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तन प्रबंध संस्थान ने पक्षियों का विमानों से टकराने से होने वाली विमान दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में दो द्विवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गईं; और

(ग) सरकार ने कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) पक्षियों के विमानों से टकराने से होने वाली विमान दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में आयोजित राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप हवाई अडडों पर पक्षियों के खतरे पर नियन्त्रण रखने के लिये एक कार्यवाई योजना तैयार की गई थी जिसमें हवाई अडडों

के चारों ओर शहरी विकास की व्यवस्था का विनियमन, स्वास्थ्य सफाई व्यवस्था के लिये पर्यावरण नियन्त्रण, विमान सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य पर्यावरण के महत्व की लोक जानकारी का बढ़ावा देने, भूमि विकास और हवाई अडडों के भीतर उसके उपयोग में सुधार, पक्षियों के खतरे को कम करने के लिये परिचालनात्मक उपाय शुरू करने, पक्षी टकराव रिपोर्टिंग प्रणाली आदि में सुधार जैसी मुख्य योजनाएं निर्दिष्ट की गई हैं ।

(ग) यह कार्रवाई योजना कार्यान्वयन के लिये भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तम प्राधिकरण राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एअरलाइनों, और अन्य अभिकरणों द्वारा स्वीकार की गई है ।

तूती कोरिन में हवाई अड्डे का निर्माण

5974. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतीकोरिन हवाई अड्डे के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अर्थात जून, 1989 तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राज्य सरकार ने भूमि प्राप्त करके राष्ट्रीय विमानपत्तम प्राधिकरण को लगभग 180 एकड़ भूमि सौंपी है । स्थलाकृति सर्वेक्षण, निचली मिट्टी की जांच और परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया हैं और स्थल विकास योजना राज्य प्राधिकारियों को सौंप दी गई है । पेवमेन्टों की मास्टर योजना और संरचनात्मक डिजाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा अभी स्थल का विकास किया जाना है और इसे समतल बनाया जाना है ताकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य शुरु कर सके । राज्य सरकार द्वारा जैसे ही विकसित भूमि उपलब्ध करायी जायेगी; वैसे ही राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण निर्माण कार्य शुरु कर देगा । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस स्थल को शीघ्र समतल कराएं ।

विदेशी स्वैच्छिक संगठन

[हिन्दी]

5975. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1981 से पहले और दिसम्बर, 1988 तक विदेशी स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कितनी थीं;

(ख) देश में इन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान किस प्रकार के कार्यों पर धनराशि व्यय की गई है तथा प्रत्येक कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का इन संगठनों पर कोई नियन्त्रण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र करके सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 को कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने और उसका उपयोग करने को नियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । जब भी किसी संस्था के सम्बन्ध में विदेशी अभिदाय को प्राप्त करने में कोई चूक ध्यान में आती है तो वि. अ. (वि.) अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

[अनुवाद]

5976. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप केन्द्रीय सरकार के जांचाधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) उत्तर प्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में जांचाधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

असम राइफल्स में भर्ती

[हिन्दी]

5977. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राइफल्स के लिये सैनिकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भर्ती शिविर आयोजित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने शिविर आयोजित किये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निकट भविष्य में इन क्षेत्रों में ऐसे भर्ती केन्द्र आयोजित किये जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस वर्ष इन क्षेत्रों में कितने भर्ती दल भेजे जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 1987 और 1988 के दौरान असम राइफल्स के लिये सैनिकों की भर्ती हेतु निम्न स्थानों पर भर्ती रैलियां आयोजित की गई थीं ।

1987— लैन्सडाउन और रानीखेत

1988— कोटद्वार और देहरादून

1989 में असम राइफल्स ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कोई भर्ती रैली आयोजित नहीं की, क्योंकि भर्ती रैलियां मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केन्द्रीय स्थानों पर आयोजित की गई थी जहां पर देश के सभी भागों से उम्मीदवार टेस्ट दे सके ।

(घ) और (ङ) एक भर्ती रैली अप्रैल/मई, 1989 में अल्मोड़ा में प्रस्तावित की गई है ।

महाराष्ट्र में छावनी क्षेत्रों में सड़कों का रख रखाव

[अनुवाद]

5978. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में छावनी क्षेत्रों में सड़कों के विकास और उनके उचित रख-रखाव के लिये गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि दी गई थी ओर उसमें से प्रत्येक वर्ष वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च की गई ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	निधारित राशि (लाख रुपये)	खर्च की गई राशि (लाख रुपये)
1986-87	153.68	125.20
1987-88	194.35	151.47
1988-89	138.55	86.71

भूतपूर्व सैनिक वित्त निगम की स्थापना

5979. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार उद्यम प्रारम्भ करने के लिए बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्व-रोजगार उद्यम प्रारम्भ करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कम ब्याज पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक भूतपूर्व सैनिक वित्त निगम की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे निगमों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित उच्च-स्तरीय समिति ने, अन्य बातों के साथ, केन्द्र में राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक वित्त निगम की स्थापना और भूतपूर्व सैनिक वित्त निगमों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा निधियां आबंटित करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया लेकिन यह व्यवस्था की गई कि विद्यमान संस्थानों और योजनाओं के माध्यम से उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अनुसरण में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से 1-4-1987 को "सेमफेक्स-1" (भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार योजना) नामक योजना आरम्भ की गई जिसके अन्तर्गत राज्य वित्तीय मिगम ऋण मन्जूर करते हैं।

"सेमफेक्स-1" योजना के अन्तर्गत पुनर्वास महानिदेशालय और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दोनों संयुक्त रूप से मूल पूंजीगत ऋण सहायता प्रदान करते हैं जो स्व-रोजगार परियोजना की लागत के 15% के बराबर होती है और उस पर रियायती दर पर ब्याज लिया जाता है। यह सेवा शुल्क के रूप में 1% वार्षिक है। मियादी ऋण पर 12.5% ब्याज लिया जाता है, बशर्ते वह अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार खोलने के संबंध में हो, और अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज की दर 13.5% है। वाहन खरीदने के लिए ऋण लेने के मामले में ब्याज की दर प्रतिवर्ष 12.5% रखी गई है जो सभी पर लागू है।

"सेमफेक्स-2" नामक योजना 15-1-1988 से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से आरम्भ की गई जो विशेषकर कृषि और उससे सम्बन्धित कार्यों के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत ऋणों की मंजूरी निर्धारित बैंकों भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जाती है। इन ऋणों पर ब्याज की दर इस प्रकार है :—

(क) **गैर-कृषि क्षेत्र :**

(1)	30,000 रुपये तक ऋण	10%
(2)	30,000 रुपये से अधिक के ऋण	12.5%

(ख) **कृषि क्षेत्र :**

यह ऋण लेने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध भूमि और उसकी आय पर निर्भर करेगा। यदि आय प्रति वर्ष 4,800 रुपये से कम है तो ब्याज की दर 10% होगी अन्यथा 12% होगी।

आय की सीमा ऋण लेने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध भूमि के अनुसार आंकी जाती है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती है।

सेमफेक्स योजनाओं के अन्तर्गत स्व-रोजगार की जिन योजनाओं को राज्य वित्त निगमों/बैंकों द्वारा व्यवहार्य पाया जाता है उनके लिए धन की व्यवस्था में किसी तरह की कठिनाई होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

गन कैरेज फैक्टरी, जबलपुर में 155 एम एम फील्ड गनों का निर्माण

5980. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गन कैरेज फैक्टरी, जबलपुर में टैंक गनों तथा 155 एम एम फील्ड गनों अथवा उनके पुर्जों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए लाइन बिछाने में क्या प्रगति हुई है तथा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) आयुध निर्माणियों में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न आयुध निर्माणियों में टी-72 टैंक के लिए 125 मि०मी० तोप के हिस्से-पुर्जों तथा उप-असेम्बलियों का देश में निर्माण करने की सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इन उपकरणों तथा उप-असेम्बलियों और सिविल उद्योगों से खरीदे गए उपकरणों से गन-कैरिज फैक्टरी जबलपुर में तोप के उत्पादन की भी मंजूरी दी गई है। इन नई सुविधाओं में 3 वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू हो जाएगा।

भारत में 155 मिलीमीटर आर्टिलरी तोप के उत्पादन के लिए निर्माण एजेंसी का अभी अंतिम चयन नहीं किया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध मामले

5981. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कितने राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए;

(ख) क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए कोई "विशेष निगरानी कक्ष" गठित किया गया है; और

(ग) वर्ष 1988 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कितने मामलों पर विचार किया गया और कितने मामलों को निपटाया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1988 के दौरान, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध 552 मामले हाथ में लिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1988 के दौरान, आयोग द्वारा विचार किए गए तथा निपटाए गए मामलों (राजपत्रित तथा अन्य) की कुल संख्या 3818 थी, जिनमें से 2750 मामले प्रथम स्तर की सलाह से और 569 मामले दूसरे की सलाह से संबंधित थे तथा 499 मामले पुनर्विचार से संबंधित थे।

स्वतंत्रता सेनानी द्वारा जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना

[हिन्दी]

5982. **श्रीमती मनोरमा सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है जिनमें जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन मंजूर की गई है;

(ख) केन्द्रीय एजेंसी ने इनमें से कितने मामलों की जांच की है और कितने मामलों की अभी जांच की जानी है;

(ग) कितने व्यक्तियों को वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी पाया गया और इनमें से कितने व्यक्तियों को पेंशन देना पुनः शुरू किया गया हैं तथा शेष मामलों में कार्यवाही करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) प्रत्येक मामले में पूरी संवीक्षा करने के पश्चात स्वतन्त्रता सैनिक पेंशन मंजूर की जाती है। तथापि, शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ स्वतन्त्रता सैनानियों ने झूठी सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत करके पेंशन मंजूर करा ली है। ऐसी शिकायतों का उपलब्ध रिकार्ड से मिलान करके जांच की जाती है और संदेहास्पद मामलों को संबंधित राज्य सरकार को सत्यापन के लिए भेजा जाता है। उन मामलों में, जहां यह धारणा पक्की होती है कि स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्राप्त करने के योग्य नहीं है तो जांच पड़ताल पूरी होने तक पेंशन को निलम्बित करने के लिए कार्यवाही की जाती है। जांच पूरी होने पर अगर यह पाया जाता है कि पेंशन गलत तरीके से प्राप्त की गई है तो इसे रद्द कर दिया जाता है। 31-1-1989 को निलम्बित और रद्द किये गये मामलों की संख्या क्रमशः 2790 और 1283 है।

(ख) अधिकांश मामलों की तहकीकात राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तहकीकात किए गए मामलों के ऐजेन्सी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) ऐसे अधिकांश मामलों में राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद पेंशन बहाल कर दी गई है। 31-1-1989 तक 2150 मामलों में पेंशन बहाल की गई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार/केन्द्रीय ऐजेन्सी द्वारा जांच पूरी किए जाने पर यदि यह पाया जाता है कि पेंशन गलत ढंग से प्राप्त की गई है तो इसे रद्द कर दिया जाता है और राज्य सरकारों को गलत ढंग से प्राप्त की गई पेंशन, जहां तक संभव हो, वसूल करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश की लम्बित पड़ी जल-निकासी योजनायें

[अनुवाद]

5983. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद और महबूब नगर जिलों से संबंधित जल-निकासी योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजा था;

(ख) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है और यदि कोई योजनायें लम्बित पड़ी हैं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना आयोग ऐसी सभी योजनाओं की स्वीकृति कब तक दे देगी ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) हैदराबाद और महबूब नगर जिलों से जल-निकासी की कोई भी स्कीम योजना आयोग में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली हवाई अड्डे में हेल्परों को परेशान करना

5984. **श्री गंगा राम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जति कर्मचारी कल्याण संघ ने दिल्ली हवाई अड्डा, आदि पर जाति के आधार पर अमानवीय उत्पीड़न जैसे हेल्परों से शौचालयों की सफाई कराने और उनके वेतन का भुगतान न किये जाने के विरुद्ध भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन को अनेक बार अभ्यावेदन दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो दुखी हैल्परों और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपतन प्राधिकरण के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी है; और दुखी हैल्परों को अब तक क्या सहायता दी गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण हैल्पर का इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो काम्पलेक्स से भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुख्यालय (एयर फोर्स बेरक) में स्थानांतरण किये जाने के विरुद्ध भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष को अभ्यावेदन भेजा था । संघ से अनुरोध प्राप्त होने पर जनवरी, 1989 में हैल्पर को वापस इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुनः स्थानांतरित कर दिया गया । जाति के आधार पर हैल्पर से शौचालय की सफाई करवाने अथवा उन्हें मजदूरी का भुगतान न किये जाने जैसे अमानवीय व्यवहार का कोई मामला नहीं हुआ है ।

तकनीकी विकास महानिदेशालय का प्रतिस्थापन

5985. **श्री एच. ए. डोरा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को परामर्श देने संबंधी विज्ञान सलाहकार परिषद के तकनीकी विकास महानिदेशालय के स्थान पर प्रौद्योगिक अनुसंधान और विकास महानिदेशालय स्थापित करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या उदाहरण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) "वर्ष 2001 तक के लिए भावी योजना के प्रति एक दृष्टिकोण" तैयार करते समय और उसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का अभिनिर्धारण करने के लिए प्रधान मन्त्री की विज्ञान सलाहकार परिषद ने सिफारिश की है कि उद्योग के क्षेत्र में एक औद्योगिक अनुसंधान और विकास अवसंरचना के सृजन के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय के स्थान पर एक औद्योगिक अनुसंधान और विकास निदेशालय बनाया जाये ।

मलेरिया का पता लगाने के लिए आनुवंशिक जांच तकनीक का विकास

5986. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने रक्त के नमूने से मलेरिया का पता लगाने के लिए आनुवंशिक तकनीक का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो किस संस्थान/प्रयोगशाला अथवा अनुसंधान केन्द्र में ऐसी आनुवंशिक जांच तकनीक का विकास किया है; और

(ग) मलेरिया के मामलों का पता लगाने हेतु अन्य कौन सी विधि अपनाई गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी हां ।

(ख) आस्ट्रा रिसर्च सेन्टर, बंगलौर, के वैज्ञानिकों ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के सहयोग के साथ ऐसी आनुवंशिक जांचों का विकास किया है ।

(ग) संदिग्ध रोगियों के रक्त लेप की माइक्रोस्कोप द्वारा जांच मलेरिया के मामलों का पता लगाने की सामान्य विधि है ।

दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण योजनायें

5988. **राजाकांत डियाल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए दिल्ली में अनेक कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गयी है; और

(ग) दिल्ली में विकलांगों के लिए कितने पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार दिल्ली में विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति योजना

विकलांग व्यक्तियों के लिये छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य, उन्हें ऐसी शिक्षा, शैक्षिक तकनीकि या व्यावसायिक प्रशिक्षण या दुकान/औद्योगिक प्रतिष्ठान के फ्लोर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता करना है ताकि वे अपनी आजीविका कमा सके और समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें।

विकलांगों की शिक्षा और प्रशिक्षण उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विकलांग व्यक्तियों को नौवीं कक्षा से आगे शिक्षा और व्यावसायिक/तकनीकि व्यावसायिक प्रशिक्षण जारी करने के लिये मन्त्रालय छात्रवृत्तियां देता है। 1988-89 के दौरान विकलांग व्यक्तियों की छात्रवृत्ति हेतु दिल्ली प्रशासन को 8.00 लाख रुपये दिये गये।

"सहायक यंत्र/उपकरण खरीदना/लगाने के लिए" विकलांगों को सहायता की योजना

सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिये विकलांगों को सहायता की योजना के लिये विकलांगों को सहायता की योजना का उद्देश्य विकलांगों को विशेष सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करना है। यह योजना 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के अवसर पर शुरु की गई थी। हाल ही में योजना का रोलेटर (वाकर) विशेष कुर्सी, कारनर सीट, क्रेन बोर्ड, और सेरेब्रल पॉलसी सहित प्रसाधन कुर्सी प्रदान करने के लिये संशोधित किया गया है। सहायक यंत्रों की सीमा 3,000/– रुपये से 3600/– की गई है। लागत की निम्न सीमा 25 रुपये है। सहायक यंत्र और उपकरण उन विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क दिये जाते हैं जिनकी आय 1,200 रुपये प्रति मास है और उन व्यक्तियों आधी कीमत पर जिनकी आय 1,200 रुपये से 2500 रुपये प्रति मास है।

1988-89 के दौरान योजना को कार्यान्वियन करने हेतु दिल्ली में 8 स्वयंसेवी संगठनों/स्वायत निकायों को 49,55,000 रुपये की सहायता दी गई है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता

देश में विकलांग व्यक्तियों को सहायता करने में स्वयंसेवी संगठनों की प्रमुख भूमिका रही है। विकलांगों के लिये काफी संख्या में, विशेष स्कूल, अंग लगाने के केन्द्र तथा शेल्टर्ड कार्यशालाएं, स्वयंसेवी क्षेत्र में हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका का विकलांगों ने स्वागत किया है।

मन्त्रालय विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में लगे स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का कार्यान्वयन करता है। इस योजना के अन्तर्गत की सीमा आवर्ती और अनावर्ती अनुमानित व्यय के 90 प्रतिशत तक और भवन निर्माण के लिये 5, लाख रुपये अनुदान तक की राशि सीमित है।

1988-89 के दौरान योजना को कार्यान्वयन करने हेतु दिल्ली में 23 स्वयंसेवी संगठनों/स्वायत निकायों को 65.27 लाख रुपये दिये गये थे ।

पेट्रोल सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत, जिन व्यक्तियों के पास अपने वाहन हैं, उनके द्वारा खरीदे गये पेट्रोल/डीजल पर व्यय की 50% राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है, यदि उनकी आय 2500 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है । रियायत 2 हार्स पावर रियायत वाहनों के लिए 15 लीटर प्रति मास और 2 हार्स पावर से अधिक वाहनों के लिये 25 लीटर प्रतिमास की लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए । फिर भी यह रियायत उन विकलांग व्यक्तियों के लिए नहीं है जो स्वयंसेवी संगठनों या राज्य स्त्रोतों से वाहन भत्ता प्राप्त करते हैं । इस योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया है और योजना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 100% व्यय प्रदान करते हुए राज्यों/केन्द्रों शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है ।

जन विकलांग संस्थान

संस्थान विकलांगों, विशेषकर अस्थि विकलांगों, के सम्पूर्ण कल्याण और पुनर्वास में लगा हुआ है । संस्थान का मुख्य उद्देश्य विकलांगों के पुनर्वास के लिये सहायक यन्त्र और उपकरणों का निर्माण और वितरण करना फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक थेरेपिस्ट को प्रशिक्षण देना, अस्थि विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना और विकलांगों के पुनर्वास के लिये देश में उपलब्ध सेवाओं संबंधी जानकारी एकत्र करना और उसका प्रचार करना है ।

विकलांगों के लिए विशेष रोजगार केन्द्र

दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार में लगाने के लिये उन्हें पंजीकृत करने के लिये विकलांगों के लिये एक विशेष रोजगार केन्द्र कार्य कर रहा है ।

विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

विकलांगों की अवशेष योग्यता का मूल्यांकन करने, उनको प्रशिक्षण देने और उन्हें रोजगार दिलाने के लिये दिल्ली में एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गई है ।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

योजना में आवश्यक सहायक यन्त्र, प्रोत्साहन और विशेष अध्यापकों सहित सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्र सरकार से 100% सहायता की व्यवस्था है । दिल्ली प्रशासन ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुछ स्कूलों को शामिल किया है ।

इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित योजनाएं और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :—

1. खोकों का आबंटन 100 प्रतिवर्ष
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सहयोग से टेलीफोन बूथों के आबंटन की योजना
3. बधिरों की विशेष शिक्षा के स्कूल (4 स्कूल), नेत्रहीनों के लिये (1)

4. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र 3 (पुरुषों के लिये दो और महिलाओं के लिये एक)
5. होस्टल (एक कालिज जाने वाले नेत्रहीनों के लिये और एक शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये)
6. पेट्रोल/डीजल के लिये 50% रियायत
7. दिल्ली परिवहन निगम के निशुल्क पास
8. अस्थाई पहचान पत्र जारी करने की योजना
9. पीस रेट वेतन पर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिये शैल्टर्ड वर्कशाप
10. स्थाई रूप से अशक्त विकलांग व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन अनुदान
11. वृत्ति/छात्रवृत्ति
12. प्रोस्थेटिक सहायक यन्त्रों की खरीद के लिये वित्तीय सहायता
13. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये प्रोस्थेटिक सहायक यन्त्रों के लिये रखरखाव भत्ता
14. स्वयंसेवी संगठनों को सहायता
15. मानसिक रूप से विकलांगों के लिये विशेष देखभाल गृह/स्कूल ।

सेना के लिये सहकारी क्षेत्र से दूध खरीदना

[हिन्दी]

5989. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर, इन्दौर और भोपाल में सेना की दूध की अनुमानित मांग कितनी है तथा इसकी पूर्ति किस प्रकार की जा रही है;

(ख) सेना की आवश्यकता हेतु सहकारी डेयरी संयंत्रों से न खरीदने के क्या कारण हैं जबकि इसके बारे में स्पष्ट निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके हैं; और

(ग) प्राइवेट सप्लायरों से दूध की खरीद रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) इन केन्द्रों में दूध की अनुमानतः दैनिक औसत खपत इस प्रकार है :—

भोपाल	700 लीटर
ग्वालियर	1000 लीटर
इन्दौर	1440 लीटर
(महू के लिये)	

ग्वालियर और भोपाल में दूध की पूरी मांग को स्थानीय खरीद से पूरा किया जाता है। महू में, जहां मिलिटरी फार्म है, गर्मियों में प्रतिदिन 500 लीटर और सर्दियों में प्रतिदिन 300 लीटर दूध स्थानीय खरीद से प्राप्त किया जाता है। शेष दूध मिलिटरी फार्म से प्राप्त किया जाता है।

(ख) दूध की सप्लाई के लिये मिलिटरी फार्म के अधिकारियों द्वारा ग्वालियर और इन्दौर स्थित दुग्ध सप्लाई केन्द्रों को लिखा था परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। भोपाल दुग्ध निगम ने मिलिटरी फार्म को दूध की सप्लाई करने में सितम्बर, 1989 तक के लिये अपनी असमर्थता प्रकट की थी।

(ग) जिन स्टेशनों पर सहकारी दुग्ध संयंत्र सेना को दूध सप्लाई करने की स्थिति में होते हैं वहां उनके साथ समझौते करके दूध की दरें तय करके उनसे दूध खरीदा जाता है। अन्य केन्द्रों में प्राइवेट सप्लायरों से दूध खरीदा जाता है।

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला द्वारा जल शोषक पॉलिमर का विकास

[अनुवाद]

5990. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने जल शोषक पॉलिमर का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यह कृषि और बागवानी में अधिक सफल होगा ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस विकास को देश के छोटे किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे ने उद्योग के सहयोग से "जल शक्ति" नामक एक शोषक पॉलिमर का विकास किया है। जलशक्ति एक जलरागी पॉलिमर है जो जल को अपने भार की तुलना में कोई सौ गुना अवशोषित कर बनाये रखता है।

(ग) और (घ) जी हां,। जल को अवशोषित करने और यथा आवश्यकतानुसार उसे निर्मुक्त करने की अपनी क्षमता के कारण ही इसकी कृषि, उद्यान कृषि, शुष्क भूमि कृषि तथा बीज लेपन वानिकी, मृदा योग्य प्रतिरोपण, सामाजिक वानिकी पौध परिवहन, कृषि-रसायन सूत्रणों आदि हेतु अनुप्रयोग के लिए विस्मयकारी संभावना है। ड्रप्स (ड्रिप) सिंचाई जैसी जल संरक्षण की अन्य तकनीकों के संयोग से भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है।

(ङ) इस प्रौद्योगिकी के फील्ड परीक्षण चल रहे हैं। यदि सफलता मिली तो इसे सभी वर्गों के किसानों द्वारा उपयोग में लाया जा सकेगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विमान यातायात नियंत्रण व्यवस्था

5991. **श्री कमल नाथ :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बम्बई और दिल्ली में विमान यातायात नियन्त्रण व्यवस्था के आधुनिकीकरण की एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की क्या विशेष बातें हैं और इस पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की विशेष बातें इस प्रकार हैं :—

(1) टर्मिनल अति उच्चावृत्ति सार्वदिशिक परास (टी बी ओ आर) और दूरी मापक उपकरण की स्थापना करना।

(2) नये प्राथमिक और माध्यमिक निगरानी राडार की स्थापना करना।

(3) फ्लाइट और राडार डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली की स्थापना करना।

(4) ध्वनि नियन्त्रण संचार स्वीचिंग प्रणाली की स्थापना करना।

(5) विमान क्षेत्र भूतल खोजी उपस्कर की स्थापना करना।

(6) दिल्ली हवाई अड्डे पर श्रेणी-II और श्रेणी-III उपस्कर अवतरण प्रणाली और श्रेणी-III प्रकार प्रणाली की स्थापना करना।

(7) हवाई अड्डे श्रेणी-II उपस्कर अवतरण प्रणाली की स्थापना करना और समानांतर टैक्सी पथ और उच्च गति के निकास मार्ग का निर्माण करना।

(8) तकनीकी इमारत और नियन्त्रण टायर आदि का निर्माण करना।

परियोजना की कुल लागत 293.77 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ग) सरकार से जैसे ही योजना की स्वीकृति प्राप्त होगी वैसे ही राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण परियोजना को शुरू कर देगा। निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से इसे लगभग 3 वर्षों में पूरा होने की आशा है।

विमान पत्तनों पर रात्री में विमानों को उतारने संबंधी सुविधा

5992. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जहां रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या इनमें से कुछ विमानपत्तनों पर रात्रि में विमानों के उतरने की उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा बनायी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 32 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिन पर रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये हैं :—

1. अहमदाबाद
2. गुवाहाटी
3. नागपुर
4. उदयपुर
5. भोपाल
6. राजकोट
7. मंगलौर
8. बेलगाम
9. रांची
10. हैदराबाद
11. लखनऊ
12. तिरुचिरापल्ली
13. वाराणसी
14. भावनगर
15. पटना
16. मदुरै
17. अगरतल्ला
18. खजुराहो
19. त्रिवेन्द्रम
20. अमृतसर
21. जयपुर
22. बड़ोदरा
23. इन्दौर
24. भुवनेश्वर
25. कोयम्बटूर
26. कालीकोट
27. बंगलौर (हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०)
28. दिल्ली (सफदरजंग हवाई अड्डा)
29. दिल्ली (इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय
30. मद्रास हवाई अड्डा)
31. बम्बई
32. कलकत्ता

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम	किया जाने वाला प्रस्तावित सुधार
1.	गुवाहटी	3 बार बासीस-2 सेंट पहुंच प्रकाश व्यवस्था
2.	भोपाल	पहुँच प्रकाश
3.	बेलगाम	पापी-2 सेट
4.	रांची	पहुंच प्रकाश एप्रन फ्लड प्रकाश
5.	लखनऊ	पापी-1 सेट
6.	अमृतसर	पापी-1 सेट
7.	तिरुचिरापल्ली	पापी-2 सेट मध्यम घनत्व वाली प्रकाश व्यवस्था को उच्च घनत्व वाली प्रकाश व्यवस्था में बदलना, एप्रन फ्लड प्रकाश
8.	भावनगर	पापी-1 सेट एप्रन फ्लड प्रकाश
9.	मदुरै	पापी-2 सेट

10.	अगरतल्ला	पहुंच प्रकाश, एप्रन फ्लड प्रकाश
11.	त्रिवेन्द्रम	पहुंच प्रकाश
12.	बड़ौदरा	पहुंच प्रकाश
13.	तिरूपति	पापी-2 सेट

संकेत चिन्ह वासीस—दृश्य पहुँच ढाल संसूचक प्रणाली
पापी—सूक्ष्म पहुंच पथ संसूचक
एच आई—उच्च घनत्व धावनपथ प्रकाश
एम आई
आर एल—मध्यम घनत्व धावनपथ प्रकाश

राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए सिक्किम का प्रस्ताव

5993. **श्रीमती डी० के० भंडरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य पुलिस संगठन को आधुनिक बनाने के लिए सिक्किम से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) "पुलिस" राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार राज्यों को अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता देती है ताकि वे कानून प्रवर्तन के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा सके। योजना के तहत सिक्किम राज्य के लिए वार्षिक आवंटन 4.20 लाख रुपए है, जो उन्हें उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए दिया जाता है।

प्रादेशिक सेना

5994. **श्री एन० डेनिस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रादेशिक सेना किन-किन स्थानों पर है; और

(ख) इस समय यह किन-किन स्थानों पर तैनात है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) प्रादेशिक सेना की यूनिटों को शांति के समय जिन स्थानों पर तैनात किया जाता है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रादेशिक सेना की पारिस्थितिकी बटालियनों को मसूरी के पहाड़ों, राजस्थान के नहर क्षेत्र और जम्मू शिवालिक पहाड़ियों में तैनात किया जाता है। पैदल सेना की कुछ यूनिटों को चौकसी एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए कुछ गोलाबारूद डिपुओं में भी तैनात किया जाता है। एक यूनिट श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता कर रही है।

विवरण

शांति-समय में प्रादेशिक सेना की यूनिटों की तैनाती

पुणे	कालका	दिल्ली	जयपुर	लुधियाना

बंगलूर	दार्जिलिंग	सागर	कोल्हापुर	कोयम्बतूर
इलाहाबाद	कलकत्ता	जालंधर	फतेहगढ़	बेलगांव
देवलाली	नागपुर	शिलांग	भुवनेश्वर	तिरुचिरापल्ली
कण्णनूर	पठानकोट	देहरादून	बीकानेर	सिकन्दराबाद
श्रीनगर	जमालपुर	झांसी	मुजफ्फरपुर	कोटा
जाद्रा	अजमेर	चण्डीगढ़	गुवाहाटी	अहमदाबाद
पटियाला	काम्पटी	आगरा	बड़ोदा	रोहतक

संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व-मौसम-विज्ञान संगठन द्वारा वर्ष 1990 में आयोजित किया जाने वाला सम्मेलन

5995. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व मौसम-विज्ञान संगठन द्वारा उन आंकड़ों की पुनरीक्षा के लिए, जिनके आधार पर "ग्रीनहाऊस इफैक्ट" की भविष्यवाणियां की जाती हैं, वर्ष 1990 में आयोजित किये जाने वाले विश्व सम्मेलन में सम्मिलित होने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई आरंभिक कार्य शुरू किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) समझा जाता है कि विश्व मौसम-विज्ञान संगठन का अन्य अनेक अभिकरणों के सहयोग से "जलवायु परिवर्तन और आधुनिक विश्व" विषय पर 1990 के मध्य में जेनेवा में एक सम्मेलन आयोजित करने का विचार है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरकार को अभी तक कोई औपचारिक आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। भारत द्वारा इसमें भाग लेने के बारे में निर्णय और उसके संबंध में तैयारी कार्य औपचारिक आमंत्रण प्राप्त होने पर किया जाएगा। तथापि ग्रीन हाऊस इफैक्ट की परिघटना निरंतर प्रेक्षण में रहा है और हमारे संबंधित वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा अध्ययन किया जाता है।

"पी० एस० एल० वी०" और "इन्सैट" अंतरिक्ष यानों को छोड़ने हेतु अदा की जाने वाली ठेका राशि

5996. **डा बी एल शैलेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पी० एस० एल० वी०", 'इन्सैट-II-टी० एस०" और "इन्सैट-I डी०" अंतरिक्ष यानों को चालू वर्ष में छोड़ने हेतु कोई अन्तरिम अथवा अन्तिम कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अन्तरिक्ष यानों को छोड़ने की सुविधा देने हेतु दी जाने वाली ठेका राशि सहित इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन : (क) और (ख) इन्सैट-I डी० उपग्रह के डेल्टा 4925 प्रमोचक राकेट द्वारा केप कैनेवरल, यू० एस० ए० से चालू वर्ष में अर्थात् इस वर्ष मई में छोड़े जाने की संभावना है।

ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) की प्रथम विकासात्मक उड़ान 1990/1991 में होने की आशा है। इसके प्रमोचन की सही अवधि के बारे में अभी बताना असामयिक होगा।

इन्सैट-II अन्तरिक्षयानों की शृंखला में प्रथम अन्तरिक्ष यान इन्सैट-II टी० एस० (ए०) का प्रमोचन एरियाने प्रमोचक राकेट द्वारा कोरू, फ्रेंच गियाना से 1990 की अन्तिम तिमाही के लिए निर्धारित है।

इन्सैट-II टी० एस० (बी०) का प्रमोचन भी एरियाने प्रमोचक राकेट द्वारा इन्सैट-II टी० एस० (ए०) के प्रमोचन के लगभग एक वर्ष बाद के लिए निर्धारित है।

(ग) इन अन्तरिक्ष यानों पर कुल अनुमानित परिव्यय निम्न प्रकार है

	परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1.	पी० एस० एल० वी०	414.96
2.	इन्सैट-I डी० (अन्तरिक्षयान, प्रमोचन सेवाएं, बीमा इत्यादि) *(प्रमोचन सेवाओं के लिए 61.55 करोड़ रुपये की राशि सहित)	192.19*
3.	इन्सैट-II (टी० एस०) ए० तथा बी० (कार्यक्रम अवयवों सहित अन्तरिक्ष यान)	243.10
	प्रमोचन सेवाएं	160.70

गुजरात के समुद्र तट की सुरक्षा

5997. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के समुद्र तट पर कच्छ और अन्य पत्तनों में तस्करों तथा विदेशियों की घुसपैठ में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां तो तट-रक्षकों को आधुनिक उपकरण तथा गश्ती नौकाएं प्रदान करके गुजरात राज्य के समुद्र तट पर तस्करी के साथ-साथ विदेशियों की घुसपैठ को रोकने हेतु सुरक्षा प्रबन्ध कड़े करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) समुद्र तट के साथ लगे कच्छ और गुजरात के कुछ अन्य भागों में तस्करी बढ़ने और घुसपैठ की गतिविधियों की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) तट-रक्षक संगठन को गुजरात सहित देश के समुद्र तटों पर प्रभावी चोकसी बरतने के लिए उत्तरोत्तर मजबूत बनाया जा रहा है। तस्करी/घुसपैठ को रोकने के लिए हाल ही में ओखा में एक तट-रक्षक स्टेशन की स्थापना की गई है।

रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण

5998. **श्री० वी० कृष्ण राव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में कितने रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण किया गया;

(ख) देश में कुल कितने रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों की मांग है;

(ग) क्या सरकार का विचार रंगीन ट्यूबों का निर्माण करने के लिये कुछ और अधिक एककों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) देश में रंगीन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन वर्ष 1987 में 80 हजार तथा वर्ष 1988 में 3.8 लाख हुआ ।

(ख) से (घ) वर्ष 1938 के दौरान रंगीन पिक्चर ट्यूबों की स्थानीय मांग 13 लाख रही और वर्ष 1989 के दौरान यह बढ़कर 17 लाख होने की सम्भावना है । वर्तमान तीन इकाइयों की कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 17.5 लाख है जिसका और आगे विस्तार किया जा सकता है ।

पटना और भागलपुर के बीच वायुदूत सेवा

5999. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और भागलपुर, पटना और पूर्णिया और पटना और रांची के बीच वायुदूत सेवाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) रांची को पहले ही वायुदूत सेवाओं के द्वारा पटना से जोड़ दिया गया है । विमान क्षमता उपलब्ध होने, आधारभूत सुविधाओं के विकास और परिचालनों के आर्थिक रूप से सक्षम होने पर, वायुदूत की भागलपुर और पूर्णिया के लिये भी हवाई सेवा के परिचालन की योजनाएं हैं ।

आवंटित धन का राजस्थान सरकार द्वारा उपयोग

6000. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान की वार्षिक योजना का वर्षवार परिव्यय कितना रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या आवंटित धन का पूर्णतः उपयोग किया गया था;

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए राज्य की वार्षिक योजना का कुल परिव्यय क्या है; और

(घ) क्या वार्षिक योजना में दुर्भिक्ष, बिजली की कमी, पेयजल और बेरोजगारी के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) राजस्थान की 1985-86 से 1988-89 तक की वार्षिक योजनाओं के लिए परिव्यय नीचे दिये गए हैं :–

(करोड़ रु०)

वार्षिक योजनाएं	परिव्यय	राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय
1985-86	430.00	427.64
1986-87	525.00	527.84
1987-88	645.00	644.84
1988-89	710.00	710.00 (प्रत्याशित)

(ग) और (घ) 1989-90 की वार्षिक योजना का आकार 795 करोड़ रु० का है। सिंचाई, विद्युत, पेयजल आपूर्ति तथा रोजगार सृजन के लिए प्रावधान योजना सीमा के अन्दर प्राथमिकता आधार पर निम्न प्रकार से है :–

	(करोड़ रु०)
लघु सिंचाई तथा नियन्त्रण क्षेत्र विकास सहित सिंचाई	159.79
ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों सहित विद्युत	215.10
जल आपूर्ति तथा सफाई	59.80

रोजगार सृजन कार्यक्रम :

	(करोड़ रु०)
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	19.13
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	16.42

दंगों पर नियन्त्रण पाने के लिए आधुनिक हथियारों का निर्माण

6001. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दंगों पर नियन्त्रण के प्रयोजनार्थ आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने और उनके निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) दंगों को नियन्त्रित करने के लिए पुलिस बलों को आवश्यकतानुसार, पर्याप्त शस्त्र उपलब्ध कराये जाते हैं। दंगों को नियन्त्रित करने के लिये पुलिस बलों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले शस्त्रों में सुधार करने के पहलू की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है और इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों में इसे एक अनिवार्य कार्य समझा जाता है।

नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में राज्यों को मार्ग निर्देश

6002. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करने सम्बन्धी मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकारों से इस सम्बन्ध में सहायता देने हेतु अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को लिखा गया था कि वे अपने क्षेत्र में औषध दुरुपयोग की समस्या का शीघ्र मूल्यांकन करें, तथा ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को अभिज्ञात करें जिन्हें "मद्यनिषेध के लिये शिक्षा कार्य, मदिरा का सेवन करने वालों, नशीली दवाओं के व्यक्तियों का सामाजिक अपराध के अन्य पीड़ितों के लिये परामर्शी तथा पुनर्वास कार्य हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत जागरुकता शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू करने और/अथवा परामर्शी, निर्व्यसन केन्द्रों की स्थापना करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। विभिन्न राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर, 20 राज्यों तथा 3 केन्द्रों शासित प्रदेशों में, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से स्थापित करने के लिये, अभी तक, 86 परामर्शी, 24 निर्व्यसन तथा 5 अनुरक्षण केन्द्रों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा तथा प्रचार कार्यक्रमों के लिए 20 संगठनों को सहायता प्रदान की गई है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की वस्तुओं की गुणवत्ता

6003. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की वस्तुओं के निर्यात मूल्य में गिरावट आयी है, और

(ख) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है कि निर्यात को बढ़ावा देने के विचार से हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी न आये ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्यमंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए निर्यात के मूल्य में 1986-87 से 1988-89 तक बढ़ोत्तरी हुई है। केवल वर्ष 1987-88 में इसमें मामूली सी कमी आई थी।

(ख) सामान की गुणता बनाये रखने के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से कठोर उपाय किये जाते हैं। ये उपाय वायु सेना को की गई पूर्तियों और निर्यात किये जा रहे सामान पर भी लागू हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड इनकी समय-समय पर समीक्षा करता रहता है।

अपराध रोकने के लिए जनता का सहयोग

6004. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने जनता का सीधा सहयोग प्राप्त करके अपराधों को रोकने के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अपराध रोकने के लिये दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित उप-योजनाएं आरम्भ की हैं :-

(i) **इनाम जीतो योजना** : किसी विशेष अपराध के बारे में सूचना देने वाला कोई भी व्यक्ति 10,000/ रुपये तक इनाम पा सकता है ।

(ii) **निवारण योजना** : कार मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी कार के सामने और पिछले शीशों और चारों खिड़कियों के शीशों पर कार पंजीकरण नम्बर खुदवा लें । इससे कार का अच्छा बचाव करने और चोरी का पता लगाने, दोनों कार्य हो जाएंगे ।

(iii) **डायल 100 नम्बर विज्ञापन** : अपराध निवारण के मामलों में लोगों को अधिक सक्रिय बनने की दृष्टि से यह अपील करने के लिये विज्ञापन भी जारी किये जा रहे हैं कि वे जब कहीं अपराध होता देखें तो पुलिस नियन्त्रण कक्ष को टेलीफोन नम्बर 100 को डायल करके सूचित करें ।

भारत बंगलादेश सीमा पर बाड़ का लगाया जाना

[हिन्दी]

6005. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** :

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-बंगला देश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिया गया था और यह कार्य कब किया गया था; और

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस कार्य के लिये अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : (क) से (ग) : वर्ष 1986 में असम के अधिक संभावित घुसपैठ वाले-चुनिंदा हिस्सों में कांटेदार बाड़ लगाने का निर्णय लिया गया था कि सड़क निमाण का कार्य पूरा हो जाने के बाद ही बाड़ लगाने का कार्य आरम्भ किया जाएगा जिससे कि गश्त आसानी से लगाई जा सके । तथापि, असम सरकार द्वारा लगातार यह आग्रह किये जाने पर कि जिन क्षेत्रों में सड़क बनाई जा चुकी है उन क्षेत्रों में कम से कम बाड़ लगाने का कार्य शुरु किया जाये, धुवरी जिले में ब्रह्मपुत्र के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर 36 किमी० के क्षेत्र में दिसम्बर, 1888 में बाड़ लगाने का काम शुरू करने के लिये चुना गया और 36 किमी० के इस क्षेत्र में कांटेदार बाड़ लगाने का निर्णय लिया गया । इस पर 2.87 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । इस कार्य के लिये मार्च, 1989 में स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

असम में भारत बंगलादेश सीमा के साथ सड़क का निर्माण

6006. **श्री बलवंत सिंह राम्हूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में भारत-बांगलादेश सीमा के साथ-साथ सड़क का निर्माण किया जारहा है ।

(ख) यदि हां, तो क्या धनराशि की कमी के कारण यह सड़क निर्धारित समय में पूरी नहीं होगी;

(ग) इस सीमा सड़क के निर्माण के लिये सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) इस पर कुल कितना खर्च होने की सम्भावना है; और

(ङ) शेष राशि कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (ङ) फण्ड की कोई कमी नहीं है । धनराशि असम लोक निर्माण विभाग द्वारा बताई गई जरूरतों के अनुसार मंजूर की जाती है और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया खर्च निम्न प्रकार है :—

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक किया गया खर्च
1986-87 और 1987-88	565 लाख	256 लाख
1988-89	1614 लाख	700 लाख

विमान यातायात में वृद्धि की प्रवृत्ति

[अनुवाद]

6007. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जिनसे वर्ष 1989 की पहली तिमाही के दौरान विमान यातायात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है, और

(ख) यह वृद्धि किन-किन कारणों से हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : 1989 की पहली तिमाही में, मुख्य रूप से इंडियन एअरलाइंस और वायुदूत की उड़ानों की संशोधित और अतिरिक्त समयावलियों के परिणाम स्वरूप बंगलूर, बम्बई, चण्डीगढ़, कालीकट, जम्मू, जोधपुर, लेह, मद्रास पुणे, सिलचर और एजरल हवाई अड्डों पर यातायात में बढ़ोत्तरी का रुझान मिला है ।

जेलों में बच्चों का रखा जाना

6008. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में बच्चे बन्द हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न जेलों में राज्यवार कितने बच्चे बंद हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) "जेल" राज्य का विषय होने के कारण विभिन्न जेलों में बंद बच्चों की संख्या के आंकड़े केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा नहीं रखे जाते हैं । तथापि, राज्यवार उपलब्ध सूचना विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

विभिन्न जेलों में बच्चों की संख्या-राज्यवार

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बच्चों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं
3.	असम	उपलब्ध नहीं
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं
5.	गोवा	उपलब्ध नहीं
6.	गुजरात	उपलब्ध नहीं
7.	हरियाणा	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	शून्य
11.	केरल	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य
13.	महाराष्ट्र	शून्य
14.	मणिपुर	एक
15.	मेघालय	उपलब्ध नहीं
16.	मिजोरम	ग्यारह (31-12-1988 की स्थिति)
17.	नागालैंड	छब्बीस (31-12-1988 की स्थिति)
18.	उड़ीसा	शून्य
19.	पंजाब	शून्य
20.	राजस्थान	चौदह (31-12-1988 की स्थिति)
21.	सिक्किम	शून्य
22.	तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं
23.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	चौबीस (सात भारतीय, और सत्तरह विदेशी)
27.	चण्डीगढ़	शून्य
28.	दादरा और नगर हवेली	उपलब्ध नहीं
29.	दमण और दीव	शून्य
30	दिल्ली	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	पांडिचेरी	शून्य

नई दिल्ली से बम्बई बरास्ता खजुराहो, भोपाल, औरंगाबाद हेतु विमान सेवा प्रारम्भ करना

[हिन्दी]

6009. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अपने देश और विदेशी पर्यटकों के यातायात में संख्या वृद्धि को देखते हुए नई दिल्ली से बम्बई बरास्ता खजुराहो, भोपाल-औरंगाबाद हेतु एक नई वापसी विमान सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक प्रारम्भ हो जायगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का इस नए मार्ग का सर्वेक्षण करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय विमान क्षमता की भारी कमी होने की वजह से इण्डियन एयरलाइन्स को प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित हवाई सेवा को शुरू करने की कोई योजना नहीं है । इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा जून, 1988 में किये गये सर्वेक्षण से किसी निश्चित यातायात की मात्रा का पता न चल सका जिससे इस सैक्टर पर बी-737 सेवा का चलाना औचित्यपूर्ण हो सके ।

आन्ध्र प्रदेश में गरीबी निवारण कार्यक्रम

[अनुवाद]

6010, **श्री सी० सम्बु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में विभिन्न गरीबी निवारण कार्यक्रम लागू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए आंध्र प्रदेश को वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी), तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) आंध्र प्रदेश में चल रहे तीन बड़े राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक स्वरोजगार योजना है जो कि केन्द्र तथा राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है, जिसके अन्तर्गत सहायता अनुदान और संस्थानिक ऋण के संयुक्त माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों को आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियां प्रदान की जाती है । ग्रामीण लोगों को सीधे आय प्रदान करने और साथ ही गरीब वर्गों को सीधे तथा सतत् लाभ के लिये उत्पादक

सामुदायिक परिसम्पत्तियां बनाने और ग्रामीण आधार-संरचना को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम दो मजदूरी रोजगार कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किया जाता है जबकि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का वित्त पोषण पूर्ण रूप से केन्द्र द्वारा किया जाता है।

(ग) 1988-89 के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में राज्य के अंश सहित कुल आवंटन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा आंध्र प्रदेश को सप्लाई किया गया खाद्यान्न इस प्रकार हैं :–

(लाख रु०)

कार्यक्रम	लकु आवंटन
आई आर डी पी	4922.08
एन आर ई पी	8586.58
आर एल ई जी पी	6561.90

वर्ष 1989-90 के लिये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को धनराशियों (केन्द्रीय तथा राज्य का अन्श) का आवंटन 5502.906 लाख रु० तय किया गया। तथापि, मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1989-90 आवंटन अलग से तय किये जायेंगे।

महमदिया वक्फ कम्लेक्स के लिए केन्द्रीय सहायता

6011. **श्री सी० सम्बु** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के राज्य वक्फ बोर्ड ने केन्द्रीय वक्फ बोर्ड को कोई प्रस्ताव भेजा है जिसमें आंध्र प्रदेश में कुरनूल स्थित महमदिया वक्फ कम्प्लेक्स के विकास के लिये और अधिक आर्थिक सहायता की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमित उरांव) : (क) केन्द्रीय वक्फ परिषद को आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है जिसमें आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित महमदिया वक्फ काम्प्लेक्स के विकास के लिये वित्तीय सहायता की मांग की गई हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय राज्यों के विकास के बारे में बैठकें

6012. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान योजना राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों के संसद सदस्यों की अनेक बैठकों में इन क्षेत्रों के विकास की अनेक समस्याओं पर विचार किया गया था उनके समाधान के लिए कुछ सुझाव दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों में हुई चर्चाओं का सारांश क्या है और प्रत्येक बैठक में क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये गये थे और किन-किन तारीखों में कौन-कौन से संसद सदस्य इन बैठकों में उपस्थित हुए थे;

(ग) क्या इन सुझावों पर आज की तारीख तक कोई कार्यवाही की गयी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (घ) जी, हां। हिमालय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों की केवल एक बैठक 19-8-1987 को हुई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुभव प्राप्त करते हुए और विषय पर विचार करते हुए हिमालय क्षेत्र की समस्याओं और विकास सम्भावनाओं पर विचार करना था। ताकि हिमालय क्षेत्र के लिए कार्यनीति और कार्यक्रमों में सुधार किया जा सके। बैठक के संक्षिप्त रिकार्ड की प्रति विवरण–1 के रूप में संलग्न हे। बैठक में उपस्थित हुए सांसदों की सूची संक्षिप्त रिकार्ड के अन्त में संलग्न विवरण–2 में दी गई है।

माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये विशिष्ट सुझावों/किए गए निरीक्षणों को संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया सामान्य प्रकार के सुझावों को सातवीं योजना के मध्याविधि मूल्यांकन के दौरान ध्यान में रखा गया, जो कि सदन के पटल पर 22-3-1988 को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

विवरण—1

श्री पी. शिवशंकर, उपाध्यक्ष तथा योजना मन्त्री की अध्यक्षता में 19 अगस्त, 1987 को कमरा नं० 122, योजना भवन, नई दिल्ली में हिमालय प्रदेश के सांसदों की बैठक का संक्षिप्त विवरण।

योजना भवन, नई दिल्ली में तारीख 19 अगस्त, 1787 को हिमालय प्रदेश की समस्याओं और विकास की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श के लिए हिमालय प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता योजना मन्त्री व उपाध्यक्ष श्री पी. शिवशंकर द्वारा की गई। योजना राज्य मन्त्री तथा पर्वतीय क्षेत्र के सदस्य श्री सुखराम व अन्य सदस्यों के अतिरिक्त योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न विवरण–2 में दी गई है।

2. उपाध्यक्ष तथा योजना मन्त्री श्री पी. शिवशंकर के संसद सदस्यों, सदस्यों तथा अन्य लोगों का बैठक में स्वगत किया। अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में अध्यक्ष ने पर्वतीय क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय व्यवस्था के विनाश पर खेद व्यक्त किया और पारिस्थितीकी पुनर्भरण पारिस्थितीकीय-संरक्षण और पारिस्थितीकीय-विकास और पर्वतीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या है। योजना आयोग का कार्यभार संभालने के तुरन्त बाद ही उन्हें इस विषय पर विचार-विनिमय का अवसर

मिला है। इस विषय पर अनुभव और विचारों का संकलन करने से उन्हें खुशी हुई क्योंकि इससे हिमालयी प्रदेश के लिए कार्यनीति और कार्यक्रमों के सुधार में सहायता मिलेगी। इस प्रकार के विचार-विमर्श पश्चिमी घाट और देश के अन्य पर्वतीय प्रदेशों से आने वाले संसद सदस्यों के साथ भी किए जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष अक्षमताओं और विशेष समस्याओं पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकमत हुआ जा सके।

3. अध्यक्ष ने बताया कि किसी एक कारण या दूसरे कारण से प्राकृतिक संसाधनों के अति प्रयोग या दुरुपयोग के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितीकीय समस्या उत्पन्न हुई है। योजनाकारों और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रमों और स्कीमों का कार्यान्वयन करने वालों के सामने बड़ी विकट चुनौती है। पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाए कि मानव के बढ़ते परिवार की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आर्थिक विकास और पारिस्थितिकीय विकास की प्रक्रिया न केवल समक्रमिक होनी चाहिए बल्कि अन्योनाश्रित रूप से सहयोगी भी होनी चाहिए। सामाजिक पुनर्निमाण के घटक के रूप में अकेले विधि ही सब ठीक नहीं कर सकती जब तक कि लोगों में जागरूकता न आए। इसलिए लोगों में सामाजिक चेतना की क्रांति लानी है कि वे प्रकृति की सहायता और आदर करें। सड़क निर्माण, जल विद्यूत, उत्पादन, सिंचाई, औद्योगिक और खनन परियोजनाओं जैसे विकास कार्यों तथा वार्षिक फसल के लिए भूमि की जुताई जैसे कार्यों को पर्वतीय क्षेत्रों और पर्यावरण के समग्र स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए करने की आवश्यकता है। हिमालय विश्व की सर्वाधिक नवीन और नाजुक पर्वतमाला है। इसकी समस्याओं के निदान के लिए संवेदनशील समझ की आवश्यकता है ताकि उचित उपायों से सहायता दी जा सके।

4. योजना राज्य मन्त्री श्री सुखराम ने बताया कि हिमालय पर्वत माला देश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से भिन्न है, इसका अपना विशेष महत्व है जिस पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। हिमालय पर्वत माला का अपना विशिष्ट भौगोलिक अस्तित्व हे, इसकी विशेष समस्याएं हैं जिनके लिए अलग ही हल निकालने की आवश्यकता है। तुलनात्मक रूप से नवीन पर्वत होने के कारण हिमालय पर्वतमाला पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक है और इसमें तेज पारिस्थितिकीय विनाश की सम्भावना अधिक है। इसके अतिरिक्त इसकी भौगोलिक स्थिति ने देश के मैदानों से घनिष्ट सम्पर्क बना रखा है, एक प्रकार से देश का गौरव हिमालय पर्वत माला के साथ जुड़ा हुआ है। आज जो हिमालयी प्रदेश के लिए गलत है कल वही पूरे देश के लिए गलत होगा।

5. योजना राज्य मन्त्री ने बताया कि देश के विकास पर हिमालय पर्वत माला के उचित विकास का बहु आयामी प्रभाव पड़ेगा लेकिन इनकी क्षमता को वास्तविक रूप नहीं दिया गया है। केन्द्रीय सरकार हिमालयी प्रदेश में स्थित राज्यों के विकास को बढ़ाने के लिए समझ-बूझ कर कदम उठा रही है। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों को "विशेष श्रेणी" राज्य घोषित कर दिया है, न केवल उनके योजनाबद्ध विकास के लिए बल्कि उनकी गैर-योजनागत आवश्यकताओं के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा मूल रूप से ध्यान दिया

जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी समय में यह हिमालयी प्रदेश आत्म निर्भर होकर न केवल आत्म सृजित संवृद्धि करेगा बल्कि शेष देश के विकास हेतु अतिरिक्त उत्पादन भी करेगा। उन्होंने हिमालयी प्रदेश के चार क्षेत्रों को विकास हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया (1) वन रोपण और पारिस्थितिकी का संरक्षण, (2) जल-विद्युत उत्पादन (3) बागवानी विकास, और (4) पर्यटन का विकास।

6. योजना राज्य मन्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत वन रखने के हैं लेकिन हिमालयी प्रदेश में कुल क्षेत्र के एक तिहाई भाग से अधिकतर वन ही हैं। मृदा संरक्षण, विशेष रूप से नदियों के प्रवाह क्षेत्र में बढ़ रहा है जो कि न केवल पर्वतों की पारिस्थितिकी को नष्ट कर रहा है बल्कि मैदानी बांधों और सिंचाई प्रणालियों को भी प्रभावित कर रहा है। अनेक राज्यों ने वनों की कार्यप्रणाली का राष्ट्रीयकरण किया है और वे संरक्षण के हित में काननी उपाय सहित विभिन्न अन्य उपाय कर रहे हैं। यह उपाय वनों में रोजगार के अवसर प्रदान करने पर कुठाराघात कर रहा है। अतः पारिस्थितिकीय संतुलन के अनुरूप इन पर्वतों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

7. उन्होंने आगे कहा कि हिमालय क्षेत्रों में लगभग 62,000 मे० वा० की हाइडल संभाव्यता है लेकिन वास्तव में अधिक से अधिक 3,000 मे० वा० की क्षमता का ही उपयोग हो रहा है जबकि लगभग 4400 मे० वा० निष्पादन की विभिन्न स्तरों पर है। अतः इस क्षेत्र में बहुत किया जाना शेष है तथापि हिमालय क्षेत्र के राज्यों में उत्पादित विद्युत की पड़ौसी राज्यों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में खपत की जायगी। यह आवश्यक होगा कि वृहद हाइडिल परियोजनाओं का कार्य या तो केन्द्र द्वारा अथवा केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से हाथ में लिया जाना चाहिए।

8. योजना राज्य मन्त्री ने कहा कि इस क्षेत्र में ढलान वाले क्षेत्र कृषि के लिए सीमांतिक उपयोग मात्र के हैं ये स्दाबहार वनों के लिए उपयुक्त है। बागवानी विकास के संबंध में काफी प्रगति की गयी है। तथापि, अपेक्षित मार्केटिंग और पैकिंग की समस्या पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक मार्केटिंग का संबंध है, उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा हिमालय प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक में दी गई सिफारिशों के आधार पर एक कार्यनीति बागवानी उत्पादन की उचित मार्केटिंग के संबंध में विकसित की जा रही है। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विपणन निगम पहले ही इस क्षेत्र में बागवानी उत्पादों के प्रक्रमण तथा मार्केटिंग की देखभाल करने संबंधी कार्य कर रहा है। बागवानी उत्पादों के लिए पैकिंग आवश्यकताएं इतनी अधिक व्यापक हैं कि जब तक वैकल्पिक पैकिंग सामग्री उपलब्ध न होगी तब तक लकड़ी के पैकिंग के बक्सों के विनिर्माण के लिए खड़े वनों की कटाई अपरिमेय रूप से होती रहेंगी। केन्द्रीय सरकार को इस समस्या का ज्ञान है और हिमालय प्रदेश सरकार ने नालीदार बक्सों के विनिर्माण के लिए 14 करोड़ रु० की मंजूरी दी है। निष्कर्ष तथा अन्य पहाड़ी राज्यों की आवश्यकता के आधार पर ऐसी ही नीति कहीं-कहीं भी अपनाई जा सकती है।

9. उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन एक उद्योग के रूप में रोजगार सृजन के लिए संभाव्यता बढ़ाने और अन्य स्पिन आफ तथा देश के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता करता है। हिमालय के क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी विकास के लिए और अधिक संभाव्यताओं की आवश्यकता है जो अभी तक ढूंढे गए हैं। पर्यटन के अन्तर्गत अभी तक की गई प्रगति विरल

और अक्षपद्ध रूप से हुई है। उन्होंने जोर दिया है कि पर्यटन विभाग की एक मास्टर योजना केन्द्र सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जा सकती है। एक व्यापक प्रोत्साहन तथा आकर्षण पैकेज प्रदान करके ने पहाड़ी क्षेत्र जो औरों की अपेक्षा शीघ्र विकिसित हो सके, में विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण और विकास किया जा सकता है।

10. योजना राज्य मन्त्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम खेती की व्यवहार्यता, जल प्रबन्ध, उचित भूमि उपयोग तथा सड़क एवं पुलों के नेटवर्क से सम्बन्धित समस्या पर अपनी चिन्ता व्यक्त की।

11. डा० जी० जी० स्वैल, संसद सदस्य (मेघालय) ने कहा कि पहाड़ों में मानव सड़क अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। मैदानी क्षेत्र जहां परिवहन के विभिन्न साधन हैं उसके विपरीत पहाड़ी क्षेत्र में सड़क परिवहन ही एक मात्र साधन है। इस प्रणाली के लिए अधिक जोर और आवंटन करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में वनों का विनाश बड़े पैमाने पर हो रहा है और स्थिति भयावह है। उन्होंने सुझाव दिया कि इमारती लकड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। पर्यावरण केन्द्र का विषय होने के कारण केन्द्रीय कानून पास करके उसे क्रियान्वित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर उसके राज्य में वनों का झूम खेती के सम्बन्ध में विनाश किया जा रहा है। इस दिशा में शीघ्र ध्यान देने की आवश्कता है। झूम खेती करने वालों को किसी वैकल्पिक कार्यों में लगातार इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिसमें न केवल उनकी जीविका बरकरार रहेगी वरन् पारिस्थितिकी के बहाल रहने और उसकी सुरक्षा बरकरार रहने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि उनको फूल झाड़ों (ब्रम) की वाणिज्यिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। फूलझाड़ों झाड़ी तेजी से बढ़ते हैं और यह शीघ्र बढ़ने वाला सदाबहार पोधा है। इससे भूमि कटाव रोकने में मदद मिलती है क्योंकि यह भूमि को बांधने में सक्षम है। इसमें निर्यात संभावना भी निहीत है। सब्जियों में आलू तथा छोटे आकार की मिर्चे पर्याप्त मात्रा में पैदा हो सकती हैं। मिर्चों का सौस बनाया जा सकता है और इसके लिये पहले ही व्यापक बाजार है उद्योगों में, ऐसे उद्योगों पर जोर दिया जा सकता है जो प्रदूषण रहित हों और जो भूमि, कृषि तथा लोगों से जुड़े संसाधनों पर आधारित हों। पहाड़ी क्षेत्रों, विशेकर मेघालय में चकुंदर की खेती की सम्भावना है। राज्य में उसपर आधारित एक चीनी-मिल की स्थापना और उसके उत्पादन की सम्भावना का पता लगाया जा सकता है। राज्य में गोदाम सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण बांटीय सीमा तक उनको विकसित करने की आवश्यकता है।

12. प्रो० सैफुद्दीन, संसद सदस्य (जम्मू व कश्मीर) ने जोर दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए आयोजना में गुणात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर को यद्यपि विशेष श्रेणी राज्य समझा जाता है, लेकिन केन्द्रीय सहायता का पैटर्न अभी भी सामान्य श्रेणी राज्यों जैसा है। उन्होंने सुझाव दिया कि जम्मू व कश्मीर के मामलों में केन्द्रीय सहायता के पैटर्न में परिवर्तन कर 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण के स्थान पर 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इसे अन्य विशेष श्रेणी राज्यों के समतुल्य लाया जा सके। यह राज्य औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। सार्वजनिक क्षेत्र निवेश कुल सार्वजनिक क्षेत्र निवेश का मात्र 0.07 प्रतिशत है। अतः वहां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना किये जाने के लिये उनके पास ठोस मामला है, उन्होंने कहा

कि प्रदूषण रहित उद्योग जैसे इलैक्ट्रानिक्स, घड़ी आदि जैसे उद्योगों की स्थापना के लिये जोर दिया जाना चाहिए। वे अपने राज्य में विशेषकर वनस्पति तेल, तथा कागज मिल जैसे उद्योगों के विरुद्ध थे। पर्यटन विकास का हवाला देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि डल झील में व्यापक अतिक्रमण हो रहा है और इसे दूर करने के उद्देश्य से कड़ी कार्रवाही की जानी चाहिये। राज्य में इतनी व्यापक हाइडल सम्भाव्यता उपलब्ध है कि उससे 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है इसके विपरीत, केवल 800 मेगावाट की क्षमता का सृज हो पाया है।

13. श्री पी० के० थूनगन, संसद सदस्य (अरुणांचल प्रदेश) ने डा० स्वैल तथा प्रो० सोज के पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन तथा संचार के नेटवर्क को सुदृढ़ करने की आवश्यकता से सम्बन्धी विचारों का समर्थन किया, उन्होंने कहा कि अरुणांचल प्रदेश, राज्य की पांच मुख्य नदियों की समर्थता को छोड़कर लगभग 20,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन कर सकता है, अभी तक एक प्रतिशत सम्भाव्यता का भी विकास नहीं किया गया है। विद्युत उत्पादन से राज्य में जलाने की लकड़ी के लिए वनों पर भार कम होगा जिसकी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत मांग है। इससे राज्य को राजस्व भी मिलेगा तथा राजस्व जो इस समय पेड़ों को काटने की रायलटी की रूप में इस्तेमाल होता है, उसकी पूर्ति होगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ नियमित रूप से आती है। बाढ़ का 80 प्रतिशत पानी अरुणांचल प्रदेश से आता है, बाड़ को नियन्त्रित किया जाना चाहिए तथा इसके लिये समयबद्ध ढंग से स्थायी उपायों की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र के उपयुक्त बागवानी खेती विकसित की जानी चाहिए। इस कार्य के लिये एक उपयुक्त अध्ययन करना होगा। समय आ गया है जब कि वालनट जैसे बहु-धन्धी पेड़ों को विकसित किया जाये तो फल तथा अच्छी लकड़ी देते हैं। झूम खेती के स्थान पर स्थाई खेती तथा अन्य वैकल्पिक व्यवसाय होने चाहिए। योजना तथा गैर-योजना प्रयासों द्वारा जहां झूम खेती होती है उस को बदलने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

14. श्री जी० एल० डोगरा, संसद सदस्य (जम्मू तथा कश्मीर) ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में काफी धन व्यय किया जा रहा है लेकिन परिणाम संसाधनों के अनुरूप नहीं हैं, उन्होंने इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिये सुदृढ़ीकरण और प्रबोधन पद्धित की आवश्यकता पर बल दिया। जम्मू और हिमाचल प्रदेश में वन नष्ट किये गये हैं, उन्हें फिर से उगाने के प्रयास किये जायें तथा बहु-उद्देशीय पेड़ तथा झाड़ियां लगाई जाएं। योजना आयोग को वृक्षारोपण के लिए विभिन्न योजना के द्वारा धनराशियों का प्रबोधन करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों तथा सड़कों, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

15. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर, संसद सदस्य (हिमाचल प्रदेश) ने कहा कि पहाड़ी विकास मूल रूप से राज्य क्षेत्र की सहायता से हुआ है और केन्द्र की "भूमिका" नगण्य रही है। रेल, उद्योग पर्यटन आदि जैसे विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों ने मैदानी क्षेत्रों में काफी निवेश किया है। उनका पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम योगदान रहा है। उन्होंने प्रश्न किया कि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित पहाड़ी क्षेत्रों के लिये रेलवे लाइने बिछाने में 20 से अधिक वर्ष लग रहे है। महानगरो तथा मैदानों में कैसे बड़ी जल्दी रेलवे लाइन बिछ जाती हैं। उन्होंने आगे बताया कि सातवीं लोक सभा की आंकलन समिति की छठी रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन पर निवेश सबसे कम था जबकि पर्यटन की सम्भाव्यता सबसे अधिक थी। उन्होंने सुझाव दिया कि

योजना आयोग को एक लेख तैयार करना चाहिए जिसमें प्रत्येक केन्द्रीय मन्त्रालय/विभाग द्वारा पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में किया गया निवेश दिखाया जाए इसके बिना कोई सार्थक विचार-विमर्श करना सम्भव नहीं है, उन्होंने कहा कि पहाड़ी विकास सम्बन्धी सलाहकार समिति में पहाड़ी राज्यों /क्षेत्रों के संसद सदस्य होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हिमाचल, प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ों के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद की भांति उत्तर पश्चिमी परिषद बनाई जाए। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए डाक तथा टेलीफोन परिमण्डलों के मानदन्ड निर्धारण में इस प्रकार की छूट दी जाए जिससे कठिन क्षेत्रों को शामिल करने के लिये पर्याप्त कर्मचारी प्रदान किये जा सके। वनों का संरक्षण किया जाये और इस बात का ध्यान रखा जाये कि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित धन अन्यत्र गैर-योजना मदों पर खर्च न हो। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि सड़कों के निर्माण, स्कूल खोलने तथा पहाड़ी लोगों की अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

16. श्री नेगी संसद सदस्य (उत्तर प्रदेश) ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात तथा संचार को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वृक्षारोपण और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों जहां कुल क्षेत्र का केवल 13-14 प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है और शेष वन या बेशी भूमि है, के लिए एक पैकेज कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आवंटित धन मैदानी क्षेत्रों तथा अन्य गैर-योजना कार्य पर व्यय किया जा रहा है। सड़क निर्माण की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन रुकी हुई है जिसे बिना विलम्ब के दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में सड़कें जीवन रेखा के समान हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जलाने की लकड़ी का संरक्षण किया जाना चाहिए और जलाने के लिये गैस, बिजली आदि जैसे विकल्पों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि इस प्रकार की बैठक के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम सूचना दी जाए तथा बैठक उस समय की जाए जब संसद सदस्य अपने संसदीय कार्य-कलापों से मुक्त हों।

अध्यक्ष को धन्यवाद देने के बाद बैठक विसर्जित हुई।

विवरण-2

दिनांक 19.8.87 को योजना भवन, नई दिल्ली में हिमालय क्षेत्र की समस्याओं और विकास सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिये आयोजित बैठक में हिमालय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों की सूची।

योजना आयोग	**संसद सदस्य**
श्री पी० शिवशंकर योजना मन्त्री एवं उपाध्यक्ष	प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर 9, महादेव रोड, नई दिल्ली-110001
श्री सुखराम योजना राज्य मन्त्री	श्री के० डी० सुल्तानपुरी 143, नार्थएवेन्यू, नई दिल्ली-110001
श्री आबिद हुसैन, सदस्य	श्री जी० एल० डोगरा 6, डुप्लेक्स लेन,

डा० राजा जे० चलैय्या, सदस्य,	नई दिल्ली-110001
श्री जे० एस० बैजल सचिव	श्री पी० नाभग्याल 132, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
श्री नितिन देसाई विशेष सचिव	प्रो० सेफउद्दीन सोज सी-1/7, हुमायूं रोड नई दिल्ली
श्री बी० एन० डोंडीयाल सलाहकार (एस० पी०)	श्री जी० जी० स्वैल ए बी-3, पुराना किला रोड
श्री एम० एम० एस० श्रीवास्तव, सलाहकार (एस० पी०)	नई दिल्ली-110001
डा० (श्रीमती) आई० के० बरठाकुर सलाहकार (एस० पी०)	श्रीमती डी० के० भण्डारी, 125, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011
श्री पी० एन० त्रिपाठी सलाहकार (आर० डी०)	श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी 9, इलेक्ट्रिक लेन, नई दिल्ली-110001
श्री महेश प्रसाद सलाहकार (पी० सी०)	श्री पी० के० थुगान ए बी/3, पंडारा रोड
डा० वी० जी० भाटिया, सलाहकार (ई. जी. एण्ड पी.)	नई दिल्ली 110011
डा० (श्रीमती) आर० थामराजाक्षी, सलाहकार (एल ई एम)	
श्री के० एल० थापर सलाहकार (परिवहन)	
डा० एस० एस० ब्रह्मा, सलाहकार (कृषि)	

रक्षा उत्पादन उपक्रमों में क्षमता उपयोग

6013. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1989 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "डिफेंस यूनिटस इन डोलड्रम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उत्पादन में कमी, बाधाएं और क्षमता के कम उपयोग तथा विविधता लाने सम्बन्धी योजनाओं को मंजूरी न देने के बारे में प्रत्येक यूनिट की अलग-अलग, अद्यतन वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रक्षा उत्पादन एकक अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करें और इस सम्बन्ध में किस प्रकार के निर्णय लिये गये हैं/कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 8 फरवरी, 1989 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "डिफेंस यूनिटस इन डोल-ड्रम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रक्षा उपक्रमों के बीच नियमित रूप से आवधिक समीक्षा वार्ता की जाती है कि उसमें सभी सम्बन्धित मामले जैसे उत्पादकता का स्तर, क्षमता की उपयोगिता, कार्य-सूची अवरुद्ध, देशीकरण, संक्रियात्मक समस्याएं, साधनों की उपलब्धता, उत्पादन बढ़ाने की नीति, विविधीकरण, समय और लागत अधिक आना और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है। जहां तक उत्पादन में कमी और अन्य बाधाओं का सम्बन्ध है, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा सामान का आर्डर लेने और उत्पादन शुरू करने में कुल मिलाकर यह कठिनाई अनुभव की जाती है कि भुगतान शेष की स्थिति कठिन होती है और साधनों की कमी रहती है। वर्ष 1988-89 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के 8 उपक्रमों में से 7 उपक्रमों के उपलब्ध मानकर काम के घण्टों के प्रतिशत के रूप में क्षमता का उपयोग 90-100% के बीच रहा है एक उपक्रम के मामले में क्षमता का उपयोग कुछ कम होने का कारण यह है कि कम्पनी ने मिश्रित उत्पादन का काम प्रारम्भ किया है जिसमें उच्च तकनीकी मदों का विकास और थोड़ी मात्रा में उनका उत्पादन शामिल है, अतः क्षमता का कम स्तर पर उपयोग कम हो पाता हैं। विविधीकरण की योजनाओं के बारे में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम सरकार की अनुमति लिए बिना निर्धारित सीमा में निवेश-सम्बन्धी निर्णय ले सकते हैं। जिन मामलों में सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, उनकी रक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की दृष्टि से जांच की जाती हैं जिसमें वर्तमान उत्पादन की किस्म और उपक्रम के मुख्य उद्देश्य तथा कार्य निष्पादन के लिये अपेक्षित वास्तविक व्यय और विदेशी मुद्रा की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि रक्षा उत्पादन इकाइयां अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करें, निवेदन है कि रक्षा आवश्यकताओं के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि इन उपक्रमों में क्षमता का समान रूप से उपयोग हो क्योंकि उन्हें अपने ग्राहकों के पास से हीं सामान के उत्पादन के लिये आवश्यक धन की उपलब्धता देखनी होती है, उत्पादन शुरु करने से पहले की जाने वाली कार्रवाई में काफी समय लग जाता है, देशी स्रोतों तथा विदेशों से उस सामान के कल-पुर्जे समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते आदि। फिर भी, रक्षा सामान का निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जाना, नई-नई शस्त्र-प्रणालियों का विकास किया जाना आदि से इन उपक्रमों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने में मदद मिल सकेगी।

विशेष श्रेणी वाले राज्यों हेतु मानदंडों में ढील देना

6014. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विशेष श्रेणी वाले राज्यों में नये डाक घर व तार घर खोलने, सार्वजनिक टेलीफोन लगाने, टेलीफोन एक्सचेन्जों स्थापित करने, नई रेल लाइनों का

निर्माण करने, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने, प्राथमिक और समुदायिक दोनों तरह के स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, पर्यटन सुविधायें उपलब्ध करने, विमान सेवायें प्रदान करने तथा सम्पर्क सड़कों आदि का निर्माण करने जैसी वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने अथवा ऐसी ही नई सुविधायें देने हेतु मानदण्डों में ढील देकर उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया है;

(घ) यदि हाँ, तो मानदंडों में किस प्रकार की ढील दी गई है जिन्हें सातवीं योजना में वास्तव में कार्यान्वित किया गया है तथा उन मन्त्रालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस अवधि के दौरान इन रियायतों को वास्तव में लागू किया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा संबंधित मन्त्रालय द्वारा वास्तव में दी गई ऐसी रियायत की उपयोगिता क्या है और ऐसे मामलों में क्या कार्यवाई की गई है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) योजना आयोग ने विशेष श्रेणी राज्यों में मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन/नई सुविधायें मुहैया करने के लिए अलग से किसी प्रकार के विशिष्ट मानदण्डों का निर्धारण नहीं किया है।

विशेष श्रेणी राज्यों की अवधारणा मुख्यतः संशोधित गाडगिल फार्मूला के अन्तर्गत राज्यों की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी आवंटन के सन्दर्भ में सुसंगतता प्राप्त है। इन राज्यों की विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में मरुभूमि विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र उप योजना आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के जरिए ध्यान दिया जाता है जिसके कि अन्तर्गत कुछेक अन्य राज्यों के साथ विशेष श्रेणी राज्य भी आते हैं। इसके अतिरिक्त ये राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में भी आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार के क्षेत्रों को विभिन्न प्रदत्त रियायतों का लाभ मिलता है।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का भुगतान

6015. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 1989 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "एक्स सर्विसमैन्स फैमिलीज नग्लेक्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो समाचार-पत्र में दी गई विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार युद्ध में मारे सैनिकों की विधवाओं को पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यकरण में सुधार करने क्या कदम उठाए गए हैं कि युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को और अधिक परेशान न पड़े और क्या रिपोर्ट में दिए गए मामलों की जांच के आदेश दिए जाएंगे और यह जांच कब पूरी होगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पांणिग्रही) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : समाचार में उल्लिखित विधवाओं में से एक विधवा श्रीमती निर्मला देवी हैं जो एक भगोड़े की पत्नी हैं । अतः वे नियमों के अन्तर्गत कोई पेंशन पाने की हकदार नहीं हैं । अन्य विधवा श्रीमती शकुन्तला देवी हैं जो नियमानुसार पेंशन ले रही हैं ।

सिक्किम में हवाई अड्डा

6016. **श्रीमती डी. के. भंडारी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम को वायुदूत सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिये वहां एक हवाई अड्डे का निर्माण करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा अब तक कितनी प्रगति हुई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल : (क) से (ग) गंगतोक में हवाई अड्डे का निर्माण करने की संभाव्यता की जांच की गई है । हवाई अड्डे का निर्माण करने का प्रश्न यातायात की पर्याप्तता, संसाधनों की उपलब्धता और आर्थिक सक्षमता पर निर्भर करता हैं ।

सोवियत संघ के सहयोग से कम्प्यूटर साफ्टवेयर का निर्माण

[हिन्दी]

6017. **डा०चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण सोवियत संघ और भारत के संयुक्त उद्यम के रूप में करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उत्पादन कब से शुरू होने की संभावना है; और

(घ) यदि इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो उक्त निर्णय के कब तक लिये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) : कम्प्यूटरों तथा इलेक्ट्रानिकी पर गठित भारत-सोवियत संघ के कार्यकारी दल की छठी बैठक के नयाचार (प्रोटोकाल) के अनुसार, भारत तथा सोवियत संघ दोनों देशों ने अपनी-अपनी ओर से उपलब्ध सॉफ्टवेयर पैकेजों की सूचियों का आदान-प्रदान किया । अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में दोनों देशों ने अपनी उत्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित करने तथा कुछ पैकेजों को प्रदर्शित करने के लिए अपने-अपने देशों में संगोष्ठियों के आयोजन के लिए सहमति प्रकट की ।

मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश की लंबित परियोजनायें

6018. **श्री हरीश रावत** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कुछ परियोजनायें मंजूरी के लिये योजना आयोग में लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जायेगी ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से दिनांक 6.2.1989 को योजना आयोग में समेकित जल विभाजक प्रबंध, दक्षिण भागीरथी, उत्तरप्रदेश पर 28.71 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की परियोजना प्राप्त हुई थी। इस परियोजना पर योजना आयोग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है तथा इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की प्रत्याशा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन

6019. **श्री हरीश रावत** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व देश के अन्य भागों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध रेल, विमान और सड़क परिवहन सुविधाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन करने का निर्णय लिया है,

(ख) क्या इन क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बढ़ाने और सुधारने के लिए एक विस्तृत प्रारूप तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में रेल और विमान परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने के बारे में विशेष ध्यान दिया जायेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) आयोजना और विकास के उद्देश्य से परिवहन आधार-भूतसंरचना के प्रावधान सहित उनके समग्र एकीकृत विकास के सम्बन्ध में देश के पर्वतीय और अन्य पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और आठवीं योजना में भी इसी नीति का अनुसरण किया जाएगा। परिवहन आधार-भूतसंरचना की योजना बनाते समय अतः मॉडल विकल्पों को विशेष अधिभार दिया जाता है जिसका उद्देश्य यही रहता है कि अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम संसाधन लागत का भार डालकर क्षेत्र की परिवहन आवश्यकता को पूरा किया जाए। इसके लिए परिवहन के विभिन्न साधन के एकीकृत विकास की आवश्यकता होती है जो कि ऐसी प्रणाली का सृजन करते हैं जिसमें परिवहन के साधन एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रत्येक साधन अपने कार्य को इस प्रकार पूरा करता है। जो कि इसकी तुलनात्मक लागत लाभ के आधार पर सर्वोत्तमरूप से उपयुक्त होता है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें ताकि उनके अपने पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन आधार-भूतसंरचना का विकास किया जा सके जबकि इन पर आठवी योजना को तैयार करने के दौरान विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भर्ती शिविर

6920. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना और नौसेना में जवानों की भर्ती के लिये देश के विभिन्न भागों में भर्ती शिविर लगाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे भर्ती शिविर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान समूचे देश में ऐसे कुल कितने शिविर लगाए गए और उनमें से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने शिविर लगाए गए, और

(घ) क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों को इन क्षेत्रों में नियमित रूप से भर्ती शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना में भर्ती शिविर आयोजित करने की कोई प्रणाली नहीं है। भारतीय वायुसेना में वायु सैनिक और नौसेना में नाविकों को अखिल भारतीय आधार पर भर्ती किया जाता है, जिसके लिए समाचार पत्रों/रोजगार समाचारों में व्यापक प्रचार किया जाता है। लेकिन वायुसेना में, यदि कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो उसके लिये शिविर आयोजित किया जाता है।

(ख) 1984 में नैनीताल में वायुसेना ने एक शिविर लगाया था।

(ग) वायुसेना द्वारा आयोजित शिविरों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(1) मंडी (अम्बाला)	— मई, 86
(2) गंगटोक	— मार्च, 86
(3) गोत्रा, दमन और दीव	— जून, 87
(4) पोर्ट ब्लेयर	— फरवरी, 87
(5) लक्षद्वीप	— नवम्बर, 87
(6) लक्षद्वीप	— मार्च, 88
(7) पोर्ट ब्लेयर और कारनिकोबार	— फरवरी, 87
(8) -वही-	— मई, 88
(9) श्रीनगर	— अक्तूबर, 88

(घ) जी, नहीं।

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रानिक उद्योग

[अनुवाद]

6021. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किए गए लाइसेन्सों का ब्योरा क्या है;

(ख) जिन उद्योगों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अहमद नगर जिले में भी ऐसा कोई उद्योग स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में इलेक्ट्रौनिक उद्योगों की स्थापना के लिए 79 आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस तथा 67 पंजीकरण जारी किए गये हैं, जिनमें से 5 इकाइयों ने अपने उत्पादन के संबंध में सूचना दी है।

(ग) और (घ) अहमदनगर जिले में बहुस्तरीय (मल्टीलेयर) प्लास्टिक फिल्मों और श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए 2 सचिवालय औद्योगिक अनुमोदन पंजीकरण जारी किये गये हैं।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किराये में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव

6022. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री हुसेन दलवाई : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने कुछ ही सप्ताह पूर्व कम दूरी के मार्गों पर किराये में वृद्धि किये जाने के पश्चात् अब अपने मूल किराये में 20 से 30% तक की भारी वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का अध्ययन किया है कि गत बजट में 10% यात्रा कर लगाने की घोषणा के बाद इस प्रस्तावित किराया वृद्धि का विमान यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) इण्डियन एअरलाइन्स ने परिचालनों की लागत में वृद्धि को प्रति संतुलित करने की दृष्टि से विभिन्न दूरी के स्लैबों पर, अपने अन्तर्देशीय सेक्टरों पर मूलने रु. किराये में 15 से 30% तक की वृद्धि करने का एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस समय इंडियन एअरलाइन्स के अन्तर्देशीय किराए विश्व में सबसे कम किरायों में से है।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा एक गांव को विकास हेतु अपनाया जाना

6023. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बंगलौर ने डोडा बोमासन्द्रा गांव को उसका सुधार करने हेतु अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस गांव को कब अपनाया गया था और इसके सुधार पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) अब तक कितने कुंए बोरिंग करके खोदे गये हैं और गलियों में कितनी बत्तियां लगाई गईं, और

(घ) उपर्युक्त गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने डोडा बोमासन्द्रा गांव को 1986 में विकास हेतु अपनाया। कम्पनी ने इस गांव के सुधार पर 3.92 लाख रुपये की राशि खर्च की।

(ग) दो कुएं खोदे गये हैं और गलियों में 22 बत्तियां लगाई गई हैं।

(घ) दो कुओं और एक पाइप लाइन के जरिए पानी सप्लाई किया जाता है। इनसे इक्कीस सार्वजनिक नलों में पानी पहुंचता है, जिन क्षेत्रों में कुओं से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है वहां गाड़ियों में पानी के ड्रम भरकर पानी सप्लाई किया जाता है।

धर्मशाला के लिये वायुदूत सेवा

6024. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में धर्मशाला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है;

(ख) क्या धर्मशाला के अधिकारी धर्मशाला में हवाई पट्टी के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता तथा अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने पर सहमत हो गये हैं;

(ग) क्या हवाई पट्टी के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) क्या प्रकार का धर्मशाला के लिये वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय में इस प्रकार की कोई पेशकश प्राप्त नही हुई है। तथापि, इस समय उसके निकट स्थित मंगलूर हवाई अड्डा धर्मस्थल के लिये हवाई सेवाओं की व्यवस्था कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बेलगाम हवाई अड्डे का बोइंग विमानों के उतरने के लिये विस्तार किया जाना

6025. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगाम हवाई अड्डे की हवाई पट्टी बोइंग-727 विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिये उपयुक्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उक्त हवाई पट्टी का विस्तार करने और उसे मजबूत बनाने के लिए कदम उठाये हैं;

(ग) उक्त हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के विस्तार पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार से यह कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने भी अनुरोध किया है;

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, इस समय नहीं।

(ग) विस्तार आदि की अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये होगी।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली पुलिस द्वारा मामलों का दर्ज किया जाना

6026. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किये गये मामलों के बारे में 13 मार्च, 1989 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2393 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई से नवम्बर, 1985 के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत दक्षिण दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रत्येक मामले में दर्ज की गई एफ०आई०आर० के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा ससुराल वालों से स्त्रीधन के विशेष सामान को वापस करने की मांग की तारीख, सुसराल वालों द्वारा मना किये जाने की तारीख, और अपराध करने की तारीख का पुलिस स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उन एफ० आई० आर० को रद्द करने और/अथवा मामलों को न्यायालय से वापस लेने का विचार है जिनमें कभी भी कोई मांग नहीं की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुलिस द्वारा ससुराल वालों से सामान जब्त करने के ऐसे मामले हैं जिनमें सामान जब्त करने की मांग नहीं की गई थी और शिकायत/एफ०आई०आर० में जिन व्यक्तियों के नाम शामिल हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर कानूनी ढंग से कार्य करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 1.5.85 से 30.11.85 तल दक्षिण दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा भा०द०स० की धारा 406 के अधीन निम्नलिखित 5 मामले दर्ज किए हैं :

प्र०सू०रि०सं०	दिनांक	पुलिस थाना
458	1.6.85	हौज खास
784	16.9.85	हौज खास
982	23.8.85	कालकाजी
409	25.7.85	लाजपत नगर
733	25.11.85	डिफेंस कालोनी

इनमें से अधिकांश मामलों को न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया है। तथापि मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में शिकायत कर्ता, दहेज की मांग अथवा ससुरालवालों द्वारा मना करने के बारे में सही तारीख ज्ञात नहीं की जा सकती है।

(ख) जब तक कोई मांग नहीं की जाती है या मना नहीं किया जाता तब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है।

(ग) प्राय: शिकायतों अथवा प्रथम सूचना रिपोर्टों में सभी सामान उल्लिखित नहीं किये जाते हैं परन्तु उसके बाद के विवरणों में उनकी सूची दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक अस्पतालों में "ओपनहार्ट सर्जरी

6027. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सैनिक अस्पतालों में "ओपन हार्ट सर्जरी" के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं,

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं किन-किन अस्पतालों में उपलब्ध हैं,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने आपरेशन किये गए और कितने व्यक्तियों को बचाया गया,

(घ) क्या सेना के शल्य चिकित्सकों को अनुभव और बेहतर तकनीक हासिल करने के लिए बारी-बारी विदेश भेजा जाता है, और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में कितने शल्य चिकित्सक भेजे गए ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जी, हां। सैन्य अस्पताल (कार्डीओथोरासिक सेंटर), पुणे में "ओपन हार्ट सर्जरी" करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कुल आपरेशनों की संख्या और उनमें से सफल आपरेशनों का प्रतिशत नीचे दिया गया है :–

वर्ष	संख्या	आपरेशन के बाद मृत्यु	आपरेशन के बाद जीवित रहने वालों का प्रतिशत
1986	102	22	78%
1987	135	27	80%
1988	114	37	68%

(घ) और (ङ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्डीओथोरासिक के तीन सर्जन अलग-अलग अनुभव प्राप्त करने के लिए अध्ययनार्थ छुट्टी पर विदेश गये। दो सर्जन आस्ट्रेलिया गए। और तीसरा सर्जन ब्रिटेन गया।

रक्षा सेवाओं में नेत्र शल्य-चिकित्सक

6028. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं में चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों के शल्य चिकित्सकों को अन्य देशों में विकसित नवीनतम तकनीकों के बारे में पूरी जानकारी रखने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किए जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नेत्र शल्य चिकित्सकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा गया था और उन्हें किन-किन देशों में भेजा गया था, और

(घ) क्या शल्य चिकित्सक को विदेश में भारत में/विशिष्ट संस्थानों के साथ अल्पविधि के लिए सम्बद्ध किए जाने का विचार है जिससे उसकी जानकारी को अद्यतन बनाए रखा जा सके ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं में शल्य-चिकित्सकों को अन्य देशों में विकसित नवीनतम तकनीकों के बारे में इन माध्यमों से पूरी जानकारी रखने का अवसर प्रदान किया जाता है पत्र-पत्रिकाएं, चिकित्सा-व्याख्यान, व्यावसायिक सम्मेलन/संगोष्ठी और विशेषज्ञ संस्थानों में अल्प-अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति तथा विदेशों में प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति/फैलोशिप। इसके

अलावा अपने विषयों में उच्चतर विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए उन्हें सेनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर भारत/विदेश में अध्ययन हेतु अवकाश प्रदान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी सत्र शल्य-चिकित्सक को विदेश नहीं भेजा गया है, परन्तु पांच नेत्र चिकित्सकों को भारत में विभिन्न संस्थानों में आधुनिक तकनीकों में उच्चतर विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अध्ययन-अवकाश दिया गया है।

नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

6029. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री नई दिल्ली नगर पालिका के प्रशासक कार्यालय पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे के बारे में 24 फरवरी, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त अवधि में अथवा उसके आसपास केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका के किन्ही अन्य अधिकारियों के कार्यालयों और आवासों पर छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कोई फाइल, अन्य दस्तावेज, नकदी, आभूषण अथवा अन्य वस्तुयें जब्त की गई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए होस्टल

6030. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अब तक कितने होस्टलों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1988,89 में इस राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कुछ होस्टलों का निर्माण शुरू किया था.

(ग) यदि हां, तो इन होस्टलों का निर्माण कार्य पूरा करने में क्या प्रगति हुई है;

(घ) उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिए होस्टलों के निर्माण के संबंध में वर्ष 1988-89 में प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) उड़ीसा में 1988-89 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए किसी होस्टल का निर्माण नहीं किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के परामर्श से अभी भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) उड़ीसा राज्य सरकार ने 1988-89 के दौरान राज्य के 12 जिलों में 520 छात्रों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के 15 होस्टलों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका चूंकि इस योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

6031. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन विभिन्न समुदायों और कबीलों की संख्या कितनी है जिन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियां माना गया है;

(ख) सरकार ने सातवीं योजना के दौरान उनके उत्थान के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) उनके उत्थान के लिए कौन-कौन विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जा रही है; और

(घ) सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पूरी सूची विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चुनाव कानून प्रक्रिया (9 वां संस्करण) में दी गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार की विशेष संगठक योजना तथा आदिवासी उपयोजना के अतिरिक्त राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कल्याण मंत्रालय की अनेक केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिककोत्तर छात्रवृत्तियां।
2. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां (केवल कक्षा 6 से 10 तक)
3. मैडिकल इंजिनियरिंग कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक।
4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल भवन।
5. कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति)।

6. स्वयंसेवी संगठनों को सहायता (अनु० जाति एवं अनु० जनजाति)।

7. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की क्रियान्विति के लिए मशीनरी।

8. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति।

9. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (अनु० जाति एवं अनु० जनजाति)।

10. अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए शेयर पूंजी।

11. विशेष संघटक योजनाओं और आदिवासी उपयोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

(घ) सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान (फरवरी, 1989 तक) उड़ीसा राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए लगभग 9.75 लाख अनु० जाति तथा अनु० जनजाति के परिवारों को सहायता प्रदान की गई।

रंगीन टी० वी० पिक्चर ट्यूब का निर्माण करने के लिए भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विस्तार

6032. **श्रीमन जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने रंगीन टी. वी. पिक्चर ट्यूबों की कीमतें बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रंगीन टी. वी. पिक्चर ट्यूबों की मांग में वृद्धि को देखते हुए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की क्षमता में विस्तार करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में पिछले तीन वर्षों में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए विस्तार का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में आगामी वर्षों के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा कौन-कौन-सी योजना तैयार की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही): (क) और (ग) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन नहीं करता।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

6033. **श्री राधाकान्त डिंगाल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों के वेतन और अन्य भत्तों में कोई वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो वेतन और भत्तों में की गई यह वृद्धि कब से लागू होगी; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स अधिकारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने के कारण कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वेतन संशोधन के लिए इंडियन एयरलाइन्स प्रबन्धक वर्ग और इंडियन एयरलाइन्स अधिकारी संघ के बीच 17 मार्च, 1989 को एक समझौता हुआ है।

समझौते के अनुसार, इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों के संशोधित वेतनमान 1-10-1985 से प्रभावी होंगे और उन पर मिलने वाले भत्ते भिन्न-भिन्न तारीखों से प्रभावी होंगे। सरकार का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन के कारण वित्तीय प्रभाव प्रति माह लगभग 8.50 लाख रुपये होने की आशा है।

राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता

6034. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) यद्यपि, "पुलिस" राज्य का विषय है, फिर भी, भारत सरकार राज्यों को अपने पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है ताकि वे कानून प्रवर्तन के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा सके। राज्यों को वाहनों, बेतार उपकरणों, कम्प्यूटरों, जांच-पड़ताल के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद के लिए अनावृत्ति स्वरूप के व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाती है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के सिविल सेवा अधिकारियों का संवर्ग

6035. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय के सिविल सेवा अधिकारियों का संवर्ग केन्द्रीय कर्मचारी योजना का ही एक भाग है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उस सेवा के कितने अधिकारियों को केन्द्रीय कर्मचारी योजना में लिया गया है;

(ग) केन्द्रीय कर्मचारी योजना के अन्तर्गत अन्य संवर्गों के कितने अधिकारियों को उपर्युक्त सेवा के लिए निर्धारित पदों पर नियुक्त किया गया है; और

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय के सिविल सेवा के अधिकारियों को अन्य विभागों से वर्ग "क" के पदों पर नियुक्त करने लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-चीन वार्ता

6036. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने सम्बन्धी विषयों पर बातचीत करने हेतु हाल ही में नई दिल्लीं में एक बैठक हुई है,

(ग) यदि हां, तो पिछली बैठक में क्या निर्णय किये गये थे; और

(घ) इन निर्णयों को लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां । भारत सरकार और चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच विज्ञान और प्रोद्योगिकी के सहयोग के एक करार पर 22 दिसम्बर, 1988 को प्रधान मन्त्री के चीन के दौरे के दौरान बीजिंग में हस्ताक्षर किये गये ।

(ख) से (घ) इस करार के अनुपालनार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर भारत-चीन उप-समिति की पहली बैठक 30-31 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श गया गया ।

द्विपक्षीय सहयोग के लिये पारस्परिक रुचि के अनेक क्षेत्र अभिनिर्धारित किये गये, जिनमें कृषि, जैव-प्रौद्योगिकी, औषध, लेसर, इलैक्ट्रानिकी, अपशिष्ट जल उपचार, कम लागत सफाई, रेडियो खगोल विज्ञान आदि शामिल हैं । यह (क) सहयोग की सम्भावना का पता लगाने के लिये और पारस्परिक हित के विषयों को अभिनिर्धारित करने के लिये कार्यरत वैज्ञानिकों के अध्ययन दोरों, (ख) इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिये संयुक्त कार्यशालाओं के आयोजन और (ग) आगे कार्यान्वयन के लिये संयुक्त प्रस्तावों को बनाने के जरिये पूरा किया जायगा ।

विमान कम्पनियों के बीच समन्वय

6037. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमान कम्पनियों विशेषकर इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया के बीच समन्यवय का अभाव है;

(ख) क्या विमान यात्रा करने वाले लोगों को बेहतर सेवायें उपलब्ध कराने के विचार से इन दो विमान कम्पनियों के बीच बेहतर और घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) दोनों एयरलाइनों के बीच समन्वय है और इसमें और सुधार करने के लिये लगातार प्रयास किये गये हैं और किये जाते रहेंगे । इसके अलावा, दोनों एयरलाइनों के बोर्डों में अधिकांश साझे सदस्य हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सामन्जस्य हित के मामलों में समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ।

रोजगार के मामले में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जाना

6038 **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार देने के मामले में विकलांग व्यक्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति जारी रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों को क्या आदेश दिये गये हैं;

(ग) उड़ीसा में रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इसके लिये उड़ीसा में कोई विशेष रोजगार कार्यालय खोला गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुमित्रा उदय) : (क) से (ङ) सरकार, समूह "ग" तथा "घ" पदों की रिक्तियों में नेत्रहीनों, बधिरों तथा अस्थि विकलांगों प्रत्येक के लिये 1% विकलांगों के लिए 3% पद आरक्षित करके उनके रोजगार में सहायता प्रदान करती है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश दिये गये हैं ।

भारत सरकार ने समय-समय पर, राज्य सरकारों को अनुरोध करते हुए यह लिखा है कि उन पर लागू होने वाले आरक्षण आदेशों का क्रियान्वयन किया जाये । राज्य सरकारों द्वारा राज्य सरकार के विभागों तथा उनके नियन्त्रणाधीन उपक्रमों में समूह ग तथा घ के 2 से 4 प्रतिशत पद आरक्षित करने के आदेश जारी किये गये हैं ।

उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर में विकलांगों के लिये एक विशेष रोजगार केन्द्र तथा कटक में विकलांगों के लिये एक विशेष रोजगार सैल केवल विकलांगों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, भुवनेश्वर में विकलांगों के लिये कार्य कर रहा एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र भी विकलांगों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता करता है ।

भुवनेश्वर में जिला पुनर्वास केन्द्र द्वारा अपने परियोजना क्षेत्र में विकलांगों को बैंक ऋण प्राप्त करवाने सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवायें शुरू की गई हैं।

अन्डमान प्रशासन द्वारा निम्न श्रेणी लिपिकों की सेवाओं को समाप्त किया जाना

6039. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान प्रशासन ने अस्थायी सेवा के नियम 5 के अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद वर्ष 1988 में नियुक्त किये गये निम्न श्रेणी के सभी लिपिको की सेवाओं को समाप्त कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दो वर्षों के लिये प्रशिक्षण अवधि पर नियुक्त किये गये सरकारी कर्मचारियों को इनकी नियुक्ति के छः महीने के भीतर नियम 5 के अन्तर्गत सेवा से निकाला जा सकता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) जी हां, श्रीमान।

सिक्किम अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त जांच चौकियां

6040. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर जांच चोकियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु सिक्किम सरकार से कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) सिक्किम सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर विभिन्न जांच चौकियों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार द्वारा जांच चौकियों के रख-रखाव के लिए किये गये व्यय की वर्ष-प्रतिवर्ष आधार पर प्रतिपूर्ति की जा रही है। मार्च, 1989 में राज्य सरकार को अदायगी के लिये 69.80 लाख रुपये की राशि मन्जूर की गई थी।

सिक्किम में विकलांग बच्चों से सम्बन्धित आंकडे

6041. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न आयु वर्ग में विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े रखती है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च 1989 की स्थिति अनुसार, सिक्किम में विभिन्न आयु में ऐसे बच्चों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बच्चों के पुनर्वास हेतु कुछ योजनाएं आरम्भ की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिक्किम में अब तक कितने विकलांग बच्चों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमित उरांव) : (क) और (ख) : 1981 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 12 मिलियन व्यक्ति एक या अन्य विकलांगता से पीड़ित थे, जो देश में कुल संख्या का 1.8% हैं। इस नमूने सर्वेक्षण में सिक्किम शामिल नहीं था। 31.3. 1989 की स्थिति के अनुसार सिक्किम में विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिर भी, अपने समन्वय और गतिमान भूमिका में, केन्द्र, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु बनाए गए कार्यक्रमों में राज्य सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता करता रहा है। मन्त्रालय की निम्नलिखित योजनाओं के लिए, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है :—

1. **विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति योजना :**

विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें ऐसी शिक्षा, शैक्षिक, तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण या दूकान, औद्योगिक प्रतिष्ठान के फ्लोर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता करना है ताकि वे अपनी आजीविका कमा सके और समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें।

विकलांगों की शिक्षा और प्रशिक्षण उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकलांग व्यक्तियों को नौवीं कक्षा से आगे शिक्षा और व्यावसायिक/तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण जारी करने के लिए मन्त्रालग छात्रवृत्तियां देता है।

1983-84 और 1984-85 के दौरान विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए सिक्किम को क्रमश: 2,000/- रु० और 2,100/- रु० की राशि दी गई।

1983-84 और 1984-85 के लिये बताई गई लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या प्रत्येक वर्ष 4 थी। इसके बाद योजना के अन्तर्गत सिक्किम सरकार ने अनुदान के लिए अनुरोध नहीं किया है।

2. "सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए" विकलांगों को सहायता की योजना :

इस योजना के अन्तर्गत, विकलांग व्यक्तियों को विशेष सहायक यन्त्र प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों/स्वतः निकायों को अनुदान दिये जाते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत 25/-रु० से 3,600/- रु० मूल्य के बीच के सहायक यन्त्र और उपकरण 1,200/- रु० मासिक से कम आय वाले विकलांगों को मुफ्त और 1,201/- रु० से 2,500/- रु० मासिक आय वालों को 50% मूल्य पर दिये जाते हैं।

1981-82 के दौरान सिक्किम महिला परिषद को 15,000/- रु० की राशि दी गई, उसके पश्चात् इस योजना के अन्तर्गत, सिक्किम में किसी भी स्वयंसेवी संगठन/कार्यान्वयन एजेंसी ने अनुदान के लिये अनुरोध नहीं किया है।

3. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता :

देश में विकलांग व्यक्तियों को सहायता करने में स्वयंसेवी संगठनों की प्रमुख भूमिका रही है। विकलांगों के लिए काफी संख्या में, विशेष स्कूल, अंग लगाने के केन्द्र तथा शेल्टर्ड कार्यशालाएं, स्वयंसेवी क्षेत्र में हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका का विकलांगों ने स्वागत किया है।

मन्त्रालय विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में लगे स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का कार्यान्वयन करता है। इस योजना के अन्तर्गत की सीमा आवर्ती और अनावर्ती अनुमानित व्यय के 90 प्रतिशत तक और भवन निर्माण के लिए 5.00 लाख रुपये अनुदान तक की राशि सीमित है।

इस योजना के अन्तर्गत सिक्किम को कोई अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि इसके लिए किसी स्वयंसेवी संगठन ने अनुरोध ही नही किया।

4. पेट्रोल सहायता योजना :

इस योजना के अन्तर्गत, जिन व्यक्तियों के पास अपने वाहन हैं, उनके द्वारा खरीदे गए पेट्रोल/डीजल पर व्यय की 50% राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है, यदि उनकी आय 2,500/- रु० प्रति मास से अधिक नहीं है। रियायत दो हार्स पावर वाहन के लिए 15 लीटर प्रति मास और 2 हार्स पावर से अधिक वाहनों के लिए 25 लीटर प्रति मास की लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर भी, यह रियायत उन विकलांग व्यक्तियों के लिए नहीं है जो स्वयंसेवी संगठनों या राज्य स्रोतों से वाहन भत्ता प्राप्त करते हैं। इस योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया है और योजना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 100% व्यय प्रदान करते हुए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यावित की जाती है।

सिक्किम सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि नहीं मांगी है।

सिक्किम में विदेशी पर्यटकों को प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए अनुमति देना

6042. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सिक्किम के राजस्व का मुख्य स्रोत विदेशी पर्यटक है;

(ख) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग क्षेत्र में अब शान्ति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सिक्किम में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी पर्यटकों को प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए अनुमति देकर मौजूदा प्रक्रिया में ढील देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा सस्ते रंगीन टी० वी० सेटों का निर्माण

6043. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ने सस्ते रंगीन टेलीविजन बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये टेलीविजन सेट कब तक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जायेंगे;

(घ) क्या इस सेट का कोई अनुमानित मूल्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा बृहत्तर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड टेक्नालॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड स्वयं इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है । ई. टी. एण्ड टी. अपने सामग्री, प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम. टी. बी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के कई लघु उद्योग क्षेत्र के विनिर्माताओं को सामग्रियों की आपूर्ति करता है तथा उन्हें प्रौद्योगिकी प्रदान करता है तथा ब्रांड नाम की सहायता उपलब्ध कराता है । इस प्रकार वह इन लघु उद्योग क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा 36 सेमी. आकार के श्याम तथा श्वेत और 51 सेमी. आकार के रंगीन दूरदर्शन सेटों के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करता है । ई. टी. एण्ड टी. इस समय रंगीन दूरदर्शन के एक ऐसे डिजाइन को तैयार करने का कार्य कर रहा है, जिसमें लगने वाले संघटक-पुर्जों की लागत काफी कम होगी तथा जिसमें 110 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट के बीच होने वाले बिजली के उतार-चढ़ाव को सहन करने के लिए एक उन्नत पावर सप्लाई यूनिट लगाया जाएगा, जो कि अर्धशहरी तथा ग्रामीण इलाकों के लिए आवश्यक है ।

(ग) सामग्री, प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम कार्यक्रम के अन्तर्गत ई. टी. एण्ड टी. की, इस वर्ष 51 सेमी. आकार के रंगीन दूरदर्शन के एक नए डिजायन को तैयार करने की योजना है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

यात्रा पथ प्रदर्शक (ट्रैवल गाइड)

6044. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने कोई यात्रा पथप्रदर्शक (ट्रैविल गाइड) प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो इस पुस्तिका की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस पुस्तिका को देश में सभी स्थानों पर इसके उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इसके लिए विक्रय-केन्द्र खोले गये हैं;

(ङ) क्या इस पुस्तिका से देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सकेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड

6045. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगठित भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्य चालन पूंजी कितनी है तथा इसने कब से कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना 100 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 50 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी से की गई है । इस संस्था ने 1-2-1989 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

(ग) भारतीय पर्यटन वित्त निगम रुपयों में ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, आदि के रूप में पर्यटन परियोजनाओं और पर्यटन सम्बन्धी कार्यकलापों, सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए समन्वय रखेगा तथा दिशा-निर्देश तैयार करेगा । भारतीय पर्यटन वित्त निगम इसके साथ-साथ सरकार की समग्र नीतियों के दायरे में रहते हुए पर्यटन तथा पर्यटन सम्बन्धी कार्यकलापों के बारे में विकासशील और संवर्धनकारी कार्य भी करता है ।

महाराष्ट्र में वायुदूत सेवा

6046. **श्री प्रकाश बी० पाटिल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान महाराष्ट्र के और अधिक शहरों को वायुदूत सेवा से जोड़ा जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के और अधिक शहरों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए सातवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन लक्ष्यों को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) से (घ) इस समय वायुदूत महाराष्ट्र राज्य में बम्बई, औरंगाबाद, पुणे, नान्देड़, रत्नागिरी, शोलापुर, अकोला और नागपुर के लिये सेवाओं का परिचालन कर रहा है । विमान क्षमता के उपलब्ध होने, आधार-भूत सुविधाओं के विकास और परिचालनों के आर्थिक रूप से सक्षम होने पर वायुदूत की चालू योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में चन्द्रपुर, जलगांव और कोल्हापुर को विमान सेवा से जोड़ने की योजना है ।

उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी उद्योग

6047. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **प्रधान मंत्री** उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिकी उद्योग के बारे में 27 मार्च, 1989 के तारांकित प्रश्न सं० 350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन का अनुमानित मूल्य कारखाना बाह्य मूल्य जिसमें कर शामिल नहीं होता अथवा जिसमें केन्द्रीय कर शामिल होते हैं; पर आधारित होता है अथवा खुदरा मूल्य जिसमें बिक्रीकर शामिल होता है, पर आधारित होता है;

(ख) उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिकी वस्तुओं के उत्पादन के लिए आयातित उपकरणों का वर्ष-वार अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) निर्यात संसाधन क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का वर्ष-वार कुल मूल्य कितना है; और

(घ) उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिकी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) उत्पादन का मूल्य कारखानागत मूल्यों पर आधारित है जिसमें कोई कर शामिल नहीं है;

(ख) अधिकांश उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के संघटक-पुर्जों के आयात को आयात नीति द्वारा विनियमित किया जाता है । चूंकि विदेशी व्यापार के आंकड़ों केवल मोटी-मोटी

सामग्री समूहों के लिए रखे जाते हैं । अतः उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी के संघटक-पुर्जों के आयात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नही है ।

(ग) निर्यात संसाधन क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य नीचे दिए अनुसार रहा :-

	करोड़ रु०
1986	5.13
1987	8.18
1988	27.67

(घ) इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के निर्यात के लिये निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जिसमें उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक वस्तुएं भी शामिल हैं:-

30% की दर से प्रतिपूर्ति लाइसेंस :

समस्त उद्योग प्रति अदायगी शुल्क की दरें;

पूर्ण संयोजित/अर्धसंयोजित वस्तुओं के निर्यात के मामले में उद्योग की शुल्क की प्रति अदायगी की दरों की अनुमति दी गई है ।

परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये इलेक्ट्रानिकी विभाग के मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं और इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई है ।

टी. वी. सेटों की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिये भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वावधान में इलेक्ट्रानिकी विभाग के मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रमाणन योजना शुरू की गई है ।

एक कालीन निर्यात आर्डर निष्पादित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को नए सिरे से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है ।

एक इलेक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया है ,

नई दिल्ली में सितम्बर, 1988 में अन्तरराष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय इलैक्ट्रानिकी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक वस्तुएं शामिल हैं ।

नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ितों की सहायता

6048. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा 27 मई, 1987 को अखिल भारतीय सिख काफ्रेंस के एक शिष्ट मण्डल को नवम्बर, 1984 दंगों में सम्पत्ति की हानि, के मुआवजे की अदायगी, अपर्याप्त आय वाले बुजुर्ग दंगा पीड़ितों को पेंशन की अदायगी और दंगा के दौरान हुई विधवाओं को रोजगार देने के बारे में दिए गए आश्वासन पूरे कर दिए गए हैं;

(ख) क्या तिलक बिहार कैंप में रह रहे परिवारों को प्लाट और निर्माण ऋण दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो कितने परिवारों को प्लाट और ऋण दिये गये; और

(घ) सभी पात्र पीड़ितों के संबंध में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) : दिल्ली प्रशासन द्वारा नवम्बर, 1984 के दंगों में प्रभावित उन विधवाओं और वृद्धों को, जिनके कमाने के धन्धे नष्ट हो गए हैं अथवा कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है, 400 रुपये प्रति माह की दर से तदर्थ राहत दी जा रही है। इस समय 345 विधवा/वृद्ध इस प्रकार की राहत प्राप्त कर रहे हैं। नवम्बर, 1984 के दंगों में प्रभावित विधवाओं/बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन ने अब तक दिल्ली में भिन्न-भिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी संगठनों को 681 विधवाओं अथवा उनके बच्चों के नाम प्रेषित किये हैं। उनमें से 500 ने कार्यभार संभाल लिया है। आवासीय इकाइयों में हुई क्षति के लिये 3539 व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है। तथापि, तिलकबिहार शिविर में रह रहे परिवारों को भूखण्ड और निर्माण के लिये ऋण के प्रावधान की कोई योजना नहीं है।

हरिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन

6049. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याणमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान हरिजन जाति के बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा धर्म परिवर्तन किये जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; यदि हां, तो उनकी राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरक परिस्थितियों के बारे में जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और धर्म परिवर्तन का कारण बल प्रयोग, धोखाधड़ी अथवा अनुचित दबाव डालना था ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में पर्यटन स्थलों का विकास

6050. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए गए पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने विकास के लिये कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नई पर्यटन परियोजना के अनुसार विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने तमिलनाडु में निम्नलिखित पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिये वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है :-

कन्याकुमारी, थिरूकलाकुन्दरम, थिरुवानी, रामेश्वरम्, चिदम्बरम, उधागामंडलम, पुलीकट झील, कांचीपुरम, कोटालम, पिछावरम, मामल्लापुरम, मधुमेलाई, त्रिचि, होगेनाक्कल, नागापट्टिनम, पोलाची, कोडाई रोड, मेल मारुवथूर, कुड्डालोर, पुम्पुआर, पुडुकोटाई, होसूर, टूटीकोरिन, उथिरा कोसा मंगाई, बुलिआर, येरकॉड, पापनाशम, श्रीरंगम, वंदियूर टैंक ।

(ख) से (घ) जी, हां । केन्द्रीय वित्तीय ससायता हेतु तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाएं भेजी हैं :-

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
1.	होगेनाक्कल में अल्पाहार-गृह तथा सुन्दर बनाना	15.00
2.	एम० जी० आर० थिन्थु में पर्यटक सुविधायें	25.00
3.	ट्रंक्यूबार में पर्यटक सुविधाएं	30.00
4.	परियाकूडाल पर्यटक गांव	20.00
5.	वंडियूर पर्यटक गांव	32.00
6.	कन्नागी कोट्टम पर्यटक गांव	171.00
7.	रामेश्वरम का एकीकृत विकास	40.00
8.	कन्याकुमारी में डोरमीटरी आवास	16.00
9.	उधु में मार्गस्थ सुविधाएं	14.00
10.	थिरुवैयारु में पर्यटक सुविधायें	28.00
11.	वन्य-जीव अभ्यारण्यों के लिये मिनी बसें	8.16
12.	मद्रास में यात्री विकास	40.00
13.	होवर क्राफ्ट्स की खरीद	22.60

नागर विमानन के क्षेत्र में चेकोस्लोवाकिया के साथ सहयोग

6051. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागर विमानन क्षेत्र में चेकोस्लोवाकिया के साथ सहयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) वर्तमान विमान सेवा करार के सिवाय, जिसके अन्तर्गत भारत और चेकोस्लावाकिया के बीच पाक्षिक सेवाओं की व्यवस्था है, मैसर्स ओमनोपोल, चेकोस्लावाकिया विदेश व्यापार निगम ने मैसर्स वायुदूत के साथ विचार-विमर्श किया जिसे टर्बो प्राप विमान की बिक्री के लिये उनकी पेशकश के द्वारा सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। वायुदूत ने चेकोस्लावाकिया कृषि विमान और उपस्कर में भी रुचि दिखाई। मैसर्स ओमनोपोल अपनी पेशकश के सम्बन्ध में और ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये सहमत हुये हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा पत्रिका का प्रकाशन

6052. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डे पर विज्ञापन स्थान रखने और प्राधिकरण द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन करने के बारे में, जिसका प्रकाशन अभी तक नियमित रूप में नहीं हो रहा है, किसी आस्ट्रेलियन फर्म के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षरित ठेके का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) पत्रिका के दो प्रकाशनों को निकालने पर अनुमानितः कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) इसका नियमित प्रकाशन कब से निकलने लगेगा और इसका वार्षिक अनुमानित परिव्यय कितना होगा और प्राधिकरण के कार्य नि-पादन की दृष्टि से इसका क्या उपयोग है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को विज्ञापन सम्बन्धी ठेका दिया है। हवाई अड्डा पत्रिका निकालने के लिये ठेका एक फिनिश फर्म को दिया गया है। अतः इस प्रयोजन के लिये भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किसी भी आस्ट्रेलियाई फर्म के साथ कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस पत्रिका का द्विमासिक अंक पहले ही जारी कर दिया गया है और इसका दूसरा अंक मई, 1989 में निकलना है। अब तक 4.22 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। यह पत्रिका अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के मार्गस्थ प्रस्थान और आगमन क्षेत्रों में यात्रियों का मार्गदर्शन करेगी। इस पूरी योजना की परिकल्पना भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा "न लाभ न-हानि" के आधार पर की गई है।

भगवान दास रोड़, नई दिल्ली स्थित भवन

6053. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान दास रोड़, नई दिल्ली में प्रस्तावित कुछ भवनों के निर्माण सम्बन्धी नक्शों को पुनः मन्जूरी दी गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

(ख) क्या उनके निर्माण-संबन्धी नक्शों को पुनः मन्जूरी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) श्रीमती कुसुम कुमारी और श्री अशोक पाल सिंह के प्लाट नं. 10, ब्लाक नम्बर, 159, मण्डी हाउस, भगवान दास रोड में 45 फुट तक की ऊंचाई तक प्रस्तावित रिहायशी सामूहिक आवास के नक्शों को 4.2.88 को नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा पुनः मन्जूरी दी गई थी। बाद में, नई दिल्ली नगर पालिका जो इसके क्षेत्राधिकार में भवन नक्शों को मन्जूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, ने 80 फुट तक बढ़ाई गई ऊंचाई सहित 3.3.88 को नक्शों को पुनः मन्जूरी दी।

बसन्त विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

6054. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बसन्त विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण के काफी बड़े-भू-क्षेत्र पर बसन्त कांटिनेंटल होटल के मालिकों द्वारा अतिक्रमण तथा अबंध रूप से कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भूमि पर से होटल के अवैध कब्जे को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) होटल के आस-पास के विशाल भू-क्षेत्र पर उद्यान सम्बन्धी विकास के लिये और क्या कदम उठाने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस क्षेत्र के विकासार्थ बाड़ तथा बागवानी का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

"अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह से इमारती लकड़ी की सप्लाई"

6055. **श्री एन० डेनिस** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह से भारतीय मुख्य भूमि को इमारती लकड़ी की सप्लाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों को द्वीप समूह से मुख्य भूमि को इमारती लकड़ी की सप्लाई करने की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड से इमारती लकड़ी मुख्य भूमि पर केवल आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक को सप्लाई करने के लिए लाई जाती है।

(ग) और (घ) किसी गैर-सरकारी पार्टी को द्वीप समूह से मुख्य भूमि में इमारती लकड़ी सप्लाई करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

"खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का निपटान"

6056. **डा० वी० एस० शैलेश** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन के नियंत्रण और खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के निपटाने के संबंध में अन्तिम रूप से की गई संधि का प्रस्तावं तैयार करने की दृष्टि से पिछले महीने के दौरान बेसेल (स्विटजरलैंड) में हुई वार्ता में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इससे वार्ता में परस्पर मात्र संधि के मूल सिद्धान्त क्या हैं; और

(ग) इससे सरकार को खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की समस्या के समाधान के लिए कानूनी कार्यवाही करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) संधि में आयात करने वाले देश की लिखित सहमति के बिना खतरनाक पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाने की व्यवस्था है। निर्यातकर्ता को इस संबंध में सभी संगत ब्यौरे आयातकर्ता को देने होंगे। देशों को दूसरे देशों से होने वाले खतरनाक अपशिष्टों के प्रवेश अथवा निपटान पर रोक लगाने का पूरा अधिकार होगा। संधि का उद्देश्य जहां तक संभव हो खतरनाक अपशिष्टों का निपटान उसी देश में करना भी है जहां वे उत्पन्न हुए हों।

(ग) पूर्व सहमति की अपेक्षा से संबंधित देश को दूसरे देश से खतरनाक अपशिष्ट के आयात पर रोक लगाने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा यदि संधि के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन होता है, तो यह अवैध व्यापार ही जाएगा जो संधि के तहत अपराध है और इस संबंध में उपयुक्त राष्ट्रीय/देशी कानून के तहत दण्डनीय है।

रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये जिले

6057. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री बाल रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के बारे में 22 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु राज्य-वार किन-किन जिलों को चुना गया है;

(ख) वर्ष 1987-88 के अन्त तक चुने गये जिलों में प्रत्येक एन्टिजन के अन्तर्गत राज्य-वार कितना कार्य पूरा किया गया है; और

(ग) इसी अवधि के दौरान अन्य जिलों में प्रत्येक एन्टिजन के संबंध में राज्य-वार कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए जिलों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7843/89]

(ख) रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 85 प्रतिशत शिशुओं (0-1 वर्ष आयु) को तथा शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चुनिंदा जिलों के संबंध में इन लक्ष्यों की राज्य-वार उपलब्धि सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7843/89]

(ग) रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए जिलों के अलावा शेष जिलों के लिए कुछ कम स्तर के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कवर न किए गए जिलों के बारे में अलग से रिपोर्ट संकलित नहीं की जाती लेकिन उन्हें राज्य के समग्र निष्पादन में शामिल किया जाता है। राज्य-वार कार्य निष्पादन दर्शाने वाला एक विवरण (रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए जिलों तथा कवर न किए गए जिलों, दोनों सहित) सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7843/89]

"दक्षिण अण्डमान द्वीप समूह में राष्ट्रीय समुद्री उद्यान"

6058. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अण्डमान द्वीपसमूह में वडोर में राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की स्थापना का उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिनकी आजीविका मछली पकड़ना थी;

(ख) यदि हां, तो इन लोगों को क्या वैकल्पिक रोजगार देने पर विचार किया गया है; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वडोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद मछली पकड़ने के अवसरों में कमी होने के संबंध में मछुआरों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जांच करने से पता चला है कि आवेदकों में से लाइसेंसशुदा केवल 6 मछुआरे ही थे। चूंकि, उद्यान के बाहर मछली पकड़ने की मनाही नहीं है, अतः यह स्पष्ट है कि उद्यान क्षेत्र के भीतर मछली पकड़ने पर लगे प्रतिबन्ध से इन मछुआरों के हितों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय कला केन्द्र से अपने भवनों को आगे किराये पर देकर उनका दुरुपयोग किये जाने के कारण प्रभारों की वसूली

6059. **श्री डी० पी० यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कला केन्द्र द्वारा अपने भवनों को आगे किराये पर देकर उनका दुरुपयोग किए जाने के कारण उससे प्रभारों की वसूली की गयी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि वसूल की गयी है और कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या भारतीय कला केन्द्र को आई० एण्ड डी० ओ० की अनुमति के बिना ही अपने भवनों को हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड को अभी किराये पर दिया हुआ है; और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बम्बई में कपड़ा मजदूरों को रोजगार

6060. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में कपड़ा मिलें बंद हो जाने के कारण कितने कपड़ा मजदूर कोंकण क्षेत्र में चले गए हैं जोकि बम्बई का पुष्ट प्रदेश है; और

(ख) कोंकण क्षेत्र में गए इन कपड़ा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सही जानकारी नहीं है ।

(ख) यह मूल रूप से राज्य सरकार से सम्बन्धित है ।

खारे पानी को पेयजल में बदलना

6061. **श्री चिंतामणि जेना** :
श्री मोहन भाई पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खारे या प्रदूषित पानी को पेयजल में बदलने की किसी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) 10000 लिटर खारे पानी को पेयजल में बदलने पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) बड़े शहरों और तटवर्ती नगरों में पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए इस प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तीन उपयुक्त तकनीकियां हैं अर्थात (I) विपरीत परासरण, (II) इलैक्ट्रो डायलिसिस तथा (III) सौर आसवन है, जिन्हें विकसित किया गया है तथा जिनका सीमित क्षमता सहित ग्रामीण क्षेत्रों में खारे पानी को खार रहित करने के लिए पाइलेट आधार पर क्षेत्र में परीक्षण किया गया है ।

(ख) 1984-85 के दौरान, आठ पाइलेट संयंत्र (विपरीत परासरण तथा इलैक्ट्रो डायलिसिस क्रमश: प्रत्येक के लिए चार) भारत सरकार की सहायता से राजस्थान, तामिलनाडु, गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश के राज्यों में विभिन्न आठ गांवों में लगाए गए थे । संयंत्रों की 30एम^3 प्रति दिन जल उत्पादन की गति क्षमता थी । ये संयंत्र मूलत: केवल खारे जल को शोधित करने के लिए बनाये गये थे । इन संयंत्रों के निष्पादन को राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, (एन. ई. ई. आर. आई.) नागपुर द्वारा मूल्यांकित किया गया था, जिनकी टिप्पणियां नीचे दी गई हैं :—

(I) इलैक्ट्रो डायलिसिस तथा विपरीत परासरण संयंत्रों में जल उत्पादन की देयता क्रमश: 37 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत से 44 प्रतिशत थी;

(II) विपरीत परासरण में उत्पादित जल की गुणवत्ता संगत है, जबकि इलैक्ट्रो डायलिसिस में इतना नहीं है;

(III) उत्पादित जल की कुल द्रवीभूत ठोसों तथा क्लोराइड मात्रा उचित सीमाओं से परे थी परन्तु यह स्वच्छ पानी के लिए आधित्य सीमाओं के भीतर रही । तथापि, अन्य मापों में इन्हें अनुमेय सीमाओं में माना गया । यद्यपि, संयंत्र 30 एम^3/डी. जल उत्पादन के लिए बनाए गए थे, केवल एक विपरीत परासरण संयंत्र ने 100 प्रतिशत क्षमता का उत्पादन किया, जबकि अन्यों ने 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 72 प्रतिशत तक की गति की क्षमता संचालन के दौरान समस्याओं सहित गति दी;

(IV) दबाव पम्पों के रख रखाव ने संचालन के दौरान अनेकों समस्याएं खड़ी कीं;

(V) ऊर्जा लागत, विपरीत परासरण के संचालन की कुल लागत का 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक मुश्किल से थी । जल का एम^3 का उत्पादन 4 से 6 किलोवाट ऊर्जा, अपेक्षित था; तथा ।

(VI) इलैक्ट्रो डायलिसिस संयंत्रों का रख-रखाव और कठिन हो गया । जहां तक सौर आसवन का सम्बन्ध है, अधिक भूतल क्षेत्र की आवश्यकता के कारण तथा कम उत्पादित जल के कारण तकनीकियां सीमित हैं ।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एन. ई. ई. आर. आई.), नागपुर के अनुसार, जल उत्पादनार्थ खारे पानी को विपरीत परासरण द्वारा आसवन की तथा इलैक्ट्रो डायलिसिस तकनीकियों की आवर्ती लागत क्रमश: 9 रुपये से 31 रुपये तथा 8 रुपये से 24 रुपये 1 एम^3 (1000 लीटर के बराबर) आता है । अवमूल्यन तथा पूंजी पर ब्याज को ध्यान में रखते हुए, विपरीत परासरण की लागत 40 रुपये से 131 रुपये इलैक्ट्रो डायलिसिस के मामले में 28 रुपये से 85 रुपये तक आती है ।

(घ) बड़े शहरों तथा सागर तटीय नगरों में पेयजल की अत्यधिक आवश्यकता है, उपर्युक्त उपायों की लागत को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

एक व्यक्ति के लिये एक आवासीय मकान

6062. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 के अनुसार एक व्यक्ति एक आवासीय मकान अपने निजी नाम अथवा अपने आश्रितों के नाम ही ले सकता है;

(ख) क्या सहकारी समिति पंजीयक दिल्ली तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं जिसमें ऐसे मामलों का संदर्भ दिया गया है जहां लोगों ने एक से अधिक आवासीय मकान ले रखे हैं; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित प्राधिकरणों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) किसी व्यक्ति द्वारा अपने पति/पत्नी/आश्रित के नाम में एक से अधिक सम्पत्ति होने की स्थिति में सदस्यता की अयोग्यता के दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 1983 के नियम 25 (1) (1) में एक उप-बंध है।

(ख) जी, हां।

(ग) सहकारी समितियों के पंजीयक दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्पत्ति के स्वामित्व का सत्यापन करता है। यदि यह सदस्य के नाम में सिद्ध हो जाता है तो सहकारी गृह निर्माण समिति के उप नियम संख्या 15 (11) और नियम 25 (1) (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत सहकारी समिति को उनकी सदस्यता समाप्त करने का निदेश दिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सहकारी गृह निर्माण समितियों के माध्यम से रिहायशी लीज़ सम्पत्तियों का आवंटन केवल उन पात्र व्यक्तियों को किया जाता है जिनके पास दिल्ली में अपने अथवा अपने पति/पत्नी अथवा आश्रित बच्चों के नाम कोई रिहायशी सम्पत्ति नहीं है। बाद में यह पाया जाता है कि जिस व्यक्ति को सम्पत्ति आवंटित की गई थी, उसके पास कोई अन्य रिहायशी सम्पत्ति हो तो आवंटित की गई सम्पत्ति के निर्धारण के लिये शाश्वत उप-पट्टा विलेख की शर्तों के तहत कार्रवाई की जाती है।

शिक्षा निदेशालय के अध्यापकों को सरकारी आवासों का आवंटन

6063. **डा० मनोज पांडे** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षण निदेशालय के अधीन कार्यरत स्कूल के कर्मचारी और अध्यापक पहले की तरह ही केन्द्रीय सरकार के केंद्रीय पूल से रिहायशी आवासों के आवंटन के अधिकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय केन्द्रीय पूल से सरकारी आवासों के लिये योग्य कर्मचारियों के आवेदन पत्रों पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में कार्यरत अध्यापक अतीत में भी केन्द्रीय सरकार के सामान्य पूल वास के लिए पात्र नही थे। तथापि, उन कतिपय मामलों में जहां उनके आवेदन पत्र पात्र कार्यालय अर्थात शिक्षा निदेशालय द्वारा अग्रेषित किए गए हैं, उन्हें केन्द्रीय पूल से रिहायशी वास आवंटित किए गए हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में की गई सिफारिशें

6064. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा वर्ष 1983 से पहले मेडिकल कालेजों और संबद्ध अस्पतालों में, अवर स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये अपेक्षित अहाओं के बारे में की गई सिफारिशों की स्वीकृति अब तक नहीं दी है जबकि देश में कुछ राज्यों में विशेषकर चिकित्सा शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो मामला इस समय किस स्थिति में है और इन्हें स्वीकृति देने में और कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों को सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करने के लिये कोई तन्त्र विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) : इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है और एक विधेयक पहले ही संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष है, यह विचार किया गया है कि विभिन्न मामलों के बारे में समेकित विनियम बनाए जाएं और संशोधित अधिनियम के अनुसार उनका अनुमोदन किया जाए।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद यह देखने के लिये कि इस परिषद की सिफारिशों का अनुपालन किया जाता है, मेडिकल कालेजों का समय-समय पर निरीक्षण करती है।

पीतमपुरा में सीवर लाइन बिछाना

6065. **श्री अब्दुल हमीद** :

श्री भद्रेश्वर तांती : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीतमपुरा में पाकेट चार (बाह्य रिंग रोड, मंगोलपुरी के निकट) से अवन्तिका पम्पिंग स्टेशन और दिल्ली नगर निगम के आउटफाल पम्पिंग स्टेशन तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा;

(ख) उक्त निर्माण कार्य ठेकेदारों को किस-किस तारीख को दिया गया था;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में निर्माण कार्य की प्रगति पूर्णतः सन्तोषप्रद है;

(घ) क्या ये निर्माण कार्य निर्धारित समय पर शुरू किए गए थे; और

(ङ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ये कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किए गए हैं।

(ख) पाकिट IV, पीतमपुरा में सीवर लाइनें बिछाने का कार्य 10.12.85 को दिया गया था और मंगोलपुरी के समीप अवन्तिका तक सीवर लाइन का कार्य 21-4-88 को दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

*इनकी भी वही ठेका सम्बन्धी समस्याएं है। रिहायशी क्षेत्रों के समीप गहरी सीवर लाइनें बिछाने में तकनीकी कठिनाइयां भी थी।

सरकारी कालोनियों में गैरेज की व्यवस्था

6066. **श्री गंगाराम** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अनेक सरकारी कालोनियां हैं जहां साइकिलों और स्कूटरों को खड़ा करने के लिये क्वार्टरों के साथ गैरेज नही है;

(ख) क्या इन गैरेजों के अभाव में आवंटियों को, विशेषकर उपरी मंजिल के क्वार्टरों के आवंटियों को, भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या ऐसी कालोनियों में गैरेज के निर्माणों का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इन गैरेजों का निर्माण कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन कालोनियों में फिलहाल प्रत्येक पाकेट अथवा ब्लाक में साइकिल और आटोवाहन स्टैंड निर्मित कराने का है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) आमतौर पर टाइप I से IV के क्वार्टरों में गैराज नहीं बनाए जाते हैं, यद्यपि, जिन कालोनियों में स्थान उपलब्ध होता है वहां स्कूटरों/साइकिलों को पार्क करने की सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। टाइप IV और उससे ऊपर के टाइप के क्वार्टरों में गैराज का प्रावधान कालोनी से कालोनी के आधार पर स्थल तथा निधियों की उपलब्धता पर निश्चित किया जाता है।

विधवाओं के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की विशेष आवास योजना

6067. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विधवाओं के लिए विशेष आवास योजना आरम्भ की गई थी जिसे 1986 के नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में और वर्ष 1987

को बेघर लोगों को घर देने के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने हेतु 1987 तक बढ़ा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो 1985 की मूल योजना में और 1987 तक बढ़ाई गई उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी विधवाओं को पंजीकृत किया गया;

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितनी विधवाओं को आवासीय एकक आवंटित किये गए और आवंटन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(घ) दोनों वर्गों की कितनी पंजीकृत विधवाओं ने ग्रुप आवास समितियां योजना के लिए अपना विकल्प दिया है;

(ङ) शेष विधवाओं को किस तारीख तक मकान आवंटित कर दिये जाएंगे और

(च) अब तक तैयार हो चुके और तैयार हो रहे आवास समूहों का ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक आवास समूह रिहायशी एककों की संख्या क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दलबीर सिंह : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

वसन्त विहार काम्पलैक्स में नागरिक सुविधाएं

6068. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि और विकास कार्यालय तथा सम्पदा निदेशालय को वर्ष 1987 और 1988 के दौरान (1) दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय (2) मिडिल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल (3) केन्द्रीय सरकार स्वस्थ्य योजना औषधालय (4) पूजा स्थल (5) मार्केट/शोपिंग सेन्टर काम्पलैक्स, और (6) सामुदायिक केन्द्र के लिए बसन्त विहार सी. पी. डब्ल्यू डी. काम्पलेक्स में स्थान उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक पर आज तक क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इस क्षेत्र के निवासियों को ये सुविधाएं/मूल सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"ताजमहल के संरक्षण के लिए उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध"

[हिन्दी]

6069. **श्री कैलाश यादव** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से आगरा और इसके आस-पास के क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो कितने क्षेत्र तक ये प्रतिबन्ध लागू होते हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में निर्णय लेते समय हवा के रुख को भी ध्यान में रखा गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए नर्सिंग होम की और सीधे परामर्श की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए संशोधित मानदंड

[अनुवाद]

6070. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सेवारत और सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए नर्सिंग होम की और सीधे परामर्श करने की सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधी मानदण्डों म हाल ही में संशोधन किये हैं;

(ख) ऐसे संशोधित आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 7844/89]

(ग) चौथे वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन-मानों और पेंशन का संशोधन कर दिये जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि उपचर्या गृहों सीधे परामर्श आदि के लिए लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण करने में वेतन स्लैबों में परिवर्तन किया जाए ।

स्वतन्त्रता सेनानी और विकलांग लोगों के लिए स्ववित्त पोषित योजना के फ्लेट

6071. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1987 से जनवरी, 1989 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वर्ग II और III के कुल कितने फ्लैट बिना बारी के आवंटित किए गए हैं;

(ख) आवंटन का आधार क्या था; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान स्वतन्त्रता सैनानियों, विकलांगों और युद्ध में मारे गये जवानों की विधवाओं को इनमें से कितने फ्लैट आवंटित किए गए;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बागान मजदूरों को गृह निर्माण अग्रिम

6072. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, राज सहायता योजना के अन्तर्गत बागान मजदूरों को मकान बनाने के लिए दी गयी वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ऋण राशि की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार की "बागान मजदूरों को सहायता प्राप्त आवास योजना" को वर्ष 1986-87 से समाप्त कर दिया यगा है ।

बीड़ी मजदूरों की मजदूरी

6073. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी उद्योग में, राज्यवार कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में मजदूरों को प्रति हजार बीड़ी कितनी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है; और

(ग) बीड़ी उद्योग द्वारा प्रति वर्ष कितनी मात्रा में पत्तों तथा तम्बाकू का उपयोग किया जाता है तथा बीड़ी का वार्षिक उत्पादन, राज्य वार कितना है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है ।

(ग) तम्बाकू संबंधी एक विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान था कि देश में बीड़ियों का वार्षिक उत्पादन 5,20,0000 लाख से अधिक है जिसमें 1,30,000 टन बीड़ी तम्बाकू तथा लगभग 4 लाख टन बीड़ी पत्तों की खपत है ।

विवरण—1

बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या

राज्य का नाम	बीड़ी कर्मकारों की संख्या (लाखों में)
1. कर्नाटक	3.55
2. केरल	1.11
3. उत्तर प्रदेश	4.50
4. राजस्थान	1.16
5. गुजरात	0.75
6. उड़ीसा	1.60
7. पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय	4.50
8. आन्ध्र प्रदेश	2.00
9. तमिलनाडु	2.25
10. मध्य प्रदेश	5.76
11. महाराष्ट्र	2.05
12. बिहार	3.50
कुल	32.75

विवरण—2

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी

राज्य का नाम	बीड़ी लपेटने के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर	किस तारीख से संशोधन किया गया।
1. आन्ध्र प्रदेश	साधा बीड़ी जोन-I 11.50 रु० जोन-II 10.75 रु० मिडियम साइज बीड़ी जोन-I 11.50 रु० जोन-II 11.00 रु० जाडी बीड़ी जोन-I, 12.00 रु० जोन-II, 11.50 रु०	9.1.89
2. असम	10,00 रु०	28.3.84
3. बिहार	11.00 से 13.00 रु०	29.4.85
4. गुजरात	18.60 रु०	1.4.88
5. कर्नाटक	11.50 से 19.25 रु० प्रतिदिन + प्रतिदिन प्रति प्वाइन्ट 2 पैसे की दर से परिवर्ती मंहगाई भत्ता	25.7.86

6. केरल	24.20 से 25.20 रु० प्रतिदिन 19.20 रु० उजरती दर	10.9.84 (1987)
7. मध्य प्रदेश	10.50 रु०	11.6.87
8. महाराष्ट्र	जोन I, 14.00 रु० जोन-II, 11.00 रु० जोन,-III, 10.80 रु०	8.7.86
9. उड़ीसा	10.00 रु० प्रतिदिन	23.2.87
10. राजस्थान	14.00 रु० प्रतिदिन	1.3.87
11. तमिलनाडु	11.60 रु० प्रतिदिन	1987
12. त्रिपुरा	11.00 रु० प्रतिदिन	1987
13. उत्तर प्रदेश	11.50 रु० प्रतिदिन	14.5.87
14. पश्चिम बंगाल	21.44 रु० प्रतिदिन	सितम्बर, 88

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हैप्पी आवर्स फाउंडेशन के सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के लिए भूमि का हस्तान्तरण

6074. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा प्रायोजित किए जाने के बावजूद हैप्पी आवर्स फाउन्डेशन के सीनियर सेकेन्डरी स्कूल के लिए भूमि के हस्तान्तरण में विलम्ब किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पब्लिक स्कूल काउंसिल तथा अनेक अन्य प्रभावित स्कूलों को अपनी शिकायतों का निवारण कराने के लिए न्यायालय जाने को बाध्य किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

6075. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम और इसकी सहयोगी कम्पनियों के बोर्ड निदेशकों के सदस्यों के नाम तथा प्रत्येक निदेशक का कार्यकाल कितना है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम और इसकी सहयोगी कम्पनियों के काफी निदेशक और अधिकारी, जिन पर भ्रष्टाचार और गलत आचरण के गम्भीर आरोप हैं, अपने पदों पर बने हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सतर्कता कार्यालय केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऐसे कितने मामलों में जांच की जा रही है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) एन टी सी (नियन्त्रक कम्पनी) के बोर्ड में अंशकालिक निदेशकों के अलावा एक अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक और चार कार्यशील निदेशक शामिल होते हैं। एन टी सी के सहायक निगमों के बोर्डों में प्रत्येक में एक अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक और अंशकालिक निदेशकों के अलावा दो कार्यशील निदेशक शामिल होते हैं। कार्यशील निदेशकों का कार्यकाल उनके कार्यग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये होता है। अंशकालिक निदेशकों का कार्यकाल एक वर्ष होता है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) के निदेशकों/अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें समय-समय पर विभिन्न स्थानों से प्राप्त होती हैं। उन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कराना तब तक अनुचित होता है जब तक कि उनके विरुद्ध किसी स्वतन्त्र जांच-दल द्वारा आरोप सिद्ध न कर दिये जाएं। जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्रारम्भिक पूछ-ताछ की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो, विभागीय जांच के जरिये मामले की छानबीन की जाती है अथवा उसे जांच हेतु सी बी आई को सौंपा जाता है। एन टी सी के कार्यशील निदेशकों के विरुद्ध शिकायतों के मामलों में, जहां कहीं आवश्यक हो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह भी ली जाती है।

इस समय, ऐसे लगभग 20 मामलों की सी बी आई द्वारा जांच की जा रही है जिनमें एन टी सी के कुछ अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं।

सफाई परियोजना

[हिन्दी]

6076 डा० ए० के० पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की घोषणा के अनुसार 2 अक्तूबर,1987 को सफाई परियोजना आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई थी और इन योजनाओं के लिये अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इन योजनाओं पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्रालय के पास 2 अक्तूबर, 1987 को स्वच्छता परियोजनाएं शुरू करने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

बाबा पृथ्वी सिंह आजाद की प्रतिमा की स्थापना

[अनुवाद]

6077. श्री विजय कुमार यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद का निधन मार्च 1989 में हुआ था;

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी स्मृति में उनकी प्रतिमा नई दिल्ली में स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

6078. प्रो० के० वी० थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) राज्य-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विवरण					
		आवंटन			राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया व्यय		
		1986-87	87-88	88-89	1986-87 +	87-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2912.92	3342.66	3155.56	3717.66	4642.65	
2.	असम	975.01	1113.38	1217.87	1062.16	1134.24	
3.	बिहार	2727.90	2560.01	2589.70	3412.82	3480.67	
4.	गुजरात	3192 60	2189.57	2257.98	3283.85	3420.34	
5.	हरियाणा	822.02	854.48	893.84	760.51	823.22	
6.	हिमाचल प्रदेश	512.64	462.36	491.51	463.48	429.74	
7.	जम्मू व कश्मीर	293.44	383.50	469.39	232.13	313.47	
8.	कर्नाटक	3368.60	2969.23	3420.32	3423.85	3828.58	
9.	केरल	1943.16	1994.82	2334.80	2635.51	2178.11	
10.	मध्य प्रदेश	2935.69	2750.90	3002.12	3584.74	3174.29	
11.	महाराष्ट्र	3711.27	4212.81	3989.81	4701.75	4986.00	
12.	मणीपुर	154.63	168.74	191.14	148.61	232.33	
13.	मेघालय	109.80	143.86	141.53	114.14	129.56	
14.	नागालैंड	60.57	102.06	104.28	31.80	159.89	
15.	उड़ीसा	1679.56	1684.88	1935.56	1891.97	2079.62	
16.	पंजाब	1047.06	1019.18	1023.39	1160.74	1090.94	
17.	राजस्थान	1053.75	2141.07	2286.57	2141.30	3245.21	
18.	सिक्किम	97.03	93.31	97.04	42.40	52.65	
19.	तमिलनाडु	2827.03	3154.77	3151.13	2396.78	3295.60	

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	त्रिपुरा	133.58	155.40	174.31	118.02	95.43	
21.	उत्तर प्रदेश	4915.20	6385.63	5890.33	8118.93	8869.62	
22.	पश्चिम बंगाल	3417.50	4051.48	3859.51	3047.31	2975.47	
23.	अरुणाचल प्रदेश	11.37	36.74	47.64	12 04	22.40	
24.	गोवा	57.25	69 96	60.89	49.92	61.41	
25.	मिजोरम	49.80	60.89	59.65	50.25	71.10	
26.	पांडिचेरी	37.27	54.08	47.70	47.06	54.28	
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	24.59	23.52	26,38	24.59	29.99	
28.	दादरा व नागर हवेली	10.80	10.84	11.52	8.24	10.92	
29.	दिल्ली	201.65	249.66	281.50	214.77	193.96	
30.	चण्डीगढ़	32.40	40.32	55.35	48.77	52.13	
31.	लक्षद्वीप	3.56	43.94	4.08	3.75	2.06	
32.	दमण व दीव	—	—	1.72	—	—	

व्यय के विवरण उपलब्ध नहीं हैं–क्योंकि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से व्यय के विवरण प्रायः वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के एक महीने के बाद प्राप्त होते हैं।

"आठवीं योजना के दौरान वनरोपण संबंधी लक्ष्य"

6779. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान, राज्यवार, वनरोपण संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1989–90 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को वनरोपण कार्यक्रम के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) आठवीं योजनावधि में वनीकरण के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे ।

"विदेशी पोतों द्वारा विधैले अपशिष्ट पदार्थों का फैंका जाना"

6080. **श्री के. प्रधानी :**
श्री पी. एस. सईद :
श्री दौलत सिंह जी जडेजा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पोत देश के राज्यक्षेत्रीय जलखंड में उड़ीसा तट और अन्य तटों के निकट विधैले अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र में बहा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ऐसे सभी पोतों की निगरानी के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) भारत के उड़ीसा तट और अन्य तटों के निकट विदेशी पोतों द्वारा विधैले अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र में बहाए जाने के बारे में कोई तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस विषय पर छपे एक समाचार के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भू-तल परिवहन और वित्त (राजस्व विभाग) मंत्रालय तथा भारतीय तट रक्षक संगठन को भी विदेशी पोतों को भारतीय बन्दरगाहों में आने और अपशिष्टों को छोड़ने से रोकने के बारे में पहले ही सचेत कर दिया है । भारतीय तटरक्षक संगठन ने बुरी नियत से आने वाले संदिग्ध विदेशी पोतों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं । भारतीय बन्दरगाहों के पत्तन प्राधिकारियों को भी इस प्रकार के पोतों के आवागमन के बारे में चेतावनी दी गई हैं ताकि भारतीय बन्दरगाहों में उनके प्रवेश पर रोक लगाई जा सके ।

मध्य प्रदेश को खाद्य वस्तुओं की खपत

6081. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान मध्य प्रदेश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये विभिन्न खाद्य वस्तुओं की कितनी मांग की थी और वस्तुतः उसे कितनी मात्रा में इन वस्तुओं का आवंटन किया गया;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन वस्तुओं के आवंटन में कोई कटौती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति संबालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) संबंधित विवरण नीचे दी गई है :—

गेहूं तथा चावल

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए गेहूं तथा चावल का केन्द्रीय आवंटन, स्टाक की समग्र उपलब्धता, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तत्संबंधी आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्ध मात्रा तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए मद-दर-मद आधार पर किया जाता है। यह आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है। वर्ष 1988-89 के लिए गेहूं तथा चावल की मांग व आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(लाख मी० टनों में)

	मांग	आवंटन
गेहूं	6.00	3.72
चावल	5.95	2.50

लेवी चीनी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लेवी चीनी का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की किसी मांग अथवा उनसे प्राप्त अनुरोध के आधार पर नहीं बल्कि 1-10-1986 की अनुमानित जनसंख्या के लिये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम चीनी देने के एक प्रतिमान के आधार पर किया जाता है। उक्त राज्य को फरवरी, 1987 से प्रतिमाह 25031 मी० टन लेवी चीनी आवंटित की जा रही है।

अम्पाशित खाद्य तेल

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित नहीं बल्कि खुले बाजार के उपलब्ध देशीय तेलों की मात्रा की अनुपूर्ति करने के लिये दिया जाता है। 1988-89 में रिकार्डतोड़ फसल से बाजार में देशीय तेलों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और इन तेलों के मूल्यों में भी गिरावट आयी है। कई बातों, जैसे खुले बाजार में देशीय तेलों की उप-

लभ्यता तथा उनके मूल्य, सरकार के पास आयातित तेलों के स्टाक, देशीय तेलों के अनुकूलतम उपयोग आदि को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर, 1988 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित तेलों के आवंटन में काफी कमी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

	अवधि	
	मांग	आवंटन
	(नवम्बर 88 से अक्तूबर 89)	(अप्रैल 88 से मार्च 89)
	1,08,000 मी. टन	41,100 मी. टन

कंट्रोल का कपड़ा

1-4-1988 से 31-3-1989 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से 750 लाख वर्ग मी. सूती कन्ट्रोल के कपड़े तथा 23 लाख एल. आर. मीटर पोलीयस्टर-सूती मिश्रित कमीज के कपड़े के लिए डिमाण्ड पैटर्न/मांग प्राप्त हुई थी। जिसके प्रति 31-1-1989 तक 77.705 लाख वर्ग मी. कन्ट्रोल का सूती कपड़ा तथा 7.48 लाख एल. आर. मीटर पोलियस्टर–सूती मिश्रित कमीज का कपड़ा प्रेषित किया जा चुका है।

मिट्टी का तेल

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं का आकलन, विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आवंटन में उपयुक्त वृद्धि करके किया जाता है। इस समय ये आवंटन सर्दी के ब्लाक (नवम्बर से फरवरी) के लिए 7.5% की वृद्धि करके और गर्मी (मार्च से जून) तथा मानसून (जुलाई से अक्तूबर) ब्लाकों के लिए 7% की वृद्धि करके किए जाते हैं। नियमित आवंटन के अलावा, बाढ़, सूखा, तूफान, खाना पकाने की गैस की कमी आदि जैसी विशिष्ट स्थितियों से निपटने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर अतिरिक्त तदर्थ आवंटन करने पर भी विचार किया जाता है तथा मात्रा निर्मुक्त की जाती है। वर्ष 1988-89 में मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल की लाख मी. टन मात्रा आवंटित की गई है।

महाराष्ट्र में चीनी मिलें

6082. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री हुसैन दलवाई : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चीनी के नये कारखानों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा कितने मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) अहमद नगर जिले से 31 मार्च, 1989 तक ऐसे कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) कितने मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई है और कितने लम्बित रखे गए हैं और ऐसा किये जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) इस राज्य में विशेष रूप से अहमदनगर जिले में वर्ष 1989-90 के दौरान चीनी मिलों की स्थापना और पुनर्स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए 45 प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) दो।

(ग) (i) अब तक मंजूर किये गये मामलों की संख्या 15

(ii) 31-3-1989 को स्थिति के अनुसार खाद्य विभाग के पास विचारार्थ लंबित मामलों की संख्या 18

लंबित पड़े हुए 18 मामलों में से 6 मामलों पर जांच समिति द्वारा विचार किया गया और उन पर विभाग की राय को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिए जाने और उसे औद्योगिक विकास विभाग को भेज दिए जाने की संभावना है। शेष 12 मामले अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं और उन पर जांच समिति द्वारा अपनी आगामी बैठक में विचार करने की संभावना है।

(घ) केन्द्रीय सरकार चीनी मिलें स्थापित करने/उन्हें पुनः चालू करने के लिए कोई वित्तीय सहायया प्रदान करती है। तथापि, चीनी मिलें आधुनिकीकरण/पुनर्वासन करने विषयक कार्यक्रमों और गन्ने के विकास आदि के लिए भारत सरकार द्वारा सृजित की गई चीनी विकास निधि से सुगम शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

बोंडा जनजाति के लोगों में मलेरिया फैलना

6083. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 फरवरी, 1989 के "इंडियन ऐक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार उड़ीसा में बोंडा जनजाति के लोगों में मलेरिया रोग फैलने का गम्भीर खतरा है;

(ख) बोंडा जनजाति की वस्तुतः कितनी जनसंख्या है और उनमें से कितने लोगों को मलेरिया हुआ है; और

(ग) क्या इन जनजातियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी और यदि हां, तो सरकार का उक्त क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उड़ीसा राज्य में लागू किया जा रहा है जिसमें वहां के आदिवासी जिले भी शामिल हैं। बोंडा जनजाति की कुल 5750 आबादी में 568 रक्त स्लाइडों की जांच की गई है जिनमें से 24 स्लाइडें पॉजीटिव मलेरिया की पाई गई। सभी पॉजीटिव रोगियों को मूल उपचार प्रदान किया गया। 1988 में मलेरिया से कोई मौत होने की सूचना नहीं मिली।

(ग) निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं –

(क) खैरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी गांवों में बी. एच. सी. छिड़काव का विशेष दौर आरम्भ किया जा चुका है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह के अन्त तक 12 गांवों में यह कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ख) जून, 1988 के दौरान पहले दौर का छिड़काव कार्य और सितम्बर, 1988 में दूसरे दौर का छिड़काव कार्य पूरा किया गया। तीसरा दौर वित्तीय कठिनाइयों के कारण नहीं चलाया जा सका। पिछले वर्ष पहले और दूसरे दौर का छिड़काव कार्य केवल 19 गांवों में किया गया। 13 बोंडा जन-जातीय गांवों में जहां पहुँचा नहीं जा सका और जो कठिन क्षेत्रों में थे यह कार्य नहीं किया जा सका।

(ग) बुखार वाले रोगियों का तत्काल रक्त लेप एकत्र करने का कार्य आरम्भ किया गया।

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कर्मचारियों द्वारा 1989 की रा० म० उ० कार्यक्रम अभिवर्धना भी आरम्भ की गई है।

(ङ) 1988 से आज तक के जैव सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्र करने का कार्य भी आरम्भ किया गया है।

(च) शिक्षकों, सामुदायिक औषधालयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से नए औषध वितरण केन्द्र खोले गए हैं।

(छ) खैरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा औषधों को साथ लेकर इन क्षेत्रों के नियमित रूप से दौरे किए जाते हैं।

(ज) खैरपुर के सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी इन क्षेत्रों में मलेरिया सेवी कार्य की मानीटरिंग और देख-रेख की जाती है।

समयपुर बादली के निर्मित क्षेत्र का अधिग्रहण

6084. श्री पी० एम० सईद : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन विभाग ने समयपुर बादली और उसके आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के बारे में पुनः विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या उस क्षेत्र के लोगों ने निर्मित क्षेत्रों का अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में आन्दोलन करने की धमकी दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) इस प्रयोजनार्थ दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित एक सर्वेक्षण दल द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

(ग) ऐसी कोई धमकी ध्यान में नहीं आई है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करना

6085. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद ने होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने की कोई योजना तैयार की है और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिये इसे कब प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम रूप से इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा प्रस्तुत होम्योपैथी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विनियमों के प्रारूप की विधि एवं न्याय मन्त्रालय तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में विधि एवं न्याय मन्त्रालय के साथ कई बैठकें की जा चुकी हैं।

"दिल्ली में प्रदूषण"

[हिन्दी]

6086. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली अथवा उसके आसपास चालू कई उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार ने इन उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : जी, हां।

(ख) जी, हां। दिल्ली तथा उसके आस-पास स्थित उद्योगों को सम्बन्धित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा क्रमशः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के अंतर्गत निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए अपशिष्ट-जल एवं चिमनी से निकलने वाले धुएं का शोधन करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत भी कार्यवाही की जाती है।

दिल्ली में उन 182 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ मुकद्मे चलाये गये हैं जिन्होंने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया है। केन्द्र शासित प्रदेश, दिल्ली में 12 औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बन्द करने अथवा बहिस्राव शोधन संयन्त्र लगाने के निदेश भी दिये गये।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में शीर्ष पदों पर नियुक्ततियां

[अनुवाद]

6087. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड और इसकी सहयक कम्पनियों में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) एन टी सी लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों में बोर्ड के स्तर पर शीर्षस्थ पदों पर नियुक्ति को अन्तिम रूप दिया जाना एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक रिक्त या रिक्तयों को प्रत्येक सैट के सबन्ध में इन पदों को भरने के लिए निर्णय पद रिक्त होने पर ही लिये जाते हैं।

मयूराक्षी काटन मिल लिमिटेड को सहायता

6088. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से पश्चिम वंगाल राज्य सरकार से पश्चिम बंगाल के वरिभूमि जिले में स्थित मयूराक्षी काटन मिल लिमिटेड को "पुनर्वास पैकेज योजना" के अन्तर्गत सहायता देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार कीं क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) संघ सरकार अलग अलग वस्त्र मिलों को कोई वित्तीय सहायता सीधे प्रदान नहीं करती।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

हैजा के टीके की रोग-प्रतिरोधक क्षमता

6089. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें दशक में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ दस्तावेज प्रकाशित किए थे जिनमें हैजा के टीके की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर संदेह प्रकट किया गया था,

(ख) क्या हैजे का टीका लगाए जाने की अनिवार्यता, जोकि देश में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक अनिवार्य पहलू रहा है, समाप्त की जा रही है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यता में हुई विशेषज्ञों की बैठक के परामर्श से बड़े मेलों तथा त्योहारों में आने वाले तीर्थ यात्रियों को अनिवार्य रूप से टीका लगाना सितम्बर, 1985 से बन्द कर दिया गया है। बाढ़ और सूखे आदि जैसी प्राकृतिक विपदाओं से पहले एक जन स्वास्थ्य उपाय के रूप में सम्भावित हैजे का रुटीन टीका लगाना भी विशेषज्ञों की सलाह से फरवरी, 1988 से बन्द कर दिया गया था। बहरहाल, स्वैच्छिक आधार पर मांग करने पर अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों जैसी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीका लगवाया जा सकता है। उक्त निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि विस्तृत अनुसंधान करने के बाद यह पाया गया कि इस समय जो हैजे का टीका उपलब्ध है उसकी सीमित प्रभावकारिता होने के कारण वह हैजा नियंत्रण नहीं है।

डाक्टरों की मांग के बारे में संध्यावालिया समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

6090. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब प्रशासन को डाक्टरों की मांग के बारे में संध्यावालिया समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन मांगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकार नही किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सरकार से प्राप्त अन्तरिम रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें विस्तृत सिफारिशें दी गई हैं, सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 7845/89]

(ग) पंजाब सरकार ने समिति की सिफारिशों को कुछेक संशोधनों जैसे, वार्षिक स्थिरीकरण वेतन वृद्धियां तथा एक या दो हाउस जांच के लिये अतिरिक्त वेतन वृद्धियां आदि के साथ पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेने की घोषणा 18 मार्च, 1989 के प्रेस नोट के तहत कर दी है जिसकी एक प्रतिलिपि उपाबंध II के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7845/89]

(घ) राज्य सरकार द्वारा जो मांगें स्वीकार नहीं की गई हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) एक सार सिद्धान्त के रूप में केन्द्रीय वेतनमानों के साथ पूरी-पूरी समानता संबंधी सामान्य मांग।

(2) 3000-4500 रु० के वेतनमान से प्रारम्भ करने की पी० सी० एम० एस०-II डाक्टरों की मांग।

(3) 16 वर्ष की सेवा के बाद चयन ग्रेड देने की पी०सी०एम०एस०-II डाक्टरों की मांग।

(4) चयन ग्रेड देने संबंधी पी०सी०एम०एस०-I डाक्टरों की मांग।

(5) उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक के वर्तमान वेतनमानों का संशोधन।

(6) प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की वर्तमान दरों में संशोधन।

(7) अन्य कर्मचारियों को अनुमत्य दरों की अपेक्षा अधिक दरों पर ग्रामीण क्षेत्र भत्ता दिए जाने के लिए डाक्टरों को एक विशेष वर्ग के रूप में माना जाना।

(8) परिवार के अलग रहने का भत्ता तथा बच्चों के अध्ययन का भत्ता देना।

(9) निदेशक स्वास्थ्य और सिविल सर्जनों के निवास पर शिविर कार्यालय खोलने की अनुमति।

(10) स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये वेतन वृद्धि प्रोत्साहन।

राज्य सरकार के अनुसार संघात्मिका समिति ने इन मांगों को नामंजूर करने के कोई कारण नहीं बताए हैं।

जनता कपड़ा

6091. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वितरित किए गए जनता कपड़े का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

(ख) सरकार द्वारा गत वर्षों के दौरान जनता कपड़ा वितरित करने के लिए दी गई राज सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस-किस श्रेणी के कपड़ों को जनता कपड़े में शामिल किया गया है और किस सीमा तक देश के गरीब लोग जनता कपड़ा नहीं प्राप्त कर पाते हैं; और

(घ) क्या इससे हथकरघा उद्योग को लाभ हुआ है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जनता कपड़ा योजना का कार्यान्वयन राज्य हथकरघा शीर्षस्थ बुनकर सहकारी समितियों, क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों तक सीमित है। गत तीन वर्षों के दौरान इन एजेन्सियों द्वारा उत्पादित जनता कपड़े के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(मिलियन वर्ग मी० में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.19	60.92	45.00
2.	कर्नाटक	16.17	27.32	29.91
3.	केरल	0.08	2.50	1.00
4.	पाण्डेचरी	0.03	0.06	0.09
5.	तमिलनाडु	39.23	32.29	35.00
6.	मध्य प्रदेश	18.31	20.00	23.75
7.	उत्तर प्रदेश	105.83	119.05	120.00
8.	बिहार	42.82	50.00	55.00
9.	उड़ीसा	28.85	33.00	33.00
10.	पश्चिम बंगाल	36.84	46.94	48.15
11.	गुजरात	8.00	12.00	12.67
12.	महाराष्ट्र	51.09	53.97	50.97
13.	त्रिपुरा	1.98	3.00	2.93
14.	असम	5.71	18.00	27.00
15.	राजस्थान	2.00	3.00	4.47
16.	हरियाणा	शून्य	शून्य	0.05
17.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	0.01
	योग	398.12	482.10	489.90

टिप्पणी : पंजाब तथा मणिपुर राज्यों ने अब तक किसी भी उत्पादन की सूचना नहीं दी है।

(ख) से (घ) चालू जनता कपड़ा योजना में धोतियों, साड़ियों लुंगियों; शर्टिंग तथा 60 काउंट तक के लट्ठे के उत्पादन का प्रावधान है। राज्य सरकारों से प्राप्त समाचारों के आधार पर उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत इन किस्मों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और समय-समय पर आवश्यक परिवर्तनों की घोषणा की जाती है।

योजना के दो उद्देश्य बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार हथकरघा बुनकरों को सतत रूप से रोजगार उपलब्ध कराना तथा जनता के कमजोर वर्ग को वहन करने योग्य कीमतों पर कपड़ा उपलब्ध कराना है। इस समय करीब 3 लाख करघे जनता के कपड़े के उत्पादन में लगे है। जनता कपड़े के उत्पादन तथा सुपुर्दगी पर इमदाद की दर अलग-अलग चरणों में बढ़ाई गई है। यह वर्ष 1976 में 1 रुपया प्रति वर्गमीटर थी जिसे वर्ष 1984 में बढ़ाकर 2 रुपये प्रति वर्ग मी० तथा 1-3-88 से 2.75 रुपए प्रति वर्ग मी० कर दिया गया है। वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान योजना के अन्तर्गत इमदाद के रूप में रिलीज की गई राशि क्रमशः 96.35 करोड़ रुपए, रु० 91.36 करोड़ रुपये तथा 100.06 करोड़ रुपए रही।

आयोडिन की कमी के कारण बच्चों की मृत्यु

[अनुवाद]

6092. **डा० दत्ता सामन्त :**

श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल मेडिकल जर्नल आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में आयोडिन की कमी के कारण प्रतिवर्ष 90,000 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो आयोडिन की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जनवरी/फरवरी, 1989 के नेशनल जार्नल मेडिकल आफ इंडिया में "आयोडीन डेफिसिएंसी इन इंडिया" शीर्ष के अन्तर्गत छपे लेख के अनुसार आयोडीन की कमी के कारण मृत जन्मे तथा नव-जात शिशुओं की कुल संख्या 90,000 से अधिक है।

(ख) आयोडीन की कमी का मुख्य कारण उन खाद्य पदार्थों का उपभोग करना है जो ऐसी मिट्टी में पैदा होते हैं जिसमें आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की दैनिक आवश्यकता मुख्यतया भोजन और प्राकृतिक पानी से पूरी होती है।

(ग) आयोडीन की कमी के कारण पैदा होने वाले विकारों की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें चरणबद्ध आधार पर 1992 तक देश में खाद्य नमक का व्यापक आयोडीकरण करने की बात कही गई है। 1989-90 के दौरान 30.00 लाख टन खाद्य नमक को आयोडीकृत करने का प्रस्ताव है।

बाल श्रमिक

6093. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) बाल श्रमिकों के लाभ के लिए इस समय निम्नलिखित योजनाएं लागू की जा रही हैं :—

(i) स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने की योजना जिसमें बाल कर्मकारों को लाभ पहुँचाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को परियोजनाओं को चलाने में परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। ये परियोजनाएं सामान्यतया केन्द्रों को स्थापित करने के रूप में हैं जो कि अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण, स्वास्थ्य देख-रेख आदि की व्यवस्था कर रहे हैं।

(ii) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अन्तर्गत परियोजनाओं की एक स्कीम बाल श्रमिक की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शुरू की गई है। इसकी पूर्णवित्तीय व्यवस्था सरकार करती है। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित की परिकल्पना है :—

1. बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम तथा बाल श्रम से संबंधित अन्य विधानों के प्रवर्तन को तेज करना।

2. बाल श्रमिकों के परिवारों को आय/रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाना।

3. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के जरिये अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना तथा बाल कर्मकारों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण, वजीफा तथा स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना।

4. बाल श्रमिकों की समस्याओं के बारे में जन चेतना जागृत करना।

(iii) प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने की योजना को चार राज्यों में प्रायोगिक आधार पर प्रारम्भ किया जाना है। इस योजना पर व्यय को 50:50 आधार पर केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाना है।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अधीन अभी तक नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से तमिलनाडु में एक, राजस्थान में एक, मध्य प्रदेश में एक, आन्ध्र प्रदेश में दो तथा उत्तर प्रदेश में चार परियोजनाएं हैं।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाएं आम तौर पर अपने लक्ष्यों में सफल हुई हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अन्तर्गत परियोजनाओं तथा प्रवर्तन तंत्र को कारगर बनाने की योजना को अभी हाल ही में शुरू किया गया है और इस समय सफलता के स्तर को आंकना उचित नहीं है।

पशुओं पर सौन्दर्य प्रसाधनों का परीक्षण

6094. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं पर सौन्दर्य प्रसाधनों का परीक्षण एक क्रूरतापूर्ण कार्य है जैसा कि दिनांक 23 फरवरी, 1989 के "दी इकॉनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एस में विभिन्न मानकों का उल्लेख है जिनके अनुरूप विभिन्न प्रसाधन सामग्री मदें होंगी। निर्धारित मानकों के अनुसार प्रसाधन सामग्री की तैयारशुदा मदों की जांच करने के लिए पशुओं को नेमी रूप से इस्तेमाल किया जाना जरूरी नहीं है। प्रसाधन सामग्री की नेमी जांच के लिए सामान्य प्रयोगशालीय रासायनिक और भौतिक परीक्षण निर्धारित किए जाते हैं।

तथापि, किसी प्रसाधन सामग्री की मद को पहली बार शुरू करने से पहले अथवा जब प्रसाधन सामग्री के निर्माण के लिए किसी नए रसायन अथवा रसायनों के नए सम्मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है तब प्रयोगशालीय पशुओं (गायना सुअरों अथवा खरगोशों) का इस्तेमाल करके त्वचा जलन और/अथवा रसायन अथवा सम्मिश्रण की एलर्जेनिक क्षमता की जांच करना अपेक्षित होता है। समाचारों में उल्लिखित अन्य पशु जांचों को संशोधित बी० आई० एस० मानक (4011-1982) से हटा दिया गया है।

पैच जांच, फोटो पैच जांच, संवेदनशीलता क्षमता जांच आदि जैसी जांचों के लिए मानव स्वयंसेवकों का इस्तेमाल शामिल है।

दिल्ली जल पूर्ति और मल व्ययन संस्थान/नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा पानी के बिल प्रस्तुत किया जाना

[हिन्दी]

6095. **श्री केशवराव पारधी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जलपूर्ति और मल व्ययन संस्थान तथा नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा पानी के बिल कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराये जाने के कारण बिलों में गलतियां कम हो गई हैं और उनके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो बिल बनाने की प्रणाली में कम्प्यूटरीकरण लागू करने के बाद की वसूली का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हलधर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासंभव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु को चावल, खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई

[अनुवाद]

6096. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान प्रतिमाह तमिलनाडु राज्य ने चावल, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा सप्लाई करने की मांग की और इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में आवंटन किया गया और राज्य द्वारा इन वस्तुओं को कितनी मात्रा में प्राप्त किया गया;

(ख) क्या राज्य को आवंटित कोटे के अनुसार सप्लाई नहीं की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) संबंधित स्थिति नीचे दी गई है :—

चावल

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए चावल का केन्द्रीय आवंटन, स्टॉक की समग्र उपलभ्यता, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तत्सम्बन्धी आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्ध मात्रा तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। यह आवंटन अनुरेक स्वरूप का होता है। अक्तूबर, 88 से मार्च, 89 तक की अवधि में तमिलनाडु की चावल की मांग, उन्हें किए गए आवंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(हजार मी०टन में)

	मांग	आवंटन	उठाई गई मात्रा
अक्तूबर, 88	100.0	65.0	59.9
नवम्बर, 88	100.0	80.0	65.2
दिसम्बर, 88	100.0	80.0	121.2
जनवरी, 89	100.0	105.0	87.7
फरवरी, 89	100.0	40.0	49.7
मार्च, 89	100.0	40.0	उपलब्ध नहीं

अपरिशोधित खाद्य तेल

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का आवंटन, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि खुले बाजार में उपलब्ध देशीय तेलों की मात्रा की अनुपूर्ति करने के लिए किया जाता है। 1988-89 में तिल-

हनों की भरपूर फसल से बाजार में देशीय तेलों की उपलभ्यता में वृद्धि हुई है और इन तेलों के मूल्यों में भी गिरावट आई है। कई बातों, जैसे खुले बाजार में देशीय तेलों की उपलभ्यता तथा उनके मूल्य, सरकार के पास आयातित तेलों के स्टाक, देशीय तेलों के अनुकूलतम उपयोग आदि को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर, 1988 से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तेलों के आवंटन में काफी कमी कर दी गई है। तमिलनाडु की आयातित खाद्य तेलों की मांग, उन्हें किए गए आवंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(मी० टन में)

	मांग	आवंटन	उठाई गई मात्रा
अक्तूबर, 88	13,500	10,000	5,208
नवम्बर, 88	13,500	9,000	3,686.5
दिसम्बर, 88	13,500	6,300	12,914.5
जनवरी, 89	13,500	6,300	4,959.5
फरवरी, 89	13,500	3,600	3,993
मार्च, 89	13,500	3,600	3,394

मिट्टी का तेल

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं का आकलन, विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आवंटन में उपयुक्त वृद्धि करके किया जाता है। इस समय ये आवंटन सर्दी के ब्लाक (नवम्बर से फरवरी) के लिए 7.5% की वृद्धि करके और गर्मी (मार्च से जून) तथा मानसून (जुलाई से अक्तूबर) ब्लाकों के लिए 7% की वृद्धि करके किए जाते हैं। नियमित आवंटन के अलावा, बाढ़, सूखा, तूफान, खाना पकाने की गैस की कमी आदि जैसी विशिष्ट स्थितियों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर अतिरिक्त तदर्थ आवंटन करने पर भी विचार किया जाता है तथा मात्रा निर्मुक्त की जाती है। तमिलनाडु को गत छः महीनों के दौरान किए गए मिट्टी के तेल के आवंटन (तदर्थ आवंटन सहित) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

	तदर्थ आवंटन सहित कुल आवंटन (मी० टन में)	बिक्री
अक्तूबर, 88	50045	50333
नवम्बर, 88	53290	52978
दिसम्बर, 88	53290	52517
जनवरी, 89	53290	53038
फरवरी, 89	53290	53378
मार्च, 89	47690	उपलब्ध नहीं

(ख) और (ग) राज्य को आवंटित कोटा दिया जा रहा है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इन वस्तुओं के आन्तरिक विवरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्य में संलग्न स्वयंसेवी संगठन

6097. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कुष्ठ रोग उन्मूलन के कार्य में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्वयंसेवी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कुष्ठ कार्य में लगे हुए निम्नलिखित स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान रिलीज कर दिया गया हैं :—

(रुपये लाखों में)

	1986-87	1987-88	1988-89
1. कलकत्ता शहरी सेवा, केन्द्र	—	95,300	1,13,929
2. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ मानिकपाड़ा, पश्चिम बंगाल	—	—	14,451
3. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ मिदनापुर	9,434	20,090	—
4. महाकुपा कुष्ठ निवारण संघ, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	2,88,757	—	—
5. बंकुरा कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम	3,90,350	1,22,955	1,54,650
6. बी० ए० एम० इण्डिया कलकत्ता	2,36,400	—	1,69,152
7. गांधी मैमोरियल कुष्ठ फाउन्डेशन, पश्चिम बंगाल	—	89,400	—
8. ग्रामीण सबात्मक, पश्चिम बंगाल	—	—	68,435

पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व

[हिन्दी]

6098. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली की वृहत योजना में ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण तथा प्रतिरक्षण को महत्व दिया गया है। पुरानी दिल्ली को वहां के ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण के कारण नियंत्रित संरक्षण क्षेत्रों के रूप में चुना गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियंत्रित क्षेत्रों के संरक्षण तथा सुधार के लिए विशेष विकास योजनाएं बनानी हैं। इस योजना में आदेश भी दिया गया है कि महत्वपूर्ण स्मारकों तथा वास्तुकीय शैली, रूपरेखा तथा वीथि के स्वरूप को ध्यान पूर्वक सुरक्षित रखते हुए पुराने शहर में भवनों का पुनर्निमाण/नवीकरण किया जाये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरानी दिल्ली में पता लगाये गए स्मारकों, स्थलों तथा पुराने धार्मिक भवनों को बनाए रखा जाना है तथा उनका संरक्षण किया जाना है और उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाने दी जाए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बवीरपुर दिल्ली में प्लाटों का कब्जा

[अनुवाद]

6099 श्री हरकीरत सिंह लवली : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सावन पार्क झुग्गी झोंपड़ी, कालोनी, बवीरपुर, फेज-IV, दिल्ली के निवासियों की 32 वर्ग मीटर के प्लाटों का कब्जा देने के लिए मांग पत्र जारी किए हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास प्रभार सहित निकाली गई प्लाट की कुल लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यहां के लगभग सभी निवासियों ने उक्त राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास निर्धारित समयावधि के भीतर जमा करा दी है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण का इन निवासियों को कब तक प्लाट आवंटित करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्लाट की लागत 15000/- रुपये हैं।

(ग) फरवरी, 1988 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए 650 मांग पत्रों में से, 442 आवंटितियों ने निर्धारित 5 तिमाही किस्तों में प्रीमियम समय पर जमा करा दिए हैं। 108 आवंटितियों ने पहली किस्त तो दे दी भुगतान नहीं किया है। अक्तूबर, 1988 में 274 मांग पत्र जारी किए गए जिनमें से 194 आवंटितियों ने अब तक केवल किस्त का ही भुगतान किया है।

(घ) विकासित प्लाट उपलब्ध हो जाने तथा सभी औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने पर ही विशिष्ट प्लाटों का आवंटन किया जायगा। प्लाटों का विकास कार्य पहले ही चल रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के अन्तर्गत पंजीकृत सी. जी. एच. एस. कार्ड

6100. **श्री बंजावाडा पपी रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधालय-वार कितने सी. जी. एच. एस. कार्ड पंजीकृत है ।

(ख) क्या इनमें से किसी औषधालय में पंजीकृत सी. जी. एच. एस. कार्डों की संख्या, एक औषधालय खोले जाने के लिए आवश्यक कार्डों की संख्या से कम हैं, यदि हां, तो ऐसे औषधालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन औषधालयों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्य औषधालयों से 3 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर स्थित हैं, और

(घ) क्या किसी औषधालय के मामले में निर्धारित नियमों/मानदण्डों में छूट दी गयी थी, यदि हां, तो उन औषधालयों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ख) बिजेंद्र विहार, चाणक्यपुरी, प्रेजीडेंट एस्टेट और टेलीग्राफ लेन में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या निर्धारित सीमा से कम है ।

(ग) सूचना संलग्न विवरण दो में दी गई है ।

(घ) किसी भी क्षेत्र में नया औषधालय खोलने के लिए आमतौर पर निर्धारित मानदंण्ड अपनाये जाते हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कार्डधारकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने के कारण यदा कदा बदलती रहती है ।

विवरण-1

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक औषधालय में पंजीकृत कार्डों की संख्या

क्रम सं०	सी० जी० एच० एस डिस्पेंसरियों का नाम	सी० जी० एच० एस० कार्डों की संख्या 31-3-89
1	2	3
दक्षिण जोन		
1.	एन्ड्रूज गंज	3674
2.	हौज खास	5157
3.	जंगपुरा	2453

1	2	3
4.	कालका जी–I	4258
5.	कालका जी–II	2704
6.	कस्तूरबा नगर–I	3884
7.	कस्तूरबा नगर–II	2832
8.	किदवाई नगर	6384
9.	लाजपत नगर	3145
10.	लक्ष्मीबाई नगर	3561
11.	मालवीय नगर	3107
12.	मोतीबाग	3955
13.	एम० बी० रोड	7410
14.	मुनीरका	2871
15.	नौरोजी नगर	4419
16.	नेताजी नगर	4594
17.	नानकपुरा	4366
18.	आर० के० पुरम्–I	5577
19.	आर० के० पुरम्–II	4689
20.	आर० के० पुरम्–III	5599
21.	आर० के० पुरम्–4	5579
22.	आर० के० पुरम्–5	4095 31-1-89 को
23.	आर० के० पुरम्–6	3489
24.	सरोजिनी नगर–I	2766
25.	सरोजिनी नगर–II	2566
26.	सरोजिनी नगर मार्कीट	3007
27.	श्रीनिवासपुरी	6839
28.	सादिक नगर	4019
29.	पुष्प विहार (दक्षिण पुरी)	6562

1	2	3
उत्तरी जोन		
1.	अशोक बिहार	5076
2.	चांदनी चौक	3166
3.	देव नगर	4856
4.	दरिया गंज	3100
5.	हरि नगर	6429
6.	इन्द्रपुरी	4651
7.	जनकपुरी–I	7727
8.	जनकपुरी–II	5697
9.	किंग्जवे कैम्प	19308
10.	नंगल राय	7119
11.	नरैना बिहार	2871
12.	न्यू राजेन्द्र नगर	3897
13.	पटेल नगर–I	3585
14.	पटेल नगर–II	4578
15.	पुलबंगंज	2819
16.	पूसा रोड	2565
17.	पालम कालौनी	6170
18.	राजौरी गार्डन	4963
19.	शिवाजी नगर	5884
20.	त्रिनगर	2527
21.	तिलक नगर	6446
22.	दिल्ली कैंट	5610
23.	जी० के० जी०	6879
24.	करौल बाग	2424
25.	लक्ष्मी नगर	4135
26.	मयूर बिहार	4246
27.	मोती नगर	3721
28.	पश्चिम बिहार	4213
29.	राजपुर रोड	3886
30.	शाहदरा	10174
31.	शकूरपुर बस्ती	5479
32.	तिमारपुर	5367
33.	विवेक बिहार	1611

1	2	3
	केन्द्रीय जोन	
1.	चाणक्यपुरी	1729
2.	कस्ट्रीट्यूशन हाउस	3175
3.	चित्रगुप्ता रोड	4167
4.	फरीदाबाद	4270
5.	गोल मार्कीट-I	5174
6.	+ गोल मार्कीट-II	3642
7.	गाजियाबाद	4418
8.	गुड़गावां	4233
9.	लोदी रोड	5279
10.	लोदी रोड-II	6661
11.	मिन्टो रोड	5503
12.	नार्थ एवेन्यू	2095
13.	पहाड़गंज	3435
14.	पंडारा रोड	3358
15.	प्रेजीडेंन्ट एस्टेट	1413
16.	साउथ एवेन्यू	2568
17.	टेलीग्राफ लेन	1968
18.	डा० जाकिर हुसैन रोड	2019

विवरण—2

1	औषधालय का नाम	उस औषधालय का नाम जो 3 किलोमीटर के भीतर स्थित है।
1	2	3
1.	आर० के० पुरम-i	आर० के० पुरम-ii आर० के० पुरम-iii आर० के० पुरम-i मुनीरका आर० के० पुरम-4 आ० के० पुरम-5
2.	मोती बाग	नानकपुरा आर० के० पुरम-5 नेताजी नगर

1	2	3
3.	सरोजनी नगर मार्कीट	सरोजनी नगर-i सरोजनी नगर-ii नारौजी नगर लक्ष्मी बाई नगर
4.	किदवाई नगर	लक्ष्मी बाई नगर कस्तूरबा नगर-i नारौजी नगर सरोजनी नगर-i हौज खास
5.	एन्ड्यूज गंज	सादिक नगर कस्तूरबा नगर-ii श्रीनिवास पुरी
6.	कालका जी-i	कालका जी-ii
7.	लाजपत नगर	जंगपुरा
8.	एम० बी० रोड	दक्षिणपुरी

1.	अशोक विहार	त्रिनगर
2.	चांदनी चौक	दरिया गंज
3.	देव नगर	करोल बाग + पुल बंगस
4.	हरिनगर	नंगल राय
5.	इन्द्रपुरी	नरैना
6.	जनकपुरी-i	जनकपुरी-ii
7.	किंग्जवे कैम्प	तिमारपुर
8.	न्यू राजेन्द्र नगर	पूसा रोड
9.	पटेल नगर-i	पटेल नगर-ii
10.	राजौरी गार्डन	तिलक नगर
1.	लोदी रोड-i	लोदी रोड-ii
2.	पंडारा रोड	डा० जाकिर हुसैन रोड
3.	कस्ट्रीट्यूशन हाउस	टेलीग्राफ लेन
4.	नॉर्थ एवेन्यू	प्रेजीडेंट स्टेट
5.	गोल मार्कीट-i	गोल मार्कीट-ii
6.	चित्रगुप्ता रोड	पहाड़गंज

राजघाट समाधि समिति का पुनर्गठन

6101. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट समाधि समिति का इस बीच पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम तथा विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति में महात्मा गांधी के कुछ सहयोगियों को भी नामित किया गया है: और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पुनर्गठित समिति के गठन तथा इसके कर्त्तव्य एवं शक्तियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. राजघाट समाधि समिति का गठन :

(i) श्री कमलापति त्रिपाठी	अध्यक्ष
(ii) दिल्ली नगर निगम के महापौर	पदेन सदस्य
(iii) मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन	केन्द्रीय सरकार द्वारा
(iv) समाधि से सम्बन्धित संयुक्त सचिव शहरी विकास मन्त्रालय	नामित अधिकारी
(v) संयुक्त सचिव (वित्त) शहरी विकास मन्त्रालय	
(vi) अध्यक्ष, गांधी स्मारक निधि	केन्द्रीय सरकार द्वारा
(vii) श्री अरविन्द नेतम, संसद सदस्य	नामित गैर-सरकारी
(viii) श्रीमती कमलाकुमारी, संसद सदस्य	अधिकारी
(ix) श्री जे० पी० अग्रवाल, संसद सदस्य	लोक सभा सदस्यों
(x) श्री चिरन्जी लाल शर्मा, संसद सदस्य	द्वारा नामित
(xi) श्री आर० के० नारायणन, संसद सदस्य	राज्य सभा सदस्यों द्वारा नामित

2. राजघाट-समाधि समिति की शक्तियां एवं कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं :

(i) समाधि के कार्यों को संचालित करना तथा समाधि को अच्छी हालात में रखना,

(ii) समाधि में समय-समय पर समारोह आयोजित करना।

(iii) समधि के कार्यों का उचित रूप से संचालित करने हेतु प्रसांगिक या "सहायक जैसी अन्य बातों पर विचार करना।

जी० टी० रोड पर डी० डी० ए० की सीवर लाइन का टूट जाना

6102. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अधिकांश सहकारी औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थानी कोपरेटिव इन्डस्ट्रियल स्टेट लिमिटेड, नई दिल्ली में सड़कों और पार्कों की हालत खराब है;

(ख) क्या तेज बहने वाले पानी के लिये निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और नाले गन्दगी से भरे रहते हैं;

(ग) क्या जी० टी० रोड पर औद्योगिक क्षेत्र के निकट दिल्ली विकास प्राधिकरण की मुख्य सीवर लाइन टूट गई है और सीवर लाइन से मल बह रहा है और जी० टी० रोड पर फैल रहा है जो कि स्थान को गन्दा करने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिये भी खतरनाक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सहकारी औद्योगिक एस्टेट, उनको आवंटित की गई भूमि की सीमा के अन्दर सड़कें, बरसाती नाले, मल-निर्यास, जल-आपूर्ति, इत्यादि जैसे आंतरिक विकास कार्यों के लिये स्वयं उत्तरदायी हैं। अतः, सुनिश्चित करना कि उनको आवंटित की गई भूमि में आंतरिक विकास उपयुक्त प्रकार का है, यह कार्य सहकारी औद्योगिक एस्टेटों का हैं।

(ख) इस समय कोई उपयुक्त आउटफाल नाला नहीं है। इस क्षेत्र से पानी के बहाव को शालीमार आउटफाल नाले में ले जाने का प्रस्ताव है। कतिपय प्रचालन कठिनाइयों के कारण से बरसाती नाले के संरेक्षण को बदलना पड़ा। इसका संशोधित संरेक्षण को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है।

(ग) जी. टी. रोड़ के समानान्तर सीवर लाइन कई स्थानों पर बन्द है। मल-निर्यास को पम्पों द्वारा जी. टी. रोड के समानान्तर खुले नाले में डाला जा रहा है। नई स्कीम बनाने और मल निर्यास पद्धति मुहैया करने तक निर्बाध बहाव के लिये इस नाले का अनुरक्षण किया जा रहा है।

(घ) सीवर लाइन को पूर्णतया चालू हालत में रखने के लिए विभिन्न विकल्प तैयार किए जा रहे हैं।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत प्लाटों की प्रतिशतता

6103. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत, श्रेणी-वार, कितने प्रतिशत प्लाटों का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत आठ वर्षों के दौरान आर्थिक दृष्टि कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग श्रेणियों के बीच आवंटन की गति बहुत धीमी रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) श्रेणीवार स्थिति प्रकार है :

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	आवंटितियों की संख्या	प्रतिशत
आर्थिक दृष्टि से कमजोर/जनता	18,390	12,695	69%
निम्न आय वर्ग	38,105	14,480	38%
मध्यम आय वर्ग	25,889	8,361	32.3
	82,384	35,536	

(ख) से (घ) उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि अब तक सन्तुष्ट किये गये कृत व्यक्तियों की कुल संख्या 50% से कम है परन्तु प्लाटों के आवंटन के मामले में, आर्थिक से कमजोर वर्ग/जनता तथा निम्न आय वर्ग की श्रेणियों को तरजीह दी गई है जिनको प्लाटे कुल संख्या का 75% से अधिक का आवंटन किया गया हैं। सीमा विकास मुख्यतः पानी बिजली आपूर्ति एवं मल व्ययन से सम्बन्धित योजनाओं की आयोजना एवं निष्पादन में महसूस गई समस्याओं की बजह से था। तथापि, वर्ष 1989 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10,000 प्लाटों का विकास कार्य आरम्भ किया है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल के लिए निर्धारण लक्ष्य

6104. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में रोगी के उपचार के लिए निर्धारित किये गए वास्तविक लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) उक्त लक्ष्य किस सीमा तक पूरे किए गए हैं; और यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : और (ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल के सम्बन्ध में रखे गए वार्षिक और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1988-89

मद	लक्ष्य	जनवरी, 1989 तक की उपलब्धि
पता लगाए गए रोगी	8000	7120
उपचार किए गए रोगी	8000	5885
छुट्टी दिए गए रोगी	7000	6466

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास

6105. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **शहरी विकास** मन्त्री सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास के बारे में 30 नवम्बर, 1987 तथा 25 अप्रैल 1988 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या, 333 और 8200 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य महानगरों तथा राज्यों की राजधानियों में होस्टल तथा सामान्य आवासीय मकानों के निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम पर सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान अधिक बल दिया गया है और निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण किया जा चुका है, जो मन्जूर की जा चुकी हैं, मन्जूरी के लिये लंबित पड़ी हैं तथा जिनका निर्माणकार्य उक्त योजना अवधि के दोरान पूर्णतः अथवा अंशतः पूरा कर लिया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उक्त कार्यक्रम का वर्ष 1989-90 में विस्तार किया जायेगा और उसमें तेजी लाई जायेगी तथा इसे आठवीं योजया में भी जारी रखा जायेगा,

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में तथा अन्य शहरों में होस्टल तथा नियमित टाइप के आवासों के निर्माण के कार्यक्रम निधियों के नियमानुसार समोयोजित किये जाते हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) 1989-90 में नई परियोजनायें आरम्भ की जानी है जोकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

विवरण

सामान्य पूल के पूर्ण हुए क्वार्टरों की संख्या, जो निर्माणाधीन हैं तथा स्वीकृत हैं किन्तु 1.1.1989 की स्थिति के अनुसार अभी शुरू नहीं किये गये हैं

क्र. सं.	शहर का नाम	1985-89 के दोरान (31.12.88 तक) निर्मित कुल क्वार्टरों की संख्या	निर्माणाधीन कुल क्वार्टरों की संख्या	स्वीकृत कुल क्वार्टरों की संख्या, किन्तु शुरू नहीं किए गए
1		2	3	4
1.	दिल्ली	5889	664	588
2.	चन्डीगढ़	165	360	482
3.	शिमला	32	60	8
4.	लखनऊ	280	224	...
5.	कानपुर	...	350	434

6. इलाहाबाद	...	177	681
7. श्रीनगर	...	...	252
8. मद्रास	184	466	...
9. कोचीन	...	244	...
10. हैदराबाद	776	32	216
11. बंगलौर	50	214	...
12. शिलांग	16	12	...
13. कलकत्ता	1804	1448	...
14. कोहिमा	24	40	...
15. इम्फाल	36	40	...
16. बम्बई	...	400	2234
17. इन्दौर	...	126	54
18. नागपुर	...	264	...
19. राजकोट	...	...	140
20. भोपाल	...	...	165
21. फरीदाबाद	100	...	348
22. गाजियाबाद	112	...	208
23. अगरतला	56	...	...

सामान्य पूल के क्वार्टरों की संख्या जिनके लिए अनुमान प्रस्तुत किए गए, किन्तु 1.1.1989 की स्थिति के अनुसार अभी तक अनुमोदित नहीं हुए।

क्र. सं.	नगर का नाम	उन क्वार्टरों की सं०, जिनके लिये अनुमान प्रस्तुत किये गये, किन्तु अभी तक अनुमोदित नहीं हुए
1.	त्रिवेन्द्रम	156 क्वार्टर

आँखों के रोगों के संबंध में शिक्षण संस्थान में सर्वेक्षण

6106. **प्रो0 नारायण चन्द्र पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्वयं अथवा राज्य सरकारों के सहयोग से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अंधेपन जैसे आँखों के रोग से ग्रस्त मामलों का पूरा सर्वेक्षण करके इसके उन्मूलन हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राथमिक सेकेण्डरी तथा विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षण संस्थानों में किए गए सर्वेक्षण के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार निष्कर्ष क्या है और शीघ्र से शीघ्र इस रोग का पता लगाकर उसके रोकने उन्मूलन और इलाज हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को, यदि कोई धनराशि आवंटित की गई है; तो वह कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सातवीं योजना में इस प्रकार के सर्वेक्षण/रोग को रोकने/उन्मूलन संबंधी कोई कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) : वर्ष 1971-73 में भारतीय आयुविज्ञान अनुसन्धान परिषद द्वारा किए गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत में दृष्टिहीन व्यक्तियों (बच्चों सहित) की संख्या लगभग 90 लाख थी । इसके अतिरिक्त डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र द्वारा वर्ष 1985-88 के दौरान एक देशव्यापी सर्वेक्षण भी किया गया है । अब तक 14 प्रमुख 'राज्यों' से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जा चुका है । इस सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चों में दृष्टिहीनता को व्यापकता दर 0·05% है और 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में यह दर 0.26% है । दृष्टिहीनता के मुख्य कारण रोहे, नेत्र को लगी चोटें, मोतियाबिन्द, ग्लोकोमा आदि हैं । दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दृष्टिहीनता को रोकने/उपचार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) भारत सरकार वर्ष 1976-77 से देश भर में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है । इस नीति में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तरों पर आधारभूत ढांचा स्थापित करना दुर्गम क्षेत्रों में नेत्रपरिचर्या सेवाओं के लिए शिविर लगाना तथा दृष्टिहीनता को रोकने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा उपाय करना शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता को रोकने के लिए परिवार कल्याण विभाग के जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से विटामिन "ए" का वितरण किया जा रहा है ।

(ii) स्कूली शिक्षा तथा मातृत्व-पितृत्व शिक्षा के माध्यम से बच्चों में नेत्र-विक्षतियों की रोकथाम तथा सरकारी औषधालयों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र विक्षतियों की उचित देखभाल ।

(iii) नेत्र बैंकों की स्थापना तथा दृष्टिहीनता का शल्यचिकित्सा द्वारा उपचार करने के लिए देश भर के खास खास केन्द्रों में कार्निया प्रत्यारोपण की सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सा सहायक स्कूलों तथा समुदाय में दृष्टिविकारों तथा दृष्टिहीनता के अन्य कारणों की जांच करते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों के पास उपयुक्त उपचार के लिए रोगियों को भेजते हैं ।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान 600.00 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी ।

अन्न बचाओ अभियान के लिए धनराशि

6107 **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "अन्न बचाओ अभियान" के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दो सप्ताह का कैम्प लगाकर, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को खाद्यान्नों के नष्ट होने से बचाने के लिए कीटनाशी औषधियों का इस्तेमाल करने तथा अन्य उपायों की शिक्षा देने का लाभकारी कार्य किया जा रहा है;

(ख) क्या 50 प्रशिक्षार्थियों, जिसमें अधिकतर महिलायें होती हैं, के ऐसे प्रत्येक कैम्प के लिए वर्षों पहले निर्धारित की गई 5000 रुपये की अधिकतम धनराशि इस समय अत्यधिक अपर्याप्त है;

(ग) यदि हाँ तो, क्या प्रत्येक ऐसे कैम्प के लिए आवंटित राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने और कैम्पों की संख्या तिगुनी करने का विचार है जिससे कि उनकी उपयोगिता बढ़ सके; और

(घ) ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) : जी हां । केन्द्रीय अन्न सुरक्षा दल फार्म स्तर पर वृत्तिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न विस्तार गतिविधियों के जरिये फार्म स्तरीय भंडारण की उन्नत विधियों को लोकप्रिय कर रहे हैं ।

(ख) पहले प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 5000/- रुपये की राशि तीन सप्ताह की अवधि के लिए थी । 1987-88 से पाठ्यक्रम की अवधि को संक्षिप्त कर दो सप्ताह कर दिया गया है लेकिन खर्च की सीमा को 5000/- रुपये पर बनाए रखा गया है ।

(ग) और (घ) : फिलहाल प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 5000/- रुपये की राशि को बढ़ाने विषयक कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, 1989-90 के दौरान पाठ्यक्रमों की संख्या को 93 से बढ़ाकर 124 कर दिया गया है ।

आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और मांग

6108. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री प्रकाश चन्द :

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा चीनी, चावल, गेहूं और मिट्टी का तेल की वर्षवार कितनी मात्रा में मांग की गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त मांग के अनुसार इन वस्तुओं की पूरी सप्लाई की थी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस मांग की पूरी तरह पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं और वे केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं ।

जैसाकि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, चीनी और मिट्टी के तेल के लिए किसी मांग पर विचार नही किया जाता है ।

विवरण--I

1986, 1987 और 1988 में विभिन्न राज्य सरकारों के संबंध में चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल की मांग।

(हजार मीटरी टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल			गेहूं			† चीनी	‡ मिट्टी का तेल
		1986	1987	1988	1986	1987	1988		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	2285.00	2370.00	2400.00	252.00	290.00	248.00	...	...
2.	असम	700.00	727.00	710.00	424.80	471.0	504.00	....	...
3.	अरुणाचल प्रदेश	57.10	72.00	82.3	10.60	10.5	9.8	....	...
4.	बिहार	600.00	805.00	565.00	1200.00	1790.0	1604.00	....	....
5.	गुजरात	345.00	420.00	465.00	605.00	820.00	1280.00	....	....
6.	गोवा	54.00	52.75 +	57.15	18.00	19.50	19.7	...	....
7.	हरियाणा	42.00	42.5	44.0	317.09	394.0	509.55	...	...
8.	हिमाचल प्रदेश	111.60	111.6	80.0	60.00	100.0	220.0	....	...
9.	जम्मू और कश्मीर	198.00	258.0	321.0	108.00	144.0	194.5	...	....
10.	कर्नाटक	690.00	735.0	900.0	180.00	240.0	300.0	...	....
11.	केरल	1850.00	2150.0	2400.0	390.00	270.0	325.0	...	...
12.	मध्य प्रदेश	375.00	375.0	595.0	540.00	600.0	600.0	....	...
13.	महाराष्ट्र	900.00	770.0	955.0	740.00	1110.0	1425.0	....	...
14.	मणिपुर	57.00	96.0	96.0	28.00	48.0	38.0	...	...
15.	मेघालय	110.40	162.0	170.0	17.50	23.0	30.0	....	...
16.	नागालैंड	84.00	95.5	108.0	45.00	50.0	30.0	....	....
17.	उड़ीसा	225.00	311.0	490.0	277.00	286.0	364.0	....	....

18.	पंजाब	20.70	18.0	18.0	152.00	122.0	125.0	....	...
19.	राजस्थान	24.00	29.0	48.0	720.00	780.0	1370.0	...	....
20.	सिक्किम	51.50	54.0	64.0	3.00	3.0	14.15	...	...
21.	तमिलनाडु	1200.0	1250.0	1200.0	360.00	360.0	360.0	...	...
22.	त्रिपुरा	162.50	154.0	174.0	6.00	6.00	28.0	...	...
23.	उत्तर प्रदेश	720.00	1080.0	1000.0	540.00	840.00	1000.0	....	...
24.	पश्चिम बंगाल	1800.00	1950.0	1800.0	1580.00	1620.00	1560.00	...	...
25.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12.00	15.0	16.0	8.40	8.4	8.4	...	...
26.	चण्डीगढ़	6.0	6.0	6.0	21.60	21.6	24.0	...	...
27.	दादर एवं नागर हवेली	1.65	3.5	6.0	0.52	1.5	2.4	...	...
28.	दिल्ली	390.00	315.0	360.0	600.00	630.0	720.0	...	...
29.	दमन एवं दीव	...	2.4	6.95	...	0.38	2.22	....	....
30.	लक्षद्वीप	5.50	5.5	5.5	0.07	0.07	0.08	—	—
31.	मिजोरम	96.00	116.0	96.5	12.60	12.6	12.6	—	—
32.	पाण्डिचेरी	25.90	23.9	30.0	3.60	3.6	3.1		...

* इसमें दमन और दीव की मांगे भी शामिल हैं।

\+ इसमें दमन और दीव की जुलाई, 1987 तक की मांगे भी शामिल हैं।

† चीनी के मामले में, 1.10.1986 को स्थिति के अनुसार परियोजना जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास की एक समान दर पर सभी राज्यों को आवंटन किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सितम्बर/अक्तूबर के दौरान त्यौहारों के लिए कुछ अतिरिक्त आवंटन किया जाता है। कोई मांगे आमंत्रित नहीं की जाती हैं।

‡ विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता को मूल्यांकन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के लिए किए गए आवंटन पर उपयुक्त वृद्धि की दर की अनुमति देते हुए किया जाता हैं। कोई मांगे आमंत्रित नहीं की जाती हैं। नियमित आवंटनों के अलावा, बाढ़, सूखा, चक्रवात, एल० पी० जी० की कमी, आदि जैसी विशिष्ट आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर अतिरिक्त तदर्थ नियुक्तियां भी की जाती हैं।

बंगलौर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी

6109. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनका मासिक अंशदान कितना है;

(ग) बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सभी डिस्पेंसरियों का मासिक व्यय कितना है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से औसतन कितने रोगी लाभ उठा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 35, 575।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का अंशदान संबंधित विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों से वसूल किया जाता है और इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) 12, 29, 750 रुपये जिसमें सभी यूनिटों और प्रशासन कार्यालय संबंधी खर्च शामिल हैं।

(घ) लगभग 37,000 रोगी प्रतिमाह।

बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

6110. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने औषधालय हैं;

(ख) ये औषधालय कितने समय तक खुले रहते हैं;

(ग) क्या ये सभी कार्य दिवसों में चौबीस घन्टे खुले रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों शनिवार, रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में चौबीसों घन्टे खुले रहने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दस।

(ख) सोमवार से शनिवार तक नियमित सेवायें प्रातः 7.30 बजे से लेकर दोपहर बाद 1.30 बजे तक और सीमित सेवाएं दोपहर बाद 1.30 बजे से सायं 7.30 बजे तक।

(ग) जी, नहीं। केवल दो औषधालय दिन-रात कार्य करते हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिण दिल्ली में पपन कलां परियोजना

6111. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिण दिल्ली में पपन कलां परियोजना के बारे में 10 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या, 2099 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पपन कलां क्षेत्र के विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना कार्य में धीमी गति के क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पपन कलां की विकास योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 14. 4. 88 को अनुमोदित किया गया था और जनता की आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के बाद इसे संशोधित किया गया था और 12. 12. 88 को पूर्ण रूप से अनुमोदित कर दिया गया था। सैक्टरों के ब्यौरे तथा कार्य योजना प्रगति पर है। चरण-1 में बड़ी सड़कों के निर्माण तथा भूमि के विकास के प्रारम्भिक अनुमान तैयार कर दिये गये हैं। सड़कों के निर्माण के लिए निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है। परिधीय सम्पर्कों तथा बड़े सम्पर्कों के विषय में मामला रक्षा प्राधिकारियों, दिल्ली प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के साथ उठाया गया है। प्रमुख मूलभूत सुविधाओं तथा ट्रंक सेवाओं की आयोजना दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान आदि जैसे अभिकरणों के परामर्श से प्रगति पर है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के मकानों के लिये लगभग 7,836 स्थल तथा सेवा प्लाटों के विन्यास नक्शे तथा विकास की विस्तृत योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और ये कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ख) जनता की आपत्तियों/सुझावों द्वारा योजना में अपेक्षित संशोधन और पानी की उपलब्धता के सम्बन्ध में अनिश्चितता के बारे में तथा उस क्षेत्र, जहां मल निर्यास शोधन संयंत्र स्थापित किया जाना है, में भूमि के अर्जन में विलम्ब, योजना की धीमी प्रगति के लिये उत्तरदायी कुछ घटक थे।

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

6112. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्ववित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत, फ्लैटों के आवंटन हेतु योजना-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में हैं; इन्हें कब तक फ्लैट आवंटित किये जाने की संभावना है तथा किस क्षेत्र में फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है अथवा भविष्य में निर्माण किया जायेगा;

(ख) न्यू पैटर्न हुडको योजना, 1979 के पंजीकृत व्यक्तियों के लिए फ्लैटों के निर्माण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत एक वर्ष के दौरान टाइप-वार कितनी धन राशि खर्च की है तथा इससे पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई धन-राशि की तुलना में यह कितनी है; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया तथा गत तीन वर्षों की तुलना में यह संख्या कितनी है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

क्र० सं०	योजना का नाम	शेष
1.	योजना-V	7678
2.	स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हुये/सेवा निवृत्त होने वालों की विशेष योजना	2078
3.	योजना-VI	14903
	योग :	24659

दिल्ली विकास प्राधिकरण में 30.9.89 की स्थिति के अनुसार स्ववित्त पोषित योजनाओं के भिन्न-भिन्न टाइपों के अन्तर्गत निर्माणधीन फ्लैटों की संख्या 9715 थी। इन सभी मकानों को मार्च, 1990 तक पूरा किया जाना है। यह सम्भावना है कि मार्च, 1994 तक सभी पंजीकृत व्यक्तियों को मकान दे दिये जायेंगे।

जिन क्षेत्रों में फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है उनकी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1988-89 के दौरान श्रेणी-वार, जनता, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, (1979 की योजनाओं के पंजीकृतों सहित) किये गये व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	मिश्रित (मध्यम आय आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, जनता)
	(आँकड़े करोड़ रुपयों में)		
16.50	16.90	9.75	8.75

(ये आँकड़े अनन्तिम हैं और 1/89 तक वास्तविक तथा 2/89 से 3/89 तक अनुमानों पर आधारित हैं। इसमें स्व-वित्त पोषण योजना के मकानों का व्यय शामिल नहीं है)। गत तीन वर्षों के दौरान व्यय के ब्यौरे करोड़ रुपयों में इस प्रकार हैं।—

वर्ष	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	मिश्रित (मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, जनता)
1985-86	45.54	19.22	18.88	20.90
1986-87	30.10	21.76	24.00	28.31
1987-88	20.13	16.92	12.17	26.24

(ग) 1988-89 के दौरान 31.3.89 तक निर्मित फ्लैटों की संख्या इस प्रकार हैं :—

स्ववित्त पोषित योजना	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता आदि	योग
9091	3052	6996	4792	23931

गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित मकान इस प्रकार हैं :—

वर्ष					
1987-88	7262	5264	2282	3950	18758
1986-87	480	2060	3646	2642	8828
1985-86	4767	5670	2900	3182	16519

विवरण

उन क्षेत्रों की सूची, जहां स्ववित्त पोषित योजना के मकान निर्माणाधीन हैं :—

क्रम संख्या	स्थान
1.	सरिता विहार
2.	किलोकड़ी
3.	सैदुलवजिव
4.	कालकाजी
5.	प्रीतमपुरा
6.	मोतियाखान
7.	शालीमार बाग
8.	किशनगढ़/वसन्त कुंज
9.	रोहिणी
10.	त्रिलोकपुरी
11.	मादीपुर
12.	पश्चिमपुरी

धर्मधर में कस्तूरी-मृग पालन केन्द्र का अनुरक्षण और विस्तार

6113. **श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिलेमें धर्मधर में कस्तूरी-मृग पालन केन्द्र की दशा दयनीय हो रही है;

(ख) क्या इस केन्द्र के अनुरक्षण और विस्तार हेतु धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने ग्राम धरमगढ़, जिला पिथौरागढ़ (उ० प्र०) में एक कस्तूरी मृग फार्म स्थापित किया है। यह फार्म 2.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें नर-मादा दोनों प्रकार के 20 जानवर हैं। जानवर के लिए पानी और आहार की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। फार्म के लिये पहाड़ियों की तलहटी से फार्म तक एक सड़क का निर्माण किया गया है। सड़क पर रोशनी के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) एकीकृत यूनिट ताड़ीखेत के लिये, जिसमें यह कस्तूरी मृग फार्म भी शामिल है, 1987 से किये गये बजट प्रावधान इस प्रकार हैं :

1987-88	11.71 लाख रुपये
1988-89	11.71 लाख रुपये
1989-90	12.00 लाख रुपये (अन्तिम)

"सोमेश्वर-गणनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से मन्जूरी"

[हिन्दी]

6114. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में सोमेश्वर-गणनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मन्जूरी के लिये एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव पर अनिवार्य मन्जूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सोमेश्वर-गणनाथ-बागेश्वर मोटर-मार्ग के निर्माण के संबन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में सोमेश्वर-गिरिछिना-बागेश्वर मोटर मार्ग पर 9 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के चरण-3 के निर्माण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 22.4.1983 को प्राप्त हुआ था जिसे 30.9.1986 को मन्जूरी दे दी गयी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"वन भूमि के कब्जाधारियों को स्वामित्व विलेख (टाइटल डीड) प्रदान करना"

[अनुवाद]

6115. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वन भूमि के कब्जाधारियों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने की अनुमति माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) कितनी वन भूमि के लिए स्वामित्व विलेख जारी किये जाने है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) केरल सरकार के इद्दुकी जिले सहित 5 जिलों में 28588.15 हैक्टेयर वन भूमि को बनेत्तर उपयोग में लाने के लिये कृषकों में आवंटिन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। केरल उच्च न्यायालय ने इददुकी जिले में वन भूति के आवंटन से सम्बन्धित सभी कार्यों पर रोक लगा दी है। इसको देखते हुए प्रस्ताव पर आगे विचार करने के मामले को आस्थगित रखा गया है।

आंध्र प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या

6116. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आंध्र प्रदेश में कुष्ठ रोग के कितने रोगियों का पता लगा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने रोगियो का इलाज किया गया; और

(ग) उनमें से कितने रोगी स्वस्थ हो गये, कितने विकलांग हो गये और कितने रोगियों की मृत्यु हो गई;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कुष्ठ रोग के जितने नये रोगियों का पता लगाया गया, जितनों का उपचार शुरू किया गया और जितनों को ठीक हो जाने के बाद छुट्टी दे दी गई उनकी संख्या नीचे दी गई है :

मद	1985-86	1986-87	1987-88
पता लगाये गये रोगी	73204	84503	84416
उपचार किये गये रोगी	73204	84503	84416
छुट्टी दिये गये रोगी	79328	87087	119290

ऐसे रोगियों के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो अपाहिज हो गये अथवा जिनकी मृत्यु हो गई।

न्यूनतम वेतन

6117. **श्री वी तुलसीराम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार की कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारित करती हैं जबकि कुछ अन्य श्रेणियों के रोजगार के लिये न्यूनतम वेतन राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम वेतनों में असमानता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में सभी श्रेणियों के कामगारों के लिए एक जैसी न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन समुचित सरकार, केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के द्वारा अथवा रेल प्रशासन द्वारा चलाए गए किसी अनुसूचित नियोजन के सम्बन्ध में या किसी खान, तेल क्षेत्र या महा पत्तन या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार है और किन्हीं अन्य अनुसूचित नियोजनों के बारे में राज्य सरकार है।

(ग) से (ङ) यूनियन और समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय सभी संगत पहलुओं पर विचार करते हैं। न्यूनतम मजदूरी दरों में असमानता और न्यूनतम मजदूरी /क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के प्रश्न पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है। नवम्बर, 1985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन ने सिफारिश की कि जब तक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी व्यवहार्य न हो, तब तक क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी का होना वांछनीय होगा जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकती है। इन दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दिया गया है तथा इन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किया गया है।

आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल एवं डिस्पेंसरियां

6118. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों की कुल संख्या कितनी है तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार इन अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ये अस्पताल एवं डिस्पेंसरियां कामगारों के उपचार के लिये अति आधुनिक उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन अस्पताल एवं डिस्पेंसरियों के आधुनिकीकरण के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को वित्तीय सहायता देने का है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) आंध्र प्रदेश में 8 क. रा. बी. अस्पताल और 118 क. रा. बी. औषधालय हैं। अस्पतालों और औषधालयों की स्थिति दर्शाने वाले विवरण–1 और विवरण–2, संलग्न हैं।

(ख) 3.88 लाख।

(ग) क. रा. बी. योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय देख-रेख प्रशासन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का हैं। राज्य सरकारों द्वारा समान्यतः अस्पतालों को और औषधालयों क.रा.बी. निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपकरणों से सज्जित किया जाता है। तथापि, जब कभी राज्य सरकार से परिष्कृत उपकरण उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर गुणावगुण के अनुसार विचार किया जाता है और स्वीकृत पद्धति पर आवश्यक निधियां उपलब्ध की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–1

क्र० सं०	क. रा. बी. अस्पताल का नाम एवं उनकी अवस्थिति
1.	क. रा. बी. अस्पताल, आदोनी
2.	क. रा. बी. अस्पताल, सनथनगर, हैदराबाद।
3.	क. रा. बी. अस्पताल, सिरपुर कागजनगर
4.	क. रा. बी. अस्पताल, विशाखापत्तनम
5.	क. रा. बी. अस्पताल विजयवाड़ा।
6.	क. रा. बी. अस्पताल, वारंगल
7.	क. रा. बी. अस्पताल, पट्नचेरू, जिला मेडक
8.	क. रा. बी. अस्पताल, राजमुन्द्री।

विवरण-2

क्र० सं०	क. रा. बी. औषधालयों का नाम एवं उनकी अवस्थिति	
1	2	
1.	क. रा. बी. औषधालय, अमीर पेट (ट्वीन सिटीज)	
2.	यथोक्त	बालानगर-II
3.	यथोक्त	सनथनगर-III

4.	यथोक्त	बालानगर-I
5.	यथोक्त	चिक्कडपल्ली
6.	यथोक्त	चिक्कालगुडा
7.	यथोक्त	चप्पल बाजार
8.	यथोक्त	दबीरपुरा
9.	यथोक्त	चारलापल्ली
10.	यथोक्त	वाकुटपुरा
11.	यथोक्त	गोषामहल
12.	ययोक्त	नामापल्ली
13.	यथोक्त	गोलकुण्डा
14.	यथोक्त	हिम्मतपुरा
15.	यथोक्त	कवाडीगुडा
16.	यथोक्त	कवाडीगुडा (रोड)
17.	यथोक्त	कवाडीगुडा (एन) रामनगर
18.	यथोक्त	कारवान
19.	यथोक्त	खेरताबाद
20.	यथोक्त	मोलाली
21.	क. रा. बी. औषधालय, मालकाजगिरी	
22.	यथोक्त	रानीगुंज (सिकन्द्राबाद)
23.	यथोक्त	रानीगुंज (न्यू) अलवल
24.	यथोक्त	रेजीमेंटल बाजार
25.	यथोक्त	रमन्थापुर
26.	यथोक्त	ओल्ड सिटी
27.	यथोक्त	सनथनगर-I
28.	यथोक्त	सनथनगर-II
29.	यथोक्त	विद्यानगर
30.	यथोक्त	श्रीरामनगर (विजयनगर जिला)
31.	यथोक्त	विजयानगरम
32.	यथोक्त	नेल्लोमारला
33.	यथोक्त	चित्तीवालसा

34. यथोक्त कोथावालसा
35. यथोक्त ग्राधीग्राम (विशाखापत्तनम जिला)
36. यथोक्त रामनगर
37. यथोक्त इण्डस्ट्रीयल इस्टेट
38. यथोक्त काकीनाडा (पूर्वी गोदावरी जिला)
39. यथोक्त सीथमपेट, राजमुंद्री
40. यथोक्त डोवलेश्वरम
41. यथोक्त इन्नेसेपेट, राजमुंद्री (पूर्वी गोदावरी जिला)
42. यथोक्त लालाचेरूवु
43. यथोक्त सरपावरम
44. यथोक्त इलुरू (पश्चिम गोदावरी जिला)
45. यथोक्त तांकू
46. यथोक्त ताडेपल्लीगुडेम
47. यथोक्त वेन्द्रा
48. यथोक्त कोव्वूर
49. क. रा. बी. औषधालय, नीदादावोलू
50. यथोक्त मछलीपत्तनम (कृष्णा जिला)
51. यथोक्त विजयवाड़ा (टाउन)
52. यथोक्त विजयवाड़ा (ए. सी. सी.)
53. यथोक्त विजयवाड़ा (पश्चिमी)
54. यथोक्त विजयवाड़ा (पूर्वी)
55. यथोक्त दिजयवाड़ा (एम पी एफ)
56. यथोक्त विजयवाड़ा गुनफडाला
57. यथोक्त कोंडापल्ली
58. यथोक्त गंगूर
59. यथोक्त बापुलापाडु
60. यथोक्त गुंतूर-I (गुतूर जिला)
61. यथोक्त गुंतूर-II
62. यथोक्त पेडाकाकानी
63. यथोक्त उनडावल्ली

64. यथोक्त मछेरला
65. यथोक्त मार्कापुर (प्रकाशन जिला)
66. यथोक्त चिराला
67. यथोक्त पाडगुपाड (नेल्लोर जिला)
68. यथोक्त गुडूर
69. यथोक्त नेल्लोर
70. यथोक्त नायडूपेट
71. यथोक्त कुड्डापाह (कुड्डापाह जिला)
72. यथोक्त परोड्डुतूर
73. यथोक्त मलगमपेट (रेलवे कोड्डूर)
74. यथोक्त चित्तूर (चित्तूर जिला)
75. यथोक्त तिरुपती
76. क. रा. बी. औषधालय, रेनीगुंटा
77. यथोक्त मदनापल्ली
78. यथोक्त बंगरूपालेम
79. यथोक्त कारनूल (कारनूल जिला)
80. यथोक्त येम्मीगानूर
81. यथोक्त आडोनी (पूर्व) कूरनूल जिला
82. यथोक्त आडोनी (पश्चिमी)
83. यथोक्त गोंडीपारखा
84. यथोक्त नांडयाल
85. यथोक्त हिन्दुपुर (अनंतपुर जिला)
86. यथोक्त गुंताकाल
87. यथोक्त अनंतपुर
88. यथोक्त तादी पल्ली
89. यथोक्त कोटनूर
90. यथोक्त जीदीमेतला (रांगारेड्डी जिला)
91. यथोक्त बाल्लाराम
92. यथोक्त काट्टाडन
83. यथोक्त चेडचेरला

94. यथोक्त कुकातपल्ली
95. यथोक्त एस. पी. एम. कालोनी, सिरपुर कागज नगर (आदिलाबाद जिला)
96. यथोक्त एस एस एम कालोनी, सिरपुरकागजनगर
97. यथोक्त IIIसेट, सिरपुर कागजनगर
98. यथोक्त निरमल
99. यथोक्त गनचेरियल
100. यथोक्त भोनगीर (नालगोडा जिला)

101. क. रा. बी. औषधालय, रामावरम (खाम्मन जिला)

102. यथोक्त निजामाबाद (निजामाबाद जिला)
103. यथोक्त महबूबनगर (एम. डिस्ट्रीक्ट)
104. यथोक्त कोटनूर
105. यथोक्त पोटनचेयूर (मेडिक जिला)
106. यथोक्त सादाशिवपेट
107. यथोक्त रामागुंडम (किरीम नगर जिला)
108. यथोक्त अंथेरगांव
109. यथोक्त बसंथनगर
110. यथोक्त वारंगल फोर्ट (वारंगल जिला)
111. यथोक्त गिरीमाजीपेट
112. यथोक्त करीमीवाद
113. यथोक्त इण्डस्ट्रीयल कालोनी
114. यथोक्त हनुमाकोंडा
115. यथोक्त श्री कालाद्स्थी (चित्तूर जिला), पार्टटाइम
116. यथोक्त कुप्पम (चित्तूर जिला)
117. यथोक्त मंगलागिरि (गुटूर जिला)
118. यथोक्त कृष्णासीमेंट वर्क्स ताडेपल्ली, गुंटूर (आ० प्र०)

(नियोजक उपयोग औषधालय)

"गंगा कार्य योजना"

6119. **डा० बी० एल० शंलेश** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के एक अधिकारी दल ने पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से दक्षिण बंगाल के जिलों में गंगा कार्य योजना की प्रगति का तत्स्थानिक अध्ययन करने के लिए कुछ समय पहले इसी महीने में उक्त राज्य का दौरा किया था;

(ख) क्या उक्त दल ने गंगा सफाई योजना के लिए निर्धारित धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के किसी मामले का पता लगाया था; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गंगा सफाई योजना से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई अथवा चालु वर्ष के लिए कितनी धनराशि मंजूर किये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा गंगा कार्य योजना से संबंधित केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी दल ने अप्रैल माह में पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वित्त वर्ष 1988-89 के अन्त तक पश्चिम बंगाल के लिए कुल 108.97 करोड़ रुपये की लागत पर 111 स्कीमें मंजूर की जा चुकी हैं । चालू वर्ष में किसी नई स्कीम के मंजूर किए जाने की संभावना नहीं हैं ।

(घ) पश्चि बंगाल में गंगा कार्य योजना की प्रगति पर पर्यावरण और बन मन्त्रालय के परियोजना निदेशालय द्वारा अधिकारियों के दौरों, कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय निदेशक और स्कीमों पर निगाह रखने के लिए विशिष्ट रूप से नियोजित परियोजना परामर्शदाताओं के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है । इन स्कीमों पर कम्प्यूटरीकृत फार्मेटों, पट चार्टों और मासिक प्रगति रिपोर्ट द्वारा निगरानी रखी जा रही है । इन 111 स्कीमों में से अधिकांश के समय-सारणी के अनुसार वित्त वर्ष 1989-90 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सेवारत भारतीय चिकित्सा पद्धति के/हाम्योपैथिक डाक्टरों की पदोन्नति की संभावनाएं

6120. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति के हाम्योपैथिक डाक्टरों के लिए पदोन्नति के अवसर/संभावनाएं बढ़ाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन डाक्टरों को पदोन्नति देने के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और हाम्यो-पैथिक डाक्टरों के संवर्गों की पुनः संरचना की जा रही है ताकि उन्हें पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जा सकें। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धति और हाम्यो-पैथी के चिकित्सक उच्च पदों के पात्र होंगे जो कि संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरूप उपलब्ध होंगे।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम, कलकत्ता को हानि

6121. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्लू. बी. ए. बी. ओ) लिमिटेड, कलकत्ता के अन्तर्गत आने वाले मिलों के संचालन में होने वाली हानि में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. बी. ऐंड ओ.) लि० ने मिल विशेष कार्य योजनाएं बनाई हैं जिससे कि उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाया जा सके।

जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि के संबंध में विज्ञान सलाहकार परिषद की रिपोर्ट

6122. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और सलाहकार परिषद ने देश की जनसंख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है; यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद ने देश की जनसंख्या में हो रही अनियमित वृद्धि पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की है। इस परिषद द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

कार्रवाई के लिए की गई सिफारिशें

1. **जनसंख्या**

जनसंख्या की समस्या मिशन के रूप में हल की जानी है (ब्यौरे के लिए कार्यनीति प्रलेख का सराश संलग्न उपाबंध में देखें)। उपयुक्त योजना के द्वारा हमें देश की जनसंख्या सन् 2001 तक 97 करोड़ से अधिक नहीं होने देनी है। यदि हम समय पर इस बारे में कदम उठाने में असफल रहते हैं तो हमें उस वर्ष तक 5.50 करोड़ और लोगों के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। विचारणीय विषय यह है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में "कब से कमी आनी आरम्भ होगी।"

जनसंख्या नियंत्रण के एक भूतपूर्व राज्य निदेशक के अनुसार अधिकांश राज्य गलत जनांकिकी आंकड़े सूचित करते हैं जिससे कि केन्द्र द्वारा उन्हें अधिक वार्षिक अनुदान सुनिश्चित हो सके क्योंकि राज्यों को समग्र धनराशि का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुसार होता है। इस नीति के अवांछित प्रभाव की सातवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा से पुष्टि होती है। स्पष्टतया, राज्यों को अनुदान (और अन्य सम्बन्धित आर्थिक नीतियों) को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन का काय करना चाहिए।

हमें विश्वास है कि जनसंख्या नियंत्रण का एक सर्वाधिक प्रभावकारी तरीका महिलाओं में शिक्षा का व्यापक विस्तार करना है। यद्यपि जनसंख्या नियंत्रण मिशन मुख्य रूप से एक सामाजिक कार्य है, फिर भी एस एंड टी इनपुट्स निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं :—

(1) प्रजनन विनियमन तकनीकों का विकास,

(2) चिकित्सीय जानकारी प्रदान करना,

(3) संचार तकनीकों का उपयोग और उन्हें सुविदित स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य में इस्तेमाल करना,

(4) पर्याप्त प्रबंधकीय कुशलता प्रदान करना।

स्वैच्छिक संगठन, नगरेतर कालेज और जिला स्तरीय एस एंड टी ढांचा इस मिशन में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

जनसंख्या वृद्धि का विकासात्मक योजनाओं के द्वारा प्राप्त अवसरों के साथ संतुलन रखने के लिए महिलाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने तथा बूढ़ों के लिये सुरक्षा की गारंटी देने के कार्य करने होंगे। हम ऐसी स्कीमों का समर्थन करते हैं जिनके अन्तर्गत राष्ट्र के लिए उन लोगों के द्वारा की गई संसाधनों की बचत जो अपने परिवार को नियोजित करते हैं, उनके बच्चों को स्वास्थ्य परिचर्या और शिक्षा प्रदान करके तथा मां-बाप को सामाजिक सुरक्षा के रूप में आंशिक रूप से उन्हीं के काम आ सके।

उपाबंध

कार्य-नीति प्रलेख से लिया गया सारांश

जनसंख्या और स्वास्थ्य

सातवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा से खतरनाक संकेत मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर अक्षुण्ण है। दूसरे शब्दों में सामाजिक, एस एंड टी और आधुनिक संचार साधनों के द्वारा किये गये विस्तृत कार्य के बावजूद भी लक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमें अगले दशक में अनियंत्रित जनसंख्या की भयावह संभावना का मुकाबला करना है जिसके भयंकर परिणाम होंगे। भावी योजना में इस पहलू को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जनसंख्या समस्या के हल के लिए दृढ़ राजनैतिक इच्छा, उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक कदम और आधुनिक प्रबंधकीय तथा संगठनात्मक कुशलताओं की आवश्यकता है। दशक की समाप्ति तक वैक्सीन अथवा नियंत्रित रूप से रिलीज की गई औषधि जैसी नई कार्यनीतियां उपलब्ध नहीं होंगी। प्रजनन एंटीजनों के वर्तमान स्तर के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट मिल रही हैं और प्रजनन नियंत्रण के रूप में टीकाकरण आज मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर हैं। आटो-इम्यून तथा टेराटोजेनिसिटी रोगों से सम्बन्धित दीर्घावधि सुरक्षा पहलुओं का हल अभी खोजा जाना है। यह स्थिति इस क्षेत्र में उपलब्ध एस एंड टी इनपुट्स में एक प्रमुख समस्या है। तथापि, इससे नई विधियों को विकसित करने तथा नए गहन एस एंड टी प्रयासों की आवश्यकता को बल मिलता है। यदि आवश्यक हो तो हमें जहां भी उपयुक्त हो व्यापक विशेषज्ञता तैयार करने में उत्सुकता दिखानी चाहिए। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी को कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर हमें इस भयानक समस्या को युद्ध स्तर पर हल करने के लिए कार्य करना चाहिए।

अब तक के हमारे योजना प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त गुणात्मक परिवर्तन हुए है लेकिन कोई मूल गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार औसत जीवन प्रत्याशा काफी बढ़ी है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम हुई है और कुछ संचारी रोगों पर आंशिक रूप से नियंत्रण किया गया है। सुदूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने का बुनियादी ढांचा स्थापित किया जा चुका है। इन प्रयासों को कमजोर वर्गों के लिए रोग प्रतिरक्षण सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के द्वारा और सुदृढ़ किया गया है। तथापि, कुपोषण, अस्वास्थ्यकर स्थितियां और संचारी रोग अभी भी मौजूद हैं। साथ ही, गैर-संचारी रोग, प्रायः विकसित समाज से सम्बन्धित हैं, महामारी का रूप ले चुके हैं। इसलिए हमारी भावी योजनाओं में जहां संचारी रोगों की रोकथाम के प्रयत्नों में विशेष रूप से जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है, वहीं हमें कैंसर, हृद और सेरेब्रो-वास्कुलर रोगों जैसे गैर-संचारी रोगों, यातायात दुर्घटनाओं, औषध व्यसनों और व्यवसायिक और पर्यावरणिक प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों की रोकथाम की कार्रवाई शुरू करनी होगी।

हमें सन् 2001 तक 60 वर्ष से ऊपर के लगभग 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए कार्य करना होगा। यही नहीं, योजना बनाते समय हमें शहरी और ग्रामीण

क्षेत्रों, की प्रमुख जरूरतों के प्रति सचेत होना होगा और क्षेत्र स्वास्थ्य परिचर्या और वितरण कार्य जिला स्तर पर अपेक्षित उपकरणों का अधिकतम लाभ उठाकर किया जाना होगा।

रक्त नमूनों में एड्स के जीवाणु पाये जाने के संदर्भ में रक्त बैंकों की जांच

6123. **श्री के० प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्त देने वालों से प्राप्त अधिकांश रक्त नमूनों में "एड्स" रोग के पूरे देश में रक्त बैंकों का कड़ाई से निरीक्षण करने और समय समय पर उनकी जांच करने हेतु धनराशि आवंटित की गई है तथा इसके लिए कोई संगठन स्थापित किया गया है;

(ख) क्या "एड्स" रोगियों का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करने हेतु, प्रत्येक राज्य के लिये धनराशि नियत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कु0 सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। तीन महानगरों अर्थात् बम्बई, मद्रास और दिल्ली में रक्त दाताओं की स्क्रीनिंग शुरू की गई है। इसी प्रकार की स्क्रीनिंग कार्यकलाप कलकता शहर में जल्दी ही शुरू किया जा रहा है। इन शहरों में रक्त बैंकों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित निगरानी केन्द्रों के साथ जोड़ा गया है। महानगरों के अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एच. आई. वी. हेतु रक्त दाताओं की स्क्रीनिंग के लिए 30 शहरों में 40 निगरानी केन्द्र खोले हैं।

(ख) मौजूदा 40 निगरानी केन्द्रों के अतिरिक्त भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के सहयोग से अधिक निगरानी केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है तथा इस प्रयोजन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को किटों एवं उपस्कर खरीदने के लिए 150.00 लाख रुपये उपलब्ध किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार में औषधियों का स्टाक रखा जाना

6124. **श्री के0 प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा सुपर बाजार, नई दिल्ली से खरीदी गई औषधियों के लिए उनकी कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या सुपर बाजार, नई दिल्ली धनराशि के अभाव के कारण फरवरी, 1989 से आवश्यक औषधियों का स्टाक नहीं रखता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा बिलों की अदायगी न करना सामान्य बात है; और

(घ) यदि हां, तो इस बात को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इस कारण लाभार्थियों को कोई असुविधा न हो ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 17,86,521 रुपये ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अभी भी सुपर बाजार से, ऐसी मदों को छोड़कर जो निर्माताओं/वितरकों के पास उपलब्ध नहीं है, आवश्यक औषधियां प्राप्त करता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

हुडको/राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के केन्द्रों की स्थापना

6125. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सम्पूर्ण देश के लोगों को आवास क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए हुडको/राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के जिला स्तर पर केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवश्यक वस्तुओं का आयात

6126. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न देशों से कितने मूल्य की कितनी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का आयात किया गया ;

(ख) इनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ग) सामान आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात की गई वस्तुओं का देशवार और मात्रावार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

महाराष्ट्र के लिए मेडिकल कालेज

6127. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले में मेडिकल कालेज खोलने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 1989 तक महाराष्ट्र में कुल कितने मेडिकल कालेज हैं;

(घ) क्या राज्य की जनसंख्या को देखते हुए, मेडिकल कालेजों की संख्या आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1989–90 के दौरान मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी संतोष खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) महाराष्ट्र में 17 मेडिकल कालेज हैं जिनमें पुणे स्थित सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज शामिल हैं तथा 4 ऐसे मेडिकल कालेज शामिल हैं जिन्हें अभी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने मान्यता नहीं दी है ।

(घ) 1985 के आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय डाक्टर जनसंख्या अनुपात 1:2450 है । देश में डाक्टरों की उपलब्धता को देखते हुए राज्य में और मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

(ङ) 1989-90 के दौरान मेडिकल कालेज खोलने के लिए महाराष्ट्र सहित किसी राज्य को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है ।

महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल और औषधालय

6128. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में कितने कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या इन अस्पतालों और औषधालयों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और कर्मचारियो को समय पर दवाई नहीं मिलती;

(ग) यदि हां, तो इन अस्पतालों और औषधालयों में भी सरकारी और जनरल अस्पतालों की भांति सभी सुविधाएं जुटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) 10.39 लाख ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क० रा० बी० योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देख-रेख पर व्यय को राज्य सरकार और क० रा० बी० निगम के बीच 1:7 के अनुपात में बांटा जाता है वर्ष 1989-90 के लिए व्यय का निगम का हिस्सा लगभग 2136.74 लाख रुपये है। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

महाराष्ट्र में कर्मचारी भविष्य निधि के लंबित मामले

6129. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में निर्णयार्थ लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये मामले कब से लम्बित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां। पूर्णतः महाराष्ट्र क्षेत्र में लम्बित मामलों की संख्या सबसे ज्य दा है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-12-1988 को 9,902 कर्मचारी भविष्य निधि दावों का निपटान किया जाना बाकी था।

(ग) बताया गया है कि 9,902 लम्बित दावा मामलों में से, 8,561 दावे दो माह तक की अवधि के, 1,340 दावे 2–6 माह की अवधि के थे तथा एक दावा मामला छह मास से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम अवधि का था। सामान्यतः ये दावे मामले मृत्यु प्रमाण-पत्र, पारिवारिक ब्यौरों, आदि जैसे समर्थक दस्तावेजों की कमी के कारण लम्बित थे।

(घ) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अनुदेश दिए गए हैं कि यदि आवश्यकता हो तो वे प्रवर्तन अधिकारी प्रतिनियुक्त करके, यदि हो, वांछित दस्तावेजों को प्राप्त करने के विशेष प्रयास करें ताकि दावों का शीघ्र निपटान किया जा सके।

महाराष्ट्र में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

6130. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का आयुर्वेद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसे अन्य कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में कोई विलम्ब हुआ हो तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राजकीय आर० ए० पोद्दार आयुर्वेद मेडिकल कलिज, बम्बई के "कायचिकित्सा" विभाग का 1971-72 में "भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विभागों को उन्नत करना" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दर्जा बढ़ा दिया गया था।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा है। चालू योजना के दौरान आयुर्वेद कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम साधनों की कठिनाई की वजह से नहीं चलाया गया है।

"नेशनल निओनाटोलाजी फोरम" और इंडियन सोसायटी आफ पेरिनाटोलाजी एण्ड रिप्रोडक्टिव बायोलाजी" का संयुक्त सम्मेलन

6131. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "नेशनल निओनाटोलाजी फोरम" और "इंडियन सोसायटी आफ पेरिनाटोलाजी एण्ड रिप्रोडक्टिव बायोलाजी" का हाल ही में पुणे में एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था और यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्कूलों और कालेजों में छात्रों को कुशल मातृत्व पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी मूल समस्याओं आदि की शिक्षा देने पर अधिक ध्यान देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) नेशनल निओनाटोलाजी फोरम और इंडियन सोसाइटी आफ पेरिनेटोलाजी एण्ड रिप्रोडक्टिव बायोलाजी का पहला संयुक्त सम्मेलन 23-2-89 से 25-2-89 तक के० ई० एम० मेडिकल कालेज, पुणे में हुआ था। इस बैठक में लगभग 250 बाल रोग विज्ञानियों और 150 प्रसूतिरोग विज्ञानियों ने भाग लिया था। बच्चा-बच्चा स्वास्थ्य से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। बहरहाल कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई हैं।

(ख) स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा के एक भाग के रूप में बाल परिचर्या के प्राथमिक पहलुओं जैसे रोगप्रतिरक्षण, ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्या को पहले ही शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक मानव जैव विज्ञान, सुरक्षित मातृत्व आदि को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

बीकानेर में क्षय रोग की दवाओं का अभाव

6132. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीकानेर में क्षयरोग की दवाओं का अभाव है;

(ख) क्या राजस्थान तथा देश के अन्य राज्यों में क्षय रोगियों की संख्या बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से अनुमानतः कितने रोगियों पर क्षय रोग रोधी परम्परागत दवाओं की प्रतिरोधी शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान तथा देश के अन्य भागों में सक्रिय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठनों को कुष्ठ रोग निवारण हेतु धनराशि प्रदान करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) बीकानेर में क्षय रोग औषधों की कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में क्षय रोगियों की अनुमानित संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) अनुमान है कि क्षय रोग से ग्रस्त 0.05 प्रतिशत व्यक्ति आइसोनाइजिड के प्रतिरोधी हैं।

(घ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की एस० ई० टी० स्कीम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को देश में कुष्ठ संबंधी कार्य करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ रज्य क्षेत्र का नाम	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अन्तरिम आंकड़े (लाखों में)	अनुमानित रोगी (लाखों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	535.00	8.05
2.	असम	200.00	3.00
3.	बिहार	700.00	10.50
4.	गुजरात	340.00	5.10
5.	हरियाणा	130.00	1.95
6.	हिमाचल प्रदेश	40.00	0.60
7.	जम्मू और कश्मीर	60.00	0.90
8.	कर्नाटक	370.00	5.55
9.	केरल	255.00	3.80
10.	मध्य प्रदेश	520.00	7.80

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	630.00	9.45
12.	मणिपुर	14.00	0.21
13.	मेघालय	13.00	0.20
14.	नागालैंड	8.00	0.12
15.	उड़ीसा	265.00	4.00
16.	पंजाब	170.00	2.55
17.	राजस्थान	340.00	5.10
18.	सिक्किम	3.00	0.05
19.	तमिलनाडु	485.00	7.25
20.	त्रिपुरा	20.00	0.30
21.	उत्तर प्रदेश	1110.00	16.65
22.	पश्चिम बंगाल	545.00	8.20
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2.00	0.03
24.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	0.09
25.	चण्डीगढ़	4.50	0.07
26.	दादरा और नगर हवेली	1.00	0.02
27.	दिल्ली	62.00	0.93
28.	गोवा	11.00	0.17
29.	लक्षद्वीप	0.40	0.01
30.	मिजोरम	5.00	0.08
31.	पांडिचेरी	6.00	0.09
	योग	6850.90	102.82

स्वैच्छिक संस्थाओं को मोतियाबिन्द का आपरेशन करने के लिए अधिक धनराशि देना

6133. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आँखों का आपरेशन करने के लिये शिविरों का आयोजन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो मोतियाबिन्द के एक आपरेशन के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है;

(घ) क्या यह राशि आपरेशन पर और मोतियाबिन्द के चश्मे प्रदान करने के लिए हुए खर्च को वहन करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस राशि में वृद्धि करने का है; और

(च) क्या केरल सरकार ने इस आशय का कोई अनुरोध भेजा है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को नेत्र शिवरों का आयोजन करने के लिए 60/- रु० प्रति इन्ट्रा आकुलर आपरेशन की दर से भुगतान किया जाता है। वशर्ते यह राशि प्रति शिविर अधिक से अधिक 12,000/- रुपये हो और यदि सरकारी गश्ती यूनिट की सुविधा हो तो 40/- रुपये प्रति अ परेशन की दर से भुगतान किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) केरल सरकार ने पारिश्रमिक में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने इस रकम में वृद्धि करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। स्वैच्छिक संगठनों को चाहिए कि वे अपनी सरकार से अनुदान की राशि में वृद्धि करवाने के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि करें।

दिल्ली के लिए योजनाएं

6134. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में गरीबों के लिए मकानों का निर्माण करने, झुग्गी झौंपड़ी क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार लाने, प्लाटों का विकास करने, रैन बसेरों का निर्माण करने और दिल्ली में शाहजहानाबाद का पुनर्विकास करने पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है और क्या-क्या कार्य किया गया है;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन योजनाओं को पूरा करने के संबंध में वास्तव में हुई प्रगति का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) यह बजट प्रावधानों और कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करेगा।

(ग) 1985-89 के दौरान जनवरी, 89 तक मलिन बस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत 2392 फ्लैटों का निर्माण किया गया। 13 रैन बसेरे चलाये जा रहे थे और 3000 व्यक्ति इनमें

रात्रि विश्राम का लाभ उठा रहे थे । झुग्गी समूहों में पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत सुविधाओं की व्यवस्था करके 4.13 ल.ख झुग्गी अनधिवासियो को लाभान्वित किया गया है ।

विवरण

1985-89 (फरवरी, 89) के लिए योजनावार/वर्षवार व्यय

क्र. सं.	योजना	वर्षवार व्यय (लाख रुपयों में)			
		1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 (2/89 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	मलिनबस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत मलिनबस्ती पुनर्वास फ्लैटों का निर्माण	450.63	282.71	124.55	43.98
2.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग द्वारा भेजे गए 1985 के मलिनबस्ती निवासियों और अन्यों के लिए रिहायशी फ्लैट पंजीकरण, योजना	—	337.10	614.32	208.31
3.	रैन बसेरों का निर्माण	14.36	38.52	38 86	43.87
4.	झुग्गी समूहों में पर्यावरणीय सुधार	5.05	54.23	459.09	978.77
5.	शाहजहानाबाद का पुनर्विकास *	—	—	—	—
	कुल योग :	470.04	712.61	1236.82	1274.93

* कोई व्यय नहीं किया जा सका।

भारत रुई निगम में कपास उत्पादकों को प्रतिनिधित्व

6135. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रुई निगम के निदेशक मंडल में कपास उत्पादकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है;

(ख) क्या असम में कपास उत्पादक सहकारी समितियों में यह आशंका व्याप्त है कि यदि निदेशक मंडल में उत्पादकों के प्रतिनिधियों को मनोनीत नहीं किया जाता तो उनके हितों को हानि होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सरकार ने भारतीय कपास निगम के निदेशक मंडल में रुई उपजकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देने का पहले ही विनिश्चय कर लिया है।

समान कार्य के लिए समान वेतन

[हिन्दी]

6136. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश जारी किया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका में इस सिद्धान्त का पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में, स्टाफ यूनियनों में से एक ने इस विषय पर न्यायालय में याचिका दायर की है। यह मामला न्यायाधीन है। नई दिल्ली नगर पालिका में मस्टर रोल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत श्रमायुक्त, दिल्ली द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के आधार पर दैनिक मजूरी का भुगतान किया जाता है। दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय लोक निर्माण निभाग के पैटर्न पर 1.4.1988 से दैनिक मजदूरी की दरों को संशोधित किया है जो कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त पर आधारित है।

दिल्ली में निजी भवन निर्माताओं द्वारा अनाधिकृत निर्माण

6137. **श्री कार्ल प्रसाद पाण्डेय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक भवनों के निर्माण को एक संज्ञेय अपराध घोषित किए जाने के बाद वर्ष 1984 से अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण में संलग्न निजी भवन निर्माताओं के विरुद्ध वर्षवार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का पुरानी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में अनधिकृत निर्माण में संलग्न निजी भवन निर्माताओं के विरुद्ध जांच करने का विचार है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का न्यायालयों से रोक आदेश प्राप्त किए जाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) सरकार ने रोक-आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा संभव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खाद्य तेलों के मूल्यों में कमी

6138. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उत्पादकों ने स्वेच्छा से रबी और खरीफ दोनों फसलों में तिलहनों की भारी पैदावार को देखते हुए मार्च, 1989 के अन्तिम सप्ताह में सभी खाद्य तेलों के मूल्यों में कमी करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है,

(ग) क्या इस निर्णय के परिणाम स्वरूप खाद्य तेलों के मूल्यों में कोई कमी होने की संभावना है और इससे किसानों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां तो किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) कुछ वनस्पति और खाद्य तेल विनिर्माताओं ने अपने द्वारा तैयार किए जाने वाले परिष्कृत/अपरिष्कृत तेल के मूल्यों में स्वेच्छा से कमी कर दी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) किसानों को लाभकर मूल्य दिलाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) खाद्य तेलों के थोक मूल्यों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को बाजार दखल एजेंसी के रूप में नियत किया गया है,

(2) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) को भी समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत तिलहनों की वसूली के लिए केन्द्रीय केन्द्रक अभिकरण के रूप में नियत किया गया है,

(3) किसानों द्वारा अधिक उत्पादन किए जाने हेतु प्रोत्साहन के रूप में तिलहनों के लाभकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा,

(4) खाद्य तेलों का कम से कम आयात करना,

(5) भण्डारण नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत सीमा में छूट देना, और

(6) तिलहनों के भण्डारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण सीमा में छूट देना ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जे

6139. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पंजीकृत सहकारी ग्रुप आवास समितियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि आवंटन हेतु मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि की मांग की गई है और दिसम्बर, 1988 के अन्त तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत कितनी भूमि इस समय किन्हीं लोगों अथवा संस्थाओं के अनधिकृत कब्जे में है; और

(घ) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान उस भूमि को खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की है और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी भूमि वापस मिली है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली के पास अगस्त, 1983 तक पंजीकृत 1281 सहकारी सामुहिक आवास समितियां उनके द्वारा भूमि के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रवर्त्तित की गई हैं।

(ख) मांग की गई भूमि का कुल क्षेत्र नहीं निकाला गया है। मोटे अनुमान के तौर पर यह करीब 2000 (दो हजार) एकड़ बैठता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके पास कुल 7500 एकड़ भूमि क्षेत्र उपलब्ध है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फील्ड स्टाफ द्वारा जिन नए अतिक्रमणों का पता लगाया जाता है, उन्हें उसी समय गिरा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण को रोकने तथा अतिक्रमण हटाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए जा रहे हैं :—

1. चलते-फिरते मकान गिराऊ दस्ते द्वारा नये अतिक्रमण को हटाना।

2. सम्बद्ध कानूनों के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाने की कार्यवाहियां और लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखली।

1986-1987 तथा 1988 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्रमशः 13069, 6473 और 6931 अनधिकृत निर्माणों को हटाया। दिल्ली विकास प्राधिकरण लगभग 168.70 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा अन्य कपड़ा मिलों की रुई की मांग

[अनुवाद]

6140. **श्री शान्ती लाल पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम को राष्ट्रीय कपड़ा निगम और गुजरात में स्थित गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य कपड़ा मिलों से रुई के लिए क्रयादेश प्राप्त हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) भारतीय कपास निगम को 34396 रुई की गाठें सप्लाई केरने के लिए गुजरात स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों से आशय-पत्र प्राप्त हुए है। गुजरात स्थित गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों से कोई आशय-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

सूत का उपलब्ध न होना

6141. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ महीनों से महाराष्ट्र राज्य में विशेषकर नागपुर जिले के हथकरघा और विद्युतचालित करघा बुनकरों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में सूत नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूत की अनुपलब्धता के कारण विद्युत चालित करघे और हथकरघे बन्द होने के कगार पर है: और

(ग) यदि हां, तो सरकार का स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) : हालांकि हैंक तथा कोन यार्न की कीमतों में हाल ही में कुछ वृद्धि हुई है तथापि उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है। भारी संख्या में पावरलूम तथा हथकरघे बन्द नहीं हुए हैं अथवा बन्द होने की आशंका नहीं है। तथापि, सरकार यार्न की उपलब्धता तथा कीमतों दोनों पर कड़ी नजर रखे हुए है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को एक समिति में बदलना

6124. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ अधिकारी संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करके एक समिति में बदल दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में वन क्षेत्र

6143. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में, श्रेणी-वार, कुल वन-क्षेत्र कितना है;

(ख) ग्रामवासियों के स्वामित्व वाले विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, गैर-सरकारी वनों की क्या स्थिति है; और

(ग) क्या, जिस भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा 6 वर्ष से अधिक समय से है, ऐसी भूमि पर उगाये गये वाणिज्यिक अथवा गैर-वाणिज्यिक वृक्षों पर भू-स्वामी का हक होता है अथवा वन विभाग का ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रिजर्व वनों और सुरक्षित वनों के अन्तर्गत क्रमशः 3059 वर्ग किलोमीटर और 4112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ।

(ख) इस संघ शासित क्षेत्र में कोई गैर-सरकारी वन नहीं है ।

(ग) कृषि भूमि के स्वामियों द्वारा उगाए गए पेड़ उन्हीं के होते हैं ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

6144. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने परियोजनाओं को वन और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति हेतु आज तक कुल कितने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) स्वीकृति के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और यह कब से विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अण्डमान और निकोबार प्रशासन से वानिकी व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अब तक 49 परियोजनाएँ प्राप्त हुई है । इनमें 16 परियोजनाएँ केवल पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए, 31 परियोजनाएं केवल वानिकी स्वीकृति के लिए और 2 परियोजनाएं वानिकी और पर्यावरणीय दोनों स्वीकृतियों के लिए हैं ।

(ख) नौ परियोजनाएं अब लम्बित हैं । उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

स्वीकृति के लिए लम्बित परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम और मंत्रालय में कब प्राप्त हुई	वर्तमान स्थिति
1.	कार्बियन्स कोव के निकट ज्वॉय लैण्ड होटल परियोजना मार्च, 1989	प्रस्ताव में आवश्यक सूचना पूरी नहीं थी इसलिए प्रशासन से निम्नलिखित ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है : —अपेक्षित भूमि —निर्माण/ढांचे की किस्म; और —किस प्रकार की निर्माण सामग्री होगी, वह कहां से प्राप्त होगी और उसको कैसे ढोया जाएगा ।
2.	हॉवलॉक द्वीप में यात्री निवास का निर्माण फरवरी, 1989	निर्माण के डिजायन/रूपरेखा को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए शीर्षस्थ निकाय ने 14.3.89 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है । प्रस्ताव पर अब पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जा रही है ।
3.	कछाल द्वीप में डीजल उत्पादन क्षमता का विस्तार फरवरी, 1989	वर्तमान संयंत्र, परियोजना स्थल और पानी उपलब्धता के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है ।
4.	कमोर्टा में डीजल उत्पादन क्षमता का विस्तार जनवरी, 1989	परियोजना स्थल, भण्डारण और ईंधन के उपयोग की सुविधाएं तथा अन्य संगत ब्यौरे के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है ।
5.	कार निकोबार में समुद्र तट सैरगाह का निर्माण दिसम्बर, 1988	केवल ले-आउट मानचित्र प्राप्त हुआ था और प्रस्ताव की जांच करने के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय सूचना उपलब्ध नही है । ब्यौरों की प्रतीक्षा है ।
6.	कार निकोबार में नारियल तेल मिल की स्थापना दिसम्बर, 1988	परियोजना स्थल और वर्तमान पर्यावरणीय परिस्थितियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है ।
7.	उत्तरी अण्डमान में डीजल उत्पादन क्षमता का विस्तार सितम्बर, 1987	बेसलाइन प्रदूषण डाटा सहित पर्यावरणीय पहलुओं पर अपेक्षित सूचना प्रतीक्षित है ।

8.	ग्रेट निकोबार में डीजल उत्पादन क्षमता का विस्तार अगस्त, 1987	जल और तेल की उपलब्धता, ईंधन की विशेषताओं के संबंध में सूचना और परियोजना स्थल के बारे में ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
9.	दक्षिणी अण्डमान में ताप विद्युत केन्द्र जुलाई, 1987	गैर-प्रदूषक ईंधन के प्रयोग, परियोजना स्थल और चिमनी की ऊंचाई के बारे में स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए, यदि सभी ब्यौरे, सूचना और कार्य योजनाएं उपलब्ध हो जाएं तो स्वीकृति के बारे में मंत्रालय को निर्णय लेने में प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से सामान्यतः तीन महीने का समय लगता है। यदि सूचना पूरी नहीं हुई तो परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तीन महीने के भीतर पूरी सूचना भेजनी होती है यदि वह निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती तो प्रस्ताव को सूचना उपलब्ध न होने के कारण नामंजूर कर दिया जाता है।

वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के बारे में निर्णय सामान्यतः प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर ले लिया जाता है। यदि प्रस्ताव में पर्यावरणीय ब्यौरे पूरे न हों तो राज्य सरकार और परियोजना प्राधिकारियों को अपेक्षित सूचना भेजनी होती है। यदि ब्यौरे, सूचना मांगे जाने की तारीख से एक महीने के भीतर उपलब्ध नहीं होते तो उन मामलों को आवश्यक सूचना प्राप्त न होने के कारण नामंजूर कर दिया जाता है।

पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में केन्द्रीय श्रम आयुक्त

6145. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, केन्द्रीय सरकारी संगठनों के अन्तर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों के हितों की रक्षार्थ पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में एक केन्द्रीय श्रम आयुक्त को नियुक्त करने अथवा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के श्रम आयुक्त को केन्द्रीय श्रम आयुक्त की ओर से कार्य करने की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में केन्द्रीय सरकारी संगठनों के श्रमिकों की समस्यायें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत ठेकेदारों को लाइसेंस जारी करने के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने हेतु कर्मकारों की ओर से एक विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करने के लिए इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है और केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधिकारियों को रजिस्टरिंग, लाइसेंसिंग और अपील अधिकारी

के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता का क्षेत्राधिकार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तक विस्तृत है और केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित कार्य देखने के लिए एक श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) को भी पोर्ट ब्लेयर में तैनात किया गया है।

केन्द्रीय कोटे के माध्यम से एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिला

6146. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा वर्ष 1988-89 के लिए केन्द्रीय सरकार के विवेकाधीन कोटे से भारतीय नागरिकों को एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये बारी आने से पहले तथा दाखिला परीक्षा दिये बिना, कितनी सीटें आवंटित की गई हैं;

(ख) निवास के आधार पर, आवंटित कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) संस्था की स्थापना के स्थान के आधार पर कोटे के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) सामाजिक समूह और परिवार की वार्षिक आय के अनुसार कोटे के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इनमें मन्त्रियों और/अथवा विधायकों के बच्चे भी शामिल थे और यदि हैं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 1988-89 के सत्र के दौरान एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के लिए कोई सीधा नामांकन नहीं किया है। तथापि, भारत सरकार मेडिकल संस्थाओं वाले राज्यों से प्रत्येक वर्ष अनुरोध करती है कि वे केन्द्रीय पूल में अपने हिस्से की एम०बी०बी०एस० सीटें उपलब्ध कराएं। केन्द्रीय पूल में इन सीटों की संख्या वर्ष दर वर्ष अलग-अलग होती है। ये सीटें बिना मेडिकल कालेजों वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, रक्षा कार्मिकों के बच्चों, अपने खर्चे पर पढ़ने वाले विदेशी छात्रों, वर्मा, श्रलंका आदि से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को आवंटित की जाती हैं। केन्द्रीय पूल में एम०बी०बी०एस० सीटों की कुल उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इन सीटों के आवंटन में वर्ष दर वर्ष भिन्नता होती है। छात्रों का चयन तथा नामांकन उन सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/मन्त्रालयों द्वारा किया जाता है जिन्हें ये सीटें आवंटित की जाती हैं।

दिल्ली में पेयजल का वितरण

[हिन्दी]

6147. **श्री केशवराव पारधी :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में मांग की तुलना में पेयजल की कितनी कमी रहती है; और इस कमी को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) इन सब उपायों के बावजूद आगामी पांच वर्षों के दौरान दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी के लिये पेयजल की मांग और सप्लाई में कितना अन्तर रहेगा; और

(ग) दिल्ली में पेयजल को बढ़ाने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाये गये हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) इस समय दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान 4720 लाख गैलन प्रतिदिन की कुल आवश्यकता की तुलना में विभिन्न शोधन सयंत्रों, रैनी कुओं तथा नलकूपों से 4100 लाख गैलन प्रतिदिन पेयजल का उत्पादन करने के लिये सुसज्जित है। 1995 तक, कच्चे पानी की आवश्यकता का अनुमान 7700 लाख गैलन प्रतिदिन होगा। इसकी तुलना में, स्वच्छ पानी की आपूर्ति 7000 लाख गैलन प्रतिदिन होने की आशा है। दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान की निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं जिससे मार्च/अप्रैल,1990 तक पानी के उत्पादन में लगभग 4800 लाख गैलन प्रतिदिन की वृद्धि होगी :–

(i) 1989-90 के दौरान पूरा होने के लिये निर्धारित वजीराबाद में 400 लाख गैलन प्रतिदिन का जल शोधन सयन्त्र।

(ii) लगभग 150 लाख गैलन प्रतिदिन उत्पादन के लिए अलीपुर, वजीरपुर और मयूर विहार में रैनी कुयें/मयूर विहार का रैनी कुआ पहले ही आरम्भ हो चुका है और अन्य इस माह में पूरे होने की आशा है।

(iii) ओखला में 120 लाख गैलन प्रतिदिन का सयंत्र 1989-90 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है।

(iv) लगभग 30 लाख गैलन प्रतिदिन उत्पादन के लिये 50 नलकूप अप्रैल, 1989 तक पूर्ण होने की आशा है।

योग : 401 + 150 + 120 + 30 = 700 लाख गैलन प्रतिदिन।

दिल्ली की जलपूर्ति में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित दीर्घविधि प्रस्तावों की भी शिनाख्त की गई है :–

(i) हैदरपुर में 1000 लाख गैलन प्रतिदिन शोधन सयन्त्र।

(ii) शोधित मल-जल निस्राव में सिंचाई के पानी का आदान-प्रदान करके नांगलोई में 400 लाख गैलन प्रतिदिन की क्षमता वाला शोधक सयन्त्र।

(iii) टीहरी बांध से 300 क्युसेस पानी।

(iv) उत्तर प्रदेश में टोन्स नदी पर किसहु बांध से एम.ए.एफ.।

(v) हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर रेणुका बांध से 0.4 एम.ए.एफ,।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

6148. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक किसानों से कितने भूमि-क्षेत्र का अधिग्रहण किया है;

(ख) किसानों को किस दर पर मुआवजा-राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह भूमि ऊंची दरों पर आवंटित की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से ली गई ऋण राशि का ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितनी धनराशि की अदायगी की गई है और इस समय ऋण की कितनी धनराशि देना बकाया है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वनों का क्षेत्र

[अनुवाद]

6149. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों का क्षेत्र वन नीति के अन्तर्गत निर्धारित 25 प्रतिशत क्षेत्र के विपरीत घटकर 10 प्रतिशत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह प्रतिबिम्बकी का उपयोग कर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र की जो संकल्पना की गई है उसकी तुलना में 1981-83 की अवधि में देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.52 प्रतिशत वन क्षेत्र था । इसके बाद देश में कुल कितना वन क्षेत्र है इसका अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

रांची, बिहार में रेशम कीट बीज परियोजना

6150. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची, बिहार में टसर रेशम कीट बीज परियोजना स्थापित की गई है;

(ख) क्या इस बारे में कोई कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा को गेहूं का आवंटन

6151. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा राज्य को कुल कितनी मात्रा में गेहूँ आवंटित किया गया;

(ख) क्या राज्य की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में उड़ीसा को अपर्याप्त मात्रा में गेहूँ आवंटित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 में केन्द्रीय पूल से गेहूँ के आवंटन में वृद्धि करने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) उड़ीसा के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान 2.42 लाख मीटरी टन गेहूँ आवंटित किया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को गेहूँ के आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किये जाते हैं। ये आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुरूप होते है।

पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु धनराशि का आवंटन

6152. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक धन-राशि आवंटित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का, राज्य-वार तथा वर्ष-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान, राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वानिकी और वन्यजीव स्कीमों सहित पर्यावरणीय कार्यक्रमों के लिए निधियां केन्द्र और राज्य/संघ शासित क्षेत्र दोनों में पंचवर्षीय और वार्षिक योजना परिव्ययों के अधीन आवंटित की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित परिव्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) केन्द्र में इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1989-90 के लिए 202 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिये किए गए वास्तविक आवंटनों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे।

विवरण

वानिकी और वन्यजीव स्कीमों सहित पर्यावरणीय कार्यक्रमों के लिये निधियों का आवंटन

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	केन्द्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1986-87	1987-88	1988-89
केन्द्र				
	पर्यावरण और वन मन्त्रालय, भारत सरकार के लिये आवंटन	15000.00	16700.00	18200.00
राज्य				
1	आन्ध्र प्रदेश	1524.00	1751.00	1751.00
2	अरुणाचल प्रदेश	531.80	552.00	590.00
3	असम	1813.00	1947.00	2037.00
4	बिहार	926.00	1076.00	1528.00
5	गोवा	*115.00	134.42	146.00
6	गुजरात	2375.00	2825.00	3052.00
7	हिरयाणा	1275.00	1349.00	1738.00
8	हिमाचल प्रदेश	1805.00	2040.00	2520.00
9	जम्मू व कश्मीर	862.00	873.00	1011.00
10	कर्नाटक	1250.00	1285.00	1263.00
11	केरल	1336.00	1680.00	1995.00
15	मध्य प्रदेश	3856.00	4500.00	4750.00
13	महाराष्ट्र	2935.00	3046.00	3500.00
14	मणिपुर	198.00	255.00	389.00
15	मेघ लय	570.00	645.00	837.00
16	मिजोरम	401.10	455.00	479.00
17	नागलैण्ड	268.00	402.00	483.00
18	उड़ीसा	1315.00	2059.00	2216 00
19	पंजाब	540.00	641.00	680.00
20	राजस्थान	885.00	990.00	1120.00
21	सिक्किम	181.00	189.00	220.00
22	तमिलनाडु	2249.00	2440.00	2638.00
23	त्रिपुरा	410.00	420.00	550.00
24	उत्तर प्रदेश	3373.00	3900.00	4974.00
25	पश्चिम बंगाल	1044.00	1097.00	1382.00

संघ शासित क्षेत्र

1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	151.50	182.00	352.00
2	चण्डीगढ़	27.00	27.59	27.60
3	दादरा और नागर हवेली	77.15	119.25	149.25
4	दिल्ली	86.00	115.30	118.20
5	दमन एवं द्वीव	0.00	0.58	30.00
6	लक्षद्वीप	2.00	0.00	0.08
7	पाण्डिचेरी	22.50	33.35	50.00

*इसमें दमन व दीव शामिल हैं।

न्यू पैटर्न हुडको योजना 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

6153. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में प्रेस को उन व्यक्तियों की सूची जारी है : जिन्हें "न्यू पैटर्न हुडको" योजना, 1979 के अन्तर्गत फ्लैट आवंटित किये गये हैं, जिसमें पुराने पंजीकरण नम्बर दिये गये हैं जबकि इन नम्बरों के स्थान पर नये प्राथमिकता नम्बर प्रदान किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो पुराने पंजीकरण नम्बरों के साथ सूची को प्रकाशित करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : मकानों के लिए लाटरिया नई वरियता नम्बरों के आधार पर निकाली गई थी। तथापि, समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सन्दर्भ की सुविधा हेतु मूल पंजीकरण नम्बर दिये गये थे।

उपभोक्ता संरक्षण परिषदों/आयोगों की स्थापना

6154. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा एवं उनकी शिकायतों को दूर करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र में उपभोक्ता सुरक्षा परिषदों/आयोगों की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन परिषदों की राज्य और जिला स्तर पर स्थापना की है तथा केन्द्र और हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई परिषदों के सदस्यों और चेयरमैन का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें

स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर एक तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक तन्त्र की भी व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार ने खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठित कर ली है। इसके सदस्यों में अन्यों के साथ-साथ राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। 28 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित कर ली हैं। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं : आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप तथा पाण्डिचेरी।

हिमाचल प्रदेश ने राज्य स्तरीय परिषद स्थापित नहीं की है।

बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पाण्डिचेरी में राज्य आयोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना कर दी है। अधिनियम में जिला स्तर पर परिषदें स्थापित करने का कोई प्रावधान नही है, इसमें जिला मंचों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

"न्यू पैटर्न हुडको स्कीम, 1979" के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

6155. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में न्यू पैटर्न हुडको स्कीम, 1979 के अन्तर्गत कुछ फ्लैटों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त योजना में फ्लैटों के आवंटन की श्रेणीवार नवीनतम स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 89 में निकाली गई पिछली लाटरी में 10,884 फ्लैट आवंटित किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :—

मध्यम आय वर्ग	1298
निम्न आय वर्ग	5130
जनता	4456

(ग) 31. 3. 89 तक आवंटित फ्लैटों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

मध्यम आय वर्ग	16,676
निम्न आय वर्ग	24,316
जनता	29,889
	योग : 70,881

फ्लैटों के पंजीकरणों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन

6156. **श्रीमती डी0 के0 भंडारी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यू पैटर्न "हुडको" योजना, 1979 के अन्तर्गत किये गये फ्लैटों के पंजीकरणों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता नम्बर आवंटित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह एक हाल ही में लिया गया निर्णय है और प्रक्रियात्मक ब्यौरों को निपटाया जा रहा है।

परिवार कल्याण पुरस्कार के लिए केरल को केन्द्रीय निर्देश

6157. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने परिवार कल्याण पुरस्कार की राशि का उपयोग करने के बारे में केरल सरकार को कोई निर्देश दिये हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त धन-राशि का अन्य उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में उपयोग करने के लिए अनुमति हेतु राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यहि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जुलाई, 1986 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों में इस बात की व्यवस्था है कि राज्य परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण पहलू पर अपने विवेकानुसार तीन वर्षों की अवधि के अन्दर-अन्दर पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में केरल राज्य को कोई अलग निर्देश नहीं दिये गये हैं।

(ख) और (ग) : पुरस्कार राशि को दूसरे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने के बारे में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

वनों पर आधारित उद्योग

6158. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनों पर आधारित उद्योगों की कच्ची सामग्री की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इमारती लकड़ी आयात नीति को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वनों पर आधारित नये उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री शिवाजीरंहलान अन्सारी) : (क) इमारती लकड़ी के आयात नीति को उदार बना दिया गया है औह अब इसके आयात को आम लाइसेंस के अन्तर्गत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) वन पर आधारित नए उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह व्यवस्था है कि भविष्य में ग्राम अथवा कुटीर स्तर के उद्योगों को छोड़कर, वन पर आधारित किसी भी उद्योग को तब तक अनुमति न दी जाए जब तक कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता के बारे में अच्छी तरह से जांच करके उसे मंजूरी न दे दी जाए।

गंधर्व महाविद्यालय से दुरुपयोग प्रभारों की वसूली

6159. **श्री डी० पी० यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंधर्व महाविद्यालय से अब तक दुरुपयोग प्रभार के रूप में कोई धन-राशि वसूल की गई है, यदि हां, तो इसकी गणना किस आधार पर की गई है;

(ख) 28 फरवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार, महाविद्यालय की ओर कितनी धनराशि बकाया थी;

(ग) क्या महाविद्यालय ने अब भी पट्टा-करार के उपबन्धों का उल्लंघन करके इसके परिसर का एक भाग किराये पर दे रखा है; और

(घ) यदि हां, तो विद्यालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हसबीर सिंह) : (क) से (घ) :—गन्धर्व महाविद्यालय द्वारा निर्मित भवन के एक भाग को उन्होंने किराये पर दिया है। इस दुरुपयोग/अतिरिक्त कवरेज के आधार पर संस्थान को निर्धारितिकरण प्रभारों से सूचित करवाया गया था जिसने उसे 12 तिमाही किस्तों में भुगतान करना स्वीकार किया। 77,474 रुपये का एक चैक प्राप्त हुआ परन्तु इसे पट्टाधारी को प्रथम किस्त, भूमि किराया तथा ब्याज का पूरा भुगतान करने के लिए वापिस कर दिया है। पट्टाधारी ने लगाये गये ब्याज के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। महाविद्यालय से 28. 2. 89 की स्थिति के अनुसार 9.29 लाख रुपये की राशि वसूल की जानी है।

औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय जबलपुर में लंबित मामले

6160. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जबलपुर केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण-व-श्रम न्यायालय में कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) इनमें से साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड तथा वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) श्रमिक हितों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित मामलों की संख्या कितनी है तथा लम्बित मामलों को शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या जबलपुर केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण-व-श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद जुलाई, 1988 से रिक्त पड़ा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) 31.12.1988 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित 471 औद्योगिक विवादों तथा 1297 दावों आवेदन पत्रों के मामले केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लम्बित पड़े थे ।

(ख) और (ग) : नियोजक-वार या ट्रेड यूनियन वार लम्बित पड़े मामलों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं । केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालयों के पास लम्बित पड़े मामलों पर निर्धारित मानदंड के संदर्भ में नजर रखी जाती है तथा पीठासीन अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटान के लिए समय समय पर परामर्श दिया जाता है ।

(घ) और (ङ) : केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, जबलपुर के पीठासीन अधिकारी का पद खाली नहीं है ।

खरीद नीति

6161. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू मौसम के दौरान गेहूँ की खरीद के लिए कोई नीति अथवा योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरक्षित भण्डार का निर्माण तथा कमी वाले राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री के लिए इसकी सप्लाई करने के लिये कितनी मात्रा में इसकी खरीद का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा सरकार के समर्थन मूल्य पर किसानों द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश के प्रति गेहूं की वसूली की जाती है ।

(ग) 9 मिलियन मीट्री टन ।

इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये "एर्बेटिस्ट डेवलपमेंट एंड रिलीफ एजेंसी" के कार्यक्रम

6162. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन एर्बेटिस्ट डेवलपमेंट एण्ड रिलीफ एजेंसी" ने जवाहर लाल नेहरू जन्म-शती समारोह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के परिचायक के रूप में भारत में कई पेय जल परियोजनाएं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुरू करने का आश्वासन दिया है;

(ख) क्या इस एजेंसी ने आरम्भ में इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं शुरू करने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कुछ परियोजनाएं इलाहाबाद के उन ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करने का है जहां इनकी भारी जरूरत है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

विकसित और अल्पविकसित देशों की तुलना में भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर

6163. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शिशु मृत्यु दर अन्य विकसित और अल्प विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार वर्ष 1987 के लिये राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु की नवीनतम दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 95 है । कुछ विकसित तथा अल्पविकसित देशों में शिशु मृत्यु दर संलग्न विवरण में दी गई है ।

देश में शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारण हैं—समय से पहले जन्म होना (जन्म के समय वजन कम होना), श्वसन रोग, अतिसार, टिटनेस और कुपोषण । इससे संबंधित जो कारण हैं वे हैं—सामाजिक-आर्थिक स्तर निम्न होना तथा आसपास की सफाई अच्छी होना ।

विवरण

चुनिंदा देशों में शिशु मृत्यु दर

देश	शिशु मृत्यु दर (1980-85)
बर्मा	195-300
थाइलैंड	48
इन्डोनेशिया	125
पाकिस्तान	94.5
अफगानिस्तान	181.6
बंगला देश	128
नेपाल	139
श्रीलंका	32.3
जर्मन संघीय गणराज्य	9.6
युनाइटेड किंगडम	9.6
युनाइटेड स्टेट्स	10.5
भारत*	95*

*1987 (अनन्तिम–नमूना पंजीयन पद्धति से)

स्रोत: यू०एन० डेमोग्राफिक ईयर बुक, 1985 (भारत को छोड़कर)

कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए फ्लैटों का निर्माण

6164. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य स्थानों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये श्रेणी-वार कितने फ्लैट बनाने का विचार है;

(ख) इस संबंध में कितना धन दिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) सूचना इस प्रकार है :–

(I) कलकत्ता

टाइप-II —928

टाइप-III—472

टाइप-IV— 48

योग—1448

(II) पश्चिम बंगाल में कोई अन्य स्थान — शून्य

(ख) वर्ष 1989-90 के लिये 2.90 करोड़ रुपये ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"अपशिष्ट जल को साफ करना"

6165. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गये एक अध्ययन से यह पता लगा है कि देश में अकेले रासायनिक उद्योगों द्वारा ही प्रति दिन 35000 लीटर अपशिष्ट-जल बहाया जाता है;

(ख) क्या हमारे देश में कुल उपलब्ध कुल जल का 70 प्रतिशत दूषित होता है और मानव द्वारा उपयोग किये जाने योग्य नहीं होता;

(ग) क्या पानी साफ करने की विद्यमान प्रणाली में प्रौद्योगिकीय दृष्टि में सुधार लाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ताकि अपशिष्ट जल को साफ करने से संबंधित सभी समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान निकाला जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार को इस प्रकार के किसी अध्ययन की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) पानी को प्रदूषित करने वाले स्रोतों की मुख्य श्रेणियों के लिए मानक निर्धारित कर दिये गये हैं । इन मानकों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना होता है । मानकों को पूरा करने के लिये इस संबंध में शोधन प्रणालियों में प्रौद्योगिकी नवीनीकरण के जरिये लगातार सुधार किया जा रहा है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गुलाबी बाग में गैराजों का आबंटन

6166. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गुलाबी बाग, दिल्ली में स्वयं वित्त पोषित योजना श्रेणी तीन के फ्लैटों के आबंटितियों के लिये निर्मित कार और स्कूटर गैराजों की कुल संख्या कितनी है और उसके आबंटन के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या गैरेजों का आबंटन कर दिया गया है यदि नहीं तो कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक गैरेज की अनुमानित लागत कितनी है और क्या राशि को उक्त स्वयं वित्त पोषित योजना के फ्लैट की लागत में जोड़ दिया गया है अथवा इसे संबंधित आबंटितियों को अलग से वहन करना पड़ेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) कार गैराज — 10
स्कूटर गैराज — 20
आबंटन लाटरी द्वारा किये गये थे ,

(ख) जी, हां।

(ग) एक कार गैराज की लागत 20,500 रुपये थी जो श्रेणी-III के प्रत्येक आवंटी से अलग-अलग वसूल की गई थी। स्कटर गैराज की लागत 6,600 रुपये थी जो फ्लैट की लागत में शामिल थी।

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान

6167 **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के एक सेवानिवृत अधिकारी के लिये, जो अपनी सेवानिवृति के लम्बे समय के पश्चात किसी गैर-सरकारी कम्पनी में परामर्शदाता के रूप में अंशकालिक रोजगार प्राप्त करता है तथा व्यावसायिक सेवाओं के रूप में इसके यिये प्रतिमाह 1000/- रु० से कम परिलब्धयां प्राप्त करता है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान करना अनिवार्य है जबकि वह राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का पहले से ही सदस्य होता है और इसमें नियमित रूप से अंशदान करता है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा जारी किये गये कानून/विनियमन/आदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सेवानिवृत कार्मिकों को दो योजनाओं का सदस्य बनने के लिये मजबूर करने के पीछे क्या औचित्य है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार, यह अधिनियम किसी कारखाने अथवा स्थापन, जिसे अधिनियम लागू होता है, में मजदूरी के लिये या उससे संबंधित कार्य के लिये नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को लागू होता है और ऐसे सभी व्यक्तियों को उनके द्वारा प्राप्त की गई मजदूरी से अंशदान को अदा करना अपेक्षित होता है। इसलिए, सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी भी, जो अंशकालिक परामर्शदाता के रूप में नियोजित हैं, अधिनियम के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) के०स०स्वा०से० के अधीन सेवानिवृत्त व्यक्ति केवल चिकित्सीय तथा अस्पताल भर्ती सुविधाओं के ही पात्र हैं। दूसरी ओर, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में चिकित्सा देखरेख के अलावा बीमारी, प्रसूति और नियोजन के दौरान चोट की आकस्मिकताओं के लिये नकद लाभों की व्यवस्था भी की गई है ?

निर्मित मकानों में कर्मचारियों का कोटा

6168. **श्री राज कुमार राय** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा है जिसमें निर्मित मकानों से कर्मचारियों के कोटे की सिफारिश की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसा कोटा पहले भी उपलब्ध कराया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्धारित कोटे को पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कर्मचारियों से निर्मित मकानों की वही लागत लिये जाने का विचार है जो लागत जनता से ली गई थी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लैटों का 5% आरक्षण अपने कर्मचारियों के लिये करने का एक प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1986 में भेजा था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। मामले पर गहराई से विचार किया गया था और निम्नलिखित को छोड़ कर सभी कोटे बन्द करने का निर्णय लिया गया था :—

1 युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं।

2 भूतपूर्व सैनिक।

3 शारिरिक रूप से अपंग व्यक्ति।

4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति।

(घ) फ्लैटों और भूखण्डों के आवंटन तथा बिक्री के मामले में कर्मचारी की कोई अलग श्रेणी नहीं मानी जाती।

चिड़िया घर

6169. **श्री एन० डेनिस** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार चिड़िया घर कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र में यदि कोई ऐसे चिड़िया घर हैं तो वे कहां-कहां स्थित हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकारी क्षेत्र में चिड़िया घरों की राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में चिड़ियाघरों की राज्यवार सूची और उनके स्थान नीचे दिये गये हैं :—

क्र. सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
1	गुजरात	1—महाराज फतेहसिंह चिड़ियाघर	बड़ौदा
2	राजस्थान	2—बिरला संग्रहालय और चिड़ियाघर	पिलानी
3	पश्चिम बंगाल	3—मार्बल पैलेस जू	कलकत्ता

विवरण

सरकारी क्षेत्र में चिड़ियाघरों की सूची

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1 हाडू चिड़ियाघर	पोर्ट ब्लेयर
2	आन्ध्र प्रदेश	2 इंदिरा गांधी चिड़ियाघर	विशाखापत्तनम
		3 नेहरू चिड़ियाघर	हैदराबाद
3	असम	4 असम राज्य चिड़ियाघर	गौहाटी
4	बिहार	5 नेहरू बायलॉजिकल पार्क	बोकारो
		6 संजय गांधी बायलॉजिकल पार्क	पटना
5	दिल्ली	7 राष्ट्रीय प्राणि उद्यान	नई दिल्ली
6	दादर और नागर हवेली	8 सिलवासा चिड़ियाघर	सिलवासा
7	गोवा	9 बोंडला चिड़ियाघर	उसगांवा
8	गुजरात	10 कमला नेहरू चिड़ियाघर	अहमदाबाद
		11 सक्कर बाग चिड़ियाघर	जूनागढ़
		12 सायाजी बाग चिड़ियाघर	बड़ौदा
		13 सुन्दर वन	अहमदाबाद
9	कर्नाटक	14 श्री चमराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन	मैसूर
10	केरल	15 त्रिवेन्द्रम चिड़ियाघर	त्रिवेन्द्रम
		16 राज्य संग्रहालय और चिड़ियाघर	त्रिचूर
11	मध्य प्रदेश	17 ग्वालियर नगरपालिका चिड़ियाघर	ग्वालियर
		18 वन विहार	भोपाल
		19 मैत्री बाग चिड़ियाघर	सिवनी
12	महाराष्ट्र	20 वीर माता जीजाजी बाई चिड़ियाघर	बम्बई
		21 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान	बोरीवली
		22 पेशवा उद्यान चिड़ियाघर	पूना
		23 महाराजा बाग चिड़ियाघर	नागपुर
		24 शोलापुर चिड़ियाघर	शोलापुर
		25 औरंगाबाद नगरपालिका चिड़ियाघर	औरंगाबाद
		26 महाराजा शाहू जी छत्रपति चिड़ियाघर	कोल्हापुर
13	नागालैंड	27 कोहिमा चिड़ियाघर	कोहिमा

14	उड़ीसा	28 नन्दन कानन चिड़ियाघर	नन्दन कानन
15	पंजाब	29 एम. सी. चिड़ियाघर	चण्डीगढ़
16	राजस्थान	30 बीकानेर चिड़ियाघर	बीकानेर
		31 जोधपुर चिड़ियाघर	जोधपुर
		32 जयपुर चिड़ियाघर	जयपुर
		33 कोटा चिड़ियाघर	कोटा
		34 उदयपुर चिड़ियाघर	उदयपुर
17	तमिलनाडु	35 आरिगनार-अन्ना चिड़ियाघर	मद्रास
		36 कोयम्बतूर नगरपालिका चिड़ियाघर	कोयम्बतूर
		37 कुरूम्बापाटी चिड़ियाघर	सालेम
18	उत्तर प्रदेश	38 कानपुर चिड़ियाघर	कानपुर
		39 प्रिंस आफ वेल्स	लखनऊ
19	पश्चिम बंगाल	40 अलीपोर चिड़ियाघर	कलकत्ता
		41 पद्मजा नायडु हिमालयन जूलाजिकल पार्क	दार्जिलिंग

दक्षिणी दिल्ली की कालोनियों में पानी

6170. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली की सरकारी कालोनियों में पानी की सप्लाई दिन में मात्र चार घंटे ही की जाती है और गर्मी ने मौसम में इसमें और भी कटौती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक कालोनी में सर्दी और गर्मी में तथा सवेरे और शाम को पानी की सप्लाई कितने-कितने घंटे की जाती है;

(ग) क्या इन कालोनियों में स्थापित किए गए अधिकांश बूस्टर पम्प बहुत पुराने हैं और संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं करते, जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को सारे वर्ष पानी की कमी का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या आवंटियों की मुश्किलों को दूर करने के लिए पानी सप्लाई के समय में वृद्धि की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए अन्य क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दक्षिणी दिल्ली में सरकारी कालोनियों में जल आपूर्ति की अवधि सामान्यतः तीन घंटे और तेरह घंटे के मध्य प्रतिदिन भिन्न-भिन्न है। इसके कालोनी-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अधिकतर बूस्टर पम्प अपने उपयोगी जीवन से अधिक पुराने नहीं हैं और इनकी देखभाल संतोषजनक रूप से की जा रही है।

(घ) और (ङ) यदि दिल्ली नगर निगम पानी की अधिक सप्लाई बढ़ाता है तो पानी की सप्लाई बढ़ाना संभव होगा ।

विवरण

गर्मी तथा सर्दी के दौरान सुबह तथा शाम को जल आपूर्ति के घण्टों के कालोनी-वार ब्यौरे

क्रम सं०	कालोनी का नाम	गर्मी के दौरान		सर्दी के दौरान	
		प्रात:	सायं	प्रात:	सायं
1.	सैक्टर 13, आर. के. पुरम. की बहुमंजिलें फ्लैटों के लिए जल पूर्ति 13 घण्टे प्रतिदिन				
2.	उत्तर पश्चिम मोतीबाग–I	6.00 बजे से 9.30 बजे	6.00 बजे से 8.00 बजे	6.00 बजे से 10.30 बजे	5.00 बजे से 9.00 बजे
3.	आई. बी. कालोनी	6.00 बजे से 9.00 बजे	6.00 बजे से 8.00 बजे	6.00 बजे से 9.30 बजे	6.00 बजे से 8.30 बजे
4.	सैक्टर-8, आर. के. पुरम	6.00 बजे से 7.30 बजे	6.00 बजे से 7.30 बजे	5.30 बजे से 8.30 बजे	5.30 बजे से 8.00 बजे
5.	सैक्टर-9, आर. के. पुरम	5.00 बजे से 8.00 बजे	5.00 बजे से 8.00 बजे	5.00 बजे से 8.30 बजे	5.00 बजे से 8.30 बजे
6.	सैक्टर-12, आर. के. पुरम	5.00 बजे से 8.30 बजे	5.30 बजे से 8.00 बजे	5.00 बजे से 9.00 बजे	5.00 बजे से 9.00 बजे
7.	नानकपुरा	5.30 बजे से 8.30 बजे	5.00 बजे से 8.00 बजे	5.00 बजे से 8.30 बजे	5.00 बजे से 8.30 बजे
8.	सैक्टर-3, आर. के. पुरम	5.50 बजे से 10.00 बजे	5.00 बजे से 10.00 बजे	5.30 बजे से 10.00 बजे	5.00 बजे से 10.00 बजे
9.	मोहम्मदपुर (आर. के. पुरम)	5.30 बजे से 10.00 बजे	5.30 बजे से 9.00 बजे	5.30 बजे से 10.00 बजे	5.00 बजे से 10.00 बजे
10.	लोधी कालोनी	5.00 बजे से 9.00 बजे	5.00 बजे से 9.00 बजे	उसी प्रकार	
11.	श्रीनिवासपुरी	6.00 बजे से 9.00 बजे	5.00 बजे से 8.00 बजे	उसी प्रकार	

12. सादिक नगर	6.00 बजे से 9.30 बजे	1.00 बजे से 1.30 बजे तथा 5.30 बजे से 9.00 बजे	उसी प्रकार	
13. आई. सी. ए. आर.	6.00 बजे से 9.30 बजे	1.00 बजे से 1.30 बजे तथा 5.00 बजे से 9.00 बजे	उसी प्रकार	
14. ओ. सी. एस.	6.00 बजे से 9.30 बजे	1.00 बजे से 1.30 बजे तथा 5.00 बजे से 9.00 बजे	उसी प्रकार	
15. किदवाई नगर	6.00 बजे से 9.00 बजे	1.00 बजे से 2.00 बजे तथा 5.00 बजे से 9.00 बजे	उसी प्रकार	
16. एक्यूज गंज	6.00 बजे से 9.00 बजे	1.00 बजे से 2.00 बजे तथा 5.00 बजे से 9.00 बजे	उसी प्रकार	
17. वसन्त विहार	6.30 बजे से 9.00 बजे	6.30 बजे से 9.00 बजे	6.30 बजे से 9.00 बजे	6.30 बजे से 9.00 बजे
18. पुष्प विहार	6.00 बजे से 7.00 बजे	12.00 बजे से 1.00 बजे तथा 6.00 बजे से 7.00 बजे	6.00 बजे से 7.00 बजे	12.00 बजे से 1.00 बजे तथा 6.00 बजे से 7.00 बजे
19. एस. पी. मार्ग (128 टाईप–IV क्वार्टर)	7.00 बजे से 9.00 बजे	6.00 बजे से 7.00 बजे	7.00 बजे से 9.00 बजे	6.00 बजे से 7.00 बजे
20. आर. के. पुरम (128 टाइप–IV क्वार्टर)	6.00 बजे से 8.30 बजे	6.00 बजे से 8.30 बजे	5.00 बजे से 9.00 बजे	5.00 बजे से 9.00 बजे
21. पुष्प विहार क्षेत्र एम. बी. रोड (साकेत)	6.00 बजे से 7.30 बजे	12.00 बजे से 1.00 बजे तथा 6.30 बजे से 7.30 बजे	6.00 बजे से 7.30 बजे	12.00 बजे से 1.00 बजे तथा 6.30 बजे से 7.30 बजे
22. लोधी रोड काम्पलैक्स	6.00 बजे से 9.00 बजे	5.00 बजे से 8.00 बजे	6.00 बजे से 9.00 बजे	5.00 बजे से 8.00 बजे
23. प्रगति विहार होस्टल	——————24 घण्टे——————			

बागान मजदूरों की मजदूरी

6171. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागान मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो चाय, काफी इलायची के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए निर्धारित की गई मजदूरी का ब्यौरा क्या है और यह मजदूरी कब से निर्धारित की गई है;

(ग) क्या उनकी मजदूरी में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन, चाय काफी तथा इलायची के नियोजनों में नियोजित कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करने के लिए समुचित सरकार राज्य सरकारें हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार, बागान नियोजनों में अकुशल कर्मकारों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित/संशोधित न्यूनतम मजदूरी की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य सरकार	न्यूनतम मजदूरी	किस तारीख से प्रभावी है
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.00 रु० प्रति दिन	17-3-89
2.	कर्नाटक	9.35 रु० प्रति दिन + प्रति दिन 2 पैसे प्रति प्वाइंट की दर से परिवर्ती मंहगाई भत्ता	7-8-84
3.	केरल	7.60 रु० प्रति दिन + प्रति दिन 2 पैसे की दर से परिवर्ती मंहगाई भत्ता	1-4-87
4.	नागालैंड	15.00 रु० प्रति दिन	6-5-87
5.	तमिलनाडु	6.35 रु० प्रति दिन + 3.84 रु० परिवर्ती मंहगाई भत्ता	19-6-85
6.	त्रिपुरा	8.35 रु० प्रति दिन	10-3-87
7.	उत्तर प्रदेश	9.46 रु0 प्रति दिन	31-3-88 तक

बीड़ी मजदूर कल्याण निधि के लिए कम धनराशि एकत्र होना

6172. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी मजदूर कल्याण निधि के रूप में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से, वर्षवार, कितनी-कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ख) कल्याण निधि से वित्त पोषित की जाने वाली बीड़ी मजदूर कल्याण योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या मानदंड/मापदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या यह धनराशि केवल केन्द्रीय संगठनों के माध्यम से व्यय की जाती है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में चल रही विभिन्न कल्याण योजनाओं और गत तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) विवरण—1 संलग्न है ।

(ख) बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों को चिकित्सा, आवास, शैक्षणिक मनोरंजन और परिवार कल्याण सुविधाएं देने के लिए अनेक कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं और बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत यह लागू की जा रही हैं । सामान्यतः ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाती है, जो उक्त कल्याण योजनाओं में बनाए गए मानकों/मानदंडों को पूरा करते हैं । इन कल्याण योजनाओं को लागू करने पर होने वाले व्यय के लिए वार्षिक बजट को प्रत्येक प्रमुख बीड़ी उत्पादक राज्य के लिए गठित सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया गया है । संबंधित राज्य के श्रम मन्त्री इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं ।

(ग) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि इस निधि को केन्द्रीय सरकार द्वारा बीड़ी प्रतिष्ठानों में नियुक्त व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार को या किसी स्थानीय प्राधिकारी को या किसी नियोजक को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी योजना में सहायता के लिए ऋण या आर्थिक सहायता के लिए इस निधि का उपयोग किया जाए । इसमें किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी एजेंसी को निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती है या किसी नियोजक को जहां केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि वह बीड़ी प्रतिष्ठानों में नियुक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए कल्याण उपाय और सुविधाएं उपलब्ध करता है वार्षिक सहायता अनुदान की भी व्यवस्था है ।

(घ) लागू की जा रही कल्याण योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण—2 में दी गई है । बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों को मुफ्त उपचार दिलाने के लिए अभी तक 154 औषधालय, एक चैस्ट क्लिनिक और एक अस्पताल गठित किया गया है । तीन अस्पताल स्थापित किए जाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है । दो प्रमुख योजनाओं अर्थात् बीड़ी उद्योग में कार्यरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मकारों के लिए आवास योजना और छात्रवृत्तियां देने के लिए योजना के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण—3 में दी गई है ।

विवरण–1

विनिर्मित बीड़ियों पर उपकर का राज्य-वार एकत्रण

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1985-86	1986-87	1987-88
		रु०	रु०	रु०
1	आन्ध्र प्रदेश	56,06,257	59,76,179	1,86,92,918
2	बिहार	19,14,123	19,43,380	60,01,229
3	चंडीगढ़	39	22	24
4	गुजरात	88,651	88,413	2,77,531
5	कर्नाटक	56,46,196	57,18,556	1,73,05,952
6	केरल	14,07,467	14,03,148	45,23,044
7	मेघालय	39,867	38,768	76,389
8	महाराष्ट्र	32,27,315	39,14,127	93,23,068
9	मध्य प्रदेश	79,75,731	81,32,382	2,30,34,651
10	उड़ीसा	3,75,680	4,01,931	11,95,934
11	राजस्थान	3,99,660	4,06,224	12,53,274
12	तमिलनाडु	53,08,116	58,29,127	1,75,05,605
13	उत्तर प्रदेश	22,40,320	26,01,711	79,44,403
14	पश्चिम बंगाल	30,34,381	31,88,684	1,08,76,482

विवरण–2

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही कल्याण योजनाएं

1. टी० बी० अस्पतालों में पलंगों का आरक्षण ।
2. कैंसर से पीड़ित कर्मकारों को वास्तविक उपचार प्रभार की प्रतिपूर्ति ।
3. मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार के लिए सुविधाएं प्रदान करने की योजना ।
4. बीड़ी कर्मकारों (जिनमें घर खाता कर्मकार शामिल है) को मुफ्त चश्मे की पूर्ति करने की योजना ।
5. हृदय रोगी के उपचार की योजना ।
6. बीड़ी कर्मकारों को कुष्ठ राहत की योजना ।
7. टी० बी० से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों का आवासीय उपचार ।

8. सहकारी समितियों के जरिये बीड़ी कर्मकारों के लिए ग्रुप बीमा योजना।

9. महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना।

10. बीड़ी कर्मकारों को नसबंदी के लिए मौद्रिक प्रतिकर की अदायगी योजना।

11. अपना घर स्वयं बनाएं योजना।

12, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना।

13. बीड़ी कर्मकारों के लिए ग्रुप आवास योजना।

14. वर्क शेड़ों और गोदामों के विनिर्माण के लिए बीड़ी कर्मकारों की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

15. बीड़ी कर्मकारों के बालकों को छात्रवृति प्रदान करना।

16. स्कूल जाने वाले बालकों को एक जोड़ी ड्रैस की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता।

17. श्रव्य-दृश्य सेटों की स्थापना/सिनेमा वैनों/फिल्मों के प्रदर्शन की योजना।

18. खेल-कूद, क्रीड़ा और सांस्कृतिक कार्यकलापों को आयोजित करने की योजना।

19. होली-डे होम की व्यवस्था करने की योजना।

विवरण–3

बीड़ी उद्योग में लगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए
आवास योजना

वर्ष	राज्य	स्थान	स्वीकृत मकानों की संख्या
1986-87	महाराष्ट्र	शोलापुर	4000
	राजस्थान	अजमेर	100
		कोटा	50
1987-88	आन्ध्र प्रदेश	निजामाबाद	180
1988-89	आन्ध्र प्रदेश	निजामाबाद	120
	—यथोक्त—	कमालपुरम	100
	महाराष्ट्र	जालना	353
	—यथोक्त—	येराबाडा (पुणे)	229
	—यथोक्त—	नांडेड	210
	गुजरात	अहमदाबाद	410

1985-86 से 1987-88 के दौरान बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अधीन वितरित राज्य-वार छात्रवृत्तियां

राज्य	1985-86		1986-87		1987-88	
	पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या	वितरित राशि (रु०)	पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या	वितरित राशि (रु०)	पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या	वितरित राशि (रु०)
कर्नाटक	1952	5,49,925	3078	7,93,000	3574	11,02,397
केरल	1330	2,98,555	2731	6,06,956	1745	4,99,911
आन्ध्र प्रदेश	1485	4,49,970	1285	4,00,815	1430	4,70,325
तमिलनाडु	1866	4,49,408	1639	3,96,935	1616	4,20,599
गुजरात	740	2,22,660	1412	3,76,560	1405	3,59,040
राजस्थान	815	2,57,400	1323	4,08,840	1425	4,12,260
मध्य प्रदेश	3195	8,86,175	4022	11,58,362	3725	13,67,970
पश्चिम बंगाल	1901	5,25,430	2767	9,49,020	2985	9,62,760
उड़ीसा	464	1,17,650	915	2,74,140	984	2,99,860
असम	16	4,600	111	36,900	88	27,660
त्रिपुरा	18	4,500	29	8,700	33	9,480
महाराष्ट्र	5123	16,89,405	4094	15,00,000	5445	16,99,980
उत्तर प्रदेश	1431	4,40,580	2096	6,86,880	2285	7,54,920
बिहार	877	3,99,977	1447	5,99,770	1420	5,93,867

तपेदिक के साथ एड्स को जोड़ना

6173. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तपेदिक का शीघ्र पता लगाने/निदान करने के लिये विश्वसनीय प्रयोगशाला परीक्षण करने का है और यदि हां, तो इस संबंध में अनुसंधान और विकास के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या तपेदिक रोग को अब एड्स के साथ जोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) क्षय रोग के जल्दी पता लगाने/निदान करने अर्थात् थूक की जांच करने के लिए विश्वसनीय प्रयोगशाला परीक्षण की सुविधायें पहले से ही मौजूद हैं।

(ख) और (ग) इस संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा भूमि लाइसेंस शुल्क की बकाया धनराशि की वसूली

6174. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका को लाइसेंस वाली भूमि के विभिन्न धारकों की ओर लाइसेंस शुल्क और उसके ब्याज के रूप में कितना धन बकाया है;

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा उसकी वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें लाइसेंस रद्द करने के बारे में विचार किया गया या वास्तव में रद्द कर दिए गए;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क)

क्रम सं०	पट्टाधारी का नाम	कुल लाइसेंस फीस	ब्याज	31-12-1988 को शुद्ध देय राशि
1.	मैसर्स सी०जे० इन्टरनेशनल होटल्स लि० (मेरिडियन होटल्स)	चालू वर्ष के लिए अग्रिम लाइसेंस फीस सहित 18.76 करोड़ रुपये	पुनर्मिलान की शर्त पर दिसम्बर 88 तक 7,79,47,800 रुपये	26,55,47,800 रुपये
2.	मैसर्स भारत होटल्स लि०	चालू वर्ष के लिए अग्रिम लाइसेंस फीस सहित 8.70 करोड़ रुपये	3,01,23,750 रुपये (पुनर्मिलान की शर्त पर)	11,71,23,750 रुपये
3.	मैसर्स प्रोमिनेन्ट होटल्स लि०	1,87,48,240 रुपये	86,40,326 रुपये (पुनर्मिलान की शर्त पर)	2,73,88,566 रुपये

(ख) **मैसर्स सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लि०**

दिनांक 6-1-1989 और 15-2-1989 को 3,58,89,331.89 रुपये के मांग नोटिस जारी किए गए थे जिसमें निम्नलिखित शामिल था। भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है और कानून के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है :–

1.	बिलम्बित अवधि के लिए आस्थगित भुगताग की प्रथम किस्त	53,60,000/- रुपये
2.	चालू वर्ष के लिए अग्रिम लाइसेंस फीस	2,68,00,000/- रुपये
3.	प्रथम वर्ष के लिए अग्रिम लाइसेंस फीस के भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	33,80,032.27/- रुपये
4.	बंगलों की लागत ह्रास जो होटल स्थल पर विद्यमान है, के विलम्बित भुगतान पर ब्याज	41,572.62 रुपये
5.	होटल स्थल से बिजली की केबिलों को हटाना	1,61,870.00 रुपये
6.	स्वच्छ जल लाइनों और सीवर लाइनों आदि के कनैक्शनों को हटाना	1,45,857.00 रुपये
		3,58,89,331.89 रुपये

मैसर्स भारत होटल्स लि०

एक और वर्ष के लिए लाइसेंस फीस के भुगतान में विलम्बन काल की मंजूरी के लिए उन्होंने आवेदन किया है क्योंकि उनका होटल अभी पूर्ण नहीं हुआ है एवं पूर्ण रूप से स्थापित नही हुआ है। यह अनुरोध विचाराधीन है। तथापि, 15-11-88 तक विलम्बन काल के लिए आस्थगित भुगतान की पहली किस्त के रूप में 24,16,667 रुपये प्राप्त हो गए हैं परन्तु उन्हें चालू वर्ष के लिए अग्रिम लाइसेंस फीस के रूप में 1.45 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है।

मैसर्स प्रोमिनेन्ट होटल लि०

वर्ष 1988-89 के लिए लाइसेंस फीस के लिए 31-3-1989 तक और 4-11-88 को देय आस्थगित भुगतान की तीसरी किस्त के लिए उन्होंने 25,62,060 रुपये की राशि अदा कर दी है। तथापि, 92,02,386 रुपये के भुगतान को जो कि वर्ष 87-88 के लिए वार्षिक अग्रिम लाइसेंस फीस आस्थगित भुगतान को दो किस्तें और ब्याज की है, के बारे में वे उच्च न्यायालय में गए हैं। यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) अब तक उपर्युक्त पार्टियों में से किसी के लाइसेंस फीस को रद्द नहीं किया गया है।

बाल श्रमिक

6175. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री बाल श्रमिक के बारे में 1 मार्च,1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संदर्भाधीन प्रत्येक परियोजना किस तारीख से शुरू की गई और प्रत्येक से कुल कितने श्रमिकों को लाभ होने की परिकल्पना की गई थी तथा प्रत्येक से उनके प्रारम्भ से वास्तव में कितने बाल श्रमिकों को लाभ मिला;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर आने वाली कुल लागत कितनी है; और

(ग) ऐसी परियोजनाएं अन्य किन स्थानों पर शुरू किये जाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय : (क) और (ख) ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) गुजरात में सूरत, अहमदाबाद और जम्मू और काश्मीर में श्रीनगर।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत बजट के अनुसार संचयी लागत (रुपये)	प्रारम्भ करने की तारीख	संभावित लाभानुभोगियों की संख्या @	वर्तमान में वास्तविक लाभानुभोगियों की संख्या
1.	शिवकाशी बाल श्रमिक परियोजना	1,42,08,000	20-4-86*	14000	1400
2.	जयपुर बाल श्रमिक परियोजना	31,19,000	1-5-88*	15000	800
3.	मंदसोर बाल श्रमिक परियोजना	6,90,400	1-5-88*	500	200
4.	मार्कापुर बाल श्रमिक परियोजना	30,09,000	1-5-88*	2000	100
5.	अलीगढ़ बाल श्रमिक परियोजना	24,80,000	5-12-88**	500	स्कूलों ने अभी कार्य करना प्रारम्भ करना है।
6.	फिरोजाबाद बाल श्रमिक परियोजना	24,70,000	21-12-88**	4500	50
7.	मोरादाबाद बाल श्रमिक परियोजना	23,95,000	21-12-88**	2000	स्कूलों ने अभी कार्य करना प्रारम्भ करना है।
8.	मिर्जापुर-भादोही बाल श्रमिक परियोजना	62,61,000	2-12-88**	50000	200
9.	जग्गमपेट बाल श्रमिक परियोजना	18,74,000	परियोजना को मंजूरी दी गई है, इसे अभी शुरू करना है।	2000	स्कूलों ने अभी कार्य करना प्रारम्भ करना है।

* परियोजना प्राधिकारियों द्वारा यथा सूचित प्रारम्भ करने की तारीख।

** भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिए निधियां मंजूर करने की तारीख।

@ परियोजना क्षेत्र के उद्योग में कार्यरत बालकों की कुल संख्या।

सूती धागे की सप्लाई

6176. **श्री सैयद शहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में हथकरघा बुनकरों को नियंत्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में सूती धागे की सप्लाई के लिए क्या संस्थागत व्यवस्था की गई है;

(ख) बुनकरों से हथकरघा कपड़ों की खरीद एवं इसके वितरण के लिए क्या संस्थागत व्यवस्था की गई है;

(ग) धागे की खरीद, उपकरणों का आधुनिकीकरण तथा कारखाना शैडों के निर्माण के लिए हथकरघा बुनकरों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या संस्थागत व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या इन व्यवस्थाओं की केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा समयसमय पर समीक्षा की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछली बार इनकी समीक्षा की गई थी तथा उसके परिणामस्वरूप क्या सुझाव किये गये थे ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) हथकरघा बुनकरों को समुचित दरों पर सूती यार्न की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सरकार ने जो प्रमुख संस्थागत व्यवस्थाएं की हैं, वे इस प्रकार हैं :- हैंक यार्न दायित्व स्कीम, नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना तथा मौजूदा मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण सहायता, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के यार्न सप्लाई कार्य ।

(ख) दिनांक 1.4.1989 से लागू बाजार विकास सहायता (एम डी ए) की नई स्कीम वाणिज्यिक महत्व के स्थान पर हथकरघा विपणन परिसरों की स्थापना करके तथा हथकरघा चित्रावलियों का आयोजन करके राज्य हथकरघा एजेन्सियों के विपणन प्रयासों को बढ़ाने में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की कार्रवाइयों, राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनों तथा राष्ट्रीय डिजायन प्रदर्शनियों का आयोजन और एसोसियेशन आफ कारपोरेशन एण्ड एपेक्स सोसाइटीज आफ हैडलूम्स (आकाश) की कार्रवाइयों बुनकरों से कपड़ों की खरीद तथा इसके विपणन के लिए प्रमुख संस्थागत व्यवस्थाएं हैं ।

(ग) नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ रियायती ब्याज दर पर प्राथमिक बुनकर समितियों के उत्पादन तथा विपणन क्रियाकलापों और शीर्ष क्षेत्रीय बुनकर समितियों द्वारा यार्न की खरीद, विपणन तथा व्यापार क्रिया कलापों के लिए वित्त पोषण हेतु पुनर्वित्त सुविधाएं प्राप्त करता है । नाबार्ड ने हथकरघों के आधुनिकीकरण और वर्कशेड बनाने के लिए सहायता देने संबंधी योजनाएं भी बनाई हैं । हथकरघा उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार भी अन्य बातों के साथ साथ वर्कशेड स्कीम और हथकरघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता स्कीम भी क्रियान्वित करती रही है ।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त स्कीमों की समय समय पर समीक्षा की जाती है । एम डी ए स्कीम ऐसी ही एक समीक्षा का परिणाम है जिसे विशेष छूट, राज्य शीर्ष समितियों और हथकरघा विकास निगमों को विशेष छूट शेयर पूंजी सहायता तथा प्राथमिक समितियों के प्रबन्ध हेतु आर्थिक सहायता की पुरानी स्कीमों के स्थान पर लागू किया गया है ।

टीकों के उत्पादन में आत्म निर्भर

6177. **श्री राजकुमार राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डिप्थीरिया "टिटनस तथा ट्रिपिल एंटीजेन टीकों के उत्पादन में देश आत्म-निर्भर हो चुका है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां । देश ने रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपूर्ति के लिए डिप्थीरिया, टेटनस और ट्रिपल एन्टिजेन टीकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करली है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

6178 **श्री राजकुमार राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध-मूल्य नियंत्रण आदेश की श्रेणी-1 के औषधों के अभि-निर्धारण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूची विशेषज्ञ समिति को उपलब्ध कराई है ?

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नाम क्या-क्या है,

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य और मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की श्रेणी-1 में सूचीबद्ध औषधों की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति को प्रदान की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है । मानसिक स्वास्थ्य और मधुमेह नियन्त्रण कार्यक्रम को स्वास्थ्य सेवा महा निदेशक द्वारा औषध मूल्य नियन्त्रण की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था ।

विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के रूप में निर्धारित किए गए कार्यक्रमों की सूची

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम
3. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय दृष्टिविकार रोकथाम और दृष्टि हीनता नियंत्रण कार्यक्रम ।
5. अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम
6. राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम

7. यौन संचारित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
8. व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम ।
9. राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम ।
10. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम और
11. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सहित राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम ।

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात के लिए "फिनिश्ड फार्म्युलेशनस की अनुमति

6179. **श्री राजकुमार राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की सिफारिशों के आधार पर अनेक ऐसे "फिनिश्ड फार्म्यूलेशन" की खुले सामान्य आयात लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति दे दी गई है, जिनका देश में उत्पादन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सभी औषधियों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) तैयारशुदा औषधों का आयात मुख्य आयात और निर्यात नियन्त्रक, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है ।

ओ. जी. एल. के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमत्य तैयारशुदा औषध सम्पाक, जीवन रक्षक और कैंसर रोधी औषधियों की सूची आयात-निर्यात नीति, 1988-91 के परिशिष्ट-6 की सूची-3 में दी गई है । इस सूची में शामिल औषधें या तो देश में निर्मित नहीं की जाती हैं या पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं की जाती हैं ।

11.38 म० पू०

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइए नहीं । एक-एक करके बोलिए । कृपया चिल्लाइए मत ।

(व्यवधान)

श्री जी० एस० वासवराजू (टुमकुर) : कल कर्नाटक एक्सप्रेस बहुत बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में 2 या 2.30 बजे वक्तव्य दिया जायेगा । तब हम उस पर चर्चा करेंगे । मुझे इसकी जानकारी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। मुझे यह ज्ञात नहीं है। आपकी बारी आने पर मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको कुछ भी हो जाए तब भी मैं अलाउ नहीं करूंगा, शोर करेंगे तो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन माननीय सदस्य को अनुमति नहीं है। मैं जब आपको अनुमति दूं, तभी आप बोलिए। मैंने अभी तक आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जब इजाजत दूं तब आप बोलें। ऐसा क्यों करते हैं। अगर वहां गड़बड़ हो रही है, तो आप भी गड़बड़ी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ...

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद वक्तव्य आ रहा है।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : करीब 1 लाख 25 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं ... .

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ठहर जाइए। जो काम होगा, वह तरीके से होगा। स्टेटमैंट आ रहा है, हम डिसकस कर सकते हैं।

[अनुवाद]

जो कुछ भी किया जा सकता है, वह वैधानिक रूप से ही किया जा सकता है।

श्री एन० वी० एन० सोमू : सरकार को एक आदर्श नियोजक होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें वक्तव्य दिया जाएगा और तब हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकते ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए और मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में कुछ निर्देश दें।

महोदय, फरवरी 1987 में, इंडियन एक्सप्रेस के सम्पादक को गृह मंत्रालय से एक गोपनीय फाइल मिली और इस माह की 15 तारीख को अपने लेख में उन्होंने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इस गोपनीय फाइल में तत्कालीन गृह-मन्त्री, ज्ञैल सिंह के विचारों और सिफारिशों का जिक्र था और वह गोपनीय फाइल इंडियन एक्सप्रेस के सम्पादक, अरुण शौरी को भेजी गई थी। चूंकि उनका दृष्टिकोण भिन्न था, इसलिये उन्होंने सोचा कि वे उन्हें उत्तेजित करके इंडियन एक्सप्रेस में अपने विचार छपवा सकेंगे। गोपनीय फाइल उन्हें पहुंचाई गई है और उन्होंने कहा है कि "मुझे यह फाइल मिल गई है।"

नियम 184 के अन्तर्गत मैंने एक संकल्प पेश किया है कि इस सभा की मांग है कि इस बारे में जांच के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाए कि गृह मन्त्रालय की फाइल इंडियन एक्सप्रेस के पास कैसे पहुंची।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मेरी बात सुनिए। यह बात सम्पदक महोदय ने लिखी है। हमें दूसरे दृष्टिकोण के बारे में भी जानना है क्योंकि यह फाइल एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंची हैं। मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा। मैं गृह मन्त्री जी से इस बारे में विस्तार में बताने तथा तथ्यों का पता लगाने के लिये लिखूंगा। और यदि वे कुछ कहते हैं तब मैं सदन में आकर इस बारे में बताऊंगा और फिर हम देखेंगे कि क्या करना है।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी के साथ समझौता होने से बावजूद, तम्बाकू कम्पनियां कम मूल्यों पर तम्बाकू खरीद रही हैं और तम्बाकू उत्पादकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिये, फिर उसका पता करवाते हैं।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। कृपया उसे स्वीकार करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटेंशन के लिए तो आप मुझसे घर में आकर बात कर लिया करो, आपका घर है न यह, जिसे चैम्बर कहते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : प्रो० मधु दण्डवते ने जो कुछ कहा है, उसी संबंध में मुझे एक बात कहनी है। तत्कालीन गृह मन्त्री, श्री बूटा सिंह ने ही वह फाइल इंडियन एक्सप्रेस के सम्पादक तक पहुँचाई थी .....

अध्यक्ष महोदय : इधर देखिये। हम पता लगायेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री बूटा सिंह सरकारी गोपनीय अधिनियम का उल्लंघन करने के दोषी हैं..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर महोदय, अब आपको उन्हें रोकना चाहिए । मैं पहले ही इस बारे में कह रहा हूं और मुझे पता लगाना है । यदि मैं कुछ कहता हूं आप कुछ बात करते हैं, केवल हम ही दो लोग .. ..

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका पता लगाना होगा । इसकी अनुमति नहीं है ।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता, हम इस बारे में कैसे कह सकते हैं ? यदि कोई व्यक्ति यह कहता है, "आपने किसी का कत्ल किया है", फिर क्या होगा ? हमें इसे सिद्ध करना होगा । हमें तथ्यों को सिद्ध करना होगा । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : में चर्चा नहीं कर रहा हूं मुझे आवश्यक कार्यवाही करनी है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह पसन्द नहीं है । मैंने आपको पर्याप्त अवसर दिया है और मैंने आपकी बात सुनी है । और मैं नियमानुसार कुछ कदम उठाने जा रहा हूं इसलिये आपको यह नहीं करना चाहिए ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : गृह मन्त्री को इस बात का खण्डन करना चाहिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यही करने का प्रयास कर रहा हूं । मैं उनसे यहीं कहने जा रहा हूं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अभी तक उन्होंने इसका खण्डन क्यों नहीं किया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका खण्डन क्यों करें ?

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उनकी चुप्पी को सहमति माना जा सकता है । (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप अपने साथियों को जरा समझा कर रखिये ।

[**अनुवाद**]

बहुत हो चुका । जब मैंने कहा कि मैं यह कर रहा हूं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? यह तरीका ठीक नहीं है । मैं इस संसद को व्यावहारिक बनाना चाहता हूं ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं सिर्फ एक मिनट लेना चाहता हूँ। कई स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा के कारण स्थिति बिगड़ी है। कम से कम गृह मन्त्री को एक वक्तव्य देना चाहिये और हमें उस पर चर्चा करानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिये और फिर मैं पूछूंगा। जो रुख अब अपनाया जा रहा है, मैं भी उससे दुःखी हूँ। मैं स्वयं बहुत व्यथित हूँ। यह बहुत गम्भीर बात है।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप गृह मंत्री को वक्तव्य देने का निर्देश क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं पहले से ही नोटिस दे चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, उस दिन आपने कहा था कि आप रिपोर्ट मगवाएंगे। इस बीच, मैं यह अनुरोध कर रहा हूँ कि नागालैंड के कुछ लोगों ने असम के गावों पर हमला किया है और 4 घर जला दिए गए हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूँ। मैं गृह मन्त्रालय को पहले ही स्मरण करा चुका हूँ। मैं तथ्य एकत्रित कर रहा हूँ और फिर मामले को देखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूँ। मैं पहले ही उन्हें इस बारे में लिख चुका हूँ।

[हिन्दी]

श्री मुरलीधर माने (नासिक) : अध्यक्ष जी, सारे हिन्दुस्तान में कितना प्याज पैदा होता है, लेकिन आज वह 10 रुपये क्विंटल से बिक रहा है. आप प्याज का सपोर्ट प्राइज फिक्स करवाइये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली।

श्री मुरलीधर माने : एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमैंट मिलकर सपोर्ट प्राइज फिक्स करें, इसे करने की बहुत जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले भी करा है।

श्री मुरलीधर माने : नेफैड सब सैन्टरों पर इसकी परचेज करे।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन भी इसी बात पर झगड़ा हुआ था, अब फिर करेंगे। आप लिखकर दीजिए।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर डिसीजन लिया गया था, लेकिन उसका इम्पलीमैंटेशन नहीं हुआ.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं. पहले आप लिखकर दीजिए, फिर हम करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिए, ऐसे नही ।

श्री राजकुमार राय : गर्मी के मौसम में हमारे यहां पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है,

अध्यक्ष महोदय : यह तो नीचे जायगा ही । जब आप गलत करेंगे तो पानी नीचे जाएगा ही, कौन माफ करेगा ।

श्री राजकुमार राय : आप उत्तर प्रदेश सरकार को कहें कि इसकी व्यवस्था करे, लोगों को पीने का पानी मिले ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं ।

[अनुवाद]

इस तरह नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिश्र जी, ठहर जाइए, एक-एक आदमी बोले ।

[अनुवाद]

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री शांताराम नायक (पणजी) : संघ लोक सेवा आयोग एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो इस सभा में हर वर्ष रिपोर्ट रखता है । हम काफी अर्से से इन रिपोर्टों पर चर्चा नहीं कर पाये हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह बिजनेम एडवाइजरी कमेटी में जाएगा, आप अपने मेम्बरों को बोलिये । यहां नहीं ।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां विशेष परिस्थिति हो गई है, गंडक नदी में पानी अना बन्द हो गया है,

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट गवर्नमैंट का मसला है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट गवर्नमैंट का सब्जैक्ट है महाराज ।

[अनुवाद]

यह केन्द्र सरकार का विषय नहीं है, यह राज्य सरकार का विषय है । इसकी अनुमति नहीं है । यह असंबद्ध है ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर,

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मान्यवर क्या कर सकते हैं, यह स्टेट गवर्नमेंट का सब्जैक्ट है ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : अध्यक्ष महोदय, सारी जगह टैरेरिस्ट इन्फैस्टेड एरिया है, वहां पहले ही कोई नहीं रह रहा है कोई माल वहां नहीं पहुँच रहा है, बटाला में 3 लाख आदमी आउट आफ जाब हो गये है

अध्यक्ष महोदय : श्री सोलंकी

[अनुवाद]

अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

11.48½ **म० पू०**

सभा पटल पर रखे गए पत्र

योजना मन्त्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) योजना मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 7744/89]

(2) कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 7745/89]

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ ।

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल टी 7746/89]

(3) (एक) डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7747/89]

11.49½ म० पू०

लोक लेखा समिति

149वां और 151वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : मैं लोक सेवा समिति का 149वां और 151वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

11.50 म० पू०

प्रमुख पत्तनों पर पत्तन और गोदी कर्मकारों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, पत्तनों पर वर्तमान स्थिति और हड़ताल को देखते हुए सरकार ने विचार किया है कि वह अद्यतन स्थिति के बारे में सदन को सूचित करें।

10 महा पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक मन्डलों में कार्यरत पत्तन एवं गोदी श्रमिकों के साथ अन्तिम वेतन समझौता 31-12-1989 तक प्रभावी था 1-1-1988 से लागू करने के लिये नया समझौता तैयार करने के बारे में जनवरी, 1988 में एक द्विपक्षीय समिति गठित की गई थी जिसमें महा पत्तनम न्यासों, गोदी श्रमिक मण्डलों, इण्डियन पोर्टस एसोसिएशन, फेडरेशन आफ एसोसिएशन्स आफ स्टेविडोर्स, जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय, ऑल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (एच एम एस), इण्डियन नेशनल पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (आई एन टी यू सी), पोर्ट डॉक एण्ड वॉटरफ्रन्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (ए आई टी यू सी) तथा वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (सी आई टी यू) के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इन फेडरेशनों ने नवम्बर, 1987 में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वेतन बिल में 66% वृद्धि की मांग की गई थी।

द्विपक्षीय समिति ने विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिये जनवरी, 1988 से फरवरी, 1989 तक नौ बैठकें बुलाई थी जिनमें उन प्रणालियों को समाप्त करने के लिए जो सुचारू रूप से प्रचालनों तथा उत्पादकता के त्वरित विकास के रास्ते में बाधक होती है, पत्तन

प्रबन्ध के सुझाव शामिल थे। उक्त फेडरेशनों के साथ द्विपक्षीय समिति की पिछली बैठक 22-2-1989 को हुई थी। इस बीच ऑल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) जो काफी समय से इस विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए आन्दोलन कर रही थी उसे 15-3-89 को न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसी द्विपक्षीय बातचीत के लिए पात्र ठहराया गया। अगली द्विपक्षीय बैठक 17-3-1989 को होनी थी जिस तारीख को चार फेडरेशनों ने 17-4-1989 से हड़ताल करने का निर्णय लिया। तदनुसार फेडरेशनों से सम्बद्ध यूनियनों ने अपने-अपने पत्तनों का हड़ताल का नोटिस दिया। ऑल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) ने भी हड़ताल का नोटिस दिया।

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने उक्त चार फेडरेशनों और ऑल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक फेडरेशन (वर्कर्स) के प्रतिनिधियों के साथ 7-4-1989 को मध्यस्थता प्रक्रियाएं शुरू की। चार फेडरेशनों द्वारा ऑल इण्डिया पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) सहित सभी पांच फेडरेशनों के साथ संयुक्त रूप से विचार-विमर्श करने पर मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष आपत्ति उठाने जैसी प्रारम्भिक प्रक्रियात्मक अड़चन के बाद मुख्य श्रम आयुक्त ने पहले चार फेडरेशनों तथा ऑल इंडिया पोर्ट एण्ड डौक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) के साथ अलग-अलग बातचीत की। मध्यस्थता प्रक्रियाओं के दौरान प्रबन्ध द्वारा की गई पेशकश श्रमिकों को स्वीकार्य नहीं थीं। श्रमिकों की मांगों पर बातचीत के जरिए समझौता करने सम्बन्धी सरकार के दृढ़ विश्वास के अनुरूप जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय ने श्रमिक फेडरेशनों के साथ अलग-अलग बातचीत की। इस दौरान कुछ सार्वजनिक क्षेत्रक यूनिटों ने दीर्घकालिक वेतन समझौते सम्पन्न किए जिनमें पूर्व संशोधित वेतन बिलों में लगभग 14 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। सरकार ने उक्त आधार पर समझौता करने की पेशकश की थी। तथापि, मध्यस्थता बातचीत के दौरान इन फेडरेशनों द्वारा रखी गई न्यूनतम मांगों से पूर्व संशोधित वेतन बिल में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ती। सरकार ने बातचीत के जरिए समझौता करने और 16 अप्रैल, 1989 की आधी रात तक हड़ताल को रोकने के लिए प्रयास जारी रखे लेकिन इन प्रयासों के बावजूद 16/17 अप्रैल, 1989 की आधी रात से हड़ताल शुरू हो गई।

यह हड़ताल उस समय शुरू की गई है जब मध्यस्थता प्रक्रियाएं लम्बित थीं और इसलिए यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गैर-कानूनी है। सरकार को इस पर बड़ा खेद है। हम नहीं चाहते थे कि यह हड़ताल हो लेकिन यह हम पर जबरदस्ती थोप दी गई है। हमें उम्मीद है कि इस गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने वाली लेबर फेडरेशनें जल्द से जल्द अपने आपको इससे अलग कर लेंगी। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने कच्चे तेल, पेट्रोलियम पदार्थों, वनस्पति तेल, रक्षा सामान आदि जैसी अनिवार्य सामग्रियों की ढुलाई को जारी रखने के प्रबन्ध कर इस हड़ताल से होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।

मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि सरकार का औद्योगिक विवादों को बातचीत के जरिए निपटाने में दृढ़ विश्वास है। सरकार ने श्रमिकों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक और सूझबूझ से विचार किया है। सरकार की पेशकश उचित है और यह खेद का विषय है कि फेडरेशनों ने श्रमिकों से नाजायज हड़ताल करवा दी है। मैं अपने इस विश्वास को भी दोहराना चाहूँगा कि जो श्रमिक हड़ताल पर हैं, वे हड़ताल समाप्त करने का रास्ता ढूंढेंगे। बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे सदा खुले हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हम चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप इस पर चर्चा की अनुमति दीजिए। हमें भी इस बात का दुःख है कि बातचीत पूरी नहीं हुई। किन्तु वह पूरे तथ्य नहीं बता रहे है। यह सच नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समानता मुख्य मुद्दा है।

श्री एम० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : सरकार एक आदर्श नियोक्ता होनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप आगे बातचीत करना चाहते हैं ?

श्री राजेश पायलट : मेंने कहा है कि चर्चा के लिए द्वार सदा खुले हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खुले का क्या अर्थ है ?

श्री राजेश पायलट : खुले का अर्थ है कि आप कभी भी आ सकते हैं। केवल संघों के नेताओं की सुविधा के लिए मैं अपने कार्यालय में 24 घण्टे काम करता रहा। वे कभी भी आ सकते हैं।

11.57 **म० पू०**

केन्द्रीय सरकार के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाए जाने के बारे में वक्तव्य

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सरकार के अधीन रोजगार के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय-समय पर अनेक निर्णय लिये हैं। सरकार ने बहुत हद तक संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के शासनादेश की पूर्ति कर दी है।

आज मुझे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से दो निर्णयों की घोषणा करने में बहुत प्रसन्नता हो रही है।

(1) समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के पदों की रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के सभी मामलों में अनारक्षण पर पूर्णतः रोक होगी। इसका यह अर्थ होगा कि यदि अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के हिस्से में आने वाली आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के उपयुक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होते हैं तो भरी न गई रिक्तियों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा जायगा और एसी रिक्तियों को तब तक बकाया रिक्तियों के रूप में बिना भरे रखा जायगा जब तक कि अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते। भविष्य

में केवल समूह "क" श्रेणियों में विरल और अपवादात्मक परिस्थितियों में ही अनारक्षण की अनुमति दी जायगी और वह भी केवल कार्मिक मन्त्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दी जायगी ।

(2) इस आशय का मौजूदा प्रतिबन्ध कि पदोन्नति में आरक्षण केवल उन्हीं ग्रेडों/पदों के मामलों में लागू होगा जिन में सीधी भर्ती का अंश 66-2/3% से अधिक नहीं है, उसे उदार बना दिया जायगा और सीधी भर्ती के अंश की सीमा संशोधित करके 75% तक कर दी जायगी और इस प्रकार अपेक्षतया अधिक ग्रेडों/पदों को आरक्षण आदेशों के क्षेत्राधिकार में ला दिया गया है ।

मुझे विश्वास है कि सदन इन निर्णयों का स्वागत करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब अगली अर्थात ध्यानाकर्षण पर विचार करेगी । डा० सी० पी० ठाकुर.....

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, में आपकी आज्ञा से केवल आधे सैकिण्ड का समय लूंगा । भूतपूर्व सैनिकों के लिए भीं आरक्षण किया गया था । महोदय, मैं माननीय मन्त्री से, आपके माध्यम से, इसी ढंग से अनेक हितों की भी रक्षा करने की मांग करता हूँ ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं ।

[अनुवाद]

इस तरह से नहीं ।

श्री अजय मुशरान : ग तथा घ श्रेणियों के मामले में उनके हितों की भी उसी ढंग से रक्षा की जानी चाहिए ।

12.00 मध्यान्ह

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

बिहार तथा देश के अन्य भागों में कालाजार के बढ़ते हुए प्रकोप तथा इस बारे में सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-लिखित विषय की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ और और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"बिहार तथा देश के अन्य भागों में कालाजार के बढ़ते हुए प्रकोप से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय ।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : काला-आजार बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में जन स्वास्थ्य से संबंधित एक प्रमुख समस्या है। यह रोग मरूमक्षिका नामक रोगवाहक द्वारा फैलता है जो मुख्य रूप से गंगा नदी के अंचल में देखी जाती है। स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में लगभग 4.4 करोड़ लोगों के इस रोग से प्रभावित होने का खतरा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस रोग से जितने व्यक्ति पीड़ित हुए और जितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

	बिहार		पश्चिमी बंगाल	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1986	14079	47	3718	25
1987	19179	77	4447	10
1988 (अनन्तिम)	19639	123	3068	2

गत दो वर्षों के दौरान बिहार में काला-आजार के रोगियों की संख्या में मामूली वृद्धि हो गई है। लेकिन बिहार में मौतों की संख्या में 60% तक की वृद्धि हो गई है। पश्चिम बंगाल में रोगियों और मोतों की संख्या में गिरावट का रुख रहा है। उत्तर प्रदेश असम और जम्मू व कश्मीर से भी रोग की छिट-पुट घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में स्थानिकमारी वाले जिलों की संख्या 21 से बढ़कर 27 हो गई है। इसी प्रकार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में स्थानिकमारी जिलों की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गयी है।

काला-आजार के नियंत्रण उपायों में निम्नलिखित शामिल है :

संचरण को रोकने के लिए घरों के अन्दर कीटनाशकों (डी. डी. टी.) का अवशिष्ट (रेजिड्युअल) छिड़काव करना।

मरूमक्षिका के फैलने की जगहों को समाप्त करने के लिए घरों के अन्दर और घरों के चारों तरफ सामान्य सफाई में सुधार करके इस रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।

रोगी का पता लगाना और सभी रोगियों का उपचार करना।

काला-आजार के उपचार के लिए मानक किस्म की उत्कृष्ट औषध सोडियम एंटीमनी ग्लूकोनेट है सोडियम एंटिमनी ग्लुकोनेट के उपचार के पूरे कोर्स की लागत प्रति रोगी औसतन 150 रुपये है और यह औषध बाजार में आसानी से उपलब्ध है। शायद कुछ रोगियों का उपचार इस औषध से न हो सकता हो और उन्हें पेंटामिडीन आइसोथायनेट जैसी आयातित औषध की जरूरत होती हो, जो कि एक विषाक्त औषध है और जो चिकित्सीय देख-रेख में दी जानी चाहिए।

हाल ही में सरकार द्वारा एक समिति गठित की गयी है जो काला आजार के रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त उपचार प्रणाली सुझाएगी।

भारत सरकार काला-आजार के नियंत्रण के सम्बन्ध में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर परामर्श करती रही है। 8-10-1988 को पटना में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर यह निर्णय किया गया था कि काला-आंजर के नियंत्रण के लिए एक कार्ययोजना शुरु की जाए। इस कार्य योजना में निम्नलिखित बातें सोची गई हैं :–

– सभी स्थानिकमारी वाले जिलों में डी. डी. टी. का दो बार छिड़काव करके संचरण को रोकना,

– काला-आजार के रोगियों का शुरू में निदान करना और उनका उपचार करना,

– स्वास्थ्य शिक्षा।

कार्य योजना को अमल में लाने के लिए और रोग को फैलने से रोकने के लिए वित्तीय वर्ष-1988-89 में बिहार और पश्चिम बंगाल सरकारों को क्रमशः 150.00 लाख रु० 50.00 लाख रु० की नकद सहायता का भुगतान किया गया था। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे समतुल्य अंशदान के रूप में इतनी रकम की व्यवस्था स्वयं करें। छिड़काव कार्य के लिए अपेक्षित कीटनाशी (डी. डी. टी.) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम की राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा 16-2-1989 को बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में समीक्षा की गई थी।

यह निर्णय किया गया था कि राज्य सरकारें निम्नलिखित उपाय करेंगी :-

– स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 10 दिन तक काला-आजार के रोगियों का पता लगाने के लिए घरों में जाकर रोगियों को ढूंढने के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उपचार और निदान की पुष्टि करने के लिए संदेहास्पद रोगियों के बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित किया जाएगा।

– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी की अगुआई में संचरण को रोकने के लिए स्थानिकमारी वाले जिलों में दो बार कीटनाशी छिड़काव किया जायगा।

—उपचार प्रदान करने के दिशा निर्देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिफारिश की गई अनुसूची के आधार पर सभी जिला अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजे जाएंगे। सभी संदिग्ध रोगियों की छः महीने तक देखभाल की जाएगी।

— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधें एवं नैदानिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगीं।

— स्थानिकमारी वाले जिलों में चिकित्सा अधिकारियों और प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायगा।

—स्वास्थ्य कर्मचारियों और जनमत नेताओं द्वारा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके स्वास्थ्य शिक्षा उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा संदेशों का प्रसार करने के लिए जन प्रचार चैनलों का भी उपयोग किया जाएगा।

[डा० गौरीशंकर राजहंस]

यह आशा की जाती है कि इन उपायों के कार्यान्वयन के साथ काला-आजार पर कारगर ढंग से नियन्त्रण पाना संभव होगा।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : डिप्टी स्पीकर महोदय, हिन्दी में एक कहावत है "जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीड़ पराई" मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों मंत्री जी में से किन्हीं ने भी कालाजार के रोगी को नहीं देखा है। बिहार में कालाजार को काला अजगर कहते हैं। जैसे अजगर धीरे-धीरे अपने शिकार को लील लेता है, खा जाता है उसी तरह से काला-जार रोगी को धीरे-धीरे, दो तीन महीने में समाप्त कर देता है। यह कितनी भयावह बीमारी है इसकी कल्पना दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकती है।

मंत्री जी ने जो बयान दिया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह स्टीरियो टाइप है, जो कुछ ब्यूरोक्रेट ने लिख दिया, वह उन्होंने पढ़ दिया। पिछले साल 11 अगस्त को एक कालिंग अटेंशन पर कालाजार पर जिक्र हुआ था जिसमें सरोज जी भी थीं और वोरा साहब भी थे और हम लोगों ने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की थी। यदि माननीय मंत्री जी उस स्टेटमेन्ट को भी देखतीं और इस स्टेटमेन्ट को भी देखतीं तो उन्हें लगता कि हूबहू वही उतारकर रख दिया गया है।

एक बड़ी अजीब बात है, 11 अगस्त, 1988 को स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि 1987 में कुल मिलाकर 103 आदमी मरे थे और आज के स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 1987 में केवल 87 आदमी मरे हैं। ये 16 आदमी मर कर कैसे जिन्दा हो गए, यह मुझे पता नहीं चला। यह रिकार्ड की बात है, मैं पार्लियामेंट के डाकूमेण्ट से कह रहा हूँ। जब 11 अगस्त, 1988 को मंत्री जी ने जवाब दिया तो 1987 में 103 मौतें हुई थीं और आज जो ब्यान दिया है, उसमें कहा गया है कि 1987 में काला-जार से 87 मौतें हुई हैं। बिहार में 77 और पश्चिम बंगाल में 10। यह तो हो सकता है कि कुछ मौत की खबरें बाद में आई हों और बाद में उनको जोड़ दिया जाए, लेकिन मरे हुए आदमी जिन्दा हो सकते हैं, यह मैंने पहली बार सुना है।

दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बिहार में काला-जार के मामले में मामूली सी वृद्धि हुई है। पिछले साल भी हमने कहा था और आज भी कह रहा हूँ और आज भी बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप की यह जो फीगर है, वह बिल्कुल गलत फीगर है, यह आश्चर्य की बात है। अकेले मधुबनी जिले में हजारों लोग इस रोग से पीड़ित हैं। हजारों लोग दरभंगा जिले में पीड़ित हैं। समस्तीपुर में पीड़ित हैं, सीतामड़ी मुजफ्फर पुर में पीड़ित हैं। इस प्रकार अकेले बिहार में लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ नहीं तो आप बिहार के पिछले छः महीने के अखबार उठा कर देख लीजिये, यदि आप के मंत्रालय में कोई रिसर्च डिवीजन हो, तो आप उनको कहिए कि वे पिछले छः महीने के अन्दर बिहार के अखबारों को पढ़ लें। आपको पता चलेगा कि बिहार में काला जार से लाखों लोग पीड़ित हैं। दुर्भाग्य यह है कि सरकार इसकी सीरियसनैस को समझती नहीं है। कहकर टाल देती है कि बिहार में बीमारी काफी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मामला बहुत ही संगीन हो गया है। आप यह कह कर नहीं टाल सकते हैं कि यह तो एन्डैमिक है और गैन्जैटिक प्लेन्स में होती हैं। सैंडप्लाई से 44 मिलियन लोग प्रभावित हैं। यह काम्यूनिकेबिल डिजीज है और सैंडसप्लाई से यह बीमारी फैलती है। आपने पिछले साल स्पैसिफिकली कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बीमारी

का फैलना रोका जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में कहीं कोई प्रगति नहीं हुई है। कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए गए है इस बीमारी की रोकथाम के। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये सारे आंकड़े आपके डी डी टी स्प्रे के बिल्कुल फर्जी हैं। जो लोग आप को देते हैं, वे ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके ब्यूरोक्रेट्स आंख में धूल झोंकते हैं। इसमें कोई बात सच्ची नहीं है। आप कहते हैं कि केवल 26-27 जिलों में यह बीमारी फैली है, लेकिन सच यह है कि बिहार के हर जिले में यह बीमारी है। उत्तरी बिहार में जो यह बीमारी ने संक्रामक रूप ले लिया है। आप जायेंगे तो पायेंगे कि गाँव गांव में लोग काला-जार से पीड़ित हैं। वह भयावह दृश्य आप देख नहीं पायेंगे। वौरा जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं उत्तरी बिहार जाऊंगा और देखूंगा कि काला-आजार के रोगी कैसे देहात में रहते हैं। वौरा जी तो चले गये। मैं दौनों मंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि एक बार वे उत्तरी बिहार जाँए और वहां देखें कि गांव के गांव में लोग काला-आजार से किस तरह से पीड़ित हैं। उनकी हालत इतनी दर्दनाक है कि शब्दों में मैं उस को बयान नहीं कर सकता। मैं अपनी नजरों के सामने लोगों को घुट घुट कर मरते हुए देखता हूं और उस समय मैं अपने आप को असहाय पाता हूं और सोचता हूँ मैं कर ही क्या सकता हूँ। काला-आजार के बहुत से रोगी दिल्ली आए। उन्हें लेकर मैं दिल्ली के अस्पतालों में गया। आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट के मेडीकल सुपरिन्टेन्डेंट डा० सफाया ने मेरी कुछ मामलों में मदद की लेकिन जब मैं डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में गया तो कहा गया कि यह बीमारी तो बिहार और बंगाल में है, इसकी यहां कोई दवा नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ कि जब बिहार और बंगाल में इसका उपचार नहीं हो सका, तो गरीब पेशेन्ट यहां आया आपने अपने बयान में कहा है कि सोडियम एन्टिमनीं ग्लुकोनेट के उपचार से यह बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं कोई डाक्टर नहीं हूं लेकिन मैंने काला-आजार के हजारों रोगियों को देखा है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इससे यह रोग ठीक नहीं होता है। आप कहते हैं कि 150 रुपये में रोगी ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं कि 5,000 रुपये खर्च करने पर भी रोगी ठीक नहीं होता है। यह बीमारी बड़ी भयानक बीमारी है मैं आपको बताता हूं कि यह बीमारी ठीक होती है एक दवा से, जिसका जिक्र आपने भी किया है, और वह दवा है। पेंटामिडीन। यह दवा ज्यादातर फ्रांस में बनती और फ्रांस से यह दवा हिन्दुस्तान में आती है। आपने अपने 11 अगस्त के बयान में कहा है कि बिहार में 10 हजार फायल इस दवा की भेजी हैं लेकिन मैंने तो मधुबनी और दरभंगा में देखा है कि पांच आदमी के पास और एक आदमी के पास भी यह दवा सरकार से नहीं पहुंची है। अगर यह दवा सरकार द्वारा भेजी गयी है, तो आप ब्रेक-अप दीजिये और डिस्ट्रक्टवाइज बताइए कि यह दवा कहां गई। यह दवा बहुत मंहगी है। एक फायल की कीमत ब्लैक में 10 हजार रुपये हैं और लोग इसे नेपाल से लाते थे लेकिन आज हमारे संबंध नेपाल से ठीक नहीं है। जब 10 हजार रुपये में एक फायल मिलती है, तो लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा। सिवाय मौत के मुंह में जाने के उनके सामने उपाय क्या है। आपने अपने बयान में कहा है कि काला-आजार को रोकने के लिए आपने यह किया है।

[अनुवाद]

"संचरण को रोकने के लिए घरों में कीटनाशी (डी०डी०टी०) का अवशिष्ट छिड़काव करना; मरुमक्षिका के फैलने की जगहों को समाप्त करने के लिए घरों के अन्दर और

[डा० गौरीशंकर राजहंस]

घरों के चारों तरफ सामान्य सफाई में सुधार करके इस रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना; रोगी का पता लगाना और सभी रोगियों का उपचार करना।"

[हिन्दी]

मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि इस में एक भी काम नहीं हुआ है। हम और आप काला-आजार पर चर्चा करके घर चले जायगें लेकिन बिहार के लाखों मरीज, जो इस बीमारी से तड़प रहे हैं, वे धीरे-धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं। उनको कोई बचाने वाला नहीं है। डी०डी०टी० का छिड़काव एक भी गांव में नहीं हुआ है। कम से कम उत्तरी बिहार में तो नहीं हुआ है, मैं यह दावे के साथ कहता हूं। आपने कहा है कि 150 लाख रुपया आपने बिहार को दिया है। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि 150 लाख रुपया किन-किन जिलों में, किन-किन ब्लाकों में और किन-किन गावों में दिया है। आप उस का ब्रेक-अप दीजिए। आप कहते हैं कि सेनीटेशन का इन्तजाम किया गया। कहां-कहां सेनीटेशन का इन्तजाम किया गया, किस ब्लाक में किया गया और किस गांव में किया गया। बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में आप कहते हैं कि केस डिटेक्शन किया गया, मेनेजमेंट आफ पेशेंट किया गया। कोई केस डिटेक्शन नहीं हुआ है और कोई मेनेजमेंट आफ पेशेंट नहीं हुआ है और पेशेंट को अपने मुकद्दर पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप जब तक इस समस्या की गंभीरता को नहीं सोचेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

दिल्ली में हैजे का प्रकोप हुआ। पूरे देश में बवाल मच गया। दिल्ली में हैजे से कितने लोग मरे, उससे सौ गुना ज्यादा कालाजार से लोग बिहार में हर साल मरते हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है और मुझे तो डर है कि आपकी दिल्ली में भी कालाजार आ जाएगा क्योंकि यह तो कम्युनिकेबल डिजीज है। दिल्ली में भी मच्छर बढ़ रहे हैं। **(व्यवधान)** मैं कहता हूं कि यह यहां भी होनी चाहिए तभी आप जानेंगे कि यह बीमारी क्या होती है। आप कहते हैं ऐसा नहीं कहो, मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में भी कालाजार आ जावे, कल नहीं आज ही आ जावे जिससे आप लोग समझ सकें कि कालाजार क्या होता है।

राव बीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़) : इस पार्लिमेंट के टाईम तक तो रहने दीजिये।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं कहता हूं कि कम से कम आप ट्रांस जमुना कालोनीज में तो स्प्रे कराइये। साउथ दिल्ली में भी इतने मच्छर आ गये हैं जिनका कि कोई हिसाब नहीं है।

सन् 1950 में बिहार में कालाजार समाप्त हो गया था। क्यों हो गया था ? क्योंकि सरकार ने कुछ प्रभावी काम किया था। बिहार में मलेरिया बहुत जोरों का था और उस मलेरिया को समाप्त करने के लिए डी०डी०टी० का छिड़काव बहुत जोरों से हुआ था और इससे मलेरिया और कालाजार के मच्छर मर गए थे। अब फिर इसका प्रकोप बहुत जोरों से है। पिछले साल आपने कहा था कि वहां हम कुछ कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप कुछ तो कीजिये जिससे कि जो लोग इससे पीड़ित नहीं हुए हैं उनको तो बचाया जा सके। दूसरे जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हो गये हैं उनकी जान बचायी जा सके।

आप पेंटामिडीन का बहुत बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट कीजिए। फ्रांस से करना हो, चाहे जहां से करना हो। इसको आप अपनी देखरेख में कीजिये, सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख में पेशियेंट्स को दीजिए। बिहार में जो लोग इससे प्रभावित हैं, उनको यह दवाई आज ब्लेक में मिल रही है। बहुत से लोगों को तो मिल ही नहीं रही है।

एक बात मैं और कहूंगा। आपने अपने इस बयान में भी कहा है कि इन्टेग्रेटिड एप्रोच कर रहे हैं इसको खत्म करने के लिये। जैसे आपने मलेरिया को खत्म करने के लिए इन्टेग्रेटिड एप्रौच की वैसे ही इस कालाजार को खत्म करने के लिए भी आप कीजिए। इस कालाजार को खत्म करने के लिए भी आप स्प्रे वगैरह: कराइये। अगर आप यह स्प्रे करायेंगे तो ऑटोमेटिकल्ली यह बीमारी खत्म हो जाएगी।

आपने पहले भी कहा था और इस बयान में भी बड़ी खूबसूरती से कहा है कि हम मोनेटरिंग करेंगे। कोई मोनेटरिंग नहीं करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई मोनेटरिंग नहीं करता, एकदम लोग अपनी तकदीर पर छोड़ दिये जाते हैं। आप इसको करिये। मैं तो कहता हूं कि कालाजार को समाप्त करने का एक सेंट्रल प्रोग्राम बनाइये, इसको स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं छोड़िये। जब 1950 में मलेरिया पूरे देश में फैला था तो उसका इरेडिकेशन प्रोग्राम सेन्टर के अधीन था। इसको भी आप सेन्टर के अधीन कीजिएगा और फिर देखिएगा कि इससे ज्यादा लोग प्रभावित नहीं हो सकेंगे और बीमारी समाप्त हो जाएगी।

अन्त में मैं कहूंगा कि आपने जो यह कहा है कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स के लोग जायेंगे और आएडेन्टीफाई करेंगे, फिर दवाई करेंगे। क्या आपको पता है कि बिहार में 90 प्रतिशत ब्लाक्स में कोई प्राइमरी हेल्थ सेन्टर नहीं है? कोई दवाई नहीं है, कोई डाक्टर नहीं है। आप भगवान के लिए इसे स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं छोड़िये। पहले ही बहुत लोग मर चुके हैं, और लाखों लोग मरेंगे। इसके लिए जनता हमें माफ नहीं करेगी क्योंकि हमने एक बयान दे दिया और हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गयी। आप इसके बारे में नेशनल प्राब्लम समझिये, और इसे नेशनल प्राब्लम समझ कर के इस बीमारी को खत्म करने का प्रयास करें और जो लोग इसके पेशिएंट हो चुके हैं, उनका इलाज करावें। यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुंवर राम उपस्थित नहीं हैं; कुमारी ममता बनर्जी भी उपस्थित नहीं हैं। इसलिए, अब मन्त्री उत्तर दें।

कुमारी सरोज खापर्डे : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डा० राजहंस ने इस बीमारी के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। हम भी इस बीमारी के फैलने के बारे में इतने ही चिंतित हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूँगी कि भारत सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए सभी उपाय कर रही है।

माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि मैंने सम्माननीय सदन में जो विवरण या आंकड़े दिये हैं वह अफसरशाही द्वारा दी गई सूचना पर आधारित हैं और ये सही नहीं हैं। मुझे याद है कि जब मेरे वरिष्ठ सहयोगी तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री श्री बोरा वहां थे, उस समय यह प्रश्न सभा के समक्ष चर्चा के लिए आया था और जो कुछ हमने उस समय कहा था और जिसका मैंने अब सदन में उल्लेख किया है, दोनों के आंकड़ों में अन्तर है।

महोदय, मेरे मन्त्रालय में काम कर रहे अधिकारी बिहारी और पश्चिम बंगाल आदि राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ सतत् सम्पर्क बनाए हुए हैं और उन्होंने संबंधित राज्यों में इस

[कुमारी सरोज खापर्डे]

बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए किए गए उपायों पर केवल एक या दो बैठक नहीं की हैं बल्कि बैठकों और चर्चाओं की श्रृंखला का आयोजन किया गया है ।

माननीय सदस्य बिहार राज्य से हैं इसीलिए वह इस बीमारी के अपने राज्य में होने पर अत्यधिक विक्षुब्ध और दुःखी हैं । टिप्पणी करते समय उन्होंने बहुत सी बातों का उल्लेख किया था ।

माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया था कि काला-आजार जैसी विशेष बीमारी के लिए उपयोगी दवा राज्य सरकारों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करायी गयी है । वह उन स्थानों के बारे में भी जानना चाहते हैं जहाँ हमने ये दवाइयाँ सप्लाई की थीं ।

राज्य सरकारें समय-समय पर औषधियाँ प्राप्त कर रहीं हैं और सभी प्रभावित क्षेत्रों में इसकी सप्लाई सुनिश्चित कर रहीं हैं । वर्ष 1988-89 के दौरान बिहार सरकार ने सोडियम एंटीमॉनी गुलूकोनेट की 88419 शीशियाँ और पेंटामिडाइन आइसोथीनेट की 9898 शीशियाँ प्राप्त की । औषधियों की कोई कमी नहीं थी और 12.4.89 तक जिला स्तर पर उपलब्ध स्टॉक के अतिरिक्त राज्य मुख्यालयों में सोडियम एंटीमॉनी गुलूकोनेट की 12770 शीशियाँ तथा पेंटामिडाइन आइसोथीनेट की 800 शीशियाँ उपलब्ध थी । यह लगभग 2550 रोगियों (औसतन 5 शीशी प्रति रोगी) के इलाज के लिए काफी है । बिहार सरकार ने इस वर्ष के दौरान बिहार में लगभग 23000 रोगियों के इलाज के लिए 38.95 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर सोडियम एंटीमॉनी गुलूकोनेट की 100,000 शीशियाँ और पेंटामिडाइन आइसोथीनेट की 10,000 शीशियाँ खरीदने करने का प्रस्ताव किया था ।

महोदय, माननीय सदस्य ने पेंटामिडाइन का आयात करने का जिक्र किया । केवल 10 प्रतिशत से भी कम रोगियों को आयातित औषध की आवश्यकता होगी जो कि विषजन्य हैं और इसे चिकित्सा पर्यवेक्षण के अधीन ही दिया जाना चाहिए । जैसा कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया, इस औषध की पर्याप्त मात्रा का आयात फ्रांस से किया जा रहा है ।

महोदय, काला-आजार निरोधी औषधियां दिल्ली के सभी अस्पतालों में भी सप्लाई की गई हैं । माननीय सदस्य ने यह कहा कि उनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अच्छा इलाज किया गया और उन्होंने इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधीक्षक के नाम का जिक्र किया । काला-आजार निरोधी औषधि की पूर्ति राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा माँगने पर दिल्ली के सभी अस्पतालों को की गई हैं और हमने इस औषधि की कहीं भी कमी नहीं पाई है ।

योजना आयोग की सलाह के अनुसार, काला-आजार पर नियंत्रण करने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक पृथक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । तथापि, वर्ष 1988-89 में बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार को 1·5 करोड़ रुपये की नकद सहायता पहले ही दी जा चुकी है । इसके अतिरिक्त कीटनाशी दवाई के छिड़काव की भी सप्लाई की गई है । अन्य राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार की सहायता दी गई है ।

महोदय, मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य भिन्न-भिन्न जिलों के बारे में पूछेंगे । मैं सदव को यह विश्वास दिला सकती हूं कि सरकार किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल या बिहार या देश के किसी भी भाग में काला-आजार बीमारी की उपेक्षा नहीं कर सकती । जैसे ही किसी भी राज्य सरकार से कोई माँग आती है, हम आवश्यक दवाइयों और आवश्यक सहायता के साथ अपने दल को वहाँ भेजते हैं ।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य का इस मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद करती हूं और यदि वे इससे अधिक कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे उत्तर देने में खुशी होगी ।

डा० गौरीशंकर राजहंस : महोदया, मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले विवरण और इस विवरण में दिये गये मृत्यु सम्बन्धी आँकड़ों में विसंगति क्यों हैं ।

दूसरे, मैं आपसे लोगों को इस जानलेवा बीमारी के विषय में शिक्षित करने और इसके इलाज के बारे में जानकारी देने का अनुरोध करता हूं । क्योंकि लोग, विशेषकर उतरी बिहार में अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैं ।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, हमने इस सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित कराने का कार्यक्रम पहले ही बनाया हुआ है ।

जहाँ तक आँकड़ों का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगी कि हम हमेशा उन्हीं आँकड़ों को उद्धृत करते हैं जो राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं और मैं नहीं समझती कि राज्य अरकार द्वारा दी गई सूचना ठीक नहीं हे । यदि माननीय सदस्य को आँकड़ों के बारे में कोई सन्देह है तो मैं अपने मंत्रालय से तथ्यों का पता लगाने के लिए एक दल भेजने के लिये कहूँगी तथा मंत्रालय निश्चित रूप से बिहार राज्य में सम्पूर्ण काला-आजार के मामले की जांच करेगा ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चित्रकूट का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास किये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : उपाध्यक्ष जी, चित्रकूट धाम भारत वर्ष के उन कुछ श्रेष्ठ तीर्थ एवं ऐतिहासिक स्थानों में से एक है जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यात्री भ्रमण करने जाते हैं और स्थल के प्राकृतिक सौन्दर्य से तथा धार्मिक व ऐतिहासिक महत्ता से आत्मसात करके जीवन धन्य कर लेते हैं । यात्रियों एवं पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यहां का विकास न के बराबर हुआ है ।

पर्यटन, देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बड़ा स्रोत है । चित्रकूट धाम का यदि समुचित विकास कर दिया जाए तो यहां पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है । इस स्थान को खजुराहो आने-जाने वाले वायुयान के मार्ग से जोड़ कर प्रयागराज, अयोध्या से जोड़ दिया जाए तो बहुत सुविधाजनक हो सकता है और पर्यटकों की भी संख्या में बढ़ोत्तरी निश्चित होगी ।

अस्तु जनहित में मेरा सरकार से अनुरोध है कि चित्रकूट में एक हवाई अड्डा बना कर इसे एक बड़े पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित होने में सहायता करें।

(दो) जम्मू में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : जम्मू में टेलीफोन एक्सचेंज के दोषपूर्ण होने के कारण लोगों को बड़ी असुविधा और कठिनाई हो रही है। जम्मू में गांधी नगर में हाल ही में स्थापित किया गया टेलीफोन एक्सचेंज भी स्तर का नहीं है। उस क्षेत्र के लोगों की कठिनाईयों को देखते हुए जम्मू में यथाशीघ्र एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किया जाये ताकि उन्हें पर्याप्त टेलीफोन सुविधायें प्रदान की जा सकें।

मैं भारत सरकार के संचार मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि यथाशीघ्र एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज जम्मू में स्थापित किया जाए ताकि उस क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जा सकें।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का मूल्य मनमाने ढंग से न बढ़ाया जाना तथा पंजीकरण के समय घोषित मूल्य पर ही पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन किया जाना सुनिश्चित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : दिल्ली में आवासीय सुविधाओं के अभाव के कारण नई बस्तियों के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनियों का निर्माण हो रहा है। परन्तु मकान रजिस्ट्रेशन के समय जो शर्तें व समय निर्धारित होता है, उसे आधार मानकर जो इच्छुक क्रेता अग्रिम राशि जमा करा कर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उन्हें निर्धारित समय पर फ्लैट या प्लाट्स का आवंटन नहीं किया जाता है जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार नहीं है। जब वास्तविक आवंटन होता है तब प्रत्याशित रूप से दामों में वृद्धि की घोषणा कर अल्प समय में ही सारी राशि जमा करने का आदेश दिया जाता है जिससे क्रेतागण विवश होकर या तो भारी नुकसान उठाकर आवंटन निरस्त कराते हैं अथवा घर का बहुमूल्य सामान तक औने-पौने दामों पर बेचकर किश्त जमा करने पर मजबूर होते हैं।

अभी इसी सप्ताह में आवंटित भवनों की निर्धारित कीमतों में भारी वृद्धि की घोषणा से खलबली मच गई है। अधिकारियों से बात करने पर कोई समाधान नहीं निकलता तथा इच्छुक क्रेता को ही इस अप्रत्याशित वृद्धियों को भुगतना पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर डी०डी०ए० द्वारा की गई इस मनमानी को बन्द कर इच्छुक क्रेताओं को रजिस्ट्रेशन के समय पर घोषित मूल्य पर आवास आवंटित कराने की व्यवस्था करें।

(चार) राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों को जोड़े जाने हेतु पुलों और सड़कों के निर्माण किये जाने, विशेष रूप से राजस्थान के चौमहला और मध्य प्रदेश के सीतामऊ के बीच चम्बल नदी पर एक पुल बनाए जाने के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : राजस्थान का झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तीन ओर से तीन सौ किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश से घिरा है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक, और भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के माड़वा क्षेत्र की अपेक्षा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अधिक निकट है। इन दोनों ही क्षेत्रों की समस्याएं एक समान हैं तथा इन्हें क्षेत्रीय आधार पर ही हल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दोनों राज्यों के बीच डकैतों से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास, नदी नालों के मार्ग में भू-कटाव की रोकथाम और संचार व्यवस्था में सुधार जैसी समस्याएं हैं।

दोनों राज्यों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर योजनागत समन्वय न होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़कों का विकास संतोषजनक रूप से नहीं हो सका है। ऐसे कम से कम दो दर्जन स्थान हैं जहां पर पिछले चार दशकों के दौरान परम्परागत कच्चे मार्गों पर सड़कों और पुल बनाये जाने चाहिये थे। मध्य प्रदेश में बने गांधी सागर बांध से पानी वापस बहने के फलस्वरूप राजस्थान में चौमहला और मध्य प्रदेश में सीतामऊ के बीच परम्परागत मार्ग बन्द हो गया है और इस मार्ग को पुनः चालू करने के प्रयास नहीं किये गये हैं।

इसलिये मैं जल भू-तल परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इन दो राज्यों के क्षेत्रों को जोड़ने के लिये सड़कों पर पुलों के निर्माण के लिए तथा विशेष रूप से चौमहला और सीतामऊ के बीच चम्बल नदी पर एक पुल बनाये जाने के लिये धनराशि उपलब्ध कराएं।

(पांच) नालन्दा जिले के बिहार शरीफ में एस० टी० डी० प्रणाली में त्रुटियों को दूर किये जाने की मांग ताकि बिहार शरीफ और दिल्ली तथा अन्य स्थानों के बीच टेलीफोन पर बातचीत सरलता से हो सके

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : बिहार राज्य अन्तर्गत नालंदा जिला का प्रधान कार्यालय बिहार शरीफ में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना मार्च 1989 के आखिर में हो चुकी हैं। पर खेद की बात है कि बिहार शरीफ से बाहर दिल्ली आदि अथवा दिल्ली से एस. टी. डी. द्वारा बिहार शरीफ बात नहीं हो पाती है।

ऐसा लगता है कि उपरोक्त स्थान पर जल्दी-जल्दी स्वचालित केन्द्र की स्थापना कर दी गई है जबकि बहुत सारी गड़बड़ियां मौजूद हैं।

अतः सरकार को इस ओर अविलम्ब ध्यान देकर गड़बड़ियों को दूर किया जाये जिसमें ग्राहक एस. टी. डी. का लाभ उठा सकें।

(छः) सरकारी अस्पतालों को घटिया दवाइयों की आपूर्ति को रोके जाने तथा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मिलावटी अन्तः शिरा द्रव से हुई एक व्यक्ति की मृत्यु की उच्च-स्तरीय जांच कराए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, यह बड़ी ही चिंता की बात है कि केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और वह भी राजधानी के अस्पतालों में घटिया और खराब दवाइयों और मिलावटी अन्तःशिरा द्रव के इन्जेक्शन के इस्तेमाल से लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के नोटिस में यह घटना अवश्य ही आई होगी कि 8 तारीख को सफदरजंग अस्पताल में मिलावटी अंतः शिरा द्रव देने से एक युवक की मृत्यु हो गयी तथा इसी दवा के कारण 3 अन्य रोगी गम्भीर रूप से बीमार हो गये।

इन औषधियों को ऐसी फर्मों से निविदा द्वारा खरीदने की व्यवस्था जिनमें अनुसंधान और विकास इकाईयां नहीं हैं और फिर उन्हें किसी केन्द्र सरकार की प्रयोगशाला में जांच न करने से अस्पतालों में दाखिल असहाय रोगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार तुरन्त अपनी प्रयोगशाला राजधानी में स्थापित करे जो ऐसी छोटी निर्माता फर्मों से खरीदी गई सभी दवाओं, इन्जैक्शन तथा मिश्रणों को अस्पतालों में भेजने से पहले उनकी जांच करे। हाल ही में लैंटिन आयोग ने घटिया स्तर की दवाएं सप्लाई करने के लिए महाराष्ट्र में औषधि उद्योग की अत्यधिक आलोचना की थी ऐसी दवाओं के उपयोग से मानव जीवन को खतरा होता है। यह उचित समय है जब सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए और सफदरजंग अस्पताल में हाल ही में हुई मृत्यु की उच्च स्तर पर जांच भी करानी चाहिए और कोई ऐसा कारगर तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भविष्य में न हो।

(सात) यमुना-सतलुज सम्पर्क नहर की तरह इन्दिरा गांधी नहर का सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने तथा सागरमल गोया शाखा का विस्तार गढ़रा रोड तक और पोकरण लिफट नहर का विस्तार बालोतरा तक किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक महत्व के मसले को सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

"इन्दिरा गांधी नहर जो राजस्थान नहर के नाम से कहलाती थी का निर्माण सन् 1985 से शुरू हुआ। अभी तक प्रथम चरण का कार्य सम्पूर्ण हुआ है। दूसरे चरण में मोहनगढ़ से रामगढ़ का कार्य शुरू है तथा प्रगति पर है। गत चार वर्षों में भारत सरकार ने प्रति वर्ष सहायता प्रदान की है। प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय हुई है। इस वर्ष भी 115 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। इस रफ्तार से इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण 30 वर्षों तक नहीं हो सकेगा।

यह नहर राष्ट्रीय स्तर की नहर है। अतः केंद्र सरकार से निवेदन है कि इन्दिरा गाँधी नहर को राष्ट्रीय स्तर की नहर घोषित किया जाए और यमुना-सतलुज लिंक के निर्माण में जिस प्रकार भारत सरकार सारी राशि व्यय कर रही है उसी प्रकार भारत सरकार सारी राशि व्यय करने की जिम्मेदारी ले ताकि आठवीं एवं नवी पंचवर्षीय योजना में नहर का पूरा कार्य सम्पूर्ण हो सके और रेगिस्तानी क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर एवं जोधपुर जिले में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ सके और पीने के पानी की समस्या हल हो सके और वन विकास के कार्य को बढ़ाकर रेगिस्तानी क्षेत्र की काया पलट सके जिसके आठवीं एवं नवीं पंचवर्षीय योजनाओं में इन्दिरा गांधी नहर की सागरमल गोपा ब्रांच का विस्तार गढ़रा रोड तक तथा पोकरण लिफ्ट कैनाल का विस्तार बालोतरा तक हो सके तथा बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों को पीने का पानी मिल सके।"

(आठ) नवोदय विद्यालय की कमियों को दूर किए जाने की मांग ताकि नवोदय विद्यालय उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जिनके लिए वे मूलतः खोले गये थे तथा उनमें ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित स्थानों पर केवल ग्रामीण बच्चों को ही दाखिला दिया जाये

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के तहत महत्वपूर्ण विषय निम्नानुसार है :—

"नई शिक्षा नीति के तहत नवोदय विद्यालय योजना की एक बहुत सुन्दर तस्वीर पेश की गई थी और यह आश्वासन दिलाया गया था कि इन आवासी विद्यालयों में समाज के निम्न वर्ग के छात्रों के बहुमुखी विकास करने वाली शिक्षा मुफ्त मुहैय्या कराई जाएगी और शायद इसी उद्देश्य से सन 1988 तक 256 नवोदय विद्यालय खुले और इसमें 34,227 छात्रों को दाखिला मिला जिसमें दावा किया गया कि 41 फीसदी छात्र छः हजार रुपए से कम सलाना आमदनी वाले परिवारों से थे। कहने को 75 फीसदी सीटें इन विद्यालयों में ग्रामीण बच्चों के लिये सुरक्षित हैं, लेकिन जिस देश के करीब 4 लाख 50 हजार स्कूलों में से करीब एक लाख 64 हजार स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक हो, करीब 60 फीसदी विद्यालयों में पीने के पानी तक का ठीक प्रबन्ध न हो, करीब 82 फीसदी विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिये फर्नीचर तो दूर की बात, टाटपट्टी तक न हों, उनमें पढ़ने वाले कितने बच्चों को नवोदय विद्यालयों में दाखिला मिल पायेगा, यह समस्या तो ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर दाखिला मिलने से सम्बन्धित है। अब जिन्हें दाखिला मिल गया है उनके समक्ष आवासीय समस्या, अध्यापकों का अभाव जैसी समस्याओं के रहते, कल्पना के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है।

अतः मेरा शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना जिन उद्देश्यों और कल्पना के बीच हुई थी उसे साकार करने के लिए नवोदय विद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा उक्त कमियों को अविलम्ब दूर करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने की कृपा करें जिससे ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही प्रवेश पा सकें।"

12.40 म० प०

अनुदानों की मांगें—1989-90—जारी

(कृषि मंत्रालय—[जारी])

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कृषि मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान करेगी । श्री जुझार सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि अभी कृषि के प्रोत्साहन, विकास और डैवलपमैंट के लिए देश में अनुकूल वातावरण बना हुआ है । जहां तक भारत सरकार और राज्य सरकारों का सवाल है, वह इस मद में भरपूर सहायता करना चाहती है और सब तरह की मदद फर्टीलाइजर, इन्सैक्टीसाइड, सीड्ज वगैरह देने के लिए कटिबद्ध हैं । पहली बार ऐसा वातावरण बना है कि भारत का कृषक इन आइडियाज को रिसीव करने के लिए इच्छुक है, इनको ग्रहण करता है और जो कुछ भी ग्रहण करता है और जो कुछ भी प्रोग्राम आप देते हैं, उनमें रुचि लेकर उनको इम्पलीमैंट करने की कोशिश करता है । सरकार और कृषकों, दोनों की तरफ से अनुकूल वातावरण है, इसमें आवश्यक है कि हम अपनी कमियों को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करें ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने सीड्स और उत्पादन के बारे में ब्रेक-थ्रू किया है वह केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित है, दूसरे एरियाज में जो डैवलपमैंट एक्सपैक्टेड है, वह नहीं हो पाई है और गेहूं व चावल के क्षेत्र में भी जो ज्यादा पैदावार है, वह हमारे यहां दूसरे कन्ट्रीज के मुकाबले में बहुत कम है, करीब-करीब 1/4 है । इसलिए अगर हम यह मानकर चल रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, इस क्षेत्र में हमारा उत्पादन बहुत बढ़ गया है, अभी पिछले दिनों जिन लोगों ने इस हाउस में स्पीचेज दीं, उसमें बड़ा सैटिस्फैक्शन बताया है कि हमने टार्गेट एचीव कर लिया है लेकिन 3 दूसरे कन्ट्रीज के स्टैंडर्ड में हमारा प्रोडक्शन बहुत कम है । मैं इस बारे में पहले भी फिगर्स कोट कर चुका हूँ लेकिन रिकार्ड के लिये बताना चाहता हूं कि गेहूँ की पैदावर—

आयर्लैंड में 54,291 के. जी. पर हैक्टर है,
डेनमार्क में 7,095 के. ज. पर हैक्टर है,
नीदरलैंड में 6,777 के. जी. पर हैक्टर है, और

इसके मुकाबले हमारे यहां मात्र 1,848 के. जी. पर हैक्टर है, जो करीब-करीब 1/3 या 1/4 इन कन्ट्रीज के मुकाबले में है ।

इसी तरह चावल में भी है—
कोरिया में 6,235 के. जी. पर हैक्टर है,
नार्थ कोरिया में 6,187 के. जी. पर हैक्टर है,
जापान में 6,224 के. जी. पर हैक्टर है, और

इंडिया में 2,025 के. जी. पर हैक्टर है । इसमें भी हमारी पैदावार करीब-करीब 1/3 आती है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब वातावरण अनुकूल है, सरकार मदद करना चाहती है और काश्तकार उसे एक्सैप्ट करना चाहते है, आपके आइडियाज़ को एक्सैप्ट करना चाहते हैं, आपके प्रोग्राम को पूरे जोश के साथ अपनाना चाहते हैं तो क्या वजह है कि हमारा टारगैट चाइना और दूसरे कन्ट्रीज, जो हमारे साथ ही आजाद हुए हैं, जो हमारी तरह ही थे उनके मुकाबले में हमारा टारगैट एवरेज प्रोडक्शन का है ? हम इसमें क्या प्रयास कर सकते हैं जो उन देशों के मुकाबलें में आ सकें ? इसके लिए आपके पास जो कुछ भी साधन उपलब्ध हो उसे आप काश्तकारों तक ज्यादा से ज्यावा पहुंचाने की कृपा करें, ताकि उसका फायदा प्रोडक्शन के मामले में मिले ।

यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आपका टारगैट 189 मिलियन टन है जो कि प्रोडक्शन का था । अब आपने सैटिस्फेक्शन बताई है कि यह 17 करोड़ टन हो जाएगा लेकिन वह टारगैट अब भी 10 मिलियन टन शार्ट है । हमें इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए । हमें खाने के लिये जो अनाज मिलता है उसकी क्वालिटी भी ज्यादातर अच्छी नहीं होती है । हमें भरपेट खाना मिल जाता है इस पर ही हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिये बल्कि हमें उसकी क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा करना चाहिए । इतना जरूर है कि जो लोग पहले ज्वार खाते थे वे गेहूँ खाने लगे हैं । लेकिन देखने में आया है कि उस गेहूँ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है । इस पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए ।

आयल सीडस और प्लसीज के क्षेत्र में भी हम आगे नहीं बढ़ पाये हैं । इन चीजों की फसल ड्राई लैंड में हुआ करती है । 70 परसेंट के करीब हमारी ड्राई लैंड है । लेकिन 40 परसेंट एरिया में ही इसका हम प्रोडक्शन कर पाये हैं । वैसे आपने ड्राई लैंड डेवलपमैंट से कई स्कीमें चलायी हैं लेकिन जहां तक इसमें इम्पलीमेंटेशन का प्रश्न है वह बहुत संतोषजनक नहीं है । इसमें जो मार्जिनल बढ़ोत्तरी है वह 7.5 परसेंट है । पिछले साल दालों की मांग 18 मिलियन टन थी जबकि इनका उत्पादन 11 मिलियन टन हुआ था । 1988-89 में आपने 10 मिलियन टन इसका आयात किया । अब तक करीब 7.7 मिलियन टन आप इम्पोर्ट कर चुके हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि आप काश्तकारों को एनकेजमेंट दें और उनसे कहें कि जो उनके पास साधन ऊपलब्ध हैं उनका अच्छी तरह से उपयोग करके उनका उत्पादन बढ़ायें । अभी जो सरसों की फसल आई हैं । उसके आने के 15 दिन के अन्दर ही उनके भाव तेजी से गिरे । हमारे क्षेत्र कोटा में थोड़े दिन पहले ही गवर्नमेंट ने इसको खरीदना शुरू किया है । उसको खरीदते ही उसके प्राइस बढ़ने लगे । लेकिन टेडेंसी बाजार की ऐसी होती है कि फस्ट ऑपार्टयूनिटी मिलते ही व्यापारी काश्तकारों को लूटना शुरू कर देता है ।

(अनुवाद)

जब तक आप बाजार में आते है—तब तक काफी शोषण हो चुका होता है । जब बाजार में माल आने लगता है । तभी आप तुरन्त कार्यवाही करने के लिए तैयार क्यों नहीं रहते हैं ?

[हिन्दी]

यह नहीं होता है । खास तौर से जो छोटा काश्तकार होता है जिस के पास माल को रखने की क्षमता नहीं होती है वह बाजार में आकर अपने माल सस्ते दामों पर बेच देता है ।

[श्री जुझार सिंह]

आपने इनके जो प्राइस फिक्स किये हैं वह फिक्स करने ही काफी नहीं हैं लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि जो चीजें मार्किट में रेट फिक्स करने से पहले ही आ जाती हैं वह कम दाम पर काश्तकार से न ली जायें। इस पर आप अवश्य ध्यान दें।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि पूरी जमीन का अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिये। आप खुद काश्तकार है और आप जानते हैं कि हमारी 70 परसेंट लैंड दिनों दिन खराब होती जा रही है। इनको चैक करने के लिये आपने महकमे खोल दिये हैं। उनकी रिपोर्ट भी ठीक आती होगी। मैं स्वयं काश्तकार हूं। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि अभी तक जमीन का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। जहां तक सॉयल इरोजन का सवाल है यह एक बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या है। मेरा क्षेत्र वैसे राजस्थान में है और राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र रेगिस्तानी है, लेकिन पर्टिकुलर एरिया जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं कोटा डिवीजन और खास तौर से झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, वहां पानी बहुत ज्यादा तादाद में होता है। अगर आपने वहां सॉयल इरोजन को रोकने की कोशिश नहीं की तो रेट आफ इरोजन बढ़ता चला जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक इस बात के लिए कोई फंडस नहीं किए गए कि मार्जिनल लैंड को एलॉटमैंट के लिए न दिया जाए। सीधा-सादा फारमूला जो गवर्नमैंट ने एक्सैप्ट किया हुआ है, वह है कि जो लैंड बंजर है- उसे भूमिहीन या किसी अन्य नाम से एलॉट कर दिया जाए, उसका वह कैसे उपयोग करता है, उसकी कोई परवाह नहीं करता। हमारे यहां जितनी बंजर लैंड है, सब मार्जिनल लैंड है। नदियों से लगी हुई मार्जिनल लैंड बंजर लैंड के नाम से एन्टर्ड है और रैकलैसली कल्टीवेशन परपज के लिए एलाट की जा रही है। जहां ग्रेडियेंटस हैं, जहां रविन्स हैं, गलेस हैं, उन सब एरियाज को भी बंजर के रूप में लिखा गया है और बंजर मानकर एलाटमैंट की जा रही है। पिछले 30-40 सालों में सारी जमीनें बंजर के रूप में एलाट हुई हैं जिसकी बजह से रेट आफ इरोजन काफी बढ़ गया है, और प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गई है। मेरा निवेदन है कि लैंड यूज के सम्बन्ध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति या पोलिसी होनी चाहिए कि किस जमीन को कौन से उपयोग के लिए दिया जा सकता है। आप लैंडलैस को भूमि एलाट करें, दूसरे लोगों को फायदा देने की कोशिश करें लेकिन मार्जिनल लैंड का उपयोग खेती के लिये नहीं होना चाहिए। उसे ट्री प्लांटेशन, ओर्चार्डस के रूप में किया जाना चाहिए, जिसके रूटस जमीन में अच्छी पकड़ रखती हों ताकि वे भूमि के कटाव को रोकने में सहायक सिद्ध हों। बेशक 4-5 वर्ष तक आपको इसके लिए इन्तजार करना पड़ेगा लेकिन उससे जो आमदनी होगी, वह खेती से होने वाली आमदनी से ज्यादा होगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने यद्यपि इसे एक्ससैप्ट किया हुआ है, लेकिन उसकी इम्पलीमैंटशन नहीं हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जमीन के प्रौपर यूज पर ज्यादा ध्यान दें और जिस काम के लिए कोई जमीन ली जा सकती है, उसे उसी परपज के लिए काम में लाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक फीगर्स का ताल्लुक है, हमारे यहां कुल मिलाकर 998.76 लाख हैक्टेयर इरोजन से ग्रसित एरिया है जिसमें से 172.65 लाख हैक्टेयर केवल राजस्थान में है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मैजोरिटी आफ वाटर इरोजन, उसका लगभग 60 परसेंट वाटर इरोजन एरिया केवल मेरे क्षेत्र में है। इस में भी मेरा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित

है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में ठोस पग उठाये । यहां जब भी राजस्थान के सम्बन्ध में बात होती है, हम लोग कुछ कहते हैं या राज्य सरकार की ओर से कुछ कहा जाता है तो वह डैजर्ट प्रौब्लम के सम्बन्ध में ही होता है, इरोजन की प्रौब्लम की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता जब कि हम पिछले लगभग चार दशक से इससे बुरी तरह प्रभावित हैं । इसलिए आप मेहरबानी करके इस ओर विशेष ध्यान दें ।

हमारे यहां कुछ लोग एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक्सपर्ट माने जाते हैं, जैसे मि० डी. डी. वोहरा हैं, वे अक्सर इस प्रौब्लम पर अपने विचार प्रकट करते रहते हैं । उनका अनुमान है कि 30 से 50 मिलियन है. तक का टाप सायल हर साल हमारा इस समस्या के कारण बह जाता है, उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है । मैं लम्बे समय में इससे क्या नुकसान होंगे, उसकी तरफ नहीं जाता लेकिन उस अनुमान के अनुसार हर साल हमें साढ़े चार हजार या साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का नुकसान टाप सायल बह जाने की बजह से उठाना पड़ता है, यह सारे भारतवर्ष की फीगर्स में आपको बता रहा हूँ । मेरा क्षेत्र सबसे ज्यादा इस प्रौब्लम से प्रभावित है, जहां छोटा सा एरिया होने के बावजूद दर्जन के करीब नदिया बहती हैं और लगभग सारी जमीन या तो नदी के किनारे या नालों के किनारे खराब हो रही है । वोहरा साहब ने जो कुछ अपने तजुर्बे के आधार पर कहा है, मैं उससे सहमत हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की जनसंख्या का 75 प्रतिशत हिस्सा खेती या उससे सम्बन्धित कार्यों पर डिपैंड करता था । उन दिनों लगभग 25 करोड़ लोग खेती या उसके कार्यों में लगे थे और आज, 40 साल बीत जाने के बाद भी खेती या उससे सम्बद्ध कार्यों में 75 प्रतिशत जनसंख्या लगी है, आज उनकी संख्या 53 या 55 करोड़ हो गई है, जब कि जमीन वही है जो जमीन पहले 25 करोड़ लोगों को सपोर्ट करती थी, आज 55 करोड़ के लगभग खेती से लोग जुड़े हुए हैं । और उसके लिए किसी भी दिशा में कोई डाइवर्सीफिकेशन नहीं है ।

इस पोपुलेशन को आप हमेशा के लिए परमानेन्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेण्ड कराना चाहते हैं या इसका डाइवर्सीफिकेशन करवाना चाहते हैं । कृषि से सम्बन्धित जो सीगे हैं, डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी और पिशरी, उसमें भी अभी तक इस जनसंख्या को प्रोपरली डाइवर्ट नहीं कर पाये हैं इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि वहां पर उद्योग लगाये जायें और किसी तरह से पीपुलेशन का डाइवर्सिफिकेशन किया जाय । अगर उसमें कोई कमी आ जाती है तो कम से कम जो सीगे या जो महकमे आपसे सीधे सम्बन्धित हैं, उन आइटम्स पर तो आप ..... (व्यवधान)..... एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके ऊपर अक्सर चर्चा होती हैं और वह है लैंड सीलिंग और लैंड सीलिंग के इम्पलीमेंटेशन का । उसका एक आस्पैक्ट आपके सामने आता है लेकिन दूसरा आस्पैक्ट नहीं आता । मेरी समझ में वह आस्पैक्ट बहुत से लोगों को बहुत अनप्लीजेण्ट लगेगा, उस लैंड सीलिंग के लगने में और लैंड सीलिंग के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है । राजस्थान में पहली जो लैंड सीलिंग लगी वह प्रोड्यूस पर लगाई गई है । मन्त्री महोदय आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लैंड सीलिंग 200 मन प्रोड्यूस या 60 क्विंटल के ऊपर जो पैदा करेगा, उसकी जमीन ले

[श्री जुझारसिंह]

ली जायेगी। दुनिया के परदे पर कहीं भी आपने कोई ऐसा कानून देखा है जो प्रोडक्शन को रैस्ट्रिक्ट करके चले और उसके बाद रिट्रिक्ट होकर उसको इम्पलीमैंट करने की कोशिश करे। एक तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी सीलिंग प्रोडक्शन के ऊपर लगाना एक तरह से काश्तकार के इन्सैंटिव को चैक करना है, रोकना है, उसको डिस्करेज करना है। दूसरे, 200 मन प्रोड्यूस का जो कैलुकुलेशन किया गया है कि कौन सा रक्बा किस एरिया में 200 मन प्रोड्यूस दे देगा, उसमें मन्त्री महोदय सैटिलमैंट डिपार्ट मैंट सारे स्टेट के लिए एक ही है। सैटिलमैंट डिपार्टमैंट ने जमीनों के टाइप किये हुए हैं, बारानी वन, बारानी टू, फर्स्ट क्लास, उसका रैंट रेट एक है, क्वालिटी एक है, प्रोड्यूज एक है, सब कुछ एक है, एक ही डिपार्टमैंट की क्लासिफाई की हुई है, उसी क्वालिटी की एक लैंड को 70 एकड़ पर आप लैंड सीलिंग देते हैं और किसी दूसरे एरिया में जहां कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, उसको 30 एकड़ दे देते हैं। फिर आप यह बात करते हैं कि इन जमींदारों ने यह कर दिया, वह कर दिया लेकिन गवर्नमैंट ज्यादती कर रही है और उस ज्यादती को एग्जामिनेशन के बाद आप एडमिट कर चुके हैं कि इसमें अनपेयर ट्रीटमैंट हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ, इसके बाद उसकी रेमेडी करने के लिए आपमें हिम्मत नहीं होती कि जो गलती कर चुके हैं उसको आप सही करें। जब आप मन्त्री नहीं थे तो दूसरे मन्त्री के सामने मैंने यह मामला एग्रीकल्चर कंसलटेटिव कमेटी में भी उठाया था, फैक्ट्स एण्ड फीगर्स राजस्थान से मंगाये और उन्होंने इस बात को मन्जूर किया कि डिस्क्रिमिनेशन है और किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ ज्यादती हुई है।

साथ ही साथ जहां तक कम्पेंसेशन का मामला है, एक बीघा जमीन जो आज 10 हजार रुपये में बिक रही है, उसका आप 30 रुपये बीघा कम्पेंशन देना चाहते हैं। आप एक तरफ तो उन लोगों का शोषण कर रहे हैं और दूसरी तरफ 30 रुपये बीघा कम्पेंसेशन देना चाहते हैं। दिल्ली में दो लाख रुपये बीघा में जमीन बिकती होगी लेकिन हमको आप 30 रुपये बीघा देना चाहते हैं, इनजस्टिस करके।

उन कास्तकारों के पक्ष में आज कोई बोलने वाला नहीं है, जो न्याय के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज देश में एक एटमोस्फियर बना हुआ है, एक ही तरह की बात कहने का, एक ही तरह की बात सुनने का। सही बात कहने का, सुनने का कोई एटमोस्फियर आज नहीं है इसीलिये उन कास्तकारों के साथ ऐसा इनजस्टिस होता है। हम इस बात से ही सैटिसफाइड हो जायेंगे, अगर आप कहते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है मगर आप अपनी मिस्टेक तो मानिएगा, आप तो अपनी मिस्टेक भी मानने को तैयार नहीं हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हमारे देश के लगभग दो तिहाई लोग खेती पर निर्भर हैं। इससे राष्ट्रीय आय का लगभग 35 प्रतिशत भाग मिलता है। परन्तु पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक कृषि के लिए दी जाने वाली राशि धीरे-धीरे घटती जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना का 31 प्रतिशत आवंटन कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए था लेकिन अब यह

घटकर 22 प्रतिशत रह गया है। सिर्फ कृषि के लिए 3.8 प्रतिशत आवंटन है जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। जब हम अपनी राष्ट्रीय आय की तुलना अन्य देशों से करते हैं तो ब्रिटेन में यह सिर्फ दो प्रतिशत है, अमेरीका में यह तीन प्रतिशत तथा कनाडा में चार प्रतिशत है।

कृषि से लगभग दो तिहाई कामकाजी वर्ग को रोजगार मिलता है। इससे कृषि पर आधारित उद्योगों यथा अन्य उद्योगों को भी कच्चा माल मिलता है।

विदेशी व्यापार से प्राप्त आय में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेषरूप से चीनी, तम्बाकू, तिलहन तथा अन्य वस्तुओं के कारण विदेशी व्यापार द्वारा होने वाली आय का लगभग दो तिहाई भाग प्राप्त होता है। निर्यात से होने वाली आय तो और भी अधिक है। यदि हम देश की अर्थव्यवस्था में सुधार चाहते हैं तो कृषि-अर्थव्यवस्था को विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से योजना आयोग और भारत सरकार कृषि के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इस वर्ष कृषि के लिए 770 करोड़ रुपये रखे गये हैं तथा कृषि अनुसंधान कार्यों के लिए केवल 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय इस थोड़े से आवंटन से अपेक्षित लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे।

पिछले बयालिस वर्षों के दौरान कृषि के अन्तर्गत भूमि 122 मिलीयन हैक्टेयर से बढ़कर 165 मिलीयन हैक्टेयर हो गई है लेकिन इस भूमि का केवल 46 प्रतिशत भाग ही सिंचित होता है, अर्थात् लगभग साठ मिलीयन हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है तथा शेष क्षेत्र असिंचित है। यदि आप सारे क्षेत्र को सींचना चाहे तो मुझे पता नहीं है कि इसमें कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन कुछ अध्ययनों के अनुसार सन् 2010 तक 110 मिलीयन हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। इसका यह मतलब हुआ कि हर वर्ष लगभग 2 मिलीयन हैक्टेयर की सिंचाई होगी। क्या भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं को रोके रखने से ऐसा संभव हो सकेगा ? सभी राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेज रही हैं लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार ने इन परियोजनाओं को, विशेषकर उन राज्यों द्वारा भेजी गई परियोजनाओं को, जिनमें गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं, रोके रखना अपनी आदत बना ली है। तब ऐसे में आप सिंचित क्षेत्र में कैसे वृद्धि करेंगे ? आपको भूमिगत पानी का उपयोग करना है लेकिन हम पिछले चार वर्षों से भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। भूमिगत पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, जबकि नदियों का पानी बेकार समुद्र में बह जाता है। देश का एक भाग तो अत्यधिक वर्षा का शिकार होता है जबकि दूसरे भाग में पानी की कमी रहती है। भारत में यह स्थिति है। हमारे यहां अनेक बारहमासी नदियां हैं लेकिन आप इन नदियों को जोड़ने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। मैंने इस बारे में अनेक बार इस सभा में कहा है तथा वास्तव में स्वर्गीय श्री के० एल० राव ने भी यह प्रस्ताव किया था कि गंगा और कावेरी को जोड़ दिया जाए लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस बारे में विचार करने का दायित्व मैं सरकार पर ही छोड़ता हूं।

अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन 1983-84 में ही हुआ था जब 151 मिलीयन मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। 1987-88 के दौरान यह उत्पादन कम होकर 138 मिलीयन

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

मीट्रिक टन रह गया। अब मैं समझता हूं कि इस वर्ष आपका लक्ष्य 166.52 मिलीयन है। सातवीं योजना के अन्त तक आपको 180 मिलीयन टन का लक्ष्य अर्जित करना है। आप यह लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करेंगे। कृषि विकास दर 2 प्रतिशत से कम है जबकि जनसंख्या वृद्धि 2.2 प्रतिशत है और भारत की आर्थिक विकास दर 5 प्रतिशत है और आप सातवीं योजना के अन्त तक विकास दर 6 प्रतिशत होने की आशा कर रहे हैं। आप इसे कैसे पूरा करने जा रहे हैं? आप इस देश की खाद्य आवश्यकताओं को कैसे पूरा करने जा रहे हैं?

बजट में इसके लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। आपकी योजनायें क्या हैं?

ऊर्जा मन्त्रालय और जल संसाधन मन्त्रालय के बीच कोई तालमेल नहीं है। उनमें कुछ तालमेल तो होना चाहिए। आपको कृषि क्षेत्र के लिए अधिक ऊर्जा का आवंटन करना चाहिए परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने आंध्र प्रदेश सरकार की आवश्यकता के अनुसार एन०टी० पी०सी० कोटे का आवंटन भी नहीं किया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित सभी विभागों में सामन्जस्य स्थापित करने के लिए ठोस कार्यवाही की जाये ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके।

आपने बहुत से खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रमों जैसे चावल ट्रस्ट कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों की अभिकल्पना की है। दुर्भाग्य से केवल कुछ ट्रस्ट कार्यक्रमों के उत्पादन में ही वृद्धि हुई है। आपने इस वर्ष चावल ट्रस्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 राज्यों के 169 जिलों को लिया है। आपको यह कार्यक्रम देश के सभी जिलों में आरम्भ कर देना चाहिए। केवल 169 जिलों में ही यह कार्यक्रम क्यों है? आप इसका विस्तार देश के सभी जिलों में क्यों नहीं कर सकते? उत्पादन में निःसन्देह कुछ वृद्धि हुई है परन्तु अन्य देशों की तुलना में यह वृद्धि बहुत कम है। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा।

		किलो ग्राम (प्रति हैक्टेयर)
चावल	भारत	1,600
	जापान	4,200
	अमरीका	4,200
गेहूँ	भारत	2,000
	फ्रांस	5,500
	जर्मनी	6,300
मक्का	भारत	1,500
	इटली	7,500
	अमरीका	7,500
	चीन	3,500
गन्ना	भारत	60,000
	पेरू	1,37,000
कपास	भारत	196
	चीन	890
	सोवियत संघ	717

उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है, परन्तु बाजरा और दालों का उत्पादन कम हुआ है। मैं उद्धृत करूंगा। वर्ष 1970-71 के दौरान बाजरे का उत्पादन 622 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर था जबकि गत वर्ष यह 378 कि० ग्रा० था। दालों के मामले में भी यही स्थिति है। वर्ष 1960-61 के दौरान दालों का उत्पादन 539 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर था जबकि अब दालों का उत्पादन 512 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर है। गेहूं और चावल को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि लगभग स्थिर है।

तिलहनों की बात पर आते हुए, आपने इस वर्ष 15 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य की परिकल्पना की है और आप इसे 18 मिलियन टन करना चाहते हैं।

गुजरात तथा दिल्ली के आस-पास के कुछ भागों को छोड़कर तिलहन के अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हैं।

मूंगफली की उत्पादकता लगभग स्थिर है और वर्ष 1968 में अरंडी की एक अरुणा नामक किस्म थी और मैं एक अच्छी किस्म के रूप में इसके महत्व पर बल दे रहा था परन्तु इसके बाद कोई भी अच्छी किस्म नहीं आयी। पता नहीं आपका तिलहन विभाग क्या कर रहा है।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बारानी खेती के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक अनुसन्धान संस्थायें खोली जानी चाहिए। सभी अनुसंधान केन्द्र दिल्ली, हैदराबाद अथवा बड़े शहरों में स्थिति हैं, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी अनुसन्धान केन्द्र नही है। हमें कृषि-जलवायु क्षेत्रों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने चाहिए। केवल तभी आप अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं।

किसानों को सभी प्रकार की सुविधायें देने के बावजूद भी आज उसकी क्या स्थिति है? यदि उसके पास 10 अथवा 15 हैक्टेयर भूमि है तो भी उसकी आर्थिक स्थिति भारत सरकार के उन कर्मचारियों से भी नीचे है जिनकी आय कम है। इस देश में गत 42 वर्षों के कांग्रेस शासन के अन्तर्गत यह स्थिति है। किसानों की दशा इतनी खराब हुई है किसी भी प्रकार की खेती के लिए बीज अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यह कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कृषि विकास के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने गत वर्ष 1 अक्टूबर, 1988 को एक नई राष्ट्रीय बीज नीति की परिकल्पना की थी और राष्ट्रीय बीज परियोजना, चरण-III को दिनांक 25-8-88 को 239 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित मंजूरी दे दी थी। परन्तु फिर भी उत्पादन का स्तर क्या हैं? सरकार का सातवीं योजना के अन्त तक 117 लाख टन अथवा लगभग 120 लाख टन प्रमाणित बीज वितरित करने का लक्ष्य था। परन्तु प्रमाणित बीज वितरण के इस लक्ष्य के मुकाबले केवल 56.3 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये। वर्ष 1986-87 के दौरान 28,600 क्विंटल बीज वितरित किये गये। वर्ष 1987-88 के दौरान 6,88,921 क्विंटल बीज वितरित किये गये। यह कार्य निष्पादन बहुत ही कम है। यदि अच्छी किस्म का बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो किसान उसे किस प्रकार खरीद सकते हैं?

महोदय, स्वीकृत राष्ट्रीय बीज परियोजना बनाते समय इसका मुख्य लक्ष्य अच्छी किस्म के बीजों की उचित मूल्यों पर, उचित समय पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। क्या यह

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

ऐसा कर रही है ? क्या सरकार अच्छे बीजों की सप्लाई करती है ? कितने किसानों को ये बीज मिल रहे हैं ? देश के दूर-दराज क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के बारे में क्या स्थिति है ?

महोदय, आन्ध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने कृषक परिषद बनाई है। राज्य सरकार ने लगभग 1104 मंडल बनाये हैं। राज्य सरकार को प्रत्येक मंडल में बीज कार्यक्रम चलाना था। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आरम्भिक स्थिति में है। इस कार्यक्रम में अभी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु यह कार्यक्रम पूर्ण सफलता प्राप्त करने जा रहा है और प्रमाणीकरण संसाधन इत्यादि के बारे में प्रत्येक मंडल का अपना बीज उत्पादन प्लांट होगा। 15-20 गावों वाले इस मंडल क्षेत्र में सभी किसानों को अच्छे बीजों की सप्लाई तभी की जा सकेगी। क्या यह सरकार इस योजना को अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित कर सकती है ? यह सरकार आन्ध्र प्रदेश को एक मार्गदर्शी राज्य के रूप में ले सकती है। यह सरकार अपनी शक्तियों को उपयोग में लाकर इस योजना को कार्यान्वित कर सकती है। राष्ट्रीय बाज निगम को यह योजना आरम्भ करने के लिए वह कह सकती है। मुख्य मुद्दा यह है कि कृषि के विकास के लिए बीज बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस सरकार को बीज नीति का दायित्व अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए और इस कार्य के लिए अधिक से अधिक धन राशि का आबंटन करना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से किसानों को कीट नाशकों, बीजों और कुछ अन्य उपकरणों के लिए दी जाने वाली राजसहायता में कटौती कर सकती है। सबसे पहले किसानों को अच्छे बीज दिये जाने चाहिए। इस सरकार को उन किसानों को सस्ते बीज देने चाहिए जिनके पास जल संसाधन उपलब्ध हैं। इसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से खाद्यान्न, अरण्डी और अन्य तिलहन फसलों के बीजों की कुछ किस्में विकसित करनी चाहिए। गत वर्ष सरकार ने 35 टन सूरजमुखी के बीजों का आयात किया था। मुझे यह मालूम नहीं है कि वे बीज किसे दिये गये। हम नहीं जानते कि वे बीज कहां गये ? क्या सरकार ने उन बीजों को राज्यों को समान रूप से दिया है अथवा वे बीज केवल अनुसंधान कर्मचारियों को ही दिये गये हैं ? इस बारे में क्या परिणाम रहे ? हम रूसी बीजों की स्थिति जानना चाहते हैं ताकि हम उन बीजों का अधिक मात्रा में आयात कर सकें।

बीजों के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज उर्वरक है। हमारे यहां नाइट्रोजन और फासफेट उर्वरकों के उत्पादन की 47 इकाईयां हैं और सुपर फासफेट उर्वरकों की 88 इकाईयां हैं और अमोनियम फासफेट की 8 इकाईयां हैं। हमारी 10 उर्वरक इकाइयां गैस पर आधारित हैं। उनमें से केवल 3 इकाईयों ने कार्य आरम्भ कर दिया है परन्तु 7 इकाईयों द्वारा अभी उत्पादन आरम्भ किया जाना है। सातवीं योजना के अन्त तक देश को 92.53 मिलियन टन नाइट्रोजन उर्वरक और 28.91 मिलिन टन फास्फेट उर्वरक की आवश्यकता होगी। ऐसा आपका अनुमान है। परन्तु मैं समझता हूं कि लगभग 121 मिलियन टन उर्वरक की मांग होगी। इस बारे में क्षमता का उपयोग कितना है ? सरकारी क्षेत्र में अनुमानित क्षमता उपयोग केवल 65 प्रतिशत है जबकि सहकारी और निजी क्षेत्र में यह 90-95 प्रतिशत है। यह अन्तर क्यों है ? आपकी सरकारी क्षेत्र की इकाईयां अच्छा कार्य क्यों नहीं कर रही हैं ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? अनुपयुक्त क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए आपने क्या कार्यवाही की है ? वर्ष 1989-90 के दौरान 87.24 मिलियन टन उर्वरक उत्पादन की आशा है जिसमें से 46.55 मिलियन टन नाइट्रोजनी उर्वरक और 22.69 मिलियन टन फास्फेरिक उर्वरक का उत्पादन होगा। आप अगले वर्ष के लिए आवश्यक 121

मिलियन टन उर्वरक की कैसे पूर्ति करेंगे ? आप उर्वरक कितनी मात्रा में आयात करने जा रहे हैं ? इस के लिए परिव्यय केवल 2708.75 करोड़ रुपये है जिसमें से चालू परियोजनाओं के लिए 1976.71 करोड़ रुपये है और नई परियोजनाओं के लिए केवल 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। आप स्वदेशी उर्वरक उत्पादन में कैसे सफल होंगे ? आप कहते हैं कि आपने उर्वरक पर सहायता के रूप में 3,000 करोड़ रुपये दिए हैं। आपने यह राशि किसे दी है ? इस वर्ष अर्थात् 1989-90 के दौरान आपने 3,121 करोड़ रुपये सहायता के रूप में देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रत्येक व्यक्ति ने आपसे यह अनुरोध किया है कि आप इस राशि को कम्पनी को देने के बजाय, सीधे किसानों को ही क्यों नहीं दे देते ? आपकी इसे कम्पनी को देने में रुचि क्यों है ? आप इसे सरकारी क्षेत्र के उन कारखानों को क्यों दे रहे हैं जो भली प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं ? गरीब किसानों की कीमत पर सरकारी क्षेत्र राज-सहायता का लाभ उठा रहा है। इसका लाभ किसानों को नही मिल रहा है। श्री भजन लाल जी, आप एक किसान परिवार से हैं—चाहे आप एक जमींदार हैं अथवा दूसरों से खेती कराते हैं—परन्तु आप किसानों की समस्याओं को जानते हैं। कृपया इस बारे में ध्यान दीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि यह सहायता वास्तविक किसानों को मिले।

यहां तक कि 530 करोड़ रुपये की सहायता राशि जो आपने आयातित उर्वरक को बेचकर प्राप्त की थी, उसे भी आपने दे दिया है।

यह राज्य-सहायता कहां जा रही है ? आपको इसकी छानबीन करनी चाहिए। एक बात जो मैं जानना चाहूँगा वह यह है कि क्या फोसफोरिक एसिड की कमी है। गोदावरी फर्तिलाइजर यूनिट को फासफोरिक एसिड की कमी के कारण बन्द कर दिया गया है। इसका आयात नही किया जाता है। समस्या क्या है ? आंध्र प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज के चेयरमैन ने हमें टेलीफोन कर इस तथ्य का पता लगाने को कहा है। आप फास्फोरिक एसिड गोदावरी फर्टिलाइजर युनिट को नहीं दे रहे हैं। उसका क्या उपयोग है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : गोदावरी ही क्यों ? सभी उर्वरक कारखानों की यही स्थिति है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं सही स्थिति जानना चाहता हूं।

हम नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे देश को जिंक फासफेत की आवश्यकता है जिसकी सप्लाई कम है। इसे किसी निजी व्यक्ति को देने की बजाय आप इसे किसानों को क्यों नही देते ? आप इसका उत्पादन क्यों नही बढ़ाये ? एक स्थिति ऐसी आयेगी जब भारत की मिट्टी में सभी 16 भारतीय खनिजों की कमी हो जायेगी। आपकी क्या योजनाए हैं ? यहां सूक्ष्म और स्थूल तत्व हैं। आप इस सूक्ष्म और स्थूल तत्वों की कमी के लिए आप क्या कर रहे हैं ? मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपके समक्ष कोई योजना है या आप इसे किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को सौंप रहे है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और अनेक जाँच प्रयोगशालाएं और कीटनाशक जाँच प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए जिससे गुणवत्ता की जाँच की जा सके। संतुलन के लिए उन्हें क्या आवश्यकता है ? हमें कार्बनिक खाद और ग्रीन खाद को आवश्यक

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

रूप से अपनाना चाहिए। आपकी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी क्या है ? आपने क्या विकसित किया है।

पिछले 30 सालों से हम कीटनाशक इकाईयों के बारे में सुन रहे हैं। आपकी प्रौद्योगिकी का क्या हुआ ? मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई नई तकनीकि विकसित की गई है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या प्रयोगशाला कार्यक्रमों और विस्तार कार्यक्रमों द्वारा इस नई प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाया गया है। आपके कृषि विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं ? आपके विस्तार विभाग क्या कर रहे हैं ? मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई पुस्तिका या पर्चे जारी किए गए हैं और क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी इस विषय पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। मै स्पष्ट तौर पर यह जानना चाहूँगा कि क्या कार्बनिक खाद और ग्रीन खाद को और अन्य चीजों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की तकनीक विकसित की गई है।

कीटनाशक के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा की वर्ष प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष यह 40,000 टन से बढ़कर 84,000 टन हो जायेगा। आपको सभी कीटनाशक दवाइयों पर किस्म नियन्त्रण रखना चाहिए। बाजार में अनेक मिलावटी कीटनाशक दवाइयां आ रही हैं। विक्रेता किसानों को धोखा दे रहे हैं। हमें गुणवत्ता की जांच के लिए कीटनाशक प्रयोगशालाओं की स्थापना देश के हर भाग में करनी होगी न कि केवल शहरों में। दुर्भाग्यवश विभाग कीटनाशन प्रयोगशालाएं केवल शहरों में स्थापित कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको ज्यादा संख्या में कीटनाशक प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी चाहिए जिससे की अपराधी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा सके। आप कृपया इस आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन अपराधियों पर भी लागू करें।

मुझे इस बात की खुशी है कि 15 कीटनाशी दवाईयों पर से आयात शुल्क 105% से घटाकर 70% कर दिया गया है। यह 70% प्रतिशशत क्यों ? आप इसे पूर्णतया समाप्त क्यों नहीं कर सकते हैं ? आखिरकार इसका लाभ किसानों को जा रहा है। कच्चे माल पर भी 147% से घटाकर 60% कर दिया गया है। यह भी एक सराहनीय कदम है। लेकिन कृपया आप यह सुनिश्चित करें कि आयात शुल्क को समाप्त किया जाए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस कार्य के लिए आभारी हूं कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा आयातित कीटनाशक दवाइयों पर से आयात शुल्क समाप्त कर दिया है जिसे किसान हैलियोथीसिस को नियन्त्रण करने के लिए मंगवाया था। हमें इसे देश में ही विकसित करना होगा। यह सम्भव नहीं कि हम हर बार इस कीटनाशक का आयात करें। इसके साथ-साथ आपको टिड्डियों द्वारा उत्पन्न समस्याओं से भी सावधान रहना होगा। वैज्ञानिकों के मतानुसार टिड्डियों के भारत में प्रवेश की सम्भावनएं हैं। विदेशी नाशक कीट और दूसरी बीमारियां जो विदेशों से भारत में फैल रही हैं उसे भी रोकना होगा।

अब हम रासायनिक उपचार की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जैविक नियन्त्रण के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ? आपने कितने परभक्षी और परजीवी विकसित किया है ? इसके क्या मानदण्ड हैं ? इस पर कितने अनुसंधान केन्द्र कार्यरत हैं मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह कहूँगा की यह सबसे सस्ता नियन्त्रणात्मक उपाय हैं। यह एक प्राकृतिक उपाय भी है आप इस पर नियन्त्रण कर सकते हैं।

कृषि-उद्यान के बारे में कहते हुए मैं यह कहूँगा की इसमें फलउद्यान अत्याधिक महत्वपूर्ण है। 64% सूखे क्षेत्र में आप बागवानी कर सकते हैं। बागवानी आजकल एक महत्वपूर्ण विषय हैं। आपको फल वृक्ष उगाने वालों को कुछ छूट देनी होगी जब वे व्यवसायिक बैंक में ऋण के लिए जाते हैं तो उन्हें नकारात्मक उत्तर मिलता है। यह ठीक है, कि यह विषय आपके मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं है। उन्होंने एक 'सर्विस एरिया एपरोच' कार्यक्रम बनाया है। मूल बैंक इस दिशा में आगे नहीं आ रहे हैं। गाँव विशेष को आवंटित नए बैंक भी आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वे कहते हैं कि उनके पास कर्मचारी नहीं हैं या यह बहुत दूर है। अब ऐसी नई समस्याएं आपके पास आयेंगी। किसान आपके पास आयेंगे। कृपया आप इस बारे में सोचें और अपने साथियों से विचार-विमर्श करके निर्णय लें। बागवानी करने वालों और कृषकों को व्यवसायिक बैंकों से ऋण मिलना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र से ऋण की अधिक वसूली होती है। यह मात्रा 60% से ज्यादा है। जहाँ आप छोटे और सीमान्त किसानों को सकारी योजनाओं के अन्तर्गत ऋण देते हैं वहाँ ऋण की वसूली कुछ कम होती है।

महोदय, जहाँ तक भूमि संरक्षण का प्रश्न है, जो की एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो यह न केवल भू-कटाव को रोकता है बल्कि भूतल में जल स्तर को भी बढ़ाता है। हमें ज्यादा संख्या में अंतःस्त्रवण तालाव का निर्माण करना होगा।

858 वाटर शेड में से केवल 35 वाटर-शेड 18 राज्यों में शुरू किए गये हैं। हमें वाकी वाटरशेड को भी शुरू करना होगा। इसके लिए हमें धन की जरूरत है। 770 करोड़ रुपये के आवंटन से हम सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं कर सकते या अनुसंधान योजनाओं के लिये आवंटित 110 करोड़ रुपये से इस कार्यक्रम को नहीं चलाया जा सकता है। आवंटित धन राशि वर्तमान योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये काफी होगी। आप भूमि संरक्षण, वाटर-शेड मैनेजमैंट और 'गली' मैनेजमैंट में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे ? हमें इन सभी योजनाओं को कार्यान्वित करना होगा।

जहाँ तक ऋण नीति का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि क्षेत्र में 16% से 17% का ऋण प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में मैंने कुछ बैंकों का दौरा किया है। उनकी नीति है कि कृषि क्षेत्र में केवल 16 प्रतिशत ऋण दिया जाए। जब वे अपने 16% का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो वे आगे कृषि क्षेत्र को ऋण देने पर रोक लगा देते हैं कृषकों के लिए यह कैसा प्रतिबन्ध है ? यह बहुत बुरी बात है। आप राष्ट्रीय आय का 35% से 36% भाग कृषि क्षेत्र से प्राप्त करते हैं और देश की जनसंख्या का दो तिहाई भाग कृषि पर निर्भर है तो यह केवल 16% क्यों ? इस बात पर कृपा करके ध्यानपूर्वक विचार किया जाए।

महोदय, सहकारी और व्यवसायिक बैंक कुल मिलाकर केवल 11,750 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करते हैं। उद्योगपतियों के वारे में आपकी क्या राय है, उद्योगपतियों को वह 22 से 24 हजार करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करते हैं। आपको उनसे कितना मिल रहा है। राष्ट्रीय आय का मात्र 24% भाग। जबकि कृषि क्षेत्र में मात्र 11,750 करोड़ रुपये खर्च करने पर राष्ट्रीय आय का 35% भाग हमें प्राप्त होता है तो यह भेद-भाव क्यों ?

[श्री एम० रघुपा रेड्डी]

हमने अपने राज्य में एक खिड़की पर सभी सुविधा प्रणाली शुरू की है जिसे भारत सरकार ने प्राद्योगिक योजना के रूप में स्वीकृत किया है। यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है। किसान इससे ज्यादा ऋण प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन समस्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य के सहकारी बैंकों को धन के आवंटन की है। यह एक बहुत बड़ी बाधा है। 'नाबार्ड' ने किसानों को ऋण देना बन्द कर दिया है और बैंकों को पुनर्वित्त व्यवस्था भी बन्द कर दी है। इस तर्क पर हम कृषकों को ज्यादा ऋण और रियायतें दे रहे हैं तथा 10% ब्याज के बदले हम सही वक्त पर धन वापस करने वालों से 5.5% ब्याज लेते हैं। जो करते हैं, इस बारे में आपने क्या कदम उठाया ? यह राज्य सरकार की सिर-दर्दी है। आपने इसे क्यों बन्द किया ? आप किसानों के हित में बाधक बन रहे हैं ? आप इस सम्बन्ध में बयान देते हुए किसानों की सहायता करें।

पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे हमें 21,600 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो रही है जो कि राष्ट्रीय कृषि आय के कुल भाग का 24% है दुग्ध उत्पादन 48.7 मिलियन टन है जिसके बढ़कर 51 मिलियन टन हो जाने की सम्भावना है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमें दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाना है। ग्रामीण लोग इस सुविधा से बंचित हैं। आपरेशन फलड-III ज्यादा सहायक नहीं रही है।

हमने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की है जो किसानों के लिए सहायक नहीं रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपना दायरा ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं फैला पाया है। उसे अगले कार्यों को ग्रमीण क्षेत्रों में फैलाना चाहिए। यह केवल गुजरात या शहरों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना चाहिए।

जहाँ तक मुर्गी पालन का प्रश्न है तो हमारे देश में 18 विलियन अंडे का उत्पादन प्रति दिन हो रहा है। मुर्गी पालन करने वाले किसानों की भी कुछ समस्या हैं। पिछली बार भारत सरकार ने मक्का के आयात की अनुमति दी थी। कुछ बिचौलियों ने मुर्गी पालक किसानों को धोखा दिया। यह किसानों को सीधे मिलनी चाहिए। अगर आप इसका वितारण करना चाहते हैं तो आप राज्य सरकारों को अनुमति दें कि वे पंचायत या ब्लॉक जो भी वहाँ हों उसके माध्यम से इसके बितरण की व्यवस्था करें या स्वयं सीधे ही किसानों को बितरित करें। इसलिये मेरे विचार से यह सब व्यवस्था की जानी चाहिए। इसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम दाँत, मुंह और पशु प्लेग रोगों के लिये टीके आयात कर रहे हैं किन्तु ये टीके अपर्याप्त हैं। आपको अपने देश में नये टीकों का विकास करना होगा।

जहाँ तक मछली पालन विकास का संबंध है, इसका उत्पादन हमारे देश में 31.35 ल.ख टन है जबकि विश्व में कुल उत्पादन 92 मिलियन टन है। यह कुल उत्पादन का केवल 3 प्रतिशत है। भारत में प्रति व्यक्ति मछली खपत केवल 3 किलोग्राम है जबकि इसकी तुलना में अंतर्राष्ट्रीय खपत 12किलोग्राम और जपान में इसकी खपत 86 किलोग्राम है। हमें मछली के निर्यात से 580 करोड़ रुपये की आय हो रही है और हमारा लक्ष्य 700 करोड़ रुपये प्राप्त करने का है। देश में गहरे समुद्र में मछली का उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का केवल 1 प्रतिशत है। हमें और जलपोत खरीदने होंगे। मुझे बताया गया है कि हमारे देश में 1500 जलपोतों की जरूरत थी और आपने केवल 500 जलपोतों की खरीद के आदेश दिये और इनमें से केवल 147 जलपोत काम कर रहे

हैं। हमें इस योजना को प्रोत्साहन देना होगा। साथ ही हमें इन जलपोतों का आबंटन केवल मछुआरों को ही करना होगा, राजनीतिज्ञों और ऐसे बड़े अधिकारियों को नहीं जो इससे अपना व्यापार करते हैं।

ग्रामीण विकास के संबंध में मैं कहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। पिछली बार भी आपने हमेशा की तरह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए धनराशि का आबंटन किया था किन्तु अब आप इन योजनाओं को नई योजनाओं में मिलाने जा रहे हैं। हाल ही में आपने जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना के नाम से एक नयी योजना शुरू की है और इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है तथा अत्याधिक बेरोजगारी वाले 120 जिलों के लिये व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया है। मैं नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि इन 120 जिलों में से आंध्र प्रदेश के जिले कितने हैं। मैं नहीं जानता कि इन 120 जिलों के चयन का मानदंण्ड क्या है। क्या आपने इन 120 जिलों का चयन पहले से ही कर लिया है अथवा आप उनका चयन करने जा रहे हैं? हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं।

पहले ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी प्रोग्राम के तहत कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकान बनाए जाते थे किन्तु इस साल आपने इस योजना के लिए अत्यधिक अल्पराशि आबंटित की है। यह योजना आग के शिकार हुए तथा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए हैं। आवास कार्यक्रम सबसे अच्छे कार्यक्रमों में से एक है। इससे ग्रामीणों को वास्तव में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश में हमने कमजोर वर्गों के लिए करीब 8 लाख मकान बनाए हैं। आर. एल. ई. जी. पी. के तहत आप पहले जो सहायता प्रदान कर रहे थे, वह सहायता अब देनी बन्द कर दी गयी है। ऐसा क्यों किया गया है? क्या आप कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाना नहीं चाहते? आपने इन योजनाओं को मिला कर एक नई योजना बनाई है—जीवन-धारा। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह योजना पुनः शुरू की जाए और कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कुओं को और गहरा करने तथा कमजोर वर्गों के लिए नए कुएं खोदने हेतु जीवन धारा योजना को जारी रखा जाना चाहिए। मूल्य नीति प्रोत्सहन कारी नहीं है। आपने अच्छे किसानों का चयन नहीं किया है। आपने उस समिति के प्रतिनिधियों के रूप केवल राजनीतिज्ञों और उन जमींदारों का चयन किया है, जो वहां रहते ही नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि उस समिति में वास्तविक किसानों से ही रखा जाये। आप किसानों तथा कृषक समुदाय को प्रोत्साहन दें।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है, कृषि उसकी जान है। न केवल उद्योग बल्कि एक्सपोर्ट के मामले में भी हम कृषि पर डिपैंड करते हैं। हमारी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग कृषि से आता है और देश की कुल जनसंख्या का तीन-चौथाई हिस्सा कृषि या उससे सम्बद्ध कार्यों से जुड़ा हुआ है, कृषि कार्य पर निर्भर है।

[श्री के०एन० प्रधान]

श्रीमन्, हमने जो कृषि की ओर पहली पंचवर्षीय योजना से आज तक ध्यान दिया है, उसी का नतीजा है कि आज हम एक अच्छी साउंड फुटिंग के ऊपर खड़े हैं। हम एक बड़े तजुर्बे से गुजरे है जब कि गत वर्ष इस शताब्दी का भयंकरतम सूखा पड़ा था और कई राज्यों में तो तीन-तीन, चार-चार वर्ष से लगातार सूखा पड़ा, उसके बाद भी हमारी आशाओं से ज्यादा हमने उत्पादन किया है। लेकिन श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह बात सही है हमने कृषि के क्षेत्र में निश्चित ही बहुत तरक्की की है, लेकिन फिर भी यह बात भी अपनी जगह पर सही है कि जो प्रोडक्शन हम अपनी जमीन से ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, वह भी हम अभी नहीं ले पाये हैं और अभी-भी जो कृषि योग्य भूमि है, जिसे हम अंडर कल्टीवेशन ले सकते हैं, उसे हम अभी तक अंडर कल्टीवेशन नहीं ले सकें हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो हमारे साधन हैं, उनका यदि हम सही उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं।

माननीय प्रधान् मंत्री जी ने किसानों के ऋणों पर जो ब्याज की दर है, उसको कम किया है। उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन माननीय मंत्री से मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने ब्याज की दर को जो 15 से 12 किया है, क्या इसको हम और कम नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया से जो पैसा चलता है, वह कितनी ही व्यवस्थाओं से होता हुआ किसान तक पहुँचता है। उस पर यदि हम गौर करें, तो शायद यह सम्भव हो सके कि हम इस ब्याज की दर को और भी कम कर सकें।

हम इस बात से खुश हैं कि हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है और एग्रीकल्चर सैक्टर में हम काफी बढ़े हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे देश में आबादी का प्रैशर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है, उसको देखते हुए हमें इन्टेन्सिव और एक्सेटेंसिव दोनों तरह से कृषि के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम यह नहीं कर पाए, तो जो हमें सभी दिशाओं में विकास करना है और कृषि का जो हमारी अर्थव्यवस्था में रोल है, उसमें कमी आ सकती है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमें हर दृष्टि से कृषि के उत्पादन को और बढ़ाना है।

श्रीमन्, इस देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी काफी जमीन ऐसी है जिसे हम कल्टीवेशन में ला सकते है। इसी प्रकार से ऐसे राज्यों में जो प्रोडक्शन है, वहां ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं कि उस प्रोडक्शन को और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश है। इस प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले आज भी इतनी जमीन है जिसको हम अंडर कल्टीवेशन ला सकते हैं। मध्य प्रदेश इरीगेशन के मामले में भी काफी पीछे है। चाहे वह अच्छे बीज देने की बात हो, चाहे कीटनाशक देने की बात हो चाहे अच्छा खाद देने की बात हो और चाहे पर्याप्त मात्रा में खाद देने की बात हो, वहां पर इन व्यवस्थाओं की आज भी कमी है। इनको यदि हम बढ़ा दें, तो निश्चित रूप से हम वहां के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं।

श्रीमन्, अब मैं उन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें आज के हालात में हम बिना खर्च किये प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। सिंचाई की व्यवस्था हमने की है, हमने बड़े-बड़े डैम्स बनाये हैं, कैनाल्स बनाई हैं, लेकिन उनके रख-रखाव पर जितना ध्यान देना चाहिये। हम उतना ध्यान नही दे पाये हैं और सिंचाई की जितनी क्षमता का उपयोग हमें करना चाहिए था आज भी हम उतनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाये हैं। इसी प्रकार से आज आप किसी भी

प्रदेश में देखें, मैं अपने मध्य प्रदेश की बात कह सकता हूँ कि हर वर्ष हम कितनी ही कोशिश करें, हम प्लान करते रहे हैं कि किसानों को पूरे टाइम बिजली मिले, पूरे बीज मिलें, पूरा खाद मिले, कीटनाशक समय पर मिलें, लेकिन हम नहीं दे पाते। हर जिले में यह शिकायत रहती है। जो सर्टिफाइड बीज है उसको पर्याप्त मात्रा में देने की व्यवस्था हम नही कर पाते हैं। कीटनाशक दवाइयाँ भी हम नहीं दे पाते। रैक्स की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। एक तरफ हरियाणा में 10-15 कि०मी० में रैक्स मिलेंगे, लेकिन म०प्र० में दो-तीन सौ कि०मी० में भी आपको रैक्स नहीं मिलेंगे। कैसे हम दवा दे सकते हैं ? हम तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आज भी जितना चना और दूसरे दलहन हैं, उनको इल्लियां खा जाती हैं। हम समय से कीटनाशक दवाएं सप्लाई नहीं कर पाते। कीट नाशक दवाऐं हमारे यहां कौनसी बनती हैं, एक तो यूनियन कारबाइड में बनती थी जिसने इन्सान को मार दिया और दूसरी तरफ ऐसी दवाएं बनती हैं उनसे इल्लियां नही मरती हैं, उनकी सेहत पर उसका कोई असर नहीं होता है, वह बड़े ठाट से जिन्दा घूमती रहती हैं। किसान समझता है कि हमने कीट-नाशक दवा का छिड़काव कर दिया है लेकिन उसको उससे कोई फायदा नहीं मिलता, बराबर उनको नुक्सान होता चला जाता है।

हमारी भूमि की उरवर्कता कई तरह से कम होती है, कटाव से कम होती है दूसरे आज इस देश में कई जगह कांस और गाजर घास बराबर बढ़ती चली जा रही है। ये दोनों चीजें हमारे उत्पादन पर बड़ा बुरा असर डालती हैं ये हमारी उर्वरकता को कम करती हैं, पैदावार को कम करती हैं। जब तक हम इन पर ध्यान नहीं देंगे, निश्चित रूप से आज के अपने साधनों से जो हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उसमें हम कमी करते हैं।

इसी तरह से इस देश में हमने फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया। हम समझते हैं कि इससे हमने फारेस्ट्स को बचा लिया लेकिन पूरे देश में हजारों लाखों एकड़ जमीन आज ऐसी है जिसको आदिबासी पीढ़ियों से जोतते आ रहे हैं, वहां पैदावार करते आ रहे हैं लेकिन आज वे फारेस्ट आफिसर्स के रहमोंकरम पर है। इससे हम एक तरफ भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं, बराबर वे लोग उनसे पैसा ले रहे हैं और पैसा लेकर उन्हें एलाउ करते हैं। अगर कोई पैसा नहीं देता है, तो उसे रोक देते हैं और उसकी पैदावार नहीं हो पाती, उसकी फसल काट डालते हैं, जला डालते हैं और उनकी खेती बरबाद हो जाती है। वह लोग पूरे क्षेत्र में खेती पीढ़ियों से कर रहे हैं, हम उनको दूसरा काम नहीं दे पा रहे हैं, उस जगह फारेस्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं अगर हम उनके उचित व्यवस्था कर दें तो वह उससे कृषि भी ले सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं, उन्नत और मैकेनाइज्ड खेती भी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं लेकिन सिर्फ इसलिये कि हम नीचे गहराई से जाने के लिए तैयार नहीं हैं, हमने कानून बना दिया है और समझ लिया है कि हमने फारेस्ट कंजर्वेशन कर लिया है लेकिन हम एक इंच भूमि भी फारेस्ट को नहीं दे पाए हैं। अगर हम कानूनी ढंग से कुछ व्यवस्था कर दें तो निश्चित रूप से हम अपने यहां पैदावार बढ़ा सकते हैं और उनका भविष्य में सुधार भी हो सकता है।

कृषकों को एक बड़ी शिकायत हमेशा से रही है कि सब डैवलपमैंट हमारे किसान की छाती पर ही होता है। जो जमीन हम एक्वायर करते हैं, चाहे वह किसी प्रोजेक्ट के लिये हो, बांध के या किसी भी काम के लिये हो तो वह जमीन किसान की ही ली जाती हैं। अगर आप इस देश के 40 साल के पिछले आंकड़े देखें तो पाएंगे कि हमने कितने किसानों की जमीन एक्वायर की है और

[श्री के०एन० प्रधान]

किसानों को जमीन से हटाया है। उनमें अधिकांश 60 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे होंगे जिनकी जिन्दगी बर्बाद हो गई है और वह कहीं के नहीं रहे हैं। हम लोगों को खुशहाल करने के लिये जमीन से अच्छी खेती और सिंचाई के लिये व्यवस्था करते हैं, हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी बराबर जोर देते हैं कि हम जो भी बांध बनाना चाहते हैं, जो लोग उसकी डूब में आते हैं, उनकी पूरी तरह पहले व्यवस्था करनी चाहिये लेकिन आप पूरे देश में देख लीजिये कि कितनी जगह पर आपने व्यवस्था की है ? आज जो हमारे यहां नर्वदा पर प्रपोज्ड बांध बनने वाला है, उससे लोगों में कितना भयंकर असन्तोष है वहां के किसानों का अभी तक कोई इन्तजाम नहीं किया गया है, वह डूबते चले जाएंगे, बर्बाद होते चले जाएंगे, न उनके लिये किसी जमीन का प्रबन्ध हैं, न समय से पैसा मिलने की बात है, न उनको आबाद करने की बात हैं, न उनके बच्चों को शिक्षा की बात है। यह स्थिति देश के लिये कहीं से भी अच्छी नहीं है।

खेती के क्षेत्र में हमने तरक्की की। हमने पशु पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन सब की तरफ ध्यान दिया। लेकिन वास्तव में कृषि के साथ-साथ इस ओर भी जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना हमने ध्यान नहीं दिया। इह इसलिये भी आवश्यक है कि आज हमारे देश में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहां बेरोजगारी की समस्या इतनी नहीं है जितनी कि कम रोजगारी की समस्या है। अधिकांश लोग वहां किसानी पर निर्भर हैं। उनको साल भर काम नहीं मिलता है। अगर उनको साल भर काम हम देना चाहते है तो यह जो पशुपालन है, मुर्गी पालन है और मछली पालन है, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इससे हम कम रोजगारी की समस्या को दूर कर पायेंगे। हमने कलस्टर तैयार किये हैं और यह आइडेंटिफाई किया कि इतने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इतना ही नहीं हम टारगेट बना लेते हैं कि 15 परसेंट लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा लेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बाकी बचे लोग हैं वह कब तक बैंकों की तरफ आशा की नजर से देखते रहेंगे ? कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे सभी को लाभ हो और वे लाभान्वित हो सकें। हमारे जो दूसरे काम हैं उनकी व्यवस्था हमें गांवों में करनी पड़ेगी तभी कम रोजगारी की समस्या को दूर कर पायेंगे।

हमारे यहां अनुसंधान की व्यवस्था है और एग्रीकल्चर के सिलसिले में शिक्षा की व्यवस्था है। उसमें भी एक तरीके से इन्साफ होना चाहिये और बराबरी होनी चाहिये। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपने केवल एक यूनिवर्सिटी दी हुई है। मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वह कम से कम एक और यूनिवर्सिटी भोपाल जैसी जगह में अवश्य दें। इसी प्रकार से आपने आर. एल.ई.जी.पी. और एन.आर.ई.पी. को मिला कर एक योजना बनायी है। इसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र देगा। यह बात सही है, लेकिन आज भी आपका राज्यों को वित्तीय सहायता देने का जो फार्मूला है उसको सभी राज्य इन्साफ पर आधारित नहीं समझते हैं। मैं इसमें मध्य प्रदेश की बात बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्य जिसको आर.एल.ई.जी.पी. स्कीम से फायदा था और इसके तहत जो हैंडर्ड परसेंट राशि उसे प्राप्त होती थी, आज उन दोनों स्कीमों को मिला देने से मध्य प्रदेश को हानि होगी। आप हर योजना के तहत कुछ न कुछ पैसा जरूर दें।

नेहरू योजना लागू करने से लोगों में बड़ी आशायें जगी हैं। बेरोजगारी दूर करने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन इस योजना को सभी जिलों में लागू किया जाना चाहिये तभी इसका

सही असर पड़ेगा। सीमित दायरे में कुछ गिने-चुने जिलों में यानी कि 120 जिलों में इसको आप लागू करेंगे तो इस देश में जितनी तादाद में गरीबी है उतना तादाद में वह दूर नहीं हो पायेगी। इसका एक नतीजा यह होगा कि बाकी जिलों के लोग आपकी तरफ आशाओं की नजर से देखते रहेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस योजना को सभी जिलों में लागू करें जिससे समान रूप से बेरोजगारी, बेकारी और गरीबी को मिटाया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नित्यानन्द मिश्र (बोलनगीर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। हम कृषि मंत्रालय के अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए कृषि मंत्री को वधाई देते हैं। इस वर्ष खरीफ के मौसम में फसल बहुत अच्छी हुई है जो कि एक रिकार्ड उत्पादन है। रबी की फसल भी बहुत अच्छी होने की आशा है। मंत्रालय द्वारा किये गये अथक प्रयासों और कृषि मंत्री महोदय द्वारा अपनाई गई सही नीति के कारण ही यह संभव हो पाया है। 1987-88 में हमारे देश में जो विनाशकारी और अभूतपूर्व सूखा पड़ा था, वह संभवतः इस शताब्दी का सर्वाधिक भयंकर सूखा था। किन्तु सूखे से निपटने के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठाए गए जिसके परिणामस्वरूप हमारी अर्थ-व्यवस्था पर इसका बहुत कम असर पड़ा था। हमें बहुत खुशी है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार आया है और हमने विनाशकारी सूखे से सफलतापूर्वक निपटने की क्षमता प्राप्त कर ली है। किन्तु इस स्थिति पर अधिक संतुष्ट होकर बैठना नहीं है क्योंकि कृषि उत्पादन का आधार अभी भी अनिश्चित, अस्थिर और कमजोर है। किसी वर्ष यदि मानसून नहीं आता तो हमें फिर इसी तरह के या इससे भी अधिक भयंकर सूखे का सामना करना पड़ सकता है। सूखा-राहत के सम्बन्ध में जो भी उपाय किए गए हैं वे सब अस्थायी तौर पर किए गए हैं। सूखे से राहत का मात्र स्थायी और प्रभावी उपाय है—सिंचाई। दुर्भाग्य से हमारे देश में केवल एक-तिहायी भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। देश का शेष दो-तिहाई भाग पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। अतः सिंचाई पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये और सिंचाई के लिए आबंटन राशि को बढ़ाया जाना चहिए ताकि कृषि के क्षेत्र में हम नियमित और निरन्तर विकास कर सकें।

हमने यह देखा है कि खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों को केवल तभी अपनाया जा सकता है जब सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हों। हरित क्रांति उन्हीं राज्यों में संभव हो पाई है जहां उन्होंने सिंचाई की क्षमता बढ़ाई है और इन सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया है। अतः सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। यदि हम कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना चाहते हैं सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हमने यह भी देखा है कि अच्छी पैदावार वाली फसलों की लोकप्रियता के कारण, हमारे किसान कीटनाशकों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों प्रतिबन्धित सामग्री का अन्य देशों से आयात करके उन्हें हमारे देश में ला रही हैं और हमारे देश के कृषक कीड़ों और रोगों से छुटकारा पाने की उत्सुकता में इन कीटनाशकों का अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। जल और वायु प्रदूषित होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही दालों और सब्जियों में विषैलो दवाओं का असर रह

[श्री नित्यानन्द मिश्र]

जाता हैं और उन्हीं का हम स्तेमाल करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। अतः सरकार को अन्य देशों से प्रतिबंधित कीटनाशकों के आयात पर रोक लगाने के लिए बहुत कड़े उपाय करने चाहिए। कृषि विस्तार कर्मचारियों को भी कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे इस संबंध में किसानों का सही मार्गदर्शन और सहायता कर सकें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कीटनाशकों का प्रयोग अधिक मात्रा में न किया जाए।

हमारे देश के किसानों को एक कठिनाई अच्छे किस्म के बीज प्राप्त करने की भी है। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि उत्पादन में बीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाजार में जो बीज मिलते है, वे घटिया किस्म के होते हैं, कई बार बीज नकली भी होते हैं। जिसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। हम अब तक किसानों की अच्छी किस्म के बीज सुलभ नहीं करा पाये हैं। बीज को प्रकाशित करने वाले कृषि अधिकारियों और बेईमान बीज व्यापारियों के बीच सांठगाठ है है जिसके परिणामस्वरूप जिस बीज को अधिप्रमाणित किया जाता है वह घटिया किस्म का होता है। अतः सरकार को ऐसे बेईमान व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और 'फाउन्डेशन' बीजों तथा 'न्यूक्लीयस' बीजों का उत्पादन बढ़ाने के तरीके अपना कर किसानों को बीज सुलभ कराये जाने चाहिए।

कृषि विस्तार अधिकारियों या ग्राम स्तर के कृषि कार्मिकों को खेत में संघन व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब वे किसानों को उत्पादन के बेहतर तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं तो व्यावहारिक अनुभव के बिना वे प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकते। उनका कार्य इसके बिना प्रेरक और विश्वसनीय नहीं बन पाता। इसलिए प्रयोगशाला के ज्ञान को खेत तक पहुँचाने वाले कृषि विस्तार श्रमिकों को सघन व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनके लिए पुनर्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि उन्नत विज्ञान एवं जानकारी कृषि विस्तार अधिकारियों और श्रमिकों को प्रदान की जा सके। फसल अधिक होने पर किसानों को संकट का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अधिक उत्पादन से बाजार में मन्दी आ जाती है और उत्पादों के मुख्य उत्पादन लागत से भी कम हो जाते हैं। अतः हार कर माल को नुकसान पर ही बेचना पड़ता है। वस्तुतः यह विचित्र विरोधाभास है कि जब किसान कठिन परिश्रम से उत्पादक बढ़ाना चाहता है तो उसे कम मूल्य मिलता है क्योंकि सभी कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य नहीं है कुछेक उत्पादों जैसे तेल, धान, गेहूं, कपास और पटसन के समर्थन मूल्य निश्चित किये गये हैं। परन्तु वे भी नियमित नहीं हैं। अधिकतर जब उत्पादन अच्छा होता है और बाजार में अनाज प्रचुर मात्रा में होता है तो होता यह है कि मूल्य गिर जाते है और किसानों को नुकसान होता है। इसलिए सरकार को ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे सरकार अच्छी फसल होने की स्थिति में सभी कृषि उत्पादों की खरीद करे। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि हम उर्वरकों पर कई हजार करोड़ रुपयों की राजसहायता देते हैं परन्तु हमने किसानों को कार्बनिक खाद के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रयास नहीं किये। हमारे देश में गोबर और अन्य अपशिष्ट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

2.00 म. प.

इसका इस्तेमाल कम्पोस्ट बनाने के लिये किया जा सकता है जिससे जमीन के लिए खाद मिलेगी। कम्पोस्ट और कार्बनिक खाद से मिट्टी की संरचना में सुधार होगा और उसकी उर्वरता बनी रहेगी।

परन्तु हम कार्बनिक खाद के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए किसान को कोई प्रोत्साहन नहीं देते। मैं कृषि मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों को कुछ आर्थिक प्रोत्साहन दें ताकि वे अपने खेत की अपशिष्ट सामग्री और गोबर का इस्तेमाल करें। कार्बनिक खाद बनाने के लिए देश भर में प्रयास किये जाने चाहिए ताकि उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम हो और यह भी सम्भव है कि हमें अमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करके उर्वरक के आयात की आवश्यकता ही न पड़े।

हमारे अनुसन्धानकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने संकर बीजों का विकास करके उत्पादन की समस्या का बहुत हद तक समाधान कर दिया है। परन्तु हमने पाया है कि इस किस्म को रोग और कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। अतः भारी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे वातारवण दूषित होता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं कृषि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि हमारे कृषि वैज्ञानिक और अनुसन्धानकर्ता ऐसे बीज विकसित करने का प्रयास करें जिस पर रोग और कीड़ों का प्रभाव न पड़े क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ समय बाद कीड़ों पर कीटनाशक दवा का असर नहीं पड़ता और किसान को अधिक शक्ति की दवा की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस क्षेत्र में अनुसन्धान की आवश्यकता है ताकि हमें ऐसी किस्म के बीज मिल सकें जिन पर न तो रोग लगें और न ही कीटों का प्रभाव पड़े।

मेरे माननीय मित्र ने सुझाव दिया है कि बागवानी पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। हमारे आहार में फलों का बहुत महत्व है। फलों के निर्यात की भी सम्भावना है। यदि हम देश भर में फलों के बाग लगायें और किसानों को बागवानी के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए तो पर्यावरण में भी बहुत सुधार होगा। अतः बागवानी पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए।

मैं अपने जिले के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा जो इस वर्ष भी सूखे की चपेट में है। मेरे जिले में 1986 से लगातार सूखा पड़ रहा है। और इस लगातार सूखे से मेरे जिले के गांवों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। 1987 में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था और 225 पंचायतों में से 210 पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। पिछले साल भी हमने ऐसे ही सूखे का सामना किया। लगभग 1800 गांवों में 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक सूखे का प्रभाव पड़ा। शेष 300 गांवों 75 प्रतिशत से अधिक प्रभाव पड़ा। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, केवल 5 प्रतिशत फसल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा है। 95 प्रतिशत क्षेत्र सूखा है और वर्षा पर आधारित है। यह राज्य की सूखा प्रभावित पट्टी में स्थित है। यहां लगभग हर वर्ष सूखा पड़ता है। इस वर्ष भी सूखे की स्थिति के कारण, लगभग एक लाख लोग रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में चले गए। फसल पूर्णतया नष्ट हो गई और ग्रामीणों पर ऋण का बोझ बढ़ गया है। इससे किसान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। बार-बार सूखा पड़ने से किसान सहकारी समितियों या वाणिज्यिक बैंकों से लिये गये ऋण वापस नहीं कर पाएंगे और अब उनके पास कोई सहारा नहीं रहा है। बेरोजगारी की समस्या भी बहुत गम्भीर हो गई है। अल्परोजगार का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि रोजगार ही सुलभ नहीं है। किसानों को मजदूरी नहीं मिलती; न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से बहुत कम है। जनता अर्ध भुखमरी की स्थिति में है। मैंने मंत्री जी से बात की थी और उन्हें अनेक पत्र भी लिखे। इन पत्रों में मैंने ऐसे उपाय सुझाए जो इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। गत वर्ष और इस वर्ष हमें मिली अनुदान राशि बिल्कुल अपर्याप्त है। इस वर्ष भी आठ माह व्यतीत हो जाने के बाद भी समुचित मात्रा में राहत राशि हमें नहीं दी गई है।

[श्री नित्यानन्द मिश्र]

सूखे का दूसरा गम्भीर पहलू यह है कि भूमिगत पानी बिल्कुल सूख गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवैल सूख रहे हैं। शहरों में भी, 60.000 की आबादी के कस्बों में पानी की बहुत कमी है और आवश्यकता का केवल पाँचवा भाग पानी मिल रहा है। इस प्रकार बहुत ही गंभीर और कठिन स्थिति पैदा हो गई है।

मैं कुछ उपाय सुझाना चाहता हूं। कृषि मंत्री कृपया उन्हें कार्यान्वित करें। हमारे जिले में 10 खण्ड हैं। उन्हें डी. पी. ए. पी. योजना के अन्तर्गत लिया जाए। बर्षा पर निर्भर इन दस ब्लाकों में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इन योजनाओं का खर्च केन्द्रीय सरकार को उठाना चाहिए क्यों कि राज्य सवकार सूखे की स्थिति से निबटने के लिए साधन जुटाने में बिल्कुल अक्षम है जैसा कि हम प्रतिवर्ष देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 500 लिफ्ट सिंचाई स्थल होने चाहिए। हमारे जिले में महानदी की छह सहायक नदियां है परन्तु वहां कोई परियोजना नहीं हैं। इस लिए हम सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि 500 लिफ्ट सिंचाई स्थलों के लिए धनराशि प्रदान करें।

ढ़लवा जल निकास प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है जो नमी को बनाए रखने के लिए उठाया जा सकता है और भूमि के नीचे पुनः जल स्रोत बनाने की दिशा में भी यह सहायक सिद्व होगा। इस का विन्तपोषण और निगरानी कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा होना चाहिए ता कि हमें लाभ हो क्यों कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इन योजनाओं को शुरु करने में असमर्थ है। केन्द्रीय जल आयोग के पास पाँच सिंचाई योजनाए लम्बित पड़ी है। इन्हें अभी मजूरी नहीं मिली हैं। जब हम राज्य सरकार से पूछते है तो पता चलता हैं कि वे योजनाए केन्द्रीय जल आयोग के पास स्वीकृति हेतु पड़ी है। जब हम केन्द्र जल आयोग से सम्पर्क करते है तो वे कहते है कि राज्य सरकार ने जानकारी नहीं भेजी है। इसलिए वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति शीघ्र दीं जाए। इनके कार्यान्वयन से हमारी सूखे की समस्या हल हो जाएगी।

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर): मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का विरोध करता हूं क्यों कि स्वतंत्रता के वक्त से ही संद्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कृषि संबंधी नीति और योजना हमारे कृषि समुदाय के बहुत बड़े वर्ग तथा छोटे और सीमान्त किसानों कटाईदारों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य निर्धन लोगों के हितों की रक्षा करने में बुरी तरह से निम्न रही हैं।

वस्तुतः हमारी कृषि संबंधी नीति इन लोगों के हितों को ध्यान में रख कर नहीं बनायी गयी है बल्कि यह कुछ जमीन्दारों, और उद्योगपतियों को उन लोगों के शोषण का अधिक अवसर प्रदान करने के लिए बनायी गयी हैं जो वास्तव में अपने खून और पसीने द्वारा खेत जोत कर अनाज उत्पन्न करते है।

हमारी कृषि संबंधी नीति का एक भाग उद्देश्य उत्पादन में वृद्वि करना है और इसके परिणामस्वरुप उत्पादन में काफी अधिक वृदि हुई हैं। लेकिन क्या उत्पादन में वृदि होने से हमारे किसान लाभान्वित हुए हैं ? नहीं। उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही उनकी निर्धनता भी बढ़ गयी हैं। उनकी भुखभरी बढ़ गयी है, उनमें बेरोजगारी और निरक्षरता बढ़ गयी है। भूमिहीन कृषक

मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण छोटे और सीमान्त किसानों में जमीन को लूटने की प्रवृत्ति में तेजी आ गयी है। उनकी क्रयक्षमता घट गयी है। उनके ऋण का बोझ बढ़ गया है और प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति अनाज, दाल और अन्य सामग्रियों की उपलब्धता भी घट गयी हैं।

यह शर्म की बात है कि हमारी स्वतंत्रता के 42 वर्षों के बाद की माननीय वित्त मन्त्री यह स्वीकार करते हैं कि अधिकांश दालों के उत्पादन में लगातार कमी के कारण प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता में कमी आ रही है। 1951 में प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति दाल की उपलब्धता 61 ग्राम थी लेकिन 1987 में यह घटकर 36 ग्राम हो गई है और 1988 में 33 ग्राम तक गिरावट आ गई थी। इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि हमारे किसान जितना अधिक उत्पादन करेंगे वे उतना ही कम पायेंगे। फिर वे अधिक उत्पादन क्यों करें ? इस प्रश्न का उचित रूप में जवाब दिया जाना चाहिए।

महोदय, सरकार हमारे कृषि क्षेत्र की उपलब्धि को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति यह बताती है कि कृषि सम्बन्धी हमारा संकट दिन ब दिन और गहन होता जा रही है। यह एक गम्भीर चिन्ता की बात है कि अधिकांश भूमि और अन्य ग्रामीण परिसम्पत्ति चन्द एक लोगों के हाथों में सीमित हो रही है। हमारी योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था के चार दशकों के बाद नीचे के तीस प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास सिर्फ चार प्रतिशत ग्रामीण परिसम्पत्ति है जब कि ऊपर के तीस प्रतिशत के हिस्से में अठ्हत्तर प्रतिशत ग्रामीण परि-सम्पत्ति आती है।

पंजाब में 40.8 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि छोटे और सीमान्त किसानों के अधिकार में थी जिनके पास 1975-76 में दो एकड़ से भी कम भूमि रह गई। लेकिन 1985-86 में यह ग्यारह प्रतिशत तक कम हो गई। दूसरी ओर, बड़े किसानों की कृषि योग्य भूमि जो पहले चार हैक्टेयर थी 1975-76 में 33.8 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 68.5 प्रतिशत हो गई। ऐसी बात पंजाब में हुई थी जिससे कि हरित-क्रान्ति में मुख्य भूमिका अदा की गई है, और जहां उत्पादन की आधु-निक तकनीक अपनाई गई है। यह उदाहरण ही हमारी आंख खोल सकता है। जब तक कि मूल कृषि सुधार कार्यक्रमों को उचित रूप में कार्यान्वित नहीं किया जाता है, जबतक कि अतिरिक्त भूमि के वितरण को गम्भीर रूप से लागू नहीं किया जाता है सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में भूमि और अन्य ग्रामीण परिसम्पत्ति का संचय होता रहेगा और हमारे करोड़ों ग्रामीण लोग अपनी जीविका से विमुख होते रहेंगे। महोदय, भूमि-सुधार कार्यक्रमों और अतिरिक्त भूमि के पुनः वितरण के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन ये सब सिर्फ एक नेक इच्छा ही साबित हुई है। अब इस नेक इच्छा को कार्यरूप में परिणतः करने के लिये उचित दिशा में कुछ प्रभावकारी प्रयास करने की जरूरत है। अभी तक सिर्फ 20.64 लाख हैक्टेयर भूमि ही अतिरिक्त घोषित की गई है। इसमें से 24.37 लाख हैक्टेयर भूमि अभी तक कब्जे में है और सिर्फ 18.05 लाख हैक्टेयर भूमि वितरित की गई है। अनेक मामलों में यह वितरण भी अभी सिर्फ कागजी तौर पर हुआ है। जमीन पाने वाले लोगों को अभी तक जमीन पर अधिकार नहीं मिला है अथवा उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया है। फिर भी सिर्फ पश्चिम बंगाल में बीस प्रतिशत जमीन वितरित कर दी गई थी जबकि वहाँ पूरे देश की कृषि योग्य भूमि का 3.6 प्रतिशत भाग ही वहां है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भूमि वितरण की सफलता यह दर्शाती है कि और कुछ नहीं इसमें सिर्फ दृढ़ राज-नीतिक इच्छा की आवश्यकता है।

[श्री जायनल अबेदिन]

केन्द्र सरकार में राजनीतिक इच्छा का अभाव है। अन्यथा समान दल की सरकार वाले राज्यों में इस सन्दर्भ में काफी सफलता प्राप्त कर ली होती। लेकिन आज तक सिर्फ 6 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है और उनमें से 9.4 प्रतिशत के पास बाकी 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट अभिभाषण में कहा है कि हमारी योजना में कृषि ही वरीयता क्रम में है। अब हम यह देख सकते हैं कि कृषि को क्या प्राथमिकता दी गई है। मेरे मित्र श्री रेड्डी ने पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया है।

वर्ष 1988-89 के बजट कृषि के लिये 1290 करोड़ रु० की राशि आवंटित करने की बात हुई थी। वर्ष 1989-90 के बजट में कृषि के लिये आवंटन घटकर 1203 करोड़ रु० हो गया है। इसका अर्थ यह है कि गतवर्ष की तुलना में आवंटन 87 करोड़ रु० से कम हो गया। सिंचाई के क्षेत्र में भी आवंटन 12 करोड़ रु० कम हो गया जो 1988-89 में 217 करोड़ रु० था तथा 1989-90 में 205 करोड़ रु० हो गया। ग्रामीण विकास में सिर्फ 3 करोड़ रु० की न्यूनतम वृद्धि हुई है। इन तीनों—कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास को मिलाकर 1988-89 के लिए बजट में 3266 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था और 1989-90 में यह कम होकर 3170 करोड़ रु० हो गया। अतः गतवर्ष की तुलना में 1989-90 में आवंटन 96 करोड़ रु० कम हो गया। इस वर्ष कुल बजटीय उपबन्ध में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास में वृद्धि का यह अनुपात बरकरार रखा जाये तो 1989-90 में स्वीकृति की गई राशि के अतिरिक्त 278 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि 96 करोड़ रु० की कटौती की गई है। अतः वास्तव में आवंटन 374 करोड़ रु० की कमी दर्शाता है : कृषि को यह प्राथमिकता प्रदान की गई है।

सरकार नेहरू रोजगार योजना नामक एक वृहत् ग्रामीण रोजगार योजना शुरू करने का विचार कर रही है। इस कार्यक्रम के लिए बजट में 500 करोड़ रु० आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। इस राशी से सरकार चुने हुए 120 जिलों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देना चाहती है। पूरे देश में 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और चुने हुए 120 जिलों में पाँच व्यक्ति प्रति परिवार के हिसाब से 1 करोड़ 60 लाख परिवारों के 8 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहे हैं। यदि इन परिवारों के बीच 500 करोड़ रु० की राशी बराबर-बराबर बाँट दी जाये तो प्रति परिवार को केवल 330 रु० मिल सकते हैं। अतः 10 रु० प्रति दिन की दर से पूरे एक वर्ष में एक व्यक्ति को सिर्फ 33 दिनों के लिए रोजगार दिया जा सकता है। अतः इस छोटी धनराशि से बृहत् और लाभदायक रोजगार दिया जाना संभव नहीं है।

निःसहाय औरतों को एक जोड़ी साड़ी देने के एक अन्य नये कार्यक्रम की भी घोषणा की गयी है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि वे निःसहाय क्यों हैं ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? उनकी निर्धनता को हमेशा के लिये दूर करने के क्या उपाय किये गये हैं ? क्या आप एक जोड़ा साड़ी या इसी प्रकार की अन्य चीजों द्वारा समय-समय पर उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी निर्धनता को बनाये रखना चाहते हैं ? पिछले वर्ष भी बहुत से कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी। उन कार्यक्रमों का क्या हुआ ? आपने एक राष्ट्रीय कृषि ऋण सहायता कोष स्थापित करने

का वायदा किया था। क्या इसकी स्थापना हुई ? क्या आपका जलधारा कार्यक्रम किसानों तक पहुँचा ? कुटीर-ज्योति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अभी तक क्या उपलब्धि हुई है ? क्या किसानों को उर्वरकों की विभिन्न किस्मों पर 7.5 प्रतिशत की छूट दी गई है ? नहीं। फिर नए कार्यक्रमों की घोषणा करने का क्या लाभ है।

एक माननीय सदस्य : चुनावों के लिए।

श्री जायनल अबेदिन : अब मैं विशेष जूट विकास कार्यक्रम और चावल उत्पादन कार्यक्रम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इन कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ? स्पष्टतः इन कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य क्रमशः कच्चे जूट और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना है। किन्तु इन कार्यक्रमों के लिए क्या प्रावधान हैं ? कच्चे जूट के लाभकारी मूल्य का कोई प्रावधान नहीं है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत केवल कीटनाशी स्प्रे मशीनों और अन्य कृषि सम्बन्धी उपकरणों की बिक्री निश्चित की गई है। इन कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उनके माल के लिए बृहत् बाजार उपलब्ध कराना है। सरकार की कृषि सम्बन्धी नीति ने किसानों को बहुत अधिक लाभ अर्जित करने की अनुमति दे दी गई है। वर्ष 1965-66 में उर्वरकों की खपत 7,57,000 टन थी किन्तु अब वह 90 लाख टन है। वर्ष 1966 में देश में ट्रेक्टरों की संख्या 54,000 थी और वर्ष 1980 में यह संख्या बढ़कर 5,23,000 हो गई है। वर्ष 1960-61 में ऊर्जा से चलने वाले पम्पसेटों की संख्या दो लाख थी किन्तु वर्ष 1984-85 में इनकी संख्या 25,54,000 हो गई है। इसलिए हमारी कृषि सम्बन्धी नीति से किसानों को नहीं बल्कि कारखानों के मालिकों को लाभ पहुँचा है।

वर्ष 1970 आधार वर्ष के आधार पर कच्चे जूट के मूल्य सूचकांक में 575 प्वांइट की वृद्धि हुई है किन्तु जूट उत्पादों के मूल्य सूचकांक में 242 अंकों की वृद्धि हुई है। कपास और गन्ने के मूल्य सूचकांकों में क्रमशः 185 और 189 अंकों की वृद्धि हुई है। किन्तु रासायनिक उर्वरकों का मूल्य सूचकांक 239 तक पहुँच गया है और स्प्रेयर जैसे कृषि उपकरणों का मूल्य सूचकांक 450 तक पहुँच चुका है। कीटनाशी दवाइयों के सम्बन्ध में यह 500 हो गया है। ऐसा लगता है कि सरकार हमारे कृषि क्षेत्र के कार्य से अति सन्तुष्ट और अत्यधिक आत्मसन्तुष्ट है। सरकार की यह आदत सी बन गई है कि जिस वर्ष अच्छी फसल होती है उस वर्ष वह अपनी उत्पादन नीति की महानता का बखान करती है और इसके श्रेय का दावा करती है किन्तु जिस वर्ष फसल अच्छी नहीं होती है तो मौसम के प्रतिकूल होने को दोष देती है। किन्तु वे कभी भी अन्तर्निहित कमजोरियों और अपनी नीति के किसान विरोधी पहलू की ओर ध्यान नहीं देते हैं। कच्चे जूट का उत्पादन वर्ष 1985-86 में 10.89 मिलीयन गांठों से घटकर वर्ष 1986-87 में 7.35 मिलियन गांठें हो गया और फिर वर्ष 1987-88 में यह 5.80 मिलीयन गांठें हो गया। जैसा कि सरकार ने भी स्वीकार किया है उत्पादन में यह कमी क्षेत्रफल और उत्पादकता दोनों ही स्तरों पर हुई है।

महोदय, स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि अगले वर्ष भी क्षेत्रफल में और कमी आएगी। जब तक कच्चे जूट के लाभकारी मूल्य निश्चित नहीं किए जाते तब तक यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि कच्चे जूट का उत्पादन अपेक्षित स्तर तक पहुँच जायेगा। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री से कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य निश्चित करने, भूमिहीन किसानों में अतिरिक्त भूमि का पुनः वितरण करने, कृषि कामगारों के लिए केन्द्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध करूँगा।

[श्री जार्ज फर्नांडिस]

महोदय, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किन्तु अभी तक यह रीढ़ मजबूत नहीं है। यह बहुत ही असुरक्षित तथा कमजोर है। यदि यही स्थिति बनी रही तो हमारी समग्र अर्थव्यवस्था सीधे खड़े नहीं रह सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उत्तम राठोड़ (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं यहां किस मुद्दे विशेष पर बोलूं। मेरे पूर्ववक्ता कुल मिलाकर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर बोले हैं जिन्हें यदि ठीक ढंग से लिया जाए तो ये इस देश के कृषकों के लिए सहायक हो सकते हैं। मैं स्वयं को केवल इसके एक पक्ष तक सीमित करना चाहता हूं और वह पक्ष है कृषि उत्पादों का मूल्य निश्चित करना। वर्ष 1965 में सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की नियुक्ति की तब से बहुत से संकल्प पेश किए गए हैं। इस विषय पर सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रो० रंगा सहित अनेक सदस्य बोल चुके हैं और अन्ततोगत्वा साढ़े चार वर्ष पहले हमने देखा कि कृषि मूल्य आयोग को कृषि लागत और मूल्य आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। विषय वही है। विधि वही है। केवल नाम में परिवर्तन किया गया है। भारतीय रेलवे में जब वे तृतीय श्रेणी को द्वितीय श्रेणी का नाम देते हैं तो वे कम से कम सीटों या बर्थ पर गद्दा बिछाते हैं। किन्तु यहां केवल नाम में परिवर्तन किया गया है किन्तु कृषकों को अधिक सुविधाएं नहीं दी गई हैं।

जब मैंने यह प्रश्न किया कि मूल्यों का निर्धारण कैसे किया जाता है तो मुझे 13 शर्तें या मानदण्ड बताए गए जिनके आधार पर कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित किये गये थे। उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि मांग और पूर्ति का नियम लागू होगा। जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं उनमें मांग और पूर्ति का नियम लागू होता है। जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उन वस्तुओं के लिए मांग और पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। उस उद्योग विशेष द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य ही अन्तिम मूल्य माना जाता है। मुझे नहीं पता कि यह विसंगति क्यों है? क्या यह कारखाना नहीं है? क्या यह कारखाने में उत्पादित किसी अन्य वस्तु की भांति उत्पादन नहीं है? मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र के उत्पादन और खानों या अन्य किसी क्षेत्र के उत्पादन में क्या अन्तर है? यदि इन क्षेत्रों में भी वही सिद्धान्त लागू किया जाए तो मेरे विचार से अधिकांश सिरदर्द खत्म हो जाने की सम्भावना है।

जब मैं इस समस्या का गहराई से अध्ययन करने का प्रयास कर रहा था और जब मैंने विधेयक लाने का विचार किया था, जो मैंने पिछली बार कृषि मूल्य निर्धारण विधेयक के नाम से प्रस्तुत किया था, तब मैंने चौथे वेतन आयोग के कुछ उद्देश्यों की गहराई से जांच करने का प्रयास किया था। आरम्भिक भाग में उन्होंने वर्ष 1912 या 1915 में ब्रिटिश लोगों द्वारा नियुक्त किए गए स्प्रिंगटन आयोग की टिप्पणियों से शुरूआत की थी। इसके बाद दूसरे आयोग का उल्लेख किया गया। इसके बाद स्वाभाविकतः भारत में तीन और आयोग बने और चौथे आयोग में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन दिए जाने का सिद्धान्त कैसे बना। यह बहुत ही रोचक है। अब वे बहुत सी बातों के महत्व को समझने लगे हैं और वे कहते हैं कि केवल सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी के अस्तित्व में होने के कारण ही उसे वेतन नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि उसकी सामाजिक आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए और उसे इसके लिए भुगतान किया जाना चाहिए। यह बहुत प्रशंसनीय उद्देश्य है कि

उसकी सामाजिक आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। सरकार के लिए यह देखना आवश्यक और अनिवार्य है कि उसकी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

किन्तु, जब आप कृषि के बारे में बात करते हैं तब आप मांग और पूर्ति की बात करते हैं, आप भूमि के किराये और अपने श्रम सहित निवेश की गई राशि की बात कहते हैं और कहते हैं कि आप हमें बदले में केवल 2 प्रतिशत या 3 प्रतिशत ही देते हैं। मेरे अपने परिवार के सामाजिक दायित्वों के बारे में क्या विचार है ? क्या मुझसे अपने बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा नहीं की जाती है ? क्या मैं उन्हें सभी तकनीकी पाठक्रमों से वंचित कर दूं ? क्या मुझसे अपने बच्चों को केवल उस प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती कराने की अपेक्षा की जाती है जोकि वहां उपलब्ध है और जिसमें अधिकांश समय तक अध्यापक उपलब्ध नहीं रहते हैं ?

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : वह भी उपलब्ध नहीं है।

श्री उत्तम राठौड़ : स्वास्थ्य के बारे में क्या है ? सड़कें नहीं है। कृषि के विकास के लिए बुनियादी सुविधायें नहीं हैं। आप मुझसे उस क्षेत्र में काम कराना चाहते हैं जहां डाक्टर जाने के इच्छुक नहीं है। 350 डाक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से इन्कार कर दिया है।

श्री अनिल बसु : ऐसा क्यों है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई टिप्पणी नहीं। मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें। आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं ?

श्री उत्तम राठौड़ : मैं नहीं जानता। हम उसी प्लैटफार्म पर हैं स्थिति यह है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है ? जब आप उद्योगपतियों को ऋण देते हैं तो यह क्रेडिट है। अर्थात क्रेडिट सुविधा उद्योगपतियों को उपलब्ध है। जब आप हमें ऋण देते हैं तो यह केवल ऋण है यद्यपि इसे क्रेडिट कहा जाता है। सारी संपत्ति बन्धक रख ली जाती है। सारा प्लांट बैंक के पास बन्धक रखा जाता है। मैं जानना चाहती हूं ऐसा क्यों ? उद्योगपति के मामले में केवल उतना ही प्लाट और मशीनरी बन्धक रखी जाती है और बाकी चीजों के लिए वह मुक्त है आप हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं ? जब फसल नहीं होती है तो सहकारी बैंक, विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, जिसने पहले ही किसानों पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की कमी करके दया की है, के अनुदेशों के अधीन किसानों से पैसा वापिस मांगते हैं और यहां तक कि घरों जिंक की चद्दरें तथा छते उखाड़ ली जाती है और बेच दी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं क्यों ?

पिछले दिनों हमने किसी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी बैठक में सूखे का सामना करने में हमारी सहायता कर सकने वाली भिन्न-भिन्न योजनाओं पर चर्चा की। चिकित्सा अनुसंधान की बात चली तो बताया गया कि उन्होंने ऐसी गोली की खोज कर ली है जो आदमी की प्यास बुझा सकती है। मेरे मित्र श्री चरनजीत सिंह वालिया और मैं वहां साथ-साथ बैठे थे। मैंने उनसे पूछा "आप इस गोली को अपनी गाय या अपने बैल को कैसे देंगे क्योंकि उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है ?" उस बैठक में हमें यह भी बताया गया कि हम कृत्रिम वर्षा भी करा सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत बढ़िया काम कर रही है किन्तु इन सब चीजों के होते हुए भी हम अपने किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य नहीं बना सके हैं।

[श्री उत्तम राठौड़]

मैं अपनी सरकार को एक बात के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ कि स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने यह वचन दिया था कि वे कृषि का पुनर्गठन करेंगे। वे ऐसा नहीं कर सके। किन्तु वे जमींदारी प्रथा समाप्त करके, अधिक पैदावार करने वाले बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधायें, नियमित बाजार, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदाम आदि सभी चीजें उपलब्ध कराकर खेती करने वाले किसान को अधिकार रूप में भूमि देकर निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। परन्तु ये बातें ही पर्याप्त नहीं हैं। इससे भी अधिक उसे केवल ये सुविधायें ही नहीं अपितु उचित कीमत भी चाहिए। महोदय, आपको यह जानकर दुःख होगा कि सरकार गेहूं का मूल्य 170 रुपये प्रति क्विंटल देती है जबकि ऐक बोरे खाद्यान्न के—चाहे यह गेहूँ का बोरा हो या चावल का—रख-रखाव तथा लाने ले जाने पर 107 रुपये होता है। यह जबाव इस सभा में दिया गया था। सरकार ने रख-रखाव व्यय पर जो अतिरिक्ति पैसा लिया है तो क्या इससे सरकारी मुलाजिमों की सामाजिक जरूरतें पूरी की जाती हैं ? मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण चाहता हूँ। एक क्विंटल गेहूँ पैदा करने के लिए सरकार मुझे 170 रुपये देती है और उतने ही गेहूँ के रख रखाव के लिए यह भारतीय खाद्य निगम को 107 या 109 रुपये देती है। महोदय, कृपया इस सम्बन्ध में विसंगति देखिए। सरकार को उस विभाग की कमियों को दूर करना होगा और हमें अधिक मूल्य देना होगा। बैठक समाप्त होने के बाद मैंने अपने कुछ हितों को बताया कि यदि भारतीय कृषि में कहीं कोई कमी है तो वह यह है कि किसानों को वे कीमतें नहीं मिलती जिनके वे हकदार है। इस पूरे देश के लिए सरकार एक ही कीमत चाहती है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि महंगाई भत्ता, विशेष शहरी भत्ता इत्यादि देने के मामले में सरकार ने बड़े शहरों तथा छोटे कस्बों इत्यादि में अन्तर रखा है। मेरे विचार में सरकार बड़े शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को आवास भत्ता तथा अन्य भत्ते अधिक देती है। शुष्क खेती से पैदा खाद्यान्न की सरकार वही कीमत देती है जो बिहार तथा हरियाणा में दी जाती है जहां 80% भूमि सिंचित है। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि पैदावार बराबर होगी ? क्या इसका यह अर्थ है कि गुणवत्ता बराबर होगी ? मेरे विचार में ऐसा नहीं है। परन्तु फिर भी सरकार ने यह देखने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं कि ग्रामीण ऊपर न उठे। महोदय आप तमिलनाडु से हैं। आप कृपया हमें बतायें कि आपके राज्य में किसानों की क्या हालत है। आप मुझसे सहमत होंगे कि "सब होड़े बारह तके" रखने वाले इस तरीके विशेष को छोड़ेना होगा। सरकार को कम से कम 3-5 कृषि जलवायु क्षेत्र बनाने होंगे और कीमतें उस क्षेत्र की पैदावार के अनुरूप तय की जानी चाहिए।

अब मैं नई योजना पर आता हूं जो दो वर्ष पूर्व शुरू की गई थी यानि फसल बीमा योजना। फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया नाम दिया गया है। मैं इसकी सराहना करता हूं। परन्तु मैंने श्री मकवाना को, जो खुशकिस्मती से इस विभाग की देखरेख कर रहे थे, यह भी बताया था कि यह फसल बीमा नहीं है और यह हमें दिये गये ऋण को सुनिश्चित करने के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारा 100 रुपये का बीमा किया जाता है और यदि हमारी फसलें नाकाम हो जाती हैं तो सरकार हमें 150 रुपये देती है। इसमें से 100 रुपये ऋण के जरिये ले लिये जाते हैं और 12 रुपये ब्याज के रूप में ले लिये जाते हैं। कुल 112 रुपये ले लिये जाते हैं और किसान द्वारा उठाये गये सारे जोखिम के बदले केवल 38 रुपये बच जाते हैं। मैंने ऐसा काम कभी नहीं देखा। जब सरकार औसत पैदावार या स्टैंडर्ड पैदावार लेती है तो इसमें से 80 प्रतिशत औसत पैदावार होती है। वहाँ भी इसमें कमी कर दी गई है। जब सरकार हमसे बात करती

है तो नीति की बात करती है। जब सरकार योजना के तहत हमें ऋण देती है तो इसे कम करके 80% तक ले आती है और गणना शुरू कर देती है। यह सब क्यों किया जाता है ? हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं ? क्या हम उन गरीब किसानों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं जो हमारे लिये भोजन पैदा कर रहे हैं ? कब तक हम उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं ? इस सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने शुरू कर दिये हैं। उनके बच्चों ने अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया है। उनके बच्चों ने सरकारी सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा इत्यादि में आना शुरू कर दिया है। हमारे लिये यह सोचना गलत होगा कि ऐसा अधिक समय तक चल सकता है। यह अधिक समय तक नहीं चलेगा। हमें यह देखना होगा कि उन्हें उचित पैसा दिया जाय और उनकी ठीक देखभाल की जाये और सभी आधारभूत सुविधाये उन्हें दी जायें।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्रालय में सभी भगवान जैसे श्री हरि जी, श्री श्याम लालू जी, श्री प्रभु जी और श्री जनार्दन जी तथा मुख्य पुजारी श्री भजनलाल जी हमारा ठीक तरह से ध्यान रखेंगे। पहले ही यह हल्ला मचा हुआ है कि अपनी आवश्यकता से अधिक मत पैदा करो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अधिक मूल्य मिलेगा। श्री शरद जोशी ने यह आव्हान किया है। आप इसमें असफल होंगे। अभी-अभी मेरे पूर्व वक्ता मिश्रा जी ने मन्त्री जी को बधाई दी है। मुझे नहीं मालूम कि मैं मन्त्रियों को बधाई दूं या उनके सितारों को। भाग्यवश उनके सितारे बहुत बढ़िया हैं। मैं चाहता हूं कि वे इसकी देखभाल करें।

2.40 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का निर्णायक क्षेत्र है। सबसे अधिक रोजगार कृषि द्वारा पैदा किया जाता है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद का अधिकांश प्रतिशत कृषि द्वारा दिया जाता है। और मुझे मंत्रालय तथा सरकार को इस बात के लिये बधाई देनी चाहिए कि कृषि क्षेत्र में कार्य निष्पादन सन्तोषजनक है। इस वर्ष हम रिकार्ड उत्पादन करने जा रहे हैं। इस सत्र में यह भविष्यवाणी की गई है कि हम लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्पादन 1985 में 470 लाख टन जब सबसे अधिक उत्पादन हुआ था तुलना में इस वर्ष 520 लाख टन तक पहुँच सकता है। फिर भी मैं यह महसूस नहीं करता हमने भारतीय कृषि की पूर्ण क्षमता का उपयोग कर लिया है। कृषि उत्पादन में अभी हमें उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करना है। मैंने ऐसा इसलिये कहा कि गेहूं के सम्बन्ध में हमारी प्रति हेक्टेयर उपज 1848 किलोग्राम है। जबकि विश्व औसत 2144 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह चावल में हमारी प्रति हेक्टेयर औसत 2025 किलोग्राम है जबकि विश्व औसत 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी अधिक है। फिर उर्वरक खपत के हम लक्ष्य से कहीं नीचे हैं। यहां तक कि पंजाब में भी जहां प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत सबसे अधिक है, उर्वरक खपत कई विकासशील तथा विकसित देशों से कम हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि कृषि विभाग तथा मंत्रालय द्वारा बेहतर कार्य निष्पादन के बावजूद भी हमने उत्पादन में उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। इससे यह तथ्य कम नहीं हो जाता कि कृषि में हमने बहुत अधिक प्रगति की है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि में हमारा उत्पादन दो गुणा हो गया हैं। परन्तु फिर भी हमें कृषि में उच्चतम उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अपने प्रयास जारी रखने चाहिये जिसके लिये हमारे देश में काफी गुंजाइश है।

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

कृषि में उच्चतम स्थिति प्राप्त करने के लिये अपने उत्पादन में और वृद्धि करने हेतु कई बातें हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात खाद्य फसलों तथा नकद फसलों की उच्च पैदावार देने वाली किस्में तैयार करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छा कार्य किया है। इस क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि के कारण ही हरित क्रांति सम्भव हो सकी। परन्तु इस तथ्य की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा।

वित्तीय रूप से हमारे किसान दयनीय स्थिति में हैं और हमारे किसानों की यह क्षमता होते हुये, वे अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिये परिणाम कम उर्वरक खपत से उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन करना होना चाहिये। मैं समझता हूं कि गेहूं के सम्बन्ध में हमने कुछ उपलब्धि हासिल की है। केवल गेहूं के क्षेत्र में ही नहीं, चावल तथा अन्य व्यापारिक फसलों के क्षेत्र में भी शोध किया जाना चाहिये।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पौधों को वैज्ञानिक संरक्षण दिया जाना चाहिये। जिस पर अधिक शोध किया जा रहा है। नई जनितिक इन्जीनियरों ने रोग प्रतिरोधी बीज तैयार करने की नई सम्भावनायें खोल दी हैं और मैं इस दिशा में शोध की सराहना करता हूँ। परन्तु जब मैंने बजट दस्तावेजों का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि इस क्षेत्र में पिछले वर्ष 96 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे, परन्तु वास्तव में केवल 95 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। मैं समझता हूं कि अगले वर्ष के लिये उन्होंने आबंटन को बढ़ा कर 110 करोड़ रुपये कर दिया है। मुझे आशा है कि पौधा संरक्षण की इस दिशा में और अधिक ध्यान दिया जायेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है। परन्तु मैं केवल यह कह रहा हूं कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि यह एक नाजुक क्षेत्र है जो हमारे देश की सारी कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकता है।

इस सम्बन्ध में, मैं 'रुटविल्ट' रोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जो केरल में नारियल फार्मों को प्रभावित कर रही है। पिछले 40 वर्षों से केरल में नारियल के फार्म इस 'रुटविल्ट' रोग से प्रभावित हैं और अब तक केरल में कई जिले इससे प्रभावित हैं। इस दिशा में बहुत शोध किये जा चुके और किये जा रहे हैं। तथ्य यह है कि नारियल केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकारी रिकार्ड से पता चलता है कि लगभग 100 लाख लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल की खेती पर निर्भर करते हैं। दुर्भाग्यवश, इस रुटविल्ट रोग का अभी तक उचित उपचार नहीं खोजा गया है। कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा था कि सी०पी०सी०आर०आई०, भारतीय कृषि अनुसंधान के अधीन एक इकाई, जो नारियल शोध स्टेशन है ने इस रोग के जीवाणुओं का पता लगा लिया है, परन्तु उन्होंने अभी तक इस रोग का उपचार नहीं निकाला है। मैं मंत्रालय से निवेदन करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में जितनी भी सहायता की जरूरत हो, दे ताकि हम तत्काल इस रोग का सामना कर सकें।

किसी गम्भीर रोग से जब सेब प्रभावित हुआ था तो इसे राष्ट्रीय रोग घोषित कर दिया गया था और इस रोग के निदान के लिये सरकार ने सभी तरह की सहायता दी थी। इसी प्रकार मैं निवेदन करता हूँ कि नारियल के मामले में भी इसे राष्ट्रीय रोग माना जाना चाहिये और इस रोग से लड़ने के लिये सभी तरह की सहायता दी जानी चाहिये।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इसी प्रकार कपास को भी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कपास के सम्बन्ध में भी जैसा प्रो० रंगा जी कहते हैं। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ। इस रिपोर्ट में आपने स्वयं यह स्वीकार किया हैं कि नारियल का तेल एक अच्छा वनस्पति तेल है। सभी जानते हैं कि काफी लोग, विशेषतौर पर केरल, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में, नारियल को खाने के तेल के रूप में प्रयोग करते है।

यह एक खाद्य तेल हैं। परन्तु आप नारियल की एक तिलहन के रूप में घोषणा नहीं कर रहे हैं। मुझे कहना चाहिए कि यह भेदभाव है। मुझे नारियल के बारे में इस प्रकार के भेदभाव का कारण दिखाई नही देता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि नारियल की एक तिलहन के रूप में घोषणा की जानी चाहिये और अन्य तिलहनों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता नारियल को भी दी जानी चाहिये।

पौधों के संरक्षण के बारे में मैं काली मिर्च के बारे में कुछ बातें कहूंगा। यद्यपि काली मिर्च हमारे देश से निर्यात की जाने वाली एक वस्तु है परन्तु काली मिर्च का उत्पादन कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। आपको यह जानना चाहिए कि 50 के दशक में भारत काली मिर्च का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। काली मिर्च के विश्व निर्यात का 80% भाग भारत से निर्यात किया जाता था। आज यह 20 प्रतिशत है। काली मिर्च उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्य नहीं किया गया है और अब काली मिर्च को 'क्विक विल्ट' नामक रोग लग गया है। इस बीमारी से केरल में 25 हजार हेक्टेयर भूमि में काली मिर्च की खेती प्रभावित हुई है। प्रथम मार्च को काली मिर्च बोर्ड ने मंत्रालय से यह सिफारिश की थी कि 'रिडोमिल' नामक रसायन का आयात किया जाये जो कि इस रोग के विरुद्ध काम आने वाला अकेला रसायन है और आई०सी०ए०आर० के वैज्ञानिकों ने भी इसकी सिफारिश की है। यह अनुरोध एक माह से भी अधिक समय से मन्त्रालय में लम्बित है। अभी तक उस रसायन को आयात करने की मंजूरी नहीं दी गई है। इसमें प्रतिदिन विलम्ब से देश को दो लाख डालर विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। जैसा कि मैंने कहा है इस बीमारी के कारण 25 हजार हेक्टेयर काली मिर्च की खेती प्रभावित हुई है। आप आज ही प्रभारी अधिकारी को बुलाकर उसे फटकारिये और यह सुनिश्चित कीजिये कि इसे तुरन्त ही मंजूरी दी जाये। 99 प्रतिशत काली मिर्च उत्पादक छोटे किसान हैं। वे इसके लिए ऊँची कीमत की अदायगी नहीं कर सकते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि 175 टन रिडोमिल को आयात निःशुल्क किया जाना चाहिए और इसे उत्पादकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

महोदय, मैं कीमतों के बारे में उल्लेख करना नहीं चाहता क्योंकि इस पहलू के बारे में प्रत्येक व्यक्ति ने भाषण दिया है। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा। देशभर के किसानों की यह शिकायत रही है कि कृषि आयोग द्वारा मूल्य निर्धारित करते समय जिन मानदंडों को उपयोग में लाया जाता है, उनमें कृषि आदानों की लागत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मैं केवल यह अनुरोध करूंगा कि उन मानदंडों में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि देशभर के किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। उन वस्तुओं के बारे में क्या स्थिति है जिन्हें समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए नारियल को ही लीजिए। केरल, तमिलनाडु कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए नारियल बहुत महत्वपूर्ण है। अब उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल भी नारि-

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

यल की खेती कर रहे हैं। ारियल के लिए कोई समर्थन मूल्य नहीं है। इस वर्ष केरल में नारियल के दाम बहुत गिर रहे है और नारियल उत्पादक नारियल को बहुत कम कीमतों पर बेच रहे हैं। (व्यवधान)

महोदय, तीन वर्ष पहले जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने हस्तक्षेप करके कृषि मन्त्रालय को नारियल खरीदने का निर्देश दिया था। यह कार्य 'नेफेड' को सौंपा गया था। इस वर्ष नारियल की कीमतें बहुत अधिक गिरने के कारण मैं यह अनुरोध करूंगा कि जब तक नारियल के मूल्य सामान्य न हो जायें तब तक नफेड को नारियल की खरीद करने के लिये कहा जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास क्षेत्र की बात पर आते हुए मैं प्रधान मंत्री महोदय को नेहरू रोजगार योजना, जिसमें आर०एल०ई०जी०पी० और एन०आर०ई०पी० को सम्मिलित कर लिया गया है की घोषणा करने के लिए बधाई देना चाहूंगा। परन्तु मैं इस बारे में सावधानी बरतने के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा। एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. के अन्तर्गत आबंटित धनराशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाती है। मैं यह नहीं कहता कि वे इस धनराशि का अपव्यय करती है। परन्तु इस बारे में निगरानी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे राज्य सरकार कांग्रेस दल की हो अथवा किसी अन्य दल की प्रत्येक राज्य में इसकी निगरानी व्यवस्था के लिए कोई तंत्र होना चाहिए। यह धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है और इस व्यय पर केन्द्रीय सरकार का का कोई नियन्त्रण नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि इस नई योजना को कार्यान्वित करते समय इसका निगरानी करने की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह रुपया कैसे खर्च किया जाता है और जो अधिकारी इसके अपव्यय के लिए उत्तरदाई है उन्हें डांटा जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि प्रधान मन्त्री ने सहकारी समितियों के कार्यकरण के बारे में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को यह लिखा है कि उनके चुनाव नियमित रूप से कराये जाने पर चाहिए और जहां तक संभव हो निर्वाचित समितियों का अधिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। महोदय मेरे राज्य में क्या क्या घटित हो रहा है? वहां बिना किसी कारण के निर्वाचित समितियों का अधिक्रमण किया जा रहा है। इन समितियों में इच्छुक और दब्बू अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। मतदाताओं की जाली सूचियां बनाई जाती हैं और चुनाव कराये जाये हैं। राज्य सरकारें इस मामले में अनुचित हस्तक्षेप करती हैं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि चूंकि एन.सी.डी.सी. सरकारी समितियों को धनराशि दे रहा है, अतः एन.सी.डी.सी. और केन्द्रीय सरकार का सहकारी विभाग के चुनावों और प्रशासन पर नियन्त्रण होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कृषि मन्त्रालय के लिए अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, कृषि हमारे देश की आत्मा है और देश का विकास खेती पर ही निर्भर करता है लेकिन दुःख की बात है कि कृषि के सिलसिले में और कृषि पर निर्भर करने वाली जो जनता है, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की जो चिन्ता होनी चाहिए, भाषणों को छोड़ कर, वह चिन्ता नहीं है और यही वजह है कि देश का पिछड़ापन, आजादी के इतने लम्बे वर्षों के बाद भी, बना हुआ है और उसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता

है तो वह कृषि की उपेक्षा है। सरकार ने हरित क्रान्ति की चर्चा की, कुछ प्रान्तों में ऐसा लगा भी कि वे हरित क्रान्ति के अन्तर्गत आए हैं और वहां कृषि का विकास हुआ लेकिन देश का बड़ा भाग आज भी कृषि के मामले में पिछड़ा हुआ है और काफी दयनीय अवस्था में है। कहा जाता है कि सरकार ने इस मामले में काफी तरक्की की है और यह जो मौजूदा साल है, यह तो चुनाव का साल है और इस साल में काफी लम्बी चौड़ी बातें की जायेंगी लेकिन आप एक मामूली सी बात को ले लीजिए। कृषि अभी भी जो निर्भर करती है, वह प्रकृति पर निर्भर करती है और आजादी के 40 साल बाद भी हम यह दावा नहीं कर सकते कि अगर प्रकृति ने साथ नहीं दिया, तब भी हमारा जो उत्पादन का लेविल है, उस लेविल पर हम रह सकेंगे। आम तौर पर होता क्या है। जिस साल वर्षा अच्छी हो गई और उत्पादन बढ़ गया, तो सरकार यह दावा करती है कि हमने जो कृषि के सम्बन्ध में व्यवस्था की है, उसका यह प्रतिफल है और जब सुखाड़ आ गया, उत्पादन में कमी आ गई, तो सरकार कहने लगती है कि हम क्या करें, सरकार क्या करे, प्रकृति ने हमको धोका दिया है।

आज भी जो हमारी कृषि है, उसके लिए हमारे जो किसान हैं, वे बहुत सारी बातें नहीं चाहते लेकिन वे कम से कम एक बात चाहते हैं पूरे हिन्दुस्तान में और उस बात को भी हम लोगों ने पूरा नहीं किया है और वह यह है कि वह केवल सिंचाई की व्यवस्था चाहता है और 40 साल की आजादी के बाद भी अगर हमने उसकी जमीन के लिए पानी नहीं दिया, तो यह कितने दुःख की बात है। हमारे यहां किसान दिन-रात मेहनत करने वाला है और वह केवल पानी चाहता है और जो हमारी कृषि योग्य भूमि है, उसका विशाल हिस्सा अभी भी सिंचाई से वंचित है। बाढ़ और सुखाड़, ये हमारे यहां की मूलभूत समस्याएं हैं और वे कृषि के साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन अभी तक इसका समाधान सरकार नहीं कर पाई है गोकि दोनों का सम्बन्ध एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और अगर ठीक ढंग से काम किया जाए, तो जो बाढ़ प्रलयंकारी भूमिका अदा करती है, उसी बाढ़ का पानी, जो सुखाड़ के इलाके हैं या जहां पानी कम है, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से दोनों एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कृषि के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन यह बात अभी नहीं हो रही है।

3.00 म० प०

सभापति जी, बातें बहुत सारी की जा रही हैं। लेकिन किसानों में एक बात अच्छी आ रही है। यह जो साल गुजर रहा है, या जो इसके पहले साल था, उसमें किसानों में जागृति देखने को आ रही है। वे अपने हकों के बारे में, खेती के बारे में कि उसमें कैसे सुधार होगा, उनका जीवन स्तर कैसे ऊँचा होगा इस बात को वे समझने लगे हैं। वे समझने लगे हैं कि सरकार उनकी घोर उपेक्षा कर रही है। मुझे यकीन है कि सरकार भले ही उनकी घोर उपेक्षा करे लेकिन किसान आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, वे आंदोलन खड़े कर रहे हैं। वे उन मुट्ठीभर औद्योगिक मजदूरों को देख रहे हैं कि किस तरह से वे संगठित हो कर के अपनी मांगों को लगातार मनवाते जा रहे हैं और जिनकी 100 में 80 आबादी है, उनकी मांगों की उपेक्षा हो रही है। वे इस बात को समझ रहे हैं कि चूंकि हम संगठित नहीं हैं, हम जलूस नहीं निकालते हैं, हम सरकार को प्रेशराईज नहीं कर सकते इसलिए उनकी उपेक्षा हो रही है। इसी की वजह से उनकी लूट हो रही है, शोषण हो रहा है। जो देश को खिलाता है, जो देश की आर्थिक उन्नति में एक बहुत बड़ा हिस्सा देता है। वह मेहनत करके भी उपेक्षित है, आज वही भूखा है और आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है।

[श्री विजय कुमार यादव]

जब कहा जाता है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए, कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य तय कीजिए तो यह नहीं किया जाता है। अभी हमारे एक साथी ने जो सत्ता पक्ष के हैं कहा कि कृषि मूल्य के बारे में सरकार के सामने दिक्कत है। सरकार की जो अन्यमनस्कता है, उसका उन्होंने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। मैं समझता हूं कि उनकी बातों को नोट करने की जरूरत है। आप क्यों नहीं किसान को लाभकारी मूल्य दीजिए। कई बार यहां आश्वासन दिया जा चुका है और हमारे भजनलाल जी भी कई बार आश्वासन दे चुके हैं। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे विरोध पक्ष के लोग हों, इसके बारे में दो मत नहीं हैं। इस सवाल को यहां जो भी वक्ता होंगे, वे उठायेंगे। आप वही दोहरा देंगे, वही रटा-रटाया जवाब दे देंगे कि यह तो बहुत उपयोगी चीज है, यह हर आदमी के काम में आने वाली चीज है, इसका दाम कैसे ऊंचा उठायेंगे। इससे हर आदमी को नुकसान होगा, चीजों के दाम बढ़ेंगे।

सवाल यह है कि जो कि औद्योगिक सामान पैदा होता है उसका हर साल दाम बढ़ जाता है लेकिन किसानों का जो उत्पादन होता है उसका हर साल दाम घट जाता है। आपको उसको भी लाभकारी मूल्य देना होगा। अगर इसके लिए आप सब्सीडी से बचियेगा तो किसान का कल्याण नहीं कर पाइयेगा। अगर आप उसको वाजिब दाम और लाभकारी दाम देना चाहेंगे तो आपको सब्सीडी का सहारा लेना होगा। किसानों को प्रेरणा देने के लिए, उनको उत्पादन के मामले में आगे बढ़ाने के लिए यह करना होगा। आज जिस तेजी से किसान सजग हुआ है। इस चीज को सामने रखते हुए यह आवश्यक है कि आप उसको लाभकारी मूल्य देने की व्यवस्था करें और जो उपभोक्ता हैं उनको भी आवश्यक चीजें वाजिब दाम पर मिलें, इसकी भी व्यवस्था करें। इसके लिए सरकार को बीच में आना होगा। तभी यह मामला बन सकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों के ऊपर कर्जे का बहुत बोझ है। चाहे वह बैंकों के कर्जे का हो, चाहे वह कोआप्रेटिव के कर्जे का हो, चाहे वह सूदखोर महाजनों के कर्जे का हो। कानून बने हुए हैं लेकिन आप देखिए कि इस देश के अन्दर किसान की क्या हालत है। जब यहां किसान की चर्चा होती है तो हमारे कृषि मन्त्री जी के दिमाग में धनी किसान आता है, बड़े-बड़े किसान आते हैं। लेकिन गांवों का जो असली किसान है, जो खुद खेत में खटता है, उसकी मां खटती है, उसकी बीबी खटती है, उसके बच्चे खटते हैं। उस किसान की हालत बहुत दयनीय है। वह किसान कर्ज के बोझ से लदा हुआ है। बड़े-बड़े उद्योगों में जो पैसा बकाया है, वह बट्टे खाते में चला जाता है। आज पूरे देश के किसान की यह प्रोपर मांग है कि उनके ऊपर जो कर्जे का बकाया पैसा है उसको आप माफ करें और उन्हें नया कर्जा दें जिससे किसानों की हालत बेहतर हो सके और वे आगे बढ़ सकें। वे अपनी हालत में सुधार ला सकें।

एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे गांव की जो अवस्था है, हमारे देश की जो अवस्था है, यहां पर जमीनों का केन्द्रीयकरण है, कुछ लोगों के हाथ में जमीन है। कांग्रेस सरकार की नीति आज से नहीं बल्कि आजादी से पहले से चली आ रही है कि जमींदारों के हाथ से जमीन लेकर उसका बटवारा करना है, आज भी यही बात कही जाती है, इसके लिए भूमि सुधार कानून भी लाए गए, लेकिन बिहार तथा अन्य राज्यों के अन्दर आज भी बड़े जमींदारों के पास जमीन पड़ी हुई है, वे उसको दबाए हुए हैं, किसी न किसी तिकड़म से उन्होंने जमीनें अपने पास रखी हुई हैं

और गरीब आदमी जमीन से वंचित है, उसको जमीन नहीं दे रहे हैं। जब तक जोतने वाले को नहीं मिलेगी, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कुछ स्टेट्स में पैदावार बढ़ी है, लेकिन आन दी होल हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों के पास जमीनें हैं जो उसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, ऐसे लोगों से जमीन ली जानी चाहिए। अन्त में मैं अपने जिले के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं।

हमारे यहां बिहार में प्रति हैक्टर उपज अन्य राज्यों से सबसे कम है। जिस तरह हिन्दुस्तान में प्रति हैक्टर उपज सब देशों से कम है, इसी तरह से हिन्दुस्तान में सब से कम उपज बिहार में है। हालांकि गंगा क्षेत्र की सारी जमीनें काफी उपजाऊ हैं, किसान वहां का मेहनती है, मेहनत करता है, लेकिन सिंचाई का इन्तजाम नहीं है, बिजली का इन्तजाम नहीं है, बाढ़ और सूखे से हिफाजत नहीं होती, इसलिए मेरा निवेदन है कि बिहार के बारे में कुछ सोचिए। अभी प्रधान मंत्री जी ने एक नई योजना के बारे में बात कही है, मैं समझता हूं कि वह सही बात है। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर योजनाओं का निर्माण हो, क्योंकि हर जिले की अलग परिस्थिति है। जिले के हिसाब से वहां पर किस तरह की सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए, उसके हिसाब से वहां पर योजना बनाई जानी चाहिए। मेरी कांस्टीट्वेंसी में बहुत बड़ी-बड़ी नदियां नहीं हैं, साल भर चलने वाली नदियां नहीं है, इसलिए नदियों से वहां पर सिंचाई व्यवस्था नहीं की जा सकती, परन्तु एक मांग 1980 से मैं कर रहा कि गंगा नदी से नदी निकाल कर जब दक्षिण में ले जा सकते हैं तो क्या बिहार में इसको नहीं किया जा सकता। बरसात के दिनों में जब गंगा में पानी अधिक होता है, नहर द्वारा उस पानी को दक्षिण की ओर नालंदा आदि दूसरे जिलों तक ले जाया जा सकता है, इसके जरिए वाटर रेसोर्सेस तैयार किये जा सकते हैं, राजगिरि पहाड़ों में नहर निकाल कर सिंचाई और बिजली की व्यवस्था की जा सकती है, एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीज वहां पर स्थापित कीजिए। अगर आप इन कामों को करते हैं तो मेरे इलाके में बेहतरी लाई जा सकती है।

आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। आजादी से पहले सुदूर पंजाब जो पाकिस्तान में है, वहां से आलू के व्यापारी बिहार शरीफ अच्छे आलू का बीज खरीदने के लिए आते थे, लेकिन आज जब अपनी सरकार बनी है तो नालंदा के लोगों को अच्छा बीज खरीदने के लिए पंजाब जाना पड़ता है। पहले सबसे ज्यादा और अच्छा आलू बिहार शरीफ में पैदा होता था, लेकिन आज हमको इसके लिए पंजाब जाना पड़ता है। क्यों नहीं इस इलाके में अनुसंधान केन्द्र खोला जाता, ताकि यहां पर लोगों को अच्छा बीज प्राप्त हो सके। एक छोटा-मोटा अनुसंधान केन्द्र खोला है, लेकिन उस इलाके में इतना उसका महत्व नहीं है, हमारे क्षेत्र में आलू की पैदावार अधिक होती है, इसलिए एक अनुसंधान केन्द्र वहां पर अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि आलू की हाई-ईन्डिग वैरायटीज प्राप्त हो सकें। दूसरे क्षेत्रों से आलू प्याज एक्सपोर्ट होता है, लेकिन बिहार से नहीं किया जाता, यह भेदभाव भी नहीं किया जाना चाहिए, हमारे यहां भी अच्छा माल पैदा होता है, हमारे यहां से भी एक्सपोर्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी पक्षों के सदस्यों द्वारा उठाये गये लगभग सभी मुद्दों से सहमत हूं और कृषि के बारे में प्रत्येक चर्चा के दौरान मेरा यही अनुभव रहा है परन्तु फिर भी किसानों की दशा में यथावांछित सुधार नहीं हुआ है।

[प्रो० एन० जी०रंगा]

मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब विरोधी दल पहलीं बार कृषकों और गैर-कृषकों तथा कृषि मूल्यों और गैर कृषि-मूल्यों में समानता की मांग कर रहे हैं। आज संसद के सभी सदस्य तथा राजनैतिक दल इस बात पर सहमत हैं। सम्भवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उन्हें पुनः लोगों के पास जाना हैं। अतः लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें उनके हित में बोलना चाहिए। एक बार उनके यहां बापस आने पर क्या होगा ? यहां तक कि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों को भी नौकरशाही बैंक और अन्य शक्तियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है जिसके परिणामस्वरुप किसानों की दशा में सत्ता पक्ष के गैर-सरकारी सदस्यों की इच्छा के अनुरुप सुधार नहीं होता है। जब जनता दल सत्ता में था और चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री तथा बाद में प्रधान मन्त्री बने थे तब भी लगभग ऐसी ही स्थिति थी। मैं बहुत समय से यह मांग कर रहा हूं कि कृषि मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं और इन मूल्यों को निर्धारित करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। जैसा कि श्री राठौर ने अभी-अभी सदन को बताया है काफी लम्बे समय के बाद कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई है परन्तु इसमें कोई भी गैर-सरकारी सदस्य नहीं था। बड़ी कठिनाई से हमने सरकार और नौकरशाही को एक गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त करने के बारे में सहमत किया, बाद में दो गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त किये गये और अब गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर तीन कर दिया गया है। फिर हम यह भी चाहते थे कि इनमें से कम से कम एक सदस्य कृषि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करे। इस बात को आज तक स्वीकार नहीं किया गया है। जब इन्दिरा गांधी स्वर्गवासी होने को थीं तब भी उन्होंने कृषि मूल्य आयोग के नाम को बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग करने के उनके निर्णय का विरोध किया। वर्तमान प्रधान मंत्री के सत्ता में आने पर, हम यह देख सकते हैं कि इसका नाम कृषि लागत और मूल्य आयोग रखा गया और यही नाम जारी है। यह कहा जा सकता है कि नाम में क्या रखा है। परन्तु नाम में एक बार 'लागत' शब्द जुड़ने के बाद आपको कृषि उत्पादों की लागत को भी ध्यान में रखना पड़ता है और इसके बाद ही उपभोक्ता द्वारा अदा किये जाने वाले मूल्यों के बारे में विचार किया जाता है ताकि उत्पादक और उपभोक्ता में सन्तुलन बना रहे और सभी के साथ न्याय हो सके। अतः इसका नाम कृषि लागत और मूल्य आयोग ही होना चाहिए। लेकिन, इसके सदस्य कौन हैं और वे कैसे कार्य करते हैं ? यही नौकरशाही इसके लिए आधार तैयार करती है। गैर-सरकारी सदस्य तो केवल कुछ सुझाव देते हैं या अपनी असहमति की टिप्पणी देते हैं, जिसे 'नोट्स' भी कहते हैं। नोट्स अपने तक ही सीमित रहते हैं और मन्त्री महोदय को इसकी परवाह करने की जरूरत नही है। सरकारी सदस्य जो भी निर्णय करते हैं वही मान्य होता है और उसे कार्यान्वित किया जाता है। नए मन्त्रियों के आने के बाद थोड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन यह तो शिष्टाचार वश ही हो रहा है।

इसलिए इस संबध में कुछ किया जाना चाहिए। हमारे अनेक सदस्यों ने इस संबंध में बहुत कुछ कहा है। वे कहते है, "क्या किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलने चाहिए ? सिर्फ यही नहीं क्या उन्हें आजीविका के लिए मजदूरी तथा ऐसा जीवन नहीं मिलना चाहिए जो सम्मानजनक और सामाजिक हो ?" लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस बारे में कुछ तत्काल किया जाना चाहिए ताकि लोग हमारे ऊपर यह आरोप न लगाएं कि ऐसा तो चुनावों के कारण ही कहा जा रहा है। फिर, हम यह समानता कैसे प्राप्त करेंगे ? अभी-अभी हमारे मित्रों ने इसका

उल्लेख किया है । हम भी बार-बार इसे दोहरा रहे हैं । एक किसान का बेटा एक चपरासी, गेहूं और चावल के बोरे सिलाई करने वाले के रूप में कार्य करने को अधिक इच्छुक है । वह इस कार्य को अधिक चाहता है । ऐसा क्यों है ? क्योंकि इस कार्य में उसे अधिक पैसे मिलते हैं । उसकी हर संभव तरीके से देखभाल की जाती है । उसके लिए बीमा योजनाएं हैं । उसे रियायती दर पर कर्ज भी मिल जाता है । ऐसे में इस दयनीय स्थिति के होते हुए आपके विचार से किसान कब तक अपना कार्य जारी रखेंगे ? हम सभी इस पर सहमत हैं । लेकिन जब इस बारे में कार्यवाही करने की बात आती है तो हम अधिकारीगण से सहमत होने में असमर्थ रहते हैं । ये अधिकारीगण कौन हैं ? वे हमारे ही पुत्र और पुत्रियां हैं । एक बार अधिकारी बनने के बाद वे अलग तरह से सोचने लगते हैं । इसलिए इस बारे में मानदण्डों को उचित रूप में निर्धारित किया जाए । ऐसा किस प्रकार किया जाए ? हम अपने किसानों को कर्जा उपलब्ध कराना चाहते थे । फिर विभिन्न श्रेणीकरण तथा कुछ रियायतें हैं । लेकिन इन पर ब्याज की दर क्या है ? चाहे यह राशि 5,000 10,000 20,000 आदि कुछ भी हो लेकिन मुद्रास्फिति की दर को ध्यान में रखे बिना ही ये रियायतें दी जाती हैं । इसके बाद वे सोचने लगते हैं कि यदि किसान से 15 या 16 प्रतिशत की दर से ब्याज नहीं लिया गया तो वह अमीर आदमी बन जाएगा । श्री राठोड़ ने अभी कहा कि यदि हम एक झोंपड़ी लें तो उस पर ऋण की अदायगी करने के लिए जिंक की चादरों की निलामी करनी पड़ती है ।

हाल ही में हमें सरकार से ब्याज की जुर्माना दर को समाप्त करने का आग्रह करना पड़ा । अन्ततः वे प्राचीन प्रणाली का पुनः उपयोग करने लगे और निर्भीक होकर कहने लगे कि किसी भी दर से अदायगी 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । लेकिन इस दौरान चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है । ये सब समाप्त होना चाहिए । साधारण ब्याज लिया जाना चाहिए और इसका ब्याज दर उचित व यथा संभव कम होनी चाहिए । ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

हम सिविल कर्जदारों के लिये जेल जाने की व्यवस्था को समाप्त करने में सफल हो गये हैं लेकिन इसके साथ-साथ हमारे किसानों के विरुद्ध डिगरी दी जा रही है और उनकी सम्पत्ति को नीलाम किया जा रहा है । हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि फसल ऋणों की अदायगी के लिए अथवा खराब मौसम के कारण लम्बित अदायगियों के लिए कृषि भूमि की नीलामी न की जाए । इस बारे में स्पष्ट और निश्चित निर्णय लिये जायें और उन्हें लागू किया जाए ।

फिर सहकारी समितियां हैं । चुनाव किये जायें लेकिन ये स्वतन्त्र और सही होने चाहिए । एक बार चुनाव होने के बाद सहकारी समितियों के कारगर हो जाने के बाद उन पर कोई सरकारी दबाव या नियन्त्रण नहीं होने चाहिएं और चाहें मन्त्री महोदय कोई भी हो और वह किसी भी पार्टी से संबंधित हो । आज स्थिति ऐसी नहीं है । एक बार आप मूल्य निर्धारित कर देते हैं तो भी इसकी क्या गारंटी है कि इन्हें इसी मूल्य पर बेचा जाएगा, कम पर नहीं और मजबूरन बिक्री नहीं होगी ? इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में मंत्रीमण्डल की एक संयुक्त समिति गठित की जाए जिसमें सिंचाई, वित्त, वाणिज्य और विद्युत आदि मन्त्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल हों ।

आज आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों के सम्मुख समस्याएं हैं । व्यापारियों की सहमति से 22/- रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था । लेकिन उन्होंने 15/-

[प्रो० एन० जी० रंगा]

रुपये तक ही बोली लगाई इससे अधिक में नहीं बेचा गया। यह खुला बाजार माना जाता था। खरीदार और कोई नहीं था इसलिए किसानों को अपना माल बेचना पड़ा क्योंकि उन्हें न सिर्फ अपने निजी उपयोग हेतु बल्कि फसल ऋण आदि की अदायगी के लिए भी पैसे की अत्यधिक आवश्यकता थी। इस प्रकार वे मुसीबत में थे। नारियल, कपास तथा अन्य विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लोगों को भी यही स्थिति है। आप हिमाचल प्रदेश में आलुओं और महाराष्ट्र में प्याज की स्थिति देख सकते हैं। अनेक वस्तुओं के साथ ऐसा है।

इसलिए कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच पूर्णतया सद्भावपूर्ण कार्य तथा संबंध होने चाहिए ताकि जैसे ही मजबूरन बिक्री या सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य देने में बाजार की असफलता की कोई गम्भीर शिकायत प्राप्त हो तो मन्त्रिमण्डल की यह उप-समिति कार्यवाही करे और तुरन्त राज्य व्यापार निगम को निर्देश दे सके कि वह बाजार में जाकर अमुक माल खरीदने की पेशकश करे। केवल इस प्रकार की व्यवस्था से ही किसानों का हित हो सकेगा और इन व्यापारियों का विरोध हो सकेगा।

इसी प्रकार उदाहरण के लिए पानी के मामले में और अधिक क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक सिंचाई की आवश्यकता है। अभी, सिंचाई मन्त्रालय अपने तरीके से चल रहा है। इसलिए मन्त्रिमन्डल की उप समिति कृषि मन्त्रालय के नेतृत्व के अन्तर्गत रहनी चाहिए। खाद्य पदार्थों के उद्योग भी उभर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने अनेक मन्त्रालय मानव संसाधन मन्त्रालय के अन्तर्गत एकत्रित कर दिये हैं उसी प्रकार इन्हें भी एक जगह लाया जाये। हमारी मन्त्रिमण्डल व्यवस्था का पुर्नगठन होना चाहिए ताकि कृषि मन्त्री इसके केन्द्र विन्दु बन जाएं।

अब यह करने के बाद लाभप्रद मूल्य कैसे निर्धारित हों और इसकी अदायगी कैसे हो? ये शहरी लोग तो और अधिक अदायगी से मना कर देते हैं। लेकिन अभी एक दिन बैंक कर्मियों ने हड़ताल करने की धमकी दी थी। उन्हें अधिक वेतन दे दिए गए। हरेक को अधिक वेतन दिया जा रहा है? लेकिन किसकी कीमत पर यह दिया जा रहा है? उन्हें कृषकों की कीमत पर ये बढ़े हुए वेतन दिये गये। इस असंतुलन को ठीक करने की आवश्यकता है।

मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मन्त्री पिछले चार वर्षों से हमारे किसानों की तकलीफों उनकी आवश्यकताओं, उनके जीवन से वाकिफ हो रहे हैं। इसलिए वह उनकी आवश्यकताओं के प्रति सजग हैं। इस प्रकार वह कृषकों के पक्ष में अधिक से अधिक कार्य कर रहे हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें इस बारे में अपना प्रभाव दर्शाना चाहिए; लेकिन वह स्वयं ही यह कार्य नहीं कर सकते हैं। सारी पार्टी को इस बारे में प्रभाव दिखाना चाहिए। एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चुनावों से काफी पहले वास्तव में जब तक इस प्रकार का नया दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है तब तक हमारे किसानों के प्रति किसी प्रकार का न्याय प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं होगा।

मेरे एक माननीय मित्र एक कम्यूनिस्ट सदस्य ने सुझाव दिया कि कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए; इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। जब आब न्यूनतम मूल्य को लागू नहीं कर सकते हैं तो न्यूनतम मजदूरी को लागू करना आपके लिए कैसे संभव है?

लेकिन जब तक कृषि लागत तथा मूल्य आयोग में कृषि श्रमिकों का प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा न्यूनतम मजदूरी कैसे निर्धारित की जा सकती है ? इसलिए मैं सदैव यह चाहता था कि कृषि की ओर से भी एक प्रतिनिधि इस आयोग में हो ताकि ये सरकारी सदस्य कृषि श्रमिकों के लिये उचित मजदूरी की मांग को जान सकेंगे। इसी के आधार पर किसानों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए; उसकी अपनी मेहनत तथा स्वयं के निरीक्षण में उसके योगदान का भी निर्धारण होना चाहिए; फिर इन दोनों के लिए कम से कम एक रोजगार बीमा योजना होनी चाहिए; हर परिवार में कम से कम एक पुरुष सदस्य के लिए वर्ष भर के लिए पूर्ण रोजगार होना चाहिए; एक तो वे हैं जो जमीन के मालिक हैं और एक वो हैं जो जमीन के मालिक नहीं हैं फिर भी उस भूमि पर कार्य करते हैं; कृषि लागतों के आंकड़े तैयार करते समय इन तीनों गणनाओं पर विचार किया जाए; और जब आप कृषि लागत तैयार कर लेते हैं तो आपको इसे सरकार की तरफ से समाज के सम्मुख पेश करते हुए कहना है : "क्या आप इसके लिए अदायगी करने हेतु तैयार हैं या नहीं ? यदि आप इतनी अदायगी के लिए तैयार नहीं हैं और यदि आप इसमें कोई कमी करवाना चाहते हैं तो क्या आप अपने वेतन, भत्तों, पेंशन आदि में कमी के लिए तैयार है ?" आप भी इच्छुक नहीं हैं। अतः यह मानिये। केवल ऐसा करके हम इन शहरी लोगों, पेशेवर लोगों अफसर शाही तथा अन्य लोगों के साथ बहस कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं ? अब समय आया है कि हमें ऐसा करना है, और मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री तथा हमारे कृषि मन्त्री तथा उन सभी लोगों के नेतृत्व में जो मेरे सुझाए अनुसार मन्त्री मण्डलीय उप-समिति से जुड़े होंगे, हम अपनी शहरी जनता तक अपनी धारणा पहुँचा सकते हैं।

फिर मैं ऐसे दो मुद्दे उठाना चाहूंगा जिन के संबंध में कुछ असहमति है। बिहार के मेरे माननीय मित्र बड़े जमींदारों के संबंध में कह रहे थे। अधिकतम सीमा कानून के पश्चात बड़े जमींदार अब हैं कहा। क्या इसमें मिताक्षरी कानून लागू नहीं होता है ? यदि किसी किसान के तीन पुत्र है, तो क्या खेती को चार जोत-क्षेत्रों में नहीं बांट दिया जाता है ? फिर केवल दो पीढ़ियों के अन्दर अन्य, चालीस वर्ष में, क्या यह कम नहीं हुई है तो उनके प्रशासन और वहां के सत्तारूढ़ लोगों उनको विधान मण्डल और मंत्रियों आदि में कोई खराबी है। अन्यथा अधिकतम सीमा कानून और मिताक्षरी कानून दोनों से किसान की भूमि जिसका वह स्वामी है और जिसको वह जोतता है की सीमा कम हो जाएगी।

दूसरा हमें उन दिनों पता चला है जब जमीदारी प्रणाली थी, जब मैं वहां अपने सभी मित्रो का जमींदारी प्रथा के खिलाफ नेतृत्व कर रहा था, और हम जमींदारी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वह जमीदारी प्रथा समाप्त हो गई है। आज यह अधिकतम सीमा से कम केवल छोटे जोत क्षेत्र हैं फिर, जहां तक इन लोगों का संबंध है, रूस को ही दीखिए। वे सभी साम्यवादी मित्र मुझ से नाराज थे जब मैं अपने किसानों के लिए लड़ रहा था। मैं इस ओर उनके द्वारा हमारे किसानों के खिलाफ बनाए गए संविधान के 17वें संशोधन के समर्थन का विरोध कर रहा था और मुझे इस ओर अपने मित्रों से अलग होकर वहां जाना पड़ा और विपक्ष का नेता बनना पड़ा ताकि 17वें संशोधन के खिलाफ लड़ सकूं। हमने लड़ा। धन्य है लोक तन्त्र की धारणा के प्रति जवाहर लाल नेहरु की कर्मनिष्ठा का ही परिणाम है कि अन्त में उन्होंने कहा, "ठीक है, हम बहुत लड़ लिए। अब हमें एक समझौता करना चाहिए।" हमने समझौता किया और हमने अपने देश में यहां किसानों को जो अपनी रोजी खुद कमाते है को बचाया है, जबकि सोवियत रूस में उनकी मातृभूमि अथवा

[प्रो० एन० जी० रंगा]

भगवान ही जानता है कि क्या हुआ है। सोवियत रूस में हमारे भाई लाखों किसान की हत्या हुई। अब उनकी सामूहिक कब्रों को खोदा जा रहा है और वे उनमें लाखों किसानों के कंकाल देखते है। भारत में हमारे लोकतन्त्र ने हमें उस परेशानी से बचाया है। हम इस प्रकार की नियति से बच गए हैं और उन्हें अपने जोत-क्षेत्र का आश्वासन दिया गया है। किंतु, वहां अब भी वे अपने जोत-क्षेत्र रखने के संबंध में उतने आश्वस्त नहीं हैं। यहां भी जब तक बैंको को उनकी भूमि नीलाम करने और उनके जोत-क्षेत्र छीन लिए जाने की शक्ति दी जाए, इसी लिए एक ओर से बैंको और दूसरी ओर से किसानों के संबंधों का और भी युक्तिमूलक बनाए जाने की जरुरत है और मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, भजनलाल जी और यादव जी इस काम में सफल होंगे।

हमें और अधिक उर्वरक और कीटनाशाक दवाइयों की आवश्यकता है। यह फसलों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। पोधों की सुरक्षा तथा नए पोधों की खोज को विकसित करना है। हमें इन चीजों के परिक्षण के लिए अभी भी पर्याप्त गोदाम बनाने हैं।

हमें देश में अपने गोदामों तथा अनाज भण्डारों पर अकुशल प्रबन्ध अथवा मौसमों के कारण पड़े प्रभाव को घटाना है। फिर हमें अपनी कृषि के संसाधन और कृषि उत्पादों को विक्री के लिए तैयार करना है। इन सभी क्षेत्रों में, सरकार कार्य कर रही है किन्तु तेजी से नहीं, सरकार सही कार्य कर रही है किन्तु उत्साह के साथ नहीं। मैं चाहता हूं कि सरकार और तेजी से तथा उत्साह के साथ काम करें। हम हरित क्रान्ति चाहते। हैं हम किसी हद तक इसे प्राप्त कर सकें हैं। इसमें और भी बहुत प्रगति करनी है। और इस दिशा में हम चाहते हैं कि गंगा जल को कावेरी नदी में भरने के लिए डा० के. एल. राव तथा अन्य लोगों की बहुत पुरानी अवधारणा का उपयोग किया जाए। इसके लिए हजारों करोड़ रुपये चाहिए। हम अब यह अन्य देशों से उधार ले रहे हैं और अपने देश में भी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अपने किसानों तथा अन्य लोगों के सहयोग से हम इस राशि की व्यवस्था करने में सफल हो सकते हैं केवल कर लगाने से ही नहीं। करों से थोड़ा सा भाग प्राप्त किया जा सकता है, जबकि हमें इसे सरकार की ओर से कुशल प्रबन्ध तथा सरकारी खर्चे को घटा-कर और अपने लोगों की बचत प्राप्त करना है। किसानों को भी समझाया जा सकता है कि वे विक्री मूल्य का 2 या एक प्रतिशत बचा कर रखें जो वे जल को ग्रामों तक पहुँचाने और नदियों का तथा बाढ़ का अतिरिक्त जल समुद्र में जाने से रोकने और हमारे फसलों को नष्ट करने से बचाने के लिए आवश्यक धनराशि इकट्ठी कर सकें। ऐसा करने से हम अपने देश में सिंचित भूमि की कुल प्रतिशतता बढ़ा सकते हैं। हम अपने प्रधान मन्त्री के जलधारा विचार को भी सफल बना सकते हैं ताकि समस्त भारत में लाखों तालाब बनाकर जल-तालिका में वृद्धि की जा सके।

3.31 **म० प०**

मध्य रेलवे के बीना-झाँसी खण्ड पर 18.4.1989 को बंगलौर नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस को दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

[हिन्दी]

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : मुझे सदन को बड़े ही दुख के साथ मध्य रेलवे के झांसी मंडल के बीना-झांसी दोहरी लाइन खण्ड पर 18.4.1989 को लगभग 14.36

बंगलूर गाड़ी सं० 927 डाउन बेंगलूर-नई दिल्ली-कर्नाटक एक्सप्रेस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में सूचित करना पड़ रहा है। जब यह गाड़ी अपने दो इन्जनों और 21 सवारी डिब्बों के साथ ललितपुर और दैलवाड़ा स्टेशनों के बीच चल रही थी तब गाड़ी के इन्जन से क्रमशः नौ से बीस तक बारह सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये जिनमें से 10 से 18 तक 9 सवारी डिब्बे उलट गये पटरी से उतरने की इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप उपलब्ध सूचना के अनुसार 67 व्यक्तियों की जानें गयीं और 137 व्यक्तियों को चोटें आयीं।

दुर्घटना के बारे में सूचना मिलते ही तत्काल झांसी और बीना से चिकित्सा राहतयानें दुर्घटना स्थल को भेज दिये गये। मंडल रेल प्रबन्धक, झांसी अपने अधिकारियों के साथ तत्काल दुर्घटना स्थल को रवाना हो गये।

राहत-व्यवस्था देखने के लिए, मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक अपने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बम्बई से वायुयान द्वारा रवाना हो गये।

मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री माधवराव सिन्धिया, सड़क द्वारा दुर्घटना स्थल को रवाना हो गये और वे अस्पतालों में मरीजों से मिलने तथा बचाव प्रबन्धों को देखने के लिए पूरी रात वहां रहे। सदस्य इन्जीनियरी रेलवे बोर्ड भी नई दिल्ली से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये।

दुर्घटना के तुरन्त बाद घायल व्यक्तियों को ललितपुर के सिविल अस्पताल में ले जाया गया। ललितपुर के स्थानीय सिविल प्रशासन तथा नागरिकों ने भी तत्परता से प्रतिक्रिया दिखाई और घायलों को चिकित्सा सहायता देने में बहुमूल्य सहायता पहुँचाई।

घायल व्यक्तियों में से 32 को झांसी के रेलवे अस्पताल में स्थानान्तरित करनेके प्रबन्ध किये गये थे।

फंसे हुए यात्रियों तथा जो घायल यात्री अपनी यात्रा जारी रखना चाहते थे उन्हें चिकित्सा सहायता देने के बाद विभिन्न गाड़ियों अर्थात झेलम एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस तथा जी. टी. एक्सप्रेस से भिजवाने की व्यवस्था कर दी गयी थी। कर्नाटक एक्सप्रेस के शेष बचे सभी यात्रियों की यात्रा के लिए झांसी से नई दिल्ली तक एक विशेष गाड़ी भी चलायी गयी थी।

रेलों ने विभिन्न गाड़ियों से नयी दिल्ली पहुँचे घायलों की चिकित्सा सहायता के लिए प्रबन्ध भी किए थे। 12 घायल व्यक्तियों को नई दिल्ली के रेलवे अस्पताल में आगे इलाज के लिए ले जाया गया। इनमें से 10 को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है।

पहचाने गये मृतकों के निकट सम्बन्धियों तथा गम्भीर और साधारण रूप से घायल व्यक्तियों को अनुग्रह-राहत दिए जाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं। यह राशि घायल व्यक्तियों और मृतकों के निकट सम्बन्धियों को देय मुआवजे, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले तदर्थ दावा आयुक्त के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा, के अतिरिक्त होगी।

इस दुर्घटना की सांविधिक जांच नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के अधीन पश्चिम क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त, जो पहले से ही दुर्घटना स्थल पर हैं, द्वारा 21.4.1989 से की जायेगी।

[श्री महावीर प्रसाद]

मैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री माधवराव सिन्धिया और रेलवे के सभी पुरुष और महिला कर्मचारी इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के प्रति गहरी संवेदना और घायल व्यक्तियों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने में सदन भी हमारे साथ है।

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि 67 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सैकड़ों घायल हुए हैं। हमें शोक-संतप्त परिवारों के शोक और दुःख को बांटना चाहिए। महोदय, आपकी अनुमति से हम थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

सभापति महोदय : ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप अपवाद स्वरूप ऐसा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। किन्तु सभा की इच्छा से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि मृतकों के प्रति आदर के तौर पर थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहें।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : हम दुर्घटना के कारण जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय : आप नियमों के अनुसार चर्चा कर सकते हैं।

3.38 म. प.

अनुदानों की माँगें 1989-90 [जारी]

कृषि मंत्रालय [जारी]

[हिन्दी]

श्री गुरुनीधर माने (नासिक) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की जो अनुदान मांगें रखी गयीं हैं उसके सम्बन्ध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। काफी दिनों से कृषि के बारे में चर्चा हो रही है और काफी सदस्यों ने यहां पर कृषि के सम्बन्ध में अच्छे सुझाव भी दिये हैं।

आज दी मिलने के 40 सालों के बाद भी हम किसानों को न्याय नहीं दे पाये हैं जबकि इस सदन के ज्यादातर सदस्य ग्रामीण लोगों का और किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सदन के सभी सदस्य किसानों को न्याय देने के प्रति एकमत हैं। हर पंचवर्षीय योजना में और हरेक वार्षिक बजट में सरकार गरीब आदमियों और गरीब किसानों को अपने सामने रखती है। जैसा कि परम पूज्य महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब तक इस देश के गरीब आदमी, गरीब किसान और ग्रामीण लोग पूरी प्रतिष्ठा के साथ नहीं रहते हैं तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं यह नहीं कहता हूं कि कृषि मंत्रालय ने प्रगति नहीं की है, जरूर की है लेकिन शासन यहां पर जो निर्णय लेता है, उस निर्णय पर अमल नहीं किया जाता है।

पिछले 3-4 साल में पूरे हिन्दुस्तान में काफी सूखा पड़ा था और सूखे की बजह से छोटे किसानों को मार्जिनल किसानों को बड़ी दिक्कत थी बल्कि मैं तो कहूंगा कि हिन्दुस्तान के किसान की इतनी बुरी हालत है कि जिसके पास 40 एकड़, 50 एकड़ जमीन है और वह अपनी खेती में कुछ उगाना भी चाहे तो कुछ उगा नहीं सकता क्योंकि वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, वहां पर इर्रीगेशन की फैसिलिटीज नहीं हैं। लोग वर्षा पर निर्भर करते हैं, वर्षा न होने से किसान भूखा रह गया था लेकिन गये साल काफी अच्छी वर्षा हुई है, लेकिन जैसा अभी चर्चा के दौरान प्रोफेसर रंगा जी ने, जो काफी सीनियर मैम्बर हैं, पहली लोक सभा से वह इस विषय में यहां पर भाषण करते आये होंगे, कहा कि हम किसानों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, उनको इस बात का दुख है। उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श होना जरूरी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और कामर्स के बीच में कि जब एग्रीकल्चर प्रोड्यस बाजार में आता हैं तो उसके लिए रैम्युनरेटिव प्राइस देना बहुत जरूरी है।

शहर में कोई इन्जीनियर अपनी फैक्टरी खोलता है तो उसके लिए गवर्नमेंट पूरी मदद देती है और उसे फाइनेन्स उपलब्ध कराया जाता है। अगर वह फैक्टरी नहीं चलती है तो गवर्नमेण्ट उसके लोन को राइट आफ कर देती है लेकिन किसान खेती में पैदा किए हुए अनाज को जब बाजार में लाता है तो क्या देखता है जितनी कास्ट और मेहनत उसने साल भर में की है उसके मुताबिक उसको पैसा नहीं मिलता। प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने घोषणा की थी कि कृषि मूल्य आयोग को हम रीआर्गेनाइज करेंगे लेकिन हम लोग कहते हैं कि यहां पर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको यह पता नहीं है कि अनाज कैसे पैदा होता है और न वे खेत में जाते हैं। किसान 24 में से 18 घण्टे अपने खेत में काम करता है, शहर में 8 घण्टे से 2 घण्टे ज्यादा कोई काम करता है तो उसे ओवर टाइम मिलता है लेकिन किसान 18 घण्टे काम करता है, वह अकेला नहीं बल्कि उसकी बीवी, उसके बच्चे सब लोग काम करते हैं और जब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन मूल्य निकालता है तो सोचते हैं कि अनाज एग्रीकल्चर प्रोड्यूज बाजार में जायेगा तो हमारी जनता, जो ग्राहक है, को मंहगा पड़ेगा। वह सोचते हैं कि बाजार में ग्राहक को सस्ते में मिलना चाहिए, मैं मानता हूं कि यह बात ठीक है कि बाजार में सस्ता मिलना चाहिए लेकिन इसके लिए सब्सिडी देने की जरूरत है लेकिन वह नहीं होता है। जैसे कारखाने में काम करने वाले मजदूर के लिए कंज्यूमर प्राइस इण्डैक्स हैं, वह जब बढ़ता है तो उसकी पगार बढ़ जाती है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है लेकिन किसान अनाज पैदा करता है तो उसका प्राइज नहीं बढ़ता है, इतनी बुरी हालत है, कितनी दिक्कतें किसान को झेलनी पड़ती हैं, बिजली रैगूलर नहीं मिलती है, सरकार ने स्माल फार्मर्स के लिए आई० आर० डी० पी० की स्कीम चालू की हैं, उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन जो हम दे रहे हैं वह लाभार्थी तक नहीं पहुँच रहा है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के जिस जिले से मैं आता हूं, वहां पर इतनी बुरी हालत है कि हिन्दुस्तान में कुल प्याज के उत्पादन का 50 परसेण्ट अकेले नासिक जिले में होता है। उसकी हालत क्या हैं ? मैं माननीय मन्त्री से कहना चाहूंगा कि नासिक जिले में प्याज दस रुपए क्विंटल बेची जा रही है और बाजार में, सुपर मार्केट में, आप देखिए वही प्याज दो रुपए किलो बिक रही है। यानी किसान प्याज बाजार में लाता है तो दस रुपए क्विंठल और बाजार में दो सौ रुपए क्विंटल बिकती है। इसलिए इस बारे में आपको सोचना चाहिए। मेरा निवेदन है कि वहां के लिए प्याज की सपोर्ट-प्राइज फिक्स करने की बहुत जरूरत है, यदि आप वहां पर किसानों को जिन्दा देखना चाहते हैं। हमने

[श्री मुरलीधर माने]

देखा है, यहां पर घोषणा की गई कि प्याज खरीदा जायगा और एक्सपोर्ट के लिए परमीशन भी दी जाएगी। यहां पर आपने कहा कि हम एक लाख टन प्याज एक्सपोर्ट करने की परमीशन देते हैं। हम बाजार में क्या देखते हैं, दस रुपये क्विंटल बाजार में आ गया तो नाफैड के लोग 200-400-500 क्विंटल खरीद रहे हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उसकी खरीद के लिए आपको वहां पर केन्द्र बनाने चाहिए। वहां पर एक बात यह भी है कि जब छोटा किसान माल लाता है, तो उसके पीछे खड़ा कर दिया जाता है। व्यापारियों ने नाफैड के आफिसरों पर कब्जा कर रखा है। जब कोई व्यापारी माल को ट्रक में लाद कर लाते हैं और चाहते हैं कि उसका ऑक्शन जल्दी होना चाहिए, उसके लिए नाफैड के अधिकारी के लिए सौ रुपया रखा जाता है। यह सौ रुपया तो कोई छोटा किसान तो दे नहीं सकता है, बड़े व्यापारी ही दे सकता है। वहां पर इस प्रकार की स्थिति भी पैदा हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं पुनः आप से निवेदन कर रहा हूँ कि वहां के लिए सपोर्ट-प्राइस देने की बहुत जरूरत है। स्थिति को देखते हुए आपको एक्सपोर्ट की परमीशन देनी चाहिए। पिछली बार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री यहां आये थे और उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है। दस पन्द्रह दिन हो गया है, लेकिन आज वहां क्या हालत है। आज वहां पर किसान अनशन पर बैठे हैं। वहां पर कुछ अपोजीशन के लोग इसका फायदा उठाकर आन्दोलन करना चाहते हैं। किसानों के एक संगठन के नेता श्री शरद जोशी हैं, जो बोलेंगे कि देखिए कांग्रेस के राज में आप लोगों को प्याज का भाव नहीं मिल रहा है। हम मिल-कर कांग्रेस के शासन को निकाल देंगे। इस ढंग से गरीब किसानों का फायदा विपक्षी लोग लेना चाहते हैं। बड़ा मोर्चा निकलेगा, बड़ा जलूस निकलेगा, तो लॉ एंड आर्डर की समस्या होगी, जब यह स्थिति होगी तो गोली चलेगी और गोली चलने पर किसान मरेगा और अपोजीशन उसका फायदा उठाएगी। पिछली बार यही स्थिति हमने ग्रेप्स के बारे में देखी। पिछले महीने ओले गिरे जिससे ग्रेप्स की सारी फसल खत्म हो गयी। सरकार द्वारा क्राप इन्शोरेंस स्कीम भी निकली है, लेकिन ग्रेप्स क्राप इन्शोरेंस के नीचे नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि ग्रेप्स भी क्राप इन्शो-रेंस के नीचे आना चाहिए। जिससे किसानों को यह विश्वास हो कि अगर कल मेरी फ़सल खराब होती है, तो सरकार मेरी मदद करेगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि ग्रेप्स को क्राप इन्शोरेंस के नीचे लाना चाहिए।

रेल उपमंत्री जी यहां पर बैठे हुए थे, वे अभी अभी चले गए हैं, मैं उनके ध्यान में भी एक बात लाना चाहता हूं। जब भी माल मार्केट में आता है तो ट्रांसपोर्ट की समस्या खड़ी हो जाती है। मैं यहां पर निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या आपके विभाग का कोई आदमी ट्रांसपोर्टेशन के को-आर्डिनेशन को देखे। सच्चाई है कि जितना माल वहां पर मार्केट में आता है, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्ट न मिलने की वजह से माल के भाव गिर जाते हैं। माल को बाहर भी नहीं भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं और हिन्दुस्तान के दूसरे कोने में भी नहीं भेज सकते हैं। अंगूर तो पेरिशिएबल आइटम है और यदि उसको एक दिन में ट्रांसफर नहीं किया गया तो वह खत्म हो जाता है। इस प्रकार सारा माल बरबाद हो जाता है और उससे किसानों को नुकसान होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री मुही राम सैकिया (नवगांव) : सभापति महोदय, कृषि भारत के लोगों का मूल व्यवसाय है। लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। यदि इस व्यवसाय का ह्रास होता है, तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचेगी। लेकिन पिछले कुछ सालों से, देश का ज्यादातर कृषि क्षेत्र अथवा उपजाऊ क्षेत्र या तो सूखे का सामना करता है या फिर भंयकर बाढ़ से ग्रस्त रहा है। जिसके परिणामस्वरूप विदेशों को खाद्यान्नों निर्यात करने के बदले हमें ही खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा है। इसलिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय ढूंढने होंगे। भूमि के छोटे-छोटे भूखण्ड हो जाने के कारण भूमि का आकार छोटा होता जा रहा है जिसके कारण सीमान्त और छोटे किसान अपने खेतों में नई कृषि के उपकरणों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। इसलिए, सभी कृषि उपकरणों में संशोधन लाना जरूरी है जिससे गरीब कृषक अपने आधुनिक उपकरणों का अपनी भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में भी उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त, भूमि सुधार अधिनियम में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ किसानों की भूमि का आकार दिनों दिन घटता जा रहा है इसलिए भूमि सुधार अधिनियम को इस प्रकार संशोधित करना चाहिए जिससे कि भूमि को और टुकड़े होने से रोका जा सके।

आर्थिक सहायता के रूप में उर्वरकों पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। इससे किसको लाभ होता है ? क्या इसके लाभ लक्षित व्यक्ति को मिले हैं ? वास्तविक रूप में इसका पूर्ण लाभ न तो लक्षित समूह को और न ही गरीब किसानों को मिला है बल्कि बिचौलियों को मिला है। इसलिए, आर्थिक सहायता की वर्तमान नीति को बदलना चाहिए। आर्थिक सहायता के बदले सरकार को उर्वरक की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए जिससे इसके लाभ सीधे गरीब किसानों को मिले और बिचौलियों को उनका शोषण करने का कोई मौका नहीं मिले।

इसके अतिरिक्त कृषि के लिए पानी और ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत के कुछ भागों में पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो कुछ भागों में इसका अत्यधिक अभाव है। उदाहरण के लिए, मेरे राज्य असम में पिछले कई सालों से भयंकर बाढ़ के कारण खडी फसलों का आत्यधिक नुकसान हुआ है। पिछले साल, करीब 7 ल.ख हैक्टेयर फसल का बाढ़ से नुकसान हुआ और 2 लाख कृषक इससे प्रभावित हुए। देश के कुछ अन्य भागों में पानी का अभाव है। आज की स्थति क्या है ? कृषि के कुल का 30% भाग में ही सिंचाई संसाधन उपलब्ध हैं। कम से कम 70 प्रतिशत उपजाऊ भूमि को प्रकृति, मानसून के भरोसे छोड़ दिया जाता है सफलता हासिल होने पर सरकार हमेशा आगे आकर इसका श्रेय ले लेती है। लेकिन सफलता पूर्णतया मानसून और प्रकृति पर निर्भर करती है। हमारा अनुभव है कि जब भी मानसून समय से नियमित रूप से आता है तो फसल अच्छी होती है। मानसून के न आने पर फसल नहीं होती है। अगर बाढ़ आ जाती है तो फसल अच्छी नहीं होती। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि वह एक बहु-उद्देशीय परियोजना शुरू करे जिससे बाढ़ को नियन्त्रित करने के साथ-साथ कृषि भूमि में भी सिंचाई की व्यवस्था करे क्योंकि मेरे राज्य में एक विशाल नदी ब्रह्मपुत्र है जिसकी 40 सहायक नदियां हैं। जब पानी बहता है तो अधिकांश क्षेत्र में भूमि कटाव होता है जिसके फलस्वरूप ज्यादातर कृषि भूमि बह जाती है। अतः मेरे राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए कुछ कदम उठाये जाने चाहिए।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मेरे राज्य में पिछले कई सालों से बाढ़ का भयंकर प्रकोप निरन्तर रहा है। इसीलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बाढ़ के प्रकोप को रोकने के

[श्री मुहीराम सैकिया]

लिए तथा गरीब कृषकों को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कुछ बहु-उद्देशीय परियोजनाएं भी शुरू करनी चाहिए।

ज्यादातर भागों में फसल या तो बाढ़ से या फिर सूखे से नष्ट हो जाती है। इसलिए कृषकों को अपनी भूमि जोतने के लिए उत्साहित करना चाहिए और साथ ही उनके कृषि निबन्ध की सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फसल बीमा योजना कहीं-कहीं शुरू की गई है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं लागू की गई है। अतः सरकार को फसल की सुरक्षा के लिए विस्तृत व्यवस्था करनी चाहिए और गरीब कृषकों को सभी संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए जिससे उनकी फसल सुरक्षित रहे।

गरीब कृषक हमेशा बैंक से या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं। उनकी ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। वे उत्पादन लागत को वहन नहीं कर सकते क्योंकि ब्याज की दर काफी ऊंची होती है। सरकार ने ब्याज की दर 15% से घटाकर 12% की है। गरीब कृषकों को हमेशा बाढ़ या सूखे का सामना करना पड़ता है।

अतः ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में, कृषकों को सरकार की तरफ से संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ब्याज दर को घटाकर 5% या 6% कर दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि को विकसित करने के उपायों के अतिरिक्त, सरकार को मछली पालन व्यवस्था को भी विकसित करना चाहिये क्योंकि जबतक उन्हें आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध नहीं होंगे, वे अपना गुजारा नहीं कर सकेंगे। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और बागवानी को विकसित करने से ग्रामीण युवकों को रोजगार की आदर्श सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। अतः सरकार को इनके विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में हमें ज्यादा असमानता मिलती है। हम पाते हैं कि औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है पर कृषि उत्पादों की कीमतें स्थिर रही हैं। कृषकों को उत्साहित करने के लिए सरकार को कृषि उत्पादों के लिए कुछ योजनायें शुरू करनी चाहिए, जैसे कि लाभकारी मूल्य, समर्थन मूल्य जिससे निर्धन कृषकों को कुछ प्रेरणा मिलें। कृषि व्यवसाय से न केवल उनकी जीविका ही चलती रहे, अपितु उन्हें अपनी उत्पादन लागत की वसूली भी होती रहनी चाहिए।

4.00 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

अखिल बोडो छात्र संघ द्वारा एक अलग राज्य के चलाए जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति

सभापति महोदय : सदन अब नियम 193 के अधीन चर्चा करेगा।

श्री चिंतामणि जेना बोलेंगे।

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं अखिल बोडो छात्र संघ द्वारा एक अलग राज्य के लिए चलाये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति और इस दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चर्चा शुरू करता हूं।

महोदय, वास्तविक में यह चर्चा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत होनी थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय और सभा ने इसे नियम 193 के अधीन अल्प अवधि की चर्चा में बदल दिया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछता चाहूँगा क्योंकि स्थिति बहुत असामान्य है। यह स्थिति भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पन्न हुई है जो हमारे देश का एक सीमावर्ती क्षेत्र है। यहां स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। यह हमारे लिए एक बहुत ही गम्भीर चिन्ता की बात है।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि अखिल बोडो छात्र संघ शुरू में 'पलेन्स ट्राईबल कौंउसिल आफ असम' (पी. टी. सी. ए.) के साथ था। इसका गठन 1967 में किया गया था। लेकिन, विगत कुछ वर्षों पूर्व बोडो छात्र संघ पी.टी.सी.ए. से अलग हो गया। यह संगठन 1971 में शुरू हुआ और अब वे एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। पिछले करीब 22 सालों में, वे इतने ज्यादा उग्र नहीं थे वे किसी आन्दोलन में भाग नहीं लेते थे। यद्यपि पी.टी.सी.ए. करीब-करीब हर विधानसभा चुनावों में भाग लेता था, वे इतने ज्यादा उग्र नहीं थे। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि अखिल बोडो छात्र संघ अचानक इतना ज्यादा उग्र क्यों हो गया और उन्होंने क्षेत्र आन्दोलन शुरू क्यों किया। मेरी सूचना के अनुसार–माननीय मन्त्री महोदय इसका खंडन कर सकते हैं–,बोडो पिपुल्स एक्शन कमेटी' की स्थापना की गई है और अब वह संस्था इस बात का दावा कर रही है कि वे लोग असम के सबसे पुराने वासिंदे हैं। वे असम में 5000 ई० पू० के लगभग आये थे। लेकिन ए.एच.ओ. एम.एस. के अनुसार, वे 1400 ई० में ही राज्य में आये थे। लेकिन बोडो लोगों का यह दावा है कि वो राज्य के सबसे पुराने बाशिंदे हैं इसलिए वरिष्ठता क्रम के अनुसार उनकी मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। इसीलिये उन्होंने यह आन्दोलन शुरू किया है। मुद्दा यह है कि ना तो राज्य सरकार और नाही केन्द्र सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान दे रही है। उनकी उपेक्षा की गयी है। बोडो के अनुसार, वे लोग भारत के पूर्वोत्तर भाग में रहने वाले सबसे अधिक संख्या में जन-जातीय लोग हैं ' वे दावा करते हैं कि वे सम्पूर्ण भारत-वर्ष में सबसे अधिक संख्या वाले जन-जातीय समूह हैं। वे अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। वे मैदानी इलाकों में रह रहे हैं दूसरी ओर, वे यह अनुभव करते हैं कि दूसरे राज्यों में रहने वाले अन्य जनजातीय लोगों की वित्तीय स्थिति उनकी तुलना में काफी बेहतर है। अतः वे कह रहे हैं कि सरकार द्वारा उनके साथ इस प्रकार का भेद-भाव सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक, इस बोडो संगठन ने 1987 में राज्यपाल को और वर्तमान मुख्य मन्त्री को भी ज्ञापन दिया था। मैं यह समझता हूं कि एक अलग राज्य की मांग के सम्बन्ध में आन्दोलन की शुरूआत उन्होंने एकाएक नहीं की है। उदयाचल नामक एक अलग राज्य की मांग वे 1967 से ही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे सोच रहे हैं कि असम पुलिस और असम की सरकार उन्हें राज्य में एक नम्बर के नागरिक का दर्जा नहीं दे रही है और इसलिये यदि वे असम में रहें तो उनकी विरासत और उनकी संस्कृति नष्ट हो जायेगी। इस आन्दोलन को शुरू करने का यह एक अन्य कारण है।

सामाजिक आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में भी वे एक बेहतर ढंग से बरताव किये जाने की मांग कर रहे हैं और सरकारी नौकरियों के सभी क्षेत्रों में वे समान दर्जा और समान अधिकार

[श्री चिन्तामणि जेना]

चाहते हैं जिससे कि वे भी बराबरी से पूरे भाग ले सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पहाड़ी अथवा सीमावर्ती राज्यों के नागरिकों के मुकाबले वे अधिक अशिक्षित हैं। इस प्रकार के आन्दोलन के उभरने का यह एक अन्य कारण हैं। इसके लिये वे राज्य सरकार से बात-चीत करते रहे हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि क्या इस आशा से कि राज्य सरकार और बोडो संगठन कोई हल निकाल लेगी और उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा, उन्होंने तत्काल अपना आन्दोलन स्थगित कर रखा है ? ऐसी बातें दो बार हुई थी लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बात-चीत के बाद कोई लाभदायक परिणाम नही निकला था।

गोरखालैंड आन्दोलन और इसी प्रकार की अन्य बातों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार के आन्दोलन को बढ़ावा दिया है। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि 1987 में नौगाँव जिले में एक सभा में असम के मुख्य मन्त्री ने खुलेआम कहा था कि आदिवासियों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया जायेगा—मैं समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर ऐसा कह रहा हूं और माननीय मन्त्री द्वारा इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए। यदि यह सच है तो मैं पूर्ण रूप से समझता हूं कि इस प्रकार के आन्दोलन का यह एक अन्य कारण है। इसके अतिरिक्त, मुख्य मन्त्री ने उस सभा में स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि यदि रक्तपात हुआ तो राज्य का बंटवारा नहीं किया जायेगा। इस बोडो संगठन के लोग यह समझ रहे हैं कि वे लोग असम सरकार के हाथों में सुरक्षित नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री गोस्वामी वहाँ उपस्थित हैं। इस सभा में एक दिन वे कह रहे थे कि कांग्रेस (ई०) या गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री इस प्रकार के आन्दोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह बात निराधार है। यही बात मुख्य मन्त्री के मामले में की है। वे भी केन्द्र पर आरोप लगा रहे हैं।

मेरे मित्र श्री दिनेश गोस्वामी को यह मालूम होना चाहिए कि देश में कांग्रेस (ई०) ही एक ऐसा दल है जो देश की एकता और अखण्डता में विश्वास करता है, जिसके लिए तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अपने जीवन की कुर्बानी दी। इस प्रकार की अखण्डता और अलगाववाद को बढ़ावा न मिले इसलिये वर्तमान प्रधान मन्त्री ने सत्ता में आने के बाद पंजाब समझौता, असम समझौता आदि अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किये और मिजो- और नागाओं से भी समझौते किए।

श्री गोस्वामी और उनके मुख्य मन्त्री द्वारा लगाये गये आरोप बिल्कुल निराधार हैं। मैं उनसे कांग्रेस (इ०) के विरुद्ध आरोप न लगाने का अनुरोध करता हूं। और न ही हमें उनके विरुद्ध आरोप लगाने चाहिए। क्योंकि यह राजनीति का प्रश्न नही है, यह आदिवासी लोगों की माँगों पर पुनर्विचार करने की बात है जिनकी राज्य सरकार के द्वारा उपेक्षा हो रही है।

सभी राजनतिक दलों और संगठनों में मुख्य मन्त्री द्वारा चर्चायें की जानी थी और हाल ही में इस महीने में एक अन्य चर्चा होनी थी। लेकिन बोडो संगठन इस चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि जब तक केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होंगे वे चर्चा के लिये नहीं आयेंगे।। इस सन्दर्भ में क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार के पास इस बात की कोई सूचना है कि राज्य सरकार ने इस चर्चा में भाग लेने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है ?

मैं माननीय मन्त्री को, जो कि उसी राज्य के हैं, अखिल असम विद्यार्थी परिषद् (ए० ए० एस० यू०) आन्दोलन की याद दिलाता हूं। उस समय केन्द्र और राज्य में कांग्रेस (इ०) सत्ता में थी। उस वक्त अनेकों बार तत्कालीन कांग्रेस (इ०) की असम की राज्य सरकार ने ए०ए०एस०यू० को बातचीत में भाग लेने का अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अब यद्यपि वे लोग केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत में भाग लेने पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य सरकार राजी नहीं हो रही है। यदि वे बातचीत के लिए राजी हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार अथवा ग्रह मंत्रालय को इनकी कोई सूचना मिली हैं कि वे एक सौहार्दपूर्ण हल के लिये बातचीत में भाग लेने के लिये आयें।

बंगाली में एक कहावत है। इसका अर्थ है, आपने जो कुछ मुझे पढ़ाया, मैं आपको पढ़ाऊंगा। श्री गोस्वामी और विपक्ष के मेरे अन्य मित्र शायद इस बात को समझ गये होंगे। वास्तव में यही बात हो रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या यह बात सही है कि कुछ लोग जो पहले ए० ए० एस० यू० में थे वे अब बोडो संगठन में हैं और यदि हां तो क्या यह सत्य है कि ए० ए० एस० यू० आन्दोलन के समय उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को जला डाला था, पुलिस शस्त्रागार को लूट लिया था, पुलिस कर्मियों और सरकारी अधिकारियों की हत्यायें कर दी थीं। मुझे यह महसूस होता है कि इस रूप में आन्दोलन शुरू करने के लिए बोडो संगठन के लिये यह एक पाठ बन गया है।

हम सभी जानते हैं कि देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। मैं पूछ सकता हूं कि इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने और देश की एकता को बनाये रखने के लिये इस बोडो आन्दोलन को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिये कहा था? यदि हां, तो कितने लोग इस बोडो आन्दोलन को दबाने के लिए असम राज्य में तैनात किये गये थे? कोकराझार और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अनेक लोग इस अन्तिम बन्द और आन्दोलन में मारे गये थे: उन्होंने एक न्यायिक जांच किये जाने की मांग की लेकिन प्रशासनिक जांच के आदेश भी नहीं दिये गये। मुझे यह सूचना मिली है कि पुलिसकर्मियों को इस मामले की जांच-पड़ताल करने के लिये कहा गया है। अब पुलिस ने इन लोगों को मार दिया और उनके शव-परीक्षण भी नहीं किये गये। लेकिन दुर्भाग्यवश असम सरकार इन पुलिसकर्मियों को इस मामले की जांच-पड़ताल के लिए नियुक्त कर रही है। कहां तक यह सही है? यदि यह सही है तो लोग कहां तक सरकार से न्यायपूर्ण निर्णय की आशा कर सकते हैं।

मुझे पूर्णरूप से यह विश्वास है कि इस प्रकार से पूरे मामले को गलत ढंग से निपटाया जा रहा है। हम लोगों को इस बात का अनुभव है कि पिछले बाढ़ के समय क्या हुआ था। केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गयी धनराशि का उपयोग निश्चित रूप में नहीं हो पाया था अर्थात् जरूरतमंद लोगों को सहायता नहीं मिल पायी थी।

जहां तक विदेशियों का संबंध है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि उन लोगों को, जो पिछले तीन पीढ़ियों से रहते आये हैं, विशेष कर उड़ीसा के लोगों को, कारण बताओं नोटिस दिया गया था कि उन्हें क्यों न विदेशी घोषित किया जाये? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वे लोग जिन्हें यह नोटिस दिया गया था, उत्तेजित हो रहे हैं? या फिर इस बोडो आन्दोलन को

[श्री चितामणि जेना]

नैतिक समर्थन दे रहे हैं ? इसके अतिरिक्त कोकराझार और अन्य जिलों में कुछ समय-पूर्व आन्दोलन हुआ था और स्थानीय पुलिस और जिला अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जन समर्थन नहीं मिल रहा है। यदि यह सच है तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार कैसे इस प्रकार के आन्दोलन को सिर्फ बल प्रयोग द्वारा दबाने की कोशिश कर रही है ?

फिर मैंने कुछ समाचार पत्र की खबरों का अध्ययन किया है और मैंने देखा कि इस वर्ष 28 फरवरी को गृह मन्त्री श्री फूकन ने ए० ए० एस० यू० नेता श्री ब्रह्मा और उनके सहयोगियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाये रखने में राज्य प्रशासन की सहायता के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भी तैनात कर दिया था। इस प्रकार स्थिति से निपटा जा रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या इस आन्दोलन पर परिचर्चा के लिए असम विधान सभा में मांग की गयी थी और क्या यह भी सच है कि सभी विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार को भी इस परिचर्चा में भाग लेने की मांग की थी ? यदि हां तो राज्य सरकार क्यों नहीं केन्द्र के प्रतिनिधियों को इस चर्चा में भाग लेने का अनुरोध कर रही है ? जहां तक खाद्यान्नों की सप्लाई का संबंध है, मैं अपने प्रधान मन्त्री जी का बहुत आभारी हूं कि जब इस तरह की बाधाओं का पता लगा तो उन्होंने खाद्यान्नों की शीघ्र सप्लाई के आदेश दिये। हमारे कई विपक्षी सहयोगियों ने इस बात की आलोचना यह कहते हुए की है कि प्रधान मन्त्री इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और बोडो लोगों ने अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है। इस स्थिति में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई की जानी चाहिए। प्रधान मन्त्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है ताकि वहां खाद्यान्न शीघ्र पहुँचाए जा सकें और असम सहित सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई भी स्थान ऐसा न रहे जहां खाद्यान्नों की कमी हो। अतः यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रधान मन्त्री के इस हस्तक्षेप का स्वागत करने के बजाये हमारे विपक्षी मित्र इनकी आलोचना कर रहे हैं। कोकराझार जिला ऐसे स्थान पर है जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह जिला न केवल असम के लिए, अपितु समूचे पूर्वोत्तर-क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस जिले तथा इस क्षेत्र में शान्ति लाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि केन्द्र को इस मामले के सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहना चाहिए। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि इस तरह का आन्दोलन जारी न रहने दिया जाए। चूंकि वह इसी राज्य के हैं इसलिए उन्हें बहुत सक्रियता बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे केवल मुंझी को चिंता है अपितु इस देश की जनता भी असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में बहुत चिन्तित है। चूंकि मानसून जून माह से आरम्भ हो जायेगा, तब उस क्षेत्र में खाद्यानों की सप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अन्य बातों के अतिरिक्त सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी पहल करनी चाहिए कि इह तरह का आन्दोलन समाप्त हो जाए। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह निर्णय लेने से पहले दो बार सोचें। सरकार का यह विचार हो सकता है कि यदि यह आन्दोलन 100 वर्षों तक भी जारी रहे तब भी वे अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे। सरकार का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। हम जानते हैं कि कई बार गृह मन्त्री, प्रधान मन्त्री और केन्द्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसी भी राज्य का विभाजन नहीं होने देंगे। असम सरकार केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रही है और मेरे मित्र, श्री गोस्वामी जी भी केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए उसे दोषी ठहरा रहे हैं। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बता सकता हूं

कि कांग्रेस (आई) या केन्द्र में उसकी सरकार अथवा कोई भी राज्य सरकार किसी भी राज्य में किसी तरह का विभाजन नहीं चाहती ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, कोकराझार कभी फुटबॉल के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था और उस क्षेत्र के लोगों ने अपने राज्य को गौरवान्वित किया है । किन्तु दुर्भाग्य से आज वह बहुत अशांत क्षेत्र हो गया है । इसके लिए जिम्मेदार कौन है; किन कारणों से यह स्थान आज अशांत क्षेत्र में बदल गया है, कोई नहीं जानता । आज की स्थिति यह है कि वहां की सत्तारूढ़ असम गण परिषद सरकार हिंसा पर उतारू हो गई है । वहां कार्यरत कोई भी तटस्थ व्यक्ति या फिर कोई भी वे पत्रकार जो बोडो लोगों की स्थिति और इस समस्या का मूल्यांकन करने के लिए गए हुए हैं, सब साफतौर पर एक ही बात कह सकते हैं और वह यह कि वहां सत्तारूढ़ सरकार इतनी अक्षम है और उसका रवैया इतना उपेक्षापूर्ण है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि असम में कहीं भी असम गण परिषद सरकार सत्ता में है । यदि जनता के किसी विशेष ग्रुप को इस आशय का पत्र लिखा जाता है या तार भेजा जाता है कि वह एकत्र होकर मामले पर चर्चा करें तो कोई भी वार्ता के लिए नहीं आता । वे इसकी परवाह नहीं करते । जब इस तरह स्थिति नहीं संभली, तब असम गण परिषद के पास एक ही तरीका बचा था और वह यह कि इसकी सारी जिम्मेदारी संतोष मोहन देव जी पर डाल दी जाए और यह कहा जाए कि इसकी शुरूआत उन्होंने ही की है; इसके लिए दोषी केन्द्र सरकार तथा गृह मंत्री हैं ।

अतः महोदय, अंततः स्थिति यह है कि वहां की सत्तारूढ़ सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी समर्थ नहीं है और व्यावहारिक रूप से सरकार दिवालिया हो चुकी है ।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, यह सच नहीं है । मुझे इस पर आपत्ति नहीं है किन्तु यदि वाद-विवाद में इस तरह के असम्बद्ध मसले उठाये जाते हैं.....

सभापति महोदय : बोडो समस्या से सम्बन्धित जो भी बात है आप उसका जिक्र कर सकते हैं किन्तु राज्य की समस्याओं का उल्लेख नहीं कर सकते ।

श्री शांताराम नायक : महोदय, असम में सत्तारूढ़ सरकार की प्रशासनिक क्षमता की छानबीन करनी होगी और उसका विश्लेषण करना होगा । यही मुख्य बात है । यदि कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता तो वे काम कैसे करेंगे और यदि वे काम नहीं करते तो वे बोडो समस्या का समाधान कैसे करेंगे ?

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : शाहजहां की भांति**.....राजकोष का सारा धन फिजूल खर्च कर दिया गया है **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए । आपकी बारी भी आएगी ।

श्री अताउर्रहमान : यह मामला 1967 से चला आ रहा है जबकि कांग्रेस सरकार सत्ता में थी । उनकी क्या त्रुटियां थीं ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप सब की बारी आएगी ?

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

श्री शांताराम नायक : महोदय, असम सरकार के कई नाम रखे गये हैं। मैं केवल एक ही बार असम गया हूं और मैं पिछले कई वर्षों से इस बारे में पढ़ता आ रहा हूं। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव काफी पहले रखा था और तब से मैं इस बारे में पढ़ता ही आ रहा हूं। किसी ने मुझे बताया कि यह·····** सरकार है। मैं नहीं जानता कि इसे·····** सरकार क्यों कहा गया है किन्तु यह तथ्य है।

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या में भी बताऊँ कि देश की जनता राजीव गांधी की सरकार को कहती है ? क्या आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किये जाने की अनुमति देंगे; आल इंडिया रेडियो बिहार से क्या प्रसारित किया गया था·····**·····

जनता हर रोज यही कह रही है। क्या आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति देंगे। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप स्वयं को सिर्फ बोडो समस्या तक ही सीमित रखिये और जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, वहीं तक राज्य सरकार का उल्लेख करिये।

श्री शांताराम नायक : महोदय, यह समस्या असम गण परिषद ने ही पैदा की है। बोडो लोगों को सदा से इसी एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने तत्कालीन सरकार के सामने भी इस समस्या को उठाया था। इस सरकार की अत्यधिक लापरवाही के कारण ही पूरी स्थिति बिगड़ गई है। इससे पहले कभी अपने लिए अलग राज्य की मांग नहीं की थी। वे केवल आर्थिक समस्याओं के लिए आंदोलन कर रहे थे।

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : ऐसा किसने कहा है ? यह बिल्कुल गलत है। वे 1967 से इसकी मांग करते आ रहे हैं। यहां पी. टी. सी. के प्रतिनिधि हैं। उनसे पूछिए।

सभापति महोदय : आप हर वाक्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको अपनी बात में कहने का अवसर मिलेगा। पहले उन्हें बोलने दीजिए।

श्री पराग चालिहा : लेकिन वह सभी असंबद्ध बातों का ही जिक्र कर रहे हैं।

सभापति महोदय : यदि यह असंगत है तो मैं देखूंगा।

श्री शांताराम नायक : 2-12-1984 के उनके ज्ञापन में भी, यह मांग नहीं की गई थी यद्यपि अन्य विभिन्न आर्थिक मांगों का सूची में जिक्र था। यद्यपि उसमें प्रशासनिक समस्याओं का जिक्र था किन्तु उन्होंने पृथक राज्य की मांग नहीं की थी। असम सरकार की उपेक्षा और इस मामले पर आमने सामने बैठकर चर्चा करने के लिए उन्हें बुलाने के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने पहाड़ी तथा मैदानी इलाके में रहने वाले लोगों की समस्याओं को समझने की कभी भी परवाह नहीं की और न ही उन्हें समझने का प्रयास किया। यह स्वाभाविक है कि यदि किसी व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है अथवा उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो स्पष्टतयः उसका रुख उग्र हो जाएगा। असम में बोडो लोगों के साथ भी वास्तव में यही कुछ हुआ है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

4.31 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरे, जैसा कि सर्व-विदित है, वे असम की 'प्लैन्स ट्राइबल काउंसिल' के साथ सहयोग नहीं करते। अखिल बोडो छात्र संघ को हिंसा का सहारा लेने का प्रोत्साहन केवन तभी मिला जब उन्होंने इस परिषद के साथ सहयोग नहीं किया और इसी स्थिति से यह समस्या ऊत्पन्न हुई। अन्यथा आरम्भ में ही यदि पी. टी. सी. ए. के सहयोग से इस समस्या को निपटा दिया जाता तो अखिल बोडो छात्र संघ को इतना प्रोत्साहन न मिलता। इसी कारण मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यह समस्या असम गण परिषद की सरकार की पैदा की हुई है।

वहां जमीन की भी समस्या है। आंकड़ों के अनुसार, मुझे बताया गया है कि करीब 60 प्रतिशत बोडो लोग भूमिहीन हैं। उनकी भूमि पर गैर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया है। निश्चय ही प्रशासनिक ढांचे में नियुक्त वे सभी लोग इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए केवल असम गण परिषद की सरकार ही जिम्मेदार है। किन्तु यह एक सच्चाई है कि बोडो लोगों की भूमि कम होती जा रही है। उन्होंने देखा है कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में अन्य जनजातिय लोग समृद्ध हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाया जा रहा है जबकि यहां असम में वे भूमिहीन बनते जा रहे हैं और गैर-जनजातीय लोग उनकी भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं और कोई भी इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा है। अतः आर्थिक समस्याओं के साथ-साथ यह राजनीतिक तथा प्रशासनिक समस्या भी उत्पन्न हो गई है।

महोदय, जनजातीय लोगों की सम्पत्ति को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। संविधान में जनजातीय लोगों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपबन्ध हैं। वास्तव में संविधान के उपबन्धों के अनुसार, जनजातीय सम्पत्ति की बिक्री पर रोक लगायी जा सकती है। छोटे राज्यों में भी, जहां जनजातीय लोग नहीं हैं, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे उपबन्ध लागू किये जा सकते हैं। किन्तु सारा कुछ जनजातीय लोगों की सम्पत्ति की रक्षा किये जाने सम्बन्धी संवैधानिक उपबन्धों के लागू करने पर निर्भर करता है।

इस संबंध में असली बात अधिकारियों का व्यवहार है, चाहे वे राज्य सरकार के अधिकारी हों या केन्द्रीय सरकार के। प्रशासित लोगों के प्रति अधिकारियों का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आरम्भ से ही अधिकारीगण जनता के साथ सीधे तौर पर अपने आप को जोड़ दें और सहानुभूति से उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दें, तो मैं कह सकता हूं कि वे कभी भी प्रशासनिक ढांचे के साथ स्पर्धा में नहीं आएंगे। अधिकतम मामलों में, समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि प्रशासन प्रशासित जनता की मामूली से मामूली समस्याएं भी नहीं समझ पाते हैं। यद्यपि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकतर कर्मचारीगण अच्छे है, इन में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका व्यवहार जनजातीय अथवा समाज के कमजोर वर्गों के साथ अपेक्षित रूप से नहीं है। ऐसा केवल जनजातीय क्षेत्रों में ही नहीं हैं। अन्य राज्यों में भी प्रशासित व्यक्तियों के प्रति कुछ लोगों के व्यवहार से अनेक बार समस्याएं उत्पन्न होने के पश्चात हमारे अधिकारी उनको प्यार देकर तथा सहानुभूति दिखाकर उन पर असाधारण ध्यान देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इन लोगों का व्यवहार है जो जनजातीय तथा अन्य लोगों के प्रशासक हैं। इस संबंध में, मैं निवेदन करता हूं कि इस स्थिति का सामना करते हुए, असम गण परिषद सरकार को यह सोचना चाहिए कि उन्हें संभवतः बल प्रयोग

[श्री शांताराम नायक]

करना पड़ेगा; इसके बिना काम चलना कठिन है— लेकिन अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते है, तो जनजातीय लोग वार्ता में शामिल नहीं होंगे । इस बात का ध्यान रखना होगा । मैंने इस संबंध में सुना है और पढ़ा है । कुछ स्थानों पर तो वे आये ही नहीं या चर्चा में भाग लेने की चिन्ता भी नहीं की । वास्तव में पिछली बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि भी होना चाहिए अन्यथा वे नहीं आयेंगे । इसका क्या अर्थ है ? उन्हें असम गण परिषद की सरकार में कोई विश्वास नहीं है । जब तक बैठक में केन्द्रीय सरकार एक प्रतिनिधि नहीं भेजा जाता, तब तक वे वहां नहीं जायेंगे । उत्तर में असम गण परिषद की सरकार ने यह सन्देश भेजा कि पहले दौर में "हमें आपस में चर्चा करनी चाहिए, और दूसरे दौर में हम केन्द्रीय सरकार से एक प्रतिनिधि भेजने को कहेंगे ।" मैं कहता हूं कि यदि वे आग्रह करते हैं कि केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए और यदि उन्हें विश्वास है कि केन्दीय सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति से समस्या का समाधान होगा अथवा कोई प्रगति होगी तो असम गण परिषद सरकार उन के साथ सहयोग का रास्ता क्यों नहीं अपनाती ? अतः इन सभी पहलुओं की ओर उचित ढंग से ध्यान देना है । असम गण परिषद के लोग अब यह आलोचना कर रहे हैं कि अन्य राज्यों में हिंसा के कारण केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप किया है और इनकी मांगों पर विचार किया है । श्री सन्तोष मोहन देव ने भी कहा है कि राज्य सरकारों के द्वारा केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप के निर्वाचन के पश्चात ही ऐसा किया जा रहा है । पश्चिमी बंगाल में भी ऐसे ही किया जा रहा है । यहां तो पूरी तरह असम गण परिषद की सरकार को ही पहल करनी होगी । असम गण परिषद को केन्द्रीय सरकार से सहयोग की मांग करनी होगी जैसा कि पश्चिम बंगाल के मामले में हुआ था । यह आवश्यक नहीं है कि केवल हिंसा से ही मांगें पूरी होती हैं । मैं इसका आश्वासन दे सकता हूँ । मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं गोआ का हूँ जिसको किसी भी प्रदर्शन के बिना या सड़क पर मोर्चा आदि के बिना राज्य का दर्जा मिला है । पहले तो गोआ में राज्य का दर्जा दिये जाने के लिये नहीं, अपितु भाषा के प्रश्न पर प्रदर्शन हुआ था । यहां इस सदन में प्रधान मन्त्री ने हमारे निवेदन पर गोआ को राज्य का दर्जा देने की घोषणा की । बाद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया । अतः मैं यह कहता हूं कि केवल प्रदर्शन अथवा आन्दोलन अथवा हिंसा से ही परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं । इस धारणा को जनता के मन से निकालना है । मैं निवेदन करता हूँ कि यदि यह धारणा किसी के भी मन में है तो इसको केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दूर किया जाना चाहिए । दूसरा, ऐसी परिस्थितियों में भाषा के मामले अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं—हो सकता है कि हम सभी भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूचित में सम्मिलित नहीं कर पाये हैं । अभी तक जिन दो भाषाओं अर्थात कोंकणी और मणिपुरी की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था अथवा जो सूचि में सबसे ऊपर है, अष्टम अनुसूचि में सम्मिलित नहीं की गई हैं । इसके अतिरिक्त नेपाली भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित करने की मांग की गई थी । इसको भी हम स्वीकार नहीं कर पाये हैं । किंतु, यदि वे अन्य भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूचि में सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं, तो साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं से अधिक हैं और उनके विकास के उद्देश्य से सरकार को यही मानदन्ड अपनाना चाहिए । यदि आप सरकार द्वारा जारी कोई परिपत्र अथवा अधिसूचना अथवा कोई योजना अथवा परियोजना देखेंगे तो इसमें यही लिखा होता है कि "संविधान की आठवीं अनुसूचि में मान्यता प्राप्त भाषाएं" ही मानदण्ड हैं ।

कुछ समय पहले मानव संसाधन विकास मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विकास के मामले में अष्टम अनुसूचि की भाषाओं तथा गैर-अष्टम अनुसूचि की भाषाओं में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता; किंतु, ऐसा नही है। वास्तव में यह भेद-भाव किया जाता है। यद्यपि अनेक भाषाओं को आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है—जहां तक विकास का संबंध है, मैं केन्द्रीय सरकार से नम्र निवेदन करता हूँ कि या तो साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को मानदण्ड माना जाए अथवा कोई अन्य मानदण्ड माना जाए जिसके परिणामस्वरूप बहुत सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो सके। आन्दोलन चाहें किसी प्रकार का हो, श्री दिनेश गोस्वामी तथा अन्य लोग हमें इस कार्यक्रम के संबंध में पूरी जानकारी दे सकते हैं। किंतु अंततः उन्हें समाधान निकालने के लिए अथवा दो के बीच मध्यस्थ निकाय के रूप में केन्द्रीय सरकार की सहायता लेनी होगी। यदि वे केन्द्रीय सरकार पर केवल आरोप ही लगाते रहेंगे। कि किसी एक प्रकार से सहयोग देना और दूसरी ओर उसे अस्वीकार कर उन पर निर्भर करना है तो इस प्रकार की धारणा से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अंततः कांग्रेस सरकार ही देश की एकता प्रदान कर सकती है और इसने देश की एकता प्रदान की भी है। हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हम किसी भी राज्य के विभाजन की अनुमति नहीं देंगे। हमने यह अन्य राज्यों के मामले में दिखाया है; हम असम के मामले में भी ऐसा ही करेंगे बशर्ते वहां की सरकार केन्द्रीय सरकार को आवश्यक सहयोग दे।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यथित और दुःखी मन से इस वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं। मेरी व्यथा और दुःख का कारण यह है कि उग्रवादियों के अन्दोलन और उनकी गतिविधियों से राज्य में जान और माल का भारी नुक्सान हुआ है। मैं जान और माल के नुक्सान से संबंधित आंकड़े दूंगा। हिंसा के इस माहौल में उत्साहजनक बात यह है कि जनजातीय लोगों का बहुमत उग्रवादियों की गतिविधियों और हिंसा का विरोध करता है क्योंकि वे शान्तिपूर्वक रहना चाहते हैं; वे यह भी चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान शान्तिपूर्वक ढंग से किया जाए।

मैंने पहले दो वक्ताओं को सुना है जिन्होंने अनावश्यक रूप से असम गण परिषद सरकार की आलोचना की है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि वे सत्तारूढ़ दल की बेचों पर बैठते हैं। परन्तु दोनों वक्ताओं ने असम राज्य में हो रही हिंसा के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं सदन में यह उम्मीद कर रहा था कि वे हिंसा का विरोध करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी यह घोषणा करती है कि यह इस सिद्धान्त में विश्वास रखती है कि लोकतंत्र की राजनीति में, कोई भी समस्या हिंसा और उग्रवाद से हल नहीं की जा सकती; समस्यायें आपसी बातचीत द्वारा ही हल की जा सकतीं हैं। राज्यों में और केन्द्र में भी अनेक नेताओं ने भिन्न-भिन्न वक्तव्य दिए हैं। किन्तु असम राज्य में हुई हिंसा के विरोध में किसी ने भी कोई कठोर शब्द नहीं कहा है। दिनांक 15 अप्रैल, 1989 तक हत्या के 157 मामले थे; 157 निर्दोष जानें ले ली गईं; इनमें से 31 सरकारी कर्मचारी थे जो अपने परिवार, मित्र और संबंधियों से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में वनों के इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। पी० टी० सी० ए० के दस राजनैतिक कार्यकर्ता, जिनमें से श्री समर ब्रह्म चौधरी चुने गए प्रतिनिधि थे, मारे गये। डकैती और लूटपाट के 233 मामले हुए; आगजनी के 879 मामले हुए; 53 सरकारी भवन जला दिए गए; 73 स्कूल और कालेज भवन जला दिए गए; लोगों पर हमला किए जाने के 153 मामले हुए; 219 मामले बम फटने के हुए जिनमें रेलगाड़ियों में

[श्री दिनेश गोस्वामी]

यात्रा करने वाले लोग मारे गए; बाजार जाने वाले लोग मारे गए; निर्दोष लोगों की जानें गईं। श्री चिन्तामणी जेना और श्री शांताराम नायक ने असम गण परिषद सरकार की आलोचना की किन्तु उन्होंने हिंसा के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा था उन लोगों के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त नहीं की जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। कांग्रेस पार्टी और सत्तारूढ़ दल को इसी********** का दुःख हो रहा है और इसीलिए हम कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल उग्रवादियों से मिला हुआ है। हम यह आरोप बिना किसी कारण के नहीं लगा रहे हैं।

मेरे मित्र श्री चिन्तामणि जेना ने कहा कि असम सरकार हिंसा पर उतर आई है। छह वर्षों के आन्दोलन में असम विद्यार्थी संघ की घोषित नीति यह थी कि हमारा विश्वास अहिंसा-आन्दोलन में है। हम हिंसा का विरोध करते हैं। मैंने आन्दोलन का समर्थन किया था किन्तु फिर भी हमने हिंसा के हर कार्य की निंदा की थी। किन्तु 'आल बोडो स्टूडेण्टस ग्रुप' के नेता श्री उपेन ब्रह्मा क्या कहते हैं? वह कहते हैं—वह खुले रूप से इस बात का समर्थन करते हैं—कि वह केवल हिंसा का ही सहारा नहीं लेंगे बल्कि वह, यदि आवश्यक हुआ तो विदेशी सहायता से शस्त्र संघर्ष भी करेंगे। इस देश का रहने वाला व्यक्ति यह कहता है कि वह विदेशी सहायता से शस्त्र संघर्ष करेगा और मैंने इस वक्तव्य के खिलाफ किसी एक भी व्यक्ति से यहां तक राज्य-मन्त्री से भी कोई शब्द नहीं सुना।

हमारी सूचना के अनुसार ये लड़के अक्तूबर, 1988 से, भूटान में पटकुचूरी के पश्चिम में नौ किलो मीटर दूर स्थित किसी स्थान पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 50 लड़के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार इन लोगों को भगाने के लिए क्या कदम उठा रही है।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री गेगोंग अपोंग ने यह वक्तव्य दिया था कि असम गण परिषद सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 356 के अधीन केन्द्रीय शासन की घोषणा की जानी चाहिए।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : जब वह अन्य मुख्य मन्त्रियों के नामों का उल्लेख कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमें भी अन्य मुख्य मन्त्रियों के वक्तव्यों का हवाला देने का अधिकार है मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। ऐसा कहने के लिए उनका स्वागत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आरोप कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव : आपके आने से पूर्व इन्होंने हमारे सदस्यों द्वारा कुछ नामों का उल्लेख किए जाने पर आपत्ति की थी।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने आपत्ति नहीं की।

श्री सन्तोष मोहन देव : हमने आपत्ति की थी यह रिकार्ड में है। इसलिए जब वह अन्य मुख्य मन्त्रियों का उल्लेख कर रहे हैं तो क्या मुझे, उत्तर देते समय, उनके नामों का उल्लेख करने के लिए नहीं रोकेंगे। किन्तु हमें भी इस संबंध में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं किसी नाम का उल्लेख करने का विरोध करता हूं। मैंने केवल यह कहा था कि चर्चा बोडो समस्या तक ही सीमित रहनी चाहिए।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं केवल बोडो आन्दोलन और उसके मुख्य मन्त्री के वक्तव्य पर ही ध्यान केन्द्रित करूँगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया था।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : नियमों के अनुसार दो सदस्यों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता।

श्री सन्तोष मोहन देव : जब हमारे सदस्यों ने बोला तब उन्होंने आपत्ति की और अब वह ....**(व्यवधान)** उन जैसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा ऐसा कहा जाना ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य द्वारा लगाया गया कोई आरोप रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : हमारे सदस्यों को भी अवसर मिलना चाहिए। जिस तरह विपक्ष ने कुछ कहा....**(व्यवधान)** जब हमारी बारी आए तब हमें भी अनुमति मिलनी चाहिए। इसमें दोहरा स्तर नहीं होना चाहिए।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : हम इससे सहमत नहीं हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं केवल उनके सामने अपनी बात रख रहा हूं। वह इसे अस्वीकार कर सकते हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो पीठाध्यक्ष से बात कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि यदि कोई सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाता है जो कि सदन में नहीं है तो उसे अनुमति नहीं दी जा सकती। कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि मन्त्री महोदय ने अब कुछ बातों पर आपत्ति की है, इसलिए, मैं कह रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे आने से पूर्व क्या हुआ था। कुछ भी हो, कोई सदस्य ऐसे किसी सदस्य के बारे में नहीं बोल सकता जो सदन में नहीं है। यदि कोई सदस्य, कोई आरोप लगाता है तो मैं उसे रिकार्ड में जाने की अनुमति नहीं दूँगा।

श्री शान्ताराम नायक : मैंने असम गण परिषद को .....** ..... हवाला दिया था।

श्री बिपिन पाल दास : उन्होंने नाम पर आपत्ति की है।

श्री दिनेश गोस्वामी : ..... ** ..... भी नाम है। यह कोई आरोप नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आगे बहस नहीं। आप जारी रख सकते हैं।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यदि माननीय मन्त्री यह कहते हैं कि ऐसा वक्तव्य नहीं दिया गया है तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। श्री दिनेश गोस्वामी के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी : ********** पड़ौसी राज्य के मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि असम राज्य में केन्द्रीय हस्तक्षेप होना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी पड़ौसी राज्य के मुख्य मन्त्री द्वारा केन्द्रीय हस्तक्षेप के लिए कहना गलत है और एक राज्य के मुख्य मन्त्री द्वारा दूसरे राज्य में केन्द्रीय हस्तक्षेप के लिए कहना संविधानिक क्षेत्र से बाहर है। मैं यह निश्चित आरोप लगाता हूं कि दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार ने उग्रवादियों को प्रोत्साहन दिया है******(व्यवधान)******

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, उन्हें******(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान*********

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं निश्चित आरोप लगाने का हकदार हूं। मुझे कौन सा नियम रोकेगा******(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : आपका स्वागत है******(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : राज्य मन्त्री इसका खण्डन करेंगे। मैं केन्द्र सरकार के खिलाफ यह निश्चित आरोप लगाता हूं कि उसने उग्रवादियों को प्रोत्साहित किया है (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : फिर जब हम असम गण परिषद पर आरोप लगाते हैं तब आप आपत्ति न करें (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने आपत्ति नहीं की। जब मेरे मित्रों ने आरोप लगाया तब मैंने केवल यही कहा कि चर्चा बोडो आन्दोलन तक ही सीमित रहनी चाहिए। यदि हम यहां ठक्कर आयोग को लाना शुरू करें तो यह असंगत होगा।

श्री सोनाराम बारगलरे नाम के एक उग्रवादी, जिसे गिरफ्तार किया गया था, ने पूछताछ के दौरान यह बयान दिया था******(व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : आप पुलिस के बयान की बात करते हैं (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : यह सच है। क्योंकि आपके अनुसार वह जो भी वक्तव्य देते हैं वह हमारे द्वारा सिखाया हुआ होता है। श्री सोनाराम बर्गलारी ने एक वक्तव्य दिया है उन्होंने केन्द्रीय गृह मन्त्री से मुलाकात की है और केन्द्रीय गृह मन्त्री ने सच कहा कि बोडो लोगों की मूल मांग संघ राज्य क्षेत्र के लिए है और हमें वक्तव्य यह दिया गया है कि केन्द्रीय गृह मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि उन्होंने इस बारे में नीति संबंधी निर्णय लिया है कि****** (व्यवधान)

** पीठाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री शान्ताराम नायक : बिना नोटिस दिये किसी भी सदस्य के विरुद्ध ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता है..... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वे इसका खण्डन कर सकते हैं.....
(**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी : केन्द्रीय गृह मन्त्री ने यह कहा है कि "यह हमारी घोषित नीति है कि कोई संघ राज्यक्षेत्र नहीं बनाया जायेगा, परन्तु यदि आप एक राज्य की मांग करते हैं तो केन्द्रीय सरकार को सामने आना पड़ेगा।" मुझे यह जानकारी है कि पिछली बार श्री सन्तोष मोहन देव ने इस बात से इन्कार किया था। श्री बूटा सिंह ने भी एक वक्तव्य दिया है कि भारत सरकार असम को और विभाजित न करने के लिए बचनबद्ध है। मैं माननीय गृह राज्य मन्त्री से यह जानना चाहूँगा कि क्या वे स्पष्ट रूप से इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि उग्रवादी नेताओं और केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री बूटा सिंह के बीच कोई बैठक नहीं हुई है ? क्या कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी ? अब तक इस बात से इन्कार नहीं किया गया है। यह बैठक हुई थी।

महोदय, ए.सी.के.एस.यू. के प्रेजीडेन्ट ने एक वक्तव्य दिया है कि श्री सन्तोष मोहन देव ने भी हिंसा को प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने इस बात से इन्कार किया है परन्तु मैं अपने वक्तव्य को दोहराता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकारी उग्रवादियों से लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं। मैं एस. एस. बी. के उस महत्वपूर्ण अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। उसका कार्यक्रम विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की निगरानी के लिए 22-2-1989 को दिल्ली आने का था। सीधे दिल्ली आने के बजाय वह 25 फरवरी 1989 को कलकत्ता गया और उसके मार्गनिर्देशन के अन्तर्गत वहां एक बैठक आयोजित की गई जिसमें आतंकवादी नेताओं तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर कूटिनीति तैयार की।

महोदय, कांग्रेस-आई के मुख्य मन्त्रियों ने एक वक्तव्य दिया है जिसका उल्लेख प्रधानमन्त्री महोदय ने एन. ए. सयू. आई. को दिये अपने भाषण में किया है कि जब तक असम में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी नहीं होती है तब तक केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि मुख्य मन्त्री महोदय ने केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा है।" मैं समझता हूँ कि प्रधान मन्त्री महोदय को यह वक्तव्य देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि क्या इस आन्दोलन के बावजूद असम में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हुई है अथवा नहीं।

महोदय, कोकराझार असम के मार्ग में है और सारा सड़क परिवहन और रेल परिवहन इस मार्ग से होकर गुजरता है। बन्द के कारण यह मार्ग प्रभावित हुआ है परन्तु असम सरकार की बदौलत आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखा गया है। मैं इसके समर्थन में आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। ऐसे दो स्थान हैं जिससे होकर वाहन गुजरते हैं। एक स्थान श्री रामपुर है और दूसरा बक्सीरद्वार है। जनवरी–मार्च 1988 के दौरान, श्रीरामपुर से होकर 92, 474 वाहन गुजरे हैं और बक्सीरद्वार से होकर 6,729 वाहन गुजरे हैं। गुजरने वाले वाहनों की कुल संख्या 99,263 हैं। एक वर्ष बाद, जनवरी–मार्च 1989 के दौरान जब बन्द अपने पूरे जोरों पर था, जब इन दोनों स्थानों पर निरन्तर बन्द जारी थे तो 99,203 ट्रकों के स्थान पर 1,37,042 ट्रक वहां से होकर गुजरे थे। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी लगभग वही रही। मैंने इन आंकड़ों की तुलना की है।

[श्री दिनेश गोस्वामी]

अतः जहां तक खाद्यानों का सम्बन्ध है, मार्च 1988 के दौरान 142413 मीटरी टन के बजाय 114517 मीटरी टन खाद्यान्न वहां भेजे गये थे। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, मार्च 1988 में 7804 मीटरी टन की अपेक्षा मार्च 1989 में 9728 मीटरी टन चीनी वहां भेजी गई थी। सीमेंट के आंकड़े 65,172 और 78,348 मीटरी टन है गुवाहटी के मूल्य सूचकांक से यह जाहिर है कि मूल्य लगभग हर जगह स्थिर रहे हैं। ए.जी.पी. सरकार को इस बात का उचित श्रेय देना चाहिए कि बन्द के कारण कोकराझार क्षेत्र के अधिकांश भाग के ठप्प होने के बावजूद भी असम सरकार मूल्य-स्तर को कायम रखने के साथ-साथ वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखने के बारे में भी सफल रही। मुझे प्रधान मंत्री महोदय के वक्तव्य पर हैरानी हुई है। उन्हें यह वक्तव्य देना चाहिए था कि मेघालय के मुख्यमन्त्री ने जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं हैं। यहां मैं रेल मन्त्री को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने बन्द के बावजूद भी रेलों के आवागमन को काफी हद तक सफलतापूर्वक जारी रखा और इसके कारण आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर प्रभाव नहीं पड़ा। परन्तु मुझे इस बात की हैरानी है कि यह वक्तव्य दिया गया है कि यदि सप्लाई जारी नहीं रहती हैं तो केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा।

मेरे मित्र ने एक मुहावरा कहा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि असमी भाषा में भी हमारी इसी प्रकार की एक कहावत है "सांप होइ खूटे, बेज होइ जोर।" इसका अर्थ यह है कि आप सांप बनकर काटते हैं और फिर एक डाक्टर बनकर उसका इलाज करने का प्रयास करते हैं। चोर से कहते हैं चोरी कर, शाह से कहते हैं कि जागता रह। केन्द्रीय सरकार यही भूमिका अदा कर रही है। श्री सन्तोष मोहन देव ने त्रिपुरा में भी यही भूमिका अदा की है। चुनाव से कुछ समय पहले ही टी.एन.वी. की हिंसा में वृद्धि हुई थी। सी.पी.एम. सरकार को हराने के बाद हिंसा समाप्त हो गई और सरकार तथा टी.एन.वी. के बीच एक समझौता हो गया। भिंडरवाले के साथ भी यही किया गया था। परन्तु दुर्भाग्य से भिंडरावाले एक फैंकेन्स्टीन दैत्य बन गया जिसे प्रोत्साहन देने के बाद केन्द्रीय सरकार भी नियन्त्रित नहीं कर सकी। इस सरकार ने इतिहास से कोई सबक नही सीखा है। मैं समझता हूं कि यह सरकार ऐसा सोचती है कि हिंसा जारी रहनी चाहिए ताकि संसदीय चुनावों से कुछ समय पहले पहले वह हस्तक्षेप कर सके। वे समझते हैं कि नवयुवक उनकी बात सुनेंगे और वे शान्ति का वातावरण उत्पन्न करके यह सन्देश फैला देंगे कि केन्द्रीय सरकार और प्रधानमन्त्री श्री राजीव गान्धी ही शान्ति कायम कर सकते हैं। ए.जी.पी. सरकार अयोग्य है और इसी कारण वहां मत प्राप्त किये जायेंगे, जैसाकि मेरे मित्र श्री सन्तोष मोहन देव त्रिपुरा में करने में सफल हुए हैं। परन्तु कभी-कंभी ऐसी नीति गलत साबित हो सकती है। मैं उनसे और उनके मित्रों से यह अनुरोध करता हूं कि वे अत्यन्त कठिन परिस्थिति में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे में ऐसी कार्यवाही को न अपनायें।

आदिवासी लोगों की अपनी अनेक समस्यायें हैं। हमें अनेक बारे जानकारी है। कुछ सीमा तक उनकी समस्यायें ब्रिटिस शासन का परिणाम है क्योंकि अंग्रेजों ने जानबूझ कर आदिवासी लोगों को अलग-अलग रखने की नीति अपनाई थी जिसका कारण उनके कुछ अच्छे बुरे इरादे थे। इस नीति को अपनाने का अच्छा कारण यह था कि आदिवासी लोगों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए कि उनकी पहचान और संस्कृति अन्य विकसित लोगों की पहचान और संस्कृति के द्वारा

ही आच्छादित नहीं हो सके । परन्तु उनका गलत इरादा यह था कि यदि आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा तो वे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी वीरतापूर्ण भूमिका अदा नहीं कर सकेंगे । अत: इन इरादों के कारण आदिवासी लोगों को अलग-अलग रखा गया ।

5.00 म० प०

परन्तु हमें यह अवश्य कहना चाहिए कि इसके बावजूद भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में गौरवपूर्ण भूमिका अदा की; केवल असम के ही नही अपितु पड़ोसी राज्यों के आदिवासियों ने भी ऐसा किया । स्वतन्त्रता के बाद दुर्भाग्य से हमारी प्रगति धीमी रही है । मेरे मित्र ए.जी.पी. सरकार की आलोचना कर रहे हैं और श्री शांताराम नायक ने यह कहा है कि ए.जी.पी. सरकार के सत्ता में आने के बाद बोडो विद्यार्थियों ने पहली बार एक अलग राज्य की मांग की है । पहली बार एक अलग राज्य की मांग वर्ष 1967 में की गई थी प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल आफ असम का गठन किया गया था । वास्तव में आल बोडो छात्र संग के दो दल हैं-एक दल उपेन ब्रह्मा दल है और दूसरा रामश्रय दल है । उपेन ब्रह्मा दल टी.सी.पी. से इस आधार पर अलग हुआ है कि एक अलग राज्य के प्रश्न पर टी.सी.पी.ए. ने नरम रवैया अपनाया हुआ था । ए.जी.पी. ने अलग राज्य की मांग का समर्थन नहीं किया है, अलग राज्य की मांग वर्ष 1967 में की गई थी और हमारा सौभाग्य है कि हम वर्ष 1985 में सत्ता में आये हैं ।

आर्थिक समस्या जैसी अन्य समस्यायें है हमने उत्पन्न नहीं की हैं । ये कुछ ऐसी सामान्य समस्यायें हैं जिनका सामना प्रत्येक आदिवासी परिवार को करना पड़ रहा है । वनों को हमारे शासन के दौरान नहीं काटा गया है·····(**व्यवधान**)

श्री सन्तोष मोहन देव : वर्ष 1985 से पहले वे भी एक कांग्रेसी नेता थे ।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं यह नही कह रहा हूं कि दोष मेरा नहीं है । मैं यह कह रहा हूं कि कुछ सीमा तक, थोडा बहुत हम सभी का दोष है क्योंकि मैं जानता हूं कि से समस्यायें भारी समस्यायें हैं । मैं आलोचनात्मक रूप से ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि जीवन की इन वास्तविकताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए । महोदय, बनों को काटा गया है और आदिवासी लोगों की सांस्कृतिक पहचान वनों से जुड़ी हुई है । जब वन कट जाते हैं तो वे दिशाहीन हो जाते हैं, उनकी पहचान को खतरा उत्पन्न हो जाता है और वे कठिन स्थिति में पड जाते हैं । अब इसमें अधुनीकीकरण का अन्तर्डन्ड भी विद्यमान है । अब आधुनीकीकरण के साथ नवयुवक आदिवासी आधुनिक शैली को अपना रहे हैं । परन्तु जब वे आधुनिक जीवन शैली को अपनाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हमारी जीवन शैली संस्कृति और पहचान से उन्हें एक प्रकार का नया खतरा उत्पन्न है । अत: वे अपनी अदिवासी संस्कृति और पहचान को बनाये रखने का प्रयास करते हैं ताकि वे अपनी स्थिति को कायम रख सकें । केवल असम में ही नहीं अपितु झारखंड और उत्तर खंड, मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य आदिवासी क्षेत्रों में भी थोड़ी कम या अधिक मात्रा में देश को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । मैंने पिछली बार भी यह कहा था और मैं अब भी यह कह रहा हूं कि इस देश में आदिवासियों की समस्यायें निकट भविष्य में ही देश की प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या बन जायेगी जिसे अत्यन्त सावधानी पूर्वक निपटाने की आवश्यकता पड़ेगी । अत: ये समस्यायें हैं । मेरा दृष्टिकोण सदैव यही रहा है कि आदिवासी लोगों को अपनी पहचान बनाये रखने के लिए संरक्षण देना चाहिए । उनकी समस्याओं का राजनैतिक समाधान किया जाना चहिए । इस समस्याओं के राजनैतिक समाधान की आवश्यकता है ।

[श्री दिनेश गोस्वामी]

अखिल बोडो छात्र संघ के उपेन ब्रह्म दल की 92 मांगें हैं। मैं केन्द्रीय सरकार को इसीलिए दोष दे रहा हूं क्योंकि इन 92 मांगों में से 89 मांगें मूलतः आर्थिक सांस्कृतिक और सामाजिक मांगें हैं। अन्य तीन मांगों में से एक मांग ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर एक पृथक राज्य की है। ब्रह्मपुत्र नदी वास्तव में असम के बीच में गुजरती है। उनकी दूसरी मांग यह है कि दक्षिण किनारे पर रहने वाले बोडो लोगों के लिए एक क्षेत्रीय अथवा जिला परिषद होनी चाहिए और तीसरी मांग यह है कि कर्बिअलांग जिले के बोडो आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाये। इससे सोनाराम बाग्ले का वक्तव्य ठीक लगता है और अब अचानक उपेन ब्रह्म कहते हैं कि : "92 मांगों में से 89 मांगों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम 89 मांगों पर चर्चा नही करेंगे, हम सांस्कृतिक मामलों, सामाजिक मामलों और आर्थिक विकास से संबंधित मांगों पर चर्चा नहीं करेंगे, हम तो केवल इन तीन मांगों पर ही जोर देंगे।" श्री सोनाराम बाग्ले ने भी यही कहा है कि श्री बूटा सिंह ने सुझाव दिया था कि यदि वे पृथक राज्य की मांग पर ही अड़े रहें तो केन्द्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। आज उपेन ब्रह्म गुट कहता है कि वे केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के बिना असम सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। श्री बिपिन पाल दास ने कहा है कि बाग्ले का वक्तव्य किसी के सिखवाये पर दिया गया वक्तव्य है लेकिन ये तथ्य पुष्टि करते हैं कि पूछताछ पर श्री सोनाराम ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। जहां तक मांगों का संबंध है, असम गण परिषद सरकार ने संसाधनों के समिति होने के बावजूद आदिवासी जनसंख्या के प्रति न्याय करने के पूर्ण प्रयास किये हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि कठिनाईयां हैं। शांताराम नायक द्वारा उठाया गया यह मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकारीगण आदिवासी विकास के प्रति उतनी रुचि नहीं रखते जितनी हम चाहते हैं। लेकिन जहां तक तीन मांगों का सम्बन्ध है, हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पृथक राज्य की मांग विचारनीय नहीं है और मुझे खुशी है कि केन्द्र सरकार ने भी यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि असम को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। राज्य के अनेक बार विभाजन नहीं हो सकते हैं। जहां तक दक्षिणी किनारे पर क्षेत्रीय परिषद का संबंध है, समस्याएं तो हैं, और यदि कोई जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करे तो वह तत्काल इन समस्याओं की ओर संकेत कर सकता है। उदाहरण के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार, आज अत्याधिक हिंसा का शिकार बताए जा रहे कोकराझार जैसे स्थान में, कुल 6,10,066 की जनसंख्या में से बोडो बोलने वाली जनसंख्या 1,90,841 है जोकि 26.87 प्रतिशत है और अन्य अनुसूचित जनजातियां 12,706 हैं और कुल आदिवासी जनसंख्या का 28.67 प्रतिशत है। बुबरी में 8,51,045 की जनसंख्या में बोडो की जनसंख्या 13,525 (1.58 प्रतिशत) है और अन्य अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 0.83 प्रतिशत है। कुल आदिवासी जनसंख्या 2.42 प्रतिशत है बारपेटा में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 7.97 प्रतिशत है। जिसमें बोडो बोलने वाली जनसंख्या 4.72 प्रतिशत है। लखीमपुर जिले में बोडो बोलने वालों की जनसंख्या 2.55 प्रतिशत है। सोनितपुर में यह जनसंख्या 2 प्रतिशत हैं जबकि कुल आदिवासी जनसंख्या 6.34 प्रतिशत है। इस प्रकार केवल 2 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र में आप एक क्षेत्रीय परिषद कैसे स्थापित कर सकते हैं ? इस प्रकार यदि कुछ प्रशासनिक अधिकार देने का निर्णय लिया भी जाता है तो कुछ अन्य व्यवस्थाएं करनी होंगी। यहां समाधान दार्जिलिंग की तरह सरल नहीं है, वहां तो एक क्षेत्र है जहां जनसंख्या का अधिकांश भाग नेपाली है। यहां तो आदिवासी जनसंख्या 2 प्रतिशत है और वह भी सारे राज्य में बिखरी हुई है, तो ऐसे में आप

उन्हें क्षेत्रीय परिषद अथवा जिला परिषद कैसे देंगे। इस प्रकार यह इतना सरल नहीं है जितना कहने में है। अब कर्बिअर्लांग छटी अनुसूची का जिला है और वहां पर आदिवासियों की सुरक्षा है, वहां पर बोडो चाहते हैं कि सिर्फ बोडो लोगों के लिये एक क्षेत्रीय परिषद होनी चाहिए। इस मांग के क्या प्रभाव होंगे ? अब यदि हम विभिन्न जनजातियों के लिये क्षेत्रीय परिषदें स्थापित करते हैं तो असम में सैकड़ों जनजातियां हैं और यदि इनके लिए हम सैकड़ों क्षेत्रीय परिषदें स्थापित करें और यह व्यवस्था सारे देश में लागू हो तो मैं समझता हूं कि यह के विघटन का प्रारम्भ होगा। फिर हम तक बोडो के लिये क्षेत्रीय परिषद स्थापित करने पर सहमत नहीं हो सकते जब तक कि कर्बी लोग इससे सहमत नहीं होते और कर्बी जिला परिषद इसमें शामिल न हो। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि उनकी दो मांगें भी एकदम अस्वीकार कर दी जाएं। हम कहते हैं कि ए. बी. एस. यू. 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर चले और फिर कठिनाईयों का अध्ययन करे और उन्हें आपसी बातचीत से दूर करे। एक बात और कही है कि केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि रहना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि हमने यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है कि केन्द्र सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। हमारे गृह मंत्री ने कल सार्वजनिक रुप से कहा था कि हमें वार्ता का पहला दौर आपस में ही करना चाहिए और उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहां केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यदि कुछ ऐसे संवैधानिक कानूनों या अन्य कानूनों की जरुरत है जो केवल संसद ही बनाने के योग्य है तो केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की जरुरत होगी। यदि आवश्यक परिवर्तन करना राज्य विधान सभा या राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में है तो केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं होगा और मैं समझता हूं कि यह मत पूर्णतया उचित है। पहले हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए कि यदि आवश्यकता है, तो वे कौन से क्षेत्र हैं जहां केन्द्र सरकार हस्तक्षेप आवश्यक है। फिर हम केन्द्र सरकार से सरकार के प्रतिनिधि की मांग करेंगे और फिर इस मसले को हल करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता होगी। लेकिन हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या हम स्वयं ही कोई तरीका या व्यवस्था अपना सकते हैं जिसके अंतर्गत इस समस्या का हल हो सके और मैं चाहूंगा कि इस समय ऐसे संकेत केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री सन्तोष मोहन देव की ओर से हों और मेरे विचार से यह केन्द्र सरकार के लिए भी अच्छा है कि इस स्थिति में राज्य सरकार और अखिल बोडो छात्र यूनियन के बीच आपसी बातचीत हो और वे मामले का हल निकालें और फिर इसके बाद आगे की कार्यवाही निर्धारित करें। हमने ऐसा कभी नहीं कहा है कि यदि केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि वार्ता में शामिल होगा तो हम वार्ता में भाग नहीं लेंगे। अन्ततः संघीय व्यवस्था का संवैधानिक स्वरुप विद्यमान है। प्रधान मंत्री ने एक सार्वजनिक वक्तव्य में कहा है कि बोडो समस्या असम सरकार की है और उसे ही इसका समाधान करना है। यदि इस समस्या का समाधान हमें करना है तो कम से कम इसके समाधान के लिए प्रथम प्रयास हमारे द्वारा ही किया जाना चाहिए। हम इसी मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यह सभा एक अपील करे। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो संदेश मैं इस सभा के माध्यम से देना चाहता हूं वह केन्द्र सरकार के विरुद्ध मेरे कथन या मेरे विरुद्ध श्री संतोष मोहन देव के कथन नही हैं। ये तो राजनैतिक मुद्दे हैं। जिन्हें हम अपने तक ही सीमित रखेंगे लेकिन यह सन्देश जाना चाहिए कि हिंसा की निन्दा हो और दूसरा यह है कि ए. बी. एस. यू. वार्ता के लिए आए और इस समस्या को हल करने का प्रयास करे। महोदय, हम पहले ही वार्ता में लगे हुए हैं क्योंकि जहां तक ए.बी.एस.यू. का सम्बन्ध है, इसमें उपेन ब्रह्मा तथा रामशियारी दो गुट है। हम रामशियारी गुट से वार्ता कर रहे हैं। एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी और मुझे खुशी है कि इसमें श्री समर

[श्री दिनेश गोस्वामी]

ब्रह्मा चौधरी के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया था। कांग्रेस-ई ने भी भाग लिया था। अखिरकार यह राज्य की समस्या है और ए जी पी सभी पार्टियों का इस समस्या के समाधान के लिए इस देश में सही विचारधारा वाले हर व्यक्ति का सहयोग चाहती है।

जैसा कि मैंने कहा कि ए.जी.पी. ने आदिवासी विकास के लिये पुरजोर प्रयास किये हैं और मैं इसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देता हूं। 1985-86 में आदिवासी उप-योजना के लिये 46.11 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 1988-89 में यह धनराशि 62.61 करोड़ रुपये है। श्री चिंतामणि जेना ने एक वक्तव्य दिया है कि मुख्य मन्त्री ने कहा है कि आरक्षण की नीति समाप्त कर दी जाएगी। यह पूर्णतया गलत है क्योंकि हम तो आरक्षण नीति के समर्थक हैं। वास्तव में आदिवासियों को प्राप्त संवैधानिक आरक्षण को कोई भी मुख्य मन्त्री कानूनी रुप से समाप्त नहीं कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह अपील है और मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि अनेक अन्य सदस्यों को भी भाग लेना है। मैं अपील करता हूं कि यह सभा सर्वसम्मति से हिंसा की निन्दा करे और यह सन्देश भेजे कि अन्ततः एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्याओं का हल आपसी बातचीत से ही होना चाहिए। जैसाकि श्री चर्चिल ने भी कहा था कि, "बातचीत करने से कभी मत डरिए और डर के कारण कभी भी बात चीत मत कीजिए।" इसलिए हमें वार्ता करके आपसी बातचीत से इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। मैं यहां अपने मित्रों की ओर से उपेन ब्रह्मा गुट से अपील करता हूं कि वह हिंसा से दूर रहें, हिंसा छोड़ दे और बात-चीत के लिए आएं और इस पेचीदा समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकालने का प्रयास करें। यदि ऐसा कोई मुद्दा बचता है जिस पर संसद या केन्द्र सरकार ही कार्यवाही कर सकती हैं तो ऐसे मामलों को यहां लाया जायेगा। लेकिन वार्ता का पहला दौर तो राज्य सरकार अर्थात ए.जी.पी. की सरकार और ए.बी.एस.यू. के प्रतिनिधियों के बीच होना चाहिए।

इसमें संदेह नहीं कि मेरे मित्र श्री सन्तोष मोहन देव इससे इन्कार करेंगे लेकिन मैं फिर भी यह जोर देकर कहता हूं कि राज्य सरकार को कठिनाई में डालने की उत्सुकता में वह ऐसी भूमिका अदा कर रहे हैं जिसे वह एक राज्य में विपक्षी पार्टी के संसद सदस्य के रूप में तो उचित ठहरा सकते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं दर्शाना चाहिए कि वह केन्द्रीय गृह मंत्री के रुप में उनकी भूमिका अधिक रचनात्मक दायित्व वाली होनी चाहिए जो कि इस समय उनका कर्तव्य हैं।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : महोदय, इतिहास के वर्तमान दौर में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना यह है कि विश्व के अनेक भागों में जातीय समस्या उभरी है। अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए तथा अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जातीय गुट हर जगह संघर्ष कर रहे हैं। यह इतिहास की स्वाभाविक धारा है। इसके साथ ही यह आधुनिक सभ्यता तथा हमारी राजनैतिक व्यवस्था के घोषित आदर्शों तथा सिद्धान्तों को चुनौती है कि किसी विशेष क्षेत्र के स्थिर एकजुट और सद्भावपूर्ण सामाजिक तन्त्र को तोड़े बिना ही समस्या का उचित हल निकाला जाए।

असम में बोडो समस्या ऐसी ही समस्या है। इसकी एक लम्बी ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पृष्ठ भूमि है। इस वाद-विवाद के दौरान इस सब पर विचार करना संभव नहीं है और संभवतः एक विश्लेषणात्मक भाषण के लिए यह उचित मंच भी नही है। मानव

इतिहास मानव प्रवास की एक मोहक कथा है। एक मात्र प्रश्न जो कोई पूछ सकता है वह यह है कि, कौन कब आया, इतिहास में किस समय, पृथ्वी के किस विशेष भाग में ? बोडो तथा अन्य जनजातियों 5,000 वर्ष पूर्व उत्तर तथा पूर्व से असम में आये। वे मंगोलियायी जाति के तिब्बती-बर्मा परिवार से सम्बन्धित थे।

असम तथा इसके आस पास के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों में से बोडो जनसंख्या में सबसे अधिक थे और लड़ाई के मैदान में भी सबसे तगड़े थे। कालांतर में वे राज्य स्थापित करने में सफल हो गये और असम के कई भागों पर शासन किया जब तक कि थाइलैंड से अहोम जनजाति ने आकर गौहाटी तक पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। बोडो ने राजनैतिक रूप से ही मार नहीं खाई वरन धीरे-धीरे सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी पृष्ठभूमि में धकेल दिये गये। असम में रहने वाली सभी जनजातियों के साथ वास्तव में ऐसा ही हुआ। वे सभी किसान थे परन्तु धीरे-धीरे अधिकांश या तो बंटाईदार बन कर रह गये या मजदूर बनकर रह गये। बहुत कम लोग शिक्षित थे और व्यवसाय कर सके थे।

इन जन जातियों में से अधिकांश अपनी संस्कृति को बनाये रखे हुए हैं और बोडो सहित उनमें से कुछ ने अपनी बोली का स्तर ऊँचा करके उसे विकसित तथा अन्य भाषाओं में बदल दिया। आज बोडो माध्यम विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतिनुसार सातवें दशक में शुरु किये गये थे।

स्वतन्त्रता के बाद भारत के अन्य राज्यों की भांति असम में जनजातियों की राजनैतिक समस्या का समाधान भी आरक्षण की नीति के माध्यम से किया गया था। परन्तु असम के प्रथम मुख्य मन्त्री स्वर्गीय गोपीनाथ बार्दोलोई पहले से ही जानते थे कि केवल उस नीति से ही पहाड़ी जिलों के जनजातियों की समस्या हल नहीं होगी और उनके अनुरोध पर ही केवल असम की पहाड़ी जनजातियों के लिए छटी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। बहरहाल ज्यों-ज्यों पहाड़ी लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ और उनमें राजनैतिक जागरूकता आई तो छठी अनुसूची से वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूर्ण राजनैतिक पहचान बनाने और अपनी प्रतिभानुसार अपना विकास करने का दावा जताया। परिणाम यह हुआ कि पहले नागालैंड बना और फिर मेघालय तथा मिजोरम अलग राज्य बने। अरुणाचल ने भी इनका अनुकरण किया और संघ की स्वतन्त्र इकाई बन गया।

इन गतिविधियों की असम में रह रही अन्य जन जातियों में प्रतिक्रिया हुई। इन दो परिस्थितियों में केवल यही अन्तर है कि नागालैंड और मेघालय सघन जनजातीय क्षेत्र थे जबकि बोडो तथा अन्य जनजातियां करबी तथा उत्तरी कछारी को छोड़ कर असम के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं। असम मैदानी भागों में रहने वाली जनजातियों ने उदयाचल नाम से असम के उत्तरी सीमा के साथ-साथ प्रथम संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए बोडो के नेतृत्व में एक आन्दोलन शुरु किया। 27 फरवरी 1967 को, 'प्लेनस ट्राईबल काऊंसिल ऑफ असम' के नाम से उन्होंने एक राजनैतिक पार्टी बनाई। 20 मई, 1967 को पी० टी० सी० ए० ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन को एक ज्ञापन दिया जिसमें एक स्वतन्त्र क्षेत्र बनाने की मांग की गई थी और वह मांग 1973 में उदयाचल नामक एक अलग राज्य के लिए मांग के रूप में बुलन्द हुई।

[श्री बिपिन पाल दास]

कृपया ए० बी० एस० यू० को ए० ए० एस० यू० मत समझें। आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, का गठन वास्तव में 15 फरवरी, 1967 को हुआ था, पी० टी० सी० ए० के अस्तित्व में आने से पहले और उनकी पहल पर पी० टी० सी० ए० बनाई गई थी। जब आल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विदेशियों के मामले को लेकर आन्दोलन शुरू किया तो बोडो आन्दोलन, पृष्ठभूमि में चला गया। यहां से वास्तविक कहानी शुरु होती है। आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन औपचारिक रूप से ए. ए. एस. यू. में शामिल नहीं हुई परन्तु इसके कुछ नेताओं ने ए. ए. एस. यू. द्वारा चलाये गये आन्दोलन में सक्रीय भाग लिया। अब मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं श्री प्रेम सिंह ब्रह्मा उनमें से प्रमुख थे। वास्तव में जब ए. ए. एस. यू. का प्रतिनिधि मण्डल बातचीत के लिए दिल्ली आया तो वह उसमें शामिल थे। आज प्रेम सिंह ब्रह्मा ए. बी. एस. यू. का एक वट्टर नेता है। ए. बी. एस. यू. तथा अलग हुए दल पी. टी. सी. ए. जिसका नाम यू. टी. एन. एल. एम. है ने सभी मैदानी जनजातियों को आन्दोलन में शामिल करने के लिए अलग जनजातीय राज्य था बोडो राज्य की मांग की।

आन्दोलन का आयाम अचानक वदल गया जब 1986 में श्री उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा ए. बी. एस. यू. के अध्यक्ष बने। यह उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा कौन है ? उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा जब गौहाटी विश्वविद्यालय छात्रावास में रहता था उस समय उसने ए. ए. एस. यू. नेताओं से एक सशक्त जन आन्दोलन शुरू करने का सबक लिया था। उसने जनजातीय लोगों में एक उग्रवादी आन्दोलन के लिए एक सशक्त अभियान शुरू किया और बोडो ने उसका तत्परता के साथ स्वागत किया। पी. टी. सी. ए. ने उग्रवादी आन्दोलन शुरू नहीं किया इनका आन्दोलन शान्तिपूर्ण तथा प्रजातान्त्रिक था। परन्तु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा ने उग्रवादी आन्दोलन का प्रयास किया। बोडो ने उसका स्वागत किया क्योंकि उन्होंने सोचा पहले वाले नेताओं ने उनके साथ छल किया है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पी. टी. सी. ए. आन्दोलन ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। परन्तु अब ए. बी. एस. यू. के नेतृत्व में आन्दोलन केवल हिंसात्मक ही नहीं हो गया है बल्कि उसने असम में विकट स्थिति भी पैदा कर दी है। उनके कार्यक्रमों से स्पष्ट पता चलता है कि हर क्षेत्र में उन्होंने ए. ए. एस. यू. आन्दोलन अनुकरण किया है विशेषतौर पर ए. ए. एस. यू. के आतंकवादी अंग का। ए. जी. पी. नेताओं को अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि उन्होंने जनजातीय छात्रों को रास्ता दिखाया।

श्री दिनेश गोस्वामी ने किसी बात का जिक्र किया था और अब मैं उनकी बात का उत्तर दे रहा हूं मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि मैं हिंसा के कतई विरुद्ध हूं और असम के और विभाजन के विरुद्ध हूं। केन्द्र सरकार तथा कांग्रेस पार्टी ने इस सभा में तथा इस सभा के बाहर कई बार अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती है बल्कि इससे और अधिक समस्यायें पैदा हो जाती हैं। यह महात्मा गांधी ने कहा है। निःसंकोच मैं जनजातिय आतंकवादियों द्वारा की गयी सभी हिंसात्मक गतिविधियों की भर्त्सना करना चाहता हूँ। विशेषतौर पर गैर जनजातीय लोगों तथा सरकारी सम्पत्ति के विरुद्ध हिंसा की ओर इसे अवश्य रोका जाना चाहिए। सरकार द्वारा हिंसा को शीघ्र रोका जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। उदयाचल या एक जनजातीय राज्य या बोडो राज्य या चाहे यह कुछ भी है यह व्यवहारिक तथा सम्भव बात नहीं है। मैं ए. ए. एस. यू. के नेतृत्व की नकल कर के ए. बी. एस. यू. द्वारा किए गए बन्द

के आह्वान तथा उनकी तकनीक अपना कर सामान्य जन जीवन को अस्त व्यस्त करने और यहां तक कि जन साधारण की खपत वाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लाइनों को अस्त व्यस्त करने के भी विरुद्ध हूँ। इन कार्यक्रमों ने समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्दोष लोगों को गम्भीर कठिनाइयों में डाल दिया है। और मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम द्वारा सेना की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।

असम गण परिषद की सरकार इस समस्या को हल करने में पूर्णतया असफल हुई है। वे इसे कानून और व्यवस्था की समस्या समझते हैं और पुलिस को निर्दोष जनजातीय ग्रामीणों जिनमें बूढ़े, स्त्रियां तथा बच्चे भी शामिल है, पर अत्याचार करने के लिए खुला छोड़ दिया है। पुलिस द्वारा नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने के भी आरोप हैं। यह रिपोर्ट समाचार पत्र द्वारा छापी गई है। वह कह रहे थे कि हिंसात्मक कार्यों में लगे आतंकवादियों की भर्त्सना करते हैं और वह इसका समर्थन नहीं करते हैं। परन्तु पुलिस अत्याचारों के बारे में क्या कहते हैं ? पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के बारे में उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा।

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा सदा यही दृष्टिकोण रहा है कि मैं किसी भी प्रकार के अत्याचार के बिरुद्ध हूं, यहां तक कि पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के भी विरुद्ध हूँ। और कुछ मामलों में पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में जांच के आदेश भी दे दिये गये हैं। मैंने यह रवैया असम आन्दोलन की शुरुआत से ही अपनाया हुआ है और यहां तक कि आज भी मेरा यही रवैया है और मैं यह विश्वास करता हूँ कि राजनैतिक समस्यायें केवल दमन से हल नहीं की जा सकती हैं।

श्री विपिन पाल दास : शुरू में वे आत्मसंतुष्ट थे और कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सहायता लेने से मना कर दिया था। परन्तु बाद में बहरहाल वे केन्द्रीय सहायता के लिए चिल्लाये। और जो भी सहायता मांगी गई वह सरकार द्वारा दी गई है। मुझे आशा है कि श्री संतोष मोहन देव उनके द्वारा असम गण परिषद की सरकार को इस आन्दोलन विशेष में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए दी गई सहायता का विवरण देंगे। मेरे पास आंकड़े हैं परन्तु मैं इसका ब्यौरा नहीं देने जा रहा हूं।

एक बार असम गण परिषद ने आतंकवादी विरोधी अधिनियम की निन्दा की थी। परन्तु अब कानून और व्यवस्था पर नियन्त्रण पाने के लिए वे जनजाति लोगों के विरुद्ध टी. ए. डी. ए. अधिनियम को लागू करने की हद तक बढ़ गये हैं। और अभी तक इसके बावजूद भी वे स्थिति पर नियन्त्रण पाने में असफल रहे हैं। वास्तविक अपराधियों को पकड़ने की बजाय उन्होंने निर्दोष लोगों को दुःख देने तथा उत्पीड़ित करने के लिए पुलिस को लगा दिया है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं उनकी सूची दे सकता था कि कितने निर्दोष जनजातीय लोगों को उत्पीड़ित किया गया है या मार दिया गया है। ऐसा करके असम गण परिषद सरकार जनजातीय लोगों में असंतोष भड़का रही है और स्थिति और खराब हो गई है। मुझे आशा है कि यदि वे चाहें तो सरकार इन सबके बारे में कुछ विवरण देगी।

यह बहुत आवश्यक है। दारंग जिले के उदालगुड़ी उप-खण्ड का स्थानीय प्रशासन ने जनजातीय लोगों के बिरुद्ध दलगांव निर्वाचन क्षेत्र के मुसलमानों को भड़काने में लगा हुआ है और भारी संख्या में मकानों को राख में बदल दिया गया है और दोनों समुदायों को हानि हुई है। **(व्यवधान)**

श्री पराग चालिहा : बिलकुल गलत। हम इसे चुनौती देते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : बिलकुल गलत बात है।

श्री विपिन पाल दास : मौके पर पूछताछ करने के बाद, हमने इसे बिल्कुल सच पाया है। एक मुस्लिम नेता श्री अब्दुल जब्बार और एक अन्य जनजातीय नेता ने हस्तक्षेप करके स्थिति को बचा लिया था। अन्यथा यह एक गम्भीर साम्प्रदायिक झगड़े का रूप ले लेती। यह स्टेट्समैन अखबार की रिपोर्ट है जो अखिल भारतीय स्तर का अखबार है। उन्होंने यही किया है। भाग्यवश इसने साम्प्रदायिक झगड़े का रूप नहीं लिया। परन्तु अभी तक खतरा बना हुआ है। इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों को अवश्य दण्ड मिलना चाहिए।

पुलिस बल मानसिक रूप से इतना असंतुलित हो गया हैं कि गलती से उन्होंने एक सन्थाल बच्चे मंगल मुरमू की हत्या कर दी है। उन्होंने एक राजवंशी महिला, जिसका नाम निर्मला राय था, को आधी रात को देश के सीमा से बाहर निकाल दिया गया। पुलिस के गोली से दो नैपाली युवकों को मार दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं की अब स्थानीय संथाली, राजवंशी और नेपाली बोडो आंदोलन से सहानुभूति रखते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देकर सभा का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं केवल कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे विचार से यह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक समस्या है। इसे राजनैतिक दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। ए. जी. पी. सरकार को बोडो लोगों की उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर वार्ता के माध्यम से उनकी समस्या हल करनी चाहिए कुछ वर्तालाप हुआ भी है इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के साथ हुई पिछली वार्ता असफल रही क्योंकि सर्वप्रथम तो ए. जी. पी. के नेताओं ने घोटाला किया और दूसरी बात यह थी कि ए. जी. पी. के कुछ लोगों ने मुख्य मंत्री द्वारा बोडो आंदोलन-कारियों से समझौता का विरोध किया था। मैं पुनः अखबारों का हवाला दे सकता हूं। आशा है है कि इस सम्बन्ध में गृह मंत्री पूरे तथ्यों से अवगत हैं।

अक्तूबर के मध्य में अखिल बोडो छात्र संघ ने अपने आंदोलन को स्थगित कर वार्ता की घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में ए. जी. पी. सरकार द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। वह एक बहुत अच्छा अवसर था जब ए. जी. पी. सरकार को आगे आकर वार्ता करनी चाहिए थी। लेकिन श्री पी. के. महन्त ने सोचा कि यह ए. बी. एस. यू. की कमजोरी का प्रमाण है जिससे अपने आन्दोलन को स्थगित कर वार्तालाप के लिए तैयार हुए हैं। अतः उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

श्री पराग चालिहा : ऐसा बाढ़ के समय हुआ था।

श्री विपिन पाल दास : अक्तूबर के मध्य में ?

श्री पराग चालिहा : निश्चित रूप से।

श्री विपिन पाल दास : क्या बाढ़ के बावजूद वार्ता नहीं हो सकती थी। अगर आप हस्तक्षेप करते हैं, तो मैं यह कह सकता हूँ कि बाढ़ के दौरान आप कहां थे। मैं यह नहीं कहना चाहता। मुझे उत्तेजित न करें।

मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने अब ए. बी. एस. यू. नेताओं को पुनः वार्ता के लिए आमन्त्रित किया है। और ए. बी. एस. यू. ने वार्ता के दौरान एक केन्द्रीय प्रतिनिधि की उपस्थिति का आग्रह किया है। इसमें क्या बुराई है। मुझे यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार, ए. जी. पी. के नेताओं ने असम संधि पर हस्ताक्षर न केवल राज्य सरकार के बल्कि केन्द्र सरकार के साथ भी किए थे। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। दार्जिलिंग समस्या पर भी केन्द्र के योगदान ने ही ज्योति वसु को समझौता करने में सहायता दी। केन्द्र सहायता करना चाहता है केन्द्र ने असम समस्या और दार्जिलिंग समस्या को सुलझाने में सहायता की है। अगर ए. बी. एस. यू. एक केन्द्रीय प्रतिनिधि के उपस्थिति की जिद करता है तो उनकी इस मांग में गलत क्या है ? मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उनकी यह मांग क्यों स्वीकार न की जाये ? कोई कारण नहीं कि ए. बी. एस. यू. के दृष्टिकोण को इस संदर्भ में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मैं दोनों पक्षों से आग्रह करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। मैं ए. बी. एस. यू. के नेताओं से आग्रह करूंगा कि वे हिंसा को त्याग कर वार्ता के लिए आगे आयें और संविधान के ढांचे के अन्तर्गत असम को बिना विभाजित किये इस समस्या का एक उचित और शाँतिपूर्ण समाधान ढूंढे। मैं ए. जी. पी. सरकार से भी आग्रह करूंगा कि वह पुलिस अत्याचारों को तुरन्त समाप्त कर इस समस्या का राजनैतिक वार्तालाप द्वारा समाधान ढूंढे अगर वे इसका समाधान नहीं कर सकते और असम में भड़कती आग को ठन्डा नहीं कर सकते तो असम में जो इसके भयानक परिणाम होंगे उसके लिए इतिहास उन्हें उत्तरदायी ठहराएगा।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं असम राज्य के अन्तर्गत एक अलग बोडो राज्य की मांग पर अपने दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कसिस्ट) के विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि आन्दोलनकारियों द्वारा 28,478 वर्ग कि०मी० क्षेत्र की मांग की गई हैं और इस क्षेत्र की जनसंख्या 61,37,914 है। उनमें से जन-जातियों की संख्या 42,96,000 है। अतः आन्दोलनकारी बोडो लोगों की जनसंख्या शायद 50% है। यह ज्यादा भी हो सकती है। इन जन-जातियों में शगा, मिसिंग, लालौंग इत्यादि भी हैं। केंन्द्रीय सरकार द्वारा देश की जन-जातियों की समस्याओं का समुचित सामाधान नही करने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। शुरू से ही असम में छठी अनुसूची लागू है। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने वह अनुसूची उस क्षेत्र में लागू नहीं की। अगर वह उस क्षेत्र में लागू की जाती तो इस तरह का आन्दोलन वहां नहीं उठता। केन्द्रीय सरकार ने ऐसा नहीं किया।

मूल असम राज्य कई राज्यों में बँट चुका है। कुछ राज्य अहिंसा द्वारा राज्य नहीं बने हैं, जैसे मिजोरम। केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री लालडेंगा से समझौता के उपरान्त ही यह पूर्ण राज्य बना है। इसलिए, कुछ समूह यह विश्वास करते हैं कि जब वे हिंसा के सहारे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, तो बोडो छात्र आन्दोलनकारियों द्वारा क्या गलत किया जा रहा है ? लेकिन हमारा दल इस तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता और हम ऐसी हिंसा की भर्त्सना करते हैं। हम बोडो विद्यार्थियों द्वारा अपनाये गये ढंग की भर्त्सना करते हैं और साथ ही हम राज्य सरकार द्वारा बोडो आन्दोलनकारियों पर किये जा रहे दमन की भी भर्त्सना करते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो इसे सुलझाने में कुछ ज्यादतियां हो

[श्री बाजू बन रियान]

सकती हैं। मेरे अनुभव से, त्रिपुरा में भी ऐसी समस्या को सुलझाने के लिए कुछ ज्यादतियां की गई थी। लेकिन मैं असम में ए०जी०पी० सरकार द्वारा जन-जाति समस्या को सुलझाने के लिए जो रास्ता अपनाया गया है उससे कतई सन्तुष्ट नहीं हूँ। अगर मेरा अनुमान ठीक है तो असम सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं में असमिया भाषा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। लेकिन वहाँ असमिया के अलावा अन्य भाषाएं भी हैं जहाँ शिक्षा का माध्यम बंगला और बोडो है लेकिन सभी शिक्षण संस्थाओं में असमिया को अनिवार्य कर दिया गया है। मेरे विचार से यह निर्णय बोडो लोगों की भावना को ठेस पहुँचाता है। मजे की बात तो यह है कि अखिल बोडो विद्यार्थी संघ की मांगों और आन्दोलन का समर्थन ए०के०के०एस०यू० द्वारा किया गया है। इस संगठन के अध्यक्ष श्री प्रदीप दत्त राय है। मैं आपका ध्यान अप्रैल, 1989 के "आलोकपत" के अंक की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें श्री प्रदीप दत्त राय और श्री उपेन्द्र नाथ ब्रह्मा का चित्र छपा था। उसमें वे इस आन्दोलन के भविष्य के बारे में योजना बना रहे दिखाए गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि ए.बी.एस.यू. और एके.के.एस.यू. साथ-साथ काम कर रहे हैं। ए.के.के.एस.यू. में सभी बंगाली विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व है। जबकि ए.बी.एस.यू. सभी जन-जाति समूहों द्वारा। हमारे राज्य में टी.यू.जे.जे. और टी.एस.एफ. सभी बंगालियों को विदेशी कहकर उन्हें राज्य से बाहर निकालने पर तुले हैं। लेकिन असम में ये जन-जाति और बंगाली विद्यार्थी एक साथ मिलकर ए.जी.पी. सरकार को हराने की सोच रहे हैं और केन्द्रीय सरकार वर्तमान स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। वे ए.जी.पी. सरकार को गिराने के लिए इस आन्दोलन को भड़का रहे है। मेरे विचार से यह समस्या केवल ए.जी.पी. सरकार की ही नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार की भी है। यह समस्या हमारे देश की अखंडता को खतरा पहुँचा सकती है। अगर यह आन्दोलन इसी तरह चलता रहा तो यह हमारे देश की एकता और अखंडता को समाप्त कर देगा। यह समस्या केवल बोडो जन-जाति की ही नहीं है। यह समस्या सभी जन-जातियों की है, जैसे— मिजो, नागा, इत्यादि। अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत पूरे भारतवर्ष में, जहाँ भी सम्भव हो, तथा जहां भी जन-जातियों की संख्या ज्यादा हो, वहां स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना करनी चाहिए।

कुछ दिन हुए मैंने महाराष्ट्र में एक जन-जाति सम्मेलन में भाग लिया। मेरे अनुमान से महाराष्ट्र में जन-जातियों की संख्या करीब 58 लाख है। उस सम्मेलन में उन्होंने महाराष्ट्र के जन-जाति लोगों के लिए, छठी अनुसूची के अन्तर्गत एक स्वायत्त जिला परिषद् के निर्माण की मांई की थी। अतः सरकार को आगे आकर पूरे देश में जहां जन-जाति लोग ज्यादा संख्या में हैं, वहां स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना करनी चाहिए। सरकार ने पांचवीं अनुसूची के तहत कुछ क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की है लेकिन यह परिषदें बहुत ही प्रभावहीन सिद्ध हुई हैं। अगर आवश्यक हो तो सरकार को एक विधेयक बनाकर छठी अनुसूची का संशोधन करना चाहिए जिससे पूरे देश में ऐसी व्यवस्था की जा सके। मैं उन सभी लोगों से, जो बोडो आन्दोलन से सम्बन्धित हैं, अनुरोध करता हूं कि वे हिंसा छोड़कर वार्ता के लिए आगे आयें। केन्द्र और राज्य सरकार को एक-साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अगर हमारे दल को भी बैठक में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया तो हम इसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं और मैं आशा करता हूं कि दूसरे विपक्षी दल भी इसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार होंगे। 17 या 18 अप्रैल 1989 को

मुझे ठीक तारीख याद नहीं हैं, असम गण संग्राम परिषद सरकार ने बोडो छात्र नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया लेकिन वे इस दलील पर नहीं आये कि केन्द्र सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। केन्द्र सरकार की एसी क्या समस्या है कि वे बातचीत के लिए नहीं आ सकते हैं? यह समस्या केवल केन्द्र सरकार के लिए नहीं है। केन्द्र सरकार हमारे राज्य में इस तरह की समस्या से कैसे निपटी है? टी.एन.वी. केन्द्र सरकार की उपज है। केन्द्र सरकार की बजह से ही टी. एन.वी. पैदा हुई। यह बहुत स्पष्ट है। यह समाचार पत्र में भी छपा था। टी.एन.वी. के प्रमुख श्री विजय कुमार हरान्कल को 15 अगस्त, 1988 के समारोह में विशेष अतिथि बनाया गया। मैं तो कहूँगा कि केन्द्र सरकार को इस तरह के उग्रवादी नेता को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूँगा कि उन्हें इस तरह से बढ़ावा न दें। मैंने श्री सुभास घीसिंग को सम्मानित किये जाते हुए देखा है। केन्द्र सरकार इस प्रकार के उग्रवादी और अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे रही है। मैं केन्द्र सरकार पर इन आन्दोलनों को पैदा करने का आरोप लगाता हूँ। वे इन्हें बनाने वाले हैं। मैं तो केन्द्र सरकार को कहूँगा कि अब यह एक साथ मिल बैठकर समस्या हल करने का उचित समय है। क्या आप अन्य दलों को भी इसमें शामिल होने तथा हमें इस समस्या को सुलझाने में सहायता करने के लिए आमन्त्रित कर सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री चिंतामणि जेना का आभारी हूँ कि उन्होंने असम में बोडो छात्र आन्दोलन के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरम्भ की। यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मुझे श्री विपिन पाल दास और श्री गोस्वामी द्वारा दिये गये दो भाषणों को सुनने का अवसर मिला है। मैं असम का नहीं हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सात बहिनों में कुछ भी परिवर्तन या बदलाव आये हों लेकिन असम के बगैर हम अपनी राजनीति और यादगार इतिहास के बारे में नही सोच सकते हैं। कुछ भी हो असम ने इतिहास में अपनी भूमिका अदा की है। मैं असम से तब से जुड़ा हूँ जब से मैं 1940 के शुरू में असम के श्री लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई द्वारा प्रोत्साहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस छात्र मोर्चे में शामिल हुआ था। यद्यपि संगठन के स्तर पर मेरा कार्य क्षेत्र मणिपुर राज्य था। मुझे असम में विभिन्न समुदायों और दलों के नेताओं के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्हीं बातों की बजह से मैं इस विषय पर दृढ़धारणा और विश्वास के साथ बोल पाया हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर अन्तिम फैसला देना बहुत कठिन है। बोडो छात्र आन्दोलन की आज की स्थिति पर, इसका इतिहास चाहे जो कुछ भी हो, चाहे यह 1967 में शुरू हुआ हो या इसने पिछले दो वर्षों में उग्रवाद का रूप धारण कर लिया हो, दो तरह से गौर किया जा सकता है राजनैतिक ढंग से और गुणों के आधार पर। सभी समस्याओं को हल किया जाना है। यह हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की नीति है। अब समस्याओं को हल करने की दृष्टि से मैं ये टिप्पणियां करना चाहूँगा। श्री विपिनपाल दास द्वारा दिये गये भाषण में समुदायों का विकास उनकी इस देश में कब और कहां उत्पति हुई है, के बारे में विस्तार से बताया गया है। हमें श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा दिये गये भाषण को सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो पार्टी में और साथ ही साथ सभा में मेरे साथी रहे हैं और उनका भाषण कुछ हद तक राजनीति से प्रेरित रहा है और कुछ हद तक विषयपरक रहा है। असम के नेताओं के यह गुस्से में कहने के पीछे कारण हैं कि उनका राज्य एक घायल राज्य है। इसमें से राज्य के रूप में मिजोरम, नागालैंड का बनाया जाना और साथ लगे क्षेत्रों का

[श्री एन० टोम्वी सिंह]

छोटे-छोटे स्वायत्त राज्यों के रूप में सामने आना वास्तव में ये सब बातें असम राज्य को प्रभावित करती हैं परन्तु यहां मजबूर कर देने वाली परिस्थितियाँ रही हैं। बोडो आन्दोलन के मामले में कुछ बहुत मुख्य बातें हैं। 1967 में अखिल मैदानी आदिवासी परिषद ने यह शुरू किया था और यह उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। असम गण संग्राम परिषद द्वारा असम में सत्ता में आने के तुरन्त बाद यह आन्दोलन कैसे उग्र और हिंसक हो उठा ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब यह आन्दोलन उग्र हो गया तो पड़ोसी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों, राजनीतिज्ञों जनता के नेताओं सभी ने अच्छी बजूहातों के लिए इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की। मणिपुर, नागालैंड मेघालय आदि जाने के लिए असम से गुजरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि असम के सड़क मार्ग बन्द हो जाते हैं तो सभी अन्य राज्य प्रभावित होंगे। स्वाभाविक रूप से हमारा यह पूरा अधिकार है कि हम माननीय मन्त्री का ध्यान इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आकर्षित करें ताकि राजनैतिक संकट और आर्थिक संकट, जिन्होंने आज पूरे पूर्वोत्तर को घेर लिया है का कुछ उपचार तुरन्त ढूंढा जा सके।

साथ ही साथ हमें असम राज्य अन्य शेष नागरिकों के समान आदिवासियों से समान व्यवहार करने के प्रश्न का भी एक हल खोजना है। बोडो समुदाय जिसे जैसाकि श्री दास द्वारा बहुत प्रमाणिक ठहराया गया है, पूर्वोत्तर का एक बहुत प्राचीन समुदाय है। हमारी एतिहासिक जानकारी यह है कि जब कभी मणिपुरी राजाओं ने कोई युद्ध या संग्राम छेड़ा या पड़ोसी राज्यों और पश्चिमी तरफ के राष्ट्रों के साथ मित्रता बढ़ाई तो उनमें केसारियों का उल्लेख आया जो बोडो का दूसरा नाम था। अतः वे ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे।

स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी द्वारा रखी गई नीति के मुताबिक जो संविधान में शामिल की गई है उनके उत्तराधिकारी पंडित जी द्वारा क्रियान्वित की गई है, हमने आदिवासियों के हितों का ध्यान रखा है। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस पार्टी ने जहां कहीं भी आदिवासी हैं उनका ध्यान रखा है। अब इस पृष्ठ भूमि में मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, असम गण संग्राम परिषद का राजनैतिक या साम्प्रदायिक रवैया क्या है ? क्या यह असम को कांग्रेस संगठन की तरह, आदिवासी या गैर-आदिवासी जैसी बात न उठाकर, एक सूत्र में देख सकता है ?

मैं श्री दिनेश गोस्वामी और अन्य नेताओं से सहमत हूँ कि अब असम के और टुकड़े नहीं होने चाहिए। केन्द्र ने भी अपनी यह नीति, कि असम को और नहीं तोड़ा जायेगा, जाहिर की है। परन्तु केवल कहना पर्याप्त नहीं है। हमें कतिपय नीतियों को बनाना और क्रियान्वित करना चाहिए। असम गण संग्राम परिषद की इस सम्बन्ध में आधारभूत नीति क्या है ? असम में पहले की कांग्रेस सरकार की नीति और वर्तमान सरकार की आदिवासियों तथा छोटे अल्पसंख्यक समूहों के संदर्भ में नीति में क्या आधारभूत अन्तर है ? निश्चित रूप से इसमें आधारभूत अन्तर है। यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। मैं नहीं जानता कि क्या असम गण संग्राम परिषद इसे समझेगी और उपचारात्मक उपाय करेगी। यह बिल्कुल सही है कि असम गण संग्राम परिषद और कांग्रेस पार्टी सरकार के बीच असम के लोगों, आदिवासी और गैर आदिवासियों को व्यापक रूप में देखने के मामले में आधारभूत अन्तर है। यह एक तथ्य है जिससे बोडो का वर्तमान रवैया उग्र हुआ है। मैं कभी भी यह नही कहना चाहूँगा कि इस आन्दोलन में यह उग्र रवैया या हिंसा का जोर पकड़ना

अच्छी बात है। मैं निश्चित रूप से इसका विरोध करता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे दल से संबद्ध हूँ जो किसी भी प्रकार की हिंसा के एक दम विरुद्ध है। परन्तु हमें यह देखना है कि ये बोडो छात्र अचानक उग्रवादी क्यों बन गये हैं। उनकी राज्य सरकार से राय नहीं मिल सकती। उन्हें उस सरकार पर कोई विश्वास नही है और स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रधान मन्त्री को आमन्त्रित करना पड़ेगा।

इस संबंध में मैं श्री गोस्वामी मुख्य मन्त्री श्री महन्त और उनके साथियों सहित असम गण संग्राम परिषद की सरकार से अपील करना चाहूँगा कि उन्हें इसे इज्जत का मामला नहीं बनाना चाहिए और उन्हें केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करवाना चाहिए, जैसे उन्होंने अखिल असम छात्र संघ के आन्दोलन के दौरान किया था। केन्द्र ने इसे कभी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया। जब अखिल असम छात्र संघ ने श्री सैकिया से बात करने के लिए मना किया तो केन्द्र, राज्य की सहायता करने के लिए आगे आया था। उस वक्त असम गण संग्राम परिषद ने एक अलग राज्य की मांग नहीं की थी और समस्या उतनी गम्भीर नहीं थी जितनी अब है। यह ऐसी समस्या है जो संविधान के अन्दर और सामान्य ढांचे के अन्दर हल की जानी चाहिए। अब यह मुद्दा उस सीमा से बाहर चला गया है जहां केन्द्र को हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाए। अतः इस सम्बन्ध में असम गण संग्राम परिषद को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि श्री दिनेश गोस्वामी ने अभी-अभी कहा था हिंसा की निन्दा होनी चाहिए तथा उन्हें बातचीत के लिए आगे आना चाहिये।

दूसरा मुद्दा, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वह सरकार का पुलिस बल के जरिए कार्यवाही करने सम्बन्धी व्यवहार के बारे में है, मैं ऐसे राज्य से संबद्ध हूँ जहां ये विद्रोही गतिविधियाँ कई दशकों से चल रही हैं और जब पुलिस कार्यवाही करती है तो वे गलती करते हैं; मैं यह नहीं कहता कि कहर ढ़ाते हैं। ये गलतियाँ की जाती हैं और यहाँ तक कि निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है। परन्तु मेरे राज्य या अन्य साथ लगे राज्यों में जहाँ विद्रोह होते हैं तो सरकार सदा पूरे मामले की जाँच करती है और अन्य निर्दोष व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान दिया जाता है जो इस प्रकार घटनाओं में मारे जाते हैं। मैं माननीय गृह मन्त्री से जानना चाहूँगा कि क्या असम राज्य सरकार ने इस प्रकार की किसी जाँच का आदेश दिया है और यदि हो तो क्या वे यह पता लगा पाये हैं कि जो निर्दोष व्यक्ति पुलिस के गोली चलाने से गलती में मारे गये हैं उन्हें मुआवजा दिया गया है मैं यह जानकारी माननीय मन्त्री से चाहता हूँ और यदि ऐसा नही किया गया है तो मैं असम गण संग्राम परिषद सरकार से यह करने की अपील करूंगा। यह समय की माँग है क्योंकि हमें लोगों में विश्वास पैदा करना है।

श्री दिनेश गोस्वामी : इस सम्बन्ध में एक जाँच की गई है और मैं आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश करूंगा।

श्री एन० टोम्बी सिंह : श्री गोस्वामी ने कहा है कि असम गण संग्राम परिषद सरकार ने इस आन्दोलन के दौरान खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई द्वारा लोगों की सहायता करने की कोशिश की है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हुं। मेरा सम्बन्ध बुरी तरह से प्रभावित राज्य से है। हमारे क्षेत्र में कोई फसल नहीं होती है और सभी चीजें या तो गुवाहाटी से या असम से आती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक महीने के लिये खाद्यान्नों की ढुलाई का लक्ष्य सामान्यतः एक लाख 80 हजार मीट्रिक टन है। मार्च के महीने में और अप्रैल के एक हिस्से में

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

ढुलाई लक्ष्य से कम रही । अप्रैल के अन्तिम 10 दिनों में केवल 35 हजार मीट्रिक टन की ढुलाई की गई । इसका अर्थ यह है कि अड़चन इतनी बड़ी है कि परिवहन अधिकारियों के लिए इस लक्ष्य को पूरा करना बहुत कठिन होगा । जब रेलगाड़ियां अथवा परिवहन के अन्य साधन रद्द कर दिए जाते हैं तो आवश्यक सामिग्री की उचित ढंग से ढुलाई नहीं होती है अतः हम नहीं कह सकते हैं कि ढुलाई संतोषजनक है ।

6.00 म० प०

कछार घाटी, जहां से हमारे मन्त्री महोदय हैं, एक प्रभावित क्षेत्र है । केवल असम ही नहीं बल्कि मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्य भी प्रभावित हैं ।

इस संकट से बचने के लिए केन्द्र, राज्य सरकार और ए. बी. एस. यू. की आपस में मिल कर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए ताकि समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस बातचीत हो सके । हम इस स्थिति को इस प्रकार आंकते हैं ।

श्री समर ब्रह्म चौधरी (कोकराझार) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं माननीय सदस्य गण श्री जेना, श्री रावत, श्री नायक तथा अन्य लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने नियम 193 के अधीन यह चर्चा आरम्भ की है ।

जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं बोडो समुदाय से हूं और मैं कोकराझार के उस विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां अशान्ति पनप रही है । अतः, उपाध्यक्ष महोदय मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपनी भावनाएं और शिकायतें व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय दें ।

महोदय, मूल प्रश्न किसी विशेष राज्य का बोडोलैंड अथवा उदयाचल के रूप में विभाजन का नहीं है । मूल प्रश्न जनजातीय पहचान का है । जनजातीय लोग अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं और असम के मैदानी जनजातीय लोगों ने स्व-निर्णय के अधिकार की मांग की है । श्री बिपिन पाल दास ने बोडो के इतिहास का उल्लेख किया है और बोडो के बारे में उनके प्रभाव और उनके महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । किन्तु दुर्भाग्यवश असम मैदानी जनजातीय लोगों की जिनकी संख्या बहुत अधिक है और वास्तव में जिनकी गोद में असमिया भाषा और संस्कृति का विकास हुआ है आज उपेक्षा हो रही है । यह जनजातीय लोग असम के मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और इसीलिए इन्हें असम के मैदानी जनजातीय लोग कहा जाता है । इन मैदानी जनजातीय लोगों को छठी अनुसूची से, जिसमें असम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबन्ध हैं स्पष्ट कारणों से अलग रखा गया था इन्हें पांचवीं अनुसूची से भी अलग रखा गया जो देश में असम को छोड़ कर सभी जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है । इन मैदानी जनजातीय लोगों को हमारे संविधान की पांचवी और छठी दोनों अनुसूचियों से अलग क्यों रखा गया ? संविधान सभा के दिनों में यह कारण बताया गया था कि असम के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान खो चुके हैं और बहुत हद तक असम की मुख्य धारा में सम्मिलित हो गए हैं । दुर्भाग्य वश, उन प्रतिनिधियों ने जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण के दिनों में संविधान सभा में असम का प्रतिनिधित्व किया एक झूठी तस्वीर पेश की । इतिहास गवाह है और वर्तमान स्थिति

भी गवाह है कि जनजातीय लोगों ने अपनी पहचान नहीं खोई है। न ही वे असम की मुख्य धारा में सम्मिलित हो गए हैं। बल्कि वे अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं और वे अपनी अलग पहचान बनाए रखेंगे। इसीलिए आज जनजातीय लोगों ने उदयाचल नाम से पृथक प्रशासनिक व्यवस्था की माँग की है या बोडो विद्यार्थियों ने असम पृथक बोडोलैंड बनाए जाने की माँग की है। तब जिन लोगों ने असम में संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया झूठी तस्वीर पेश की ? क्योंकि वे यह चाहते थे कि जनजातियाँ समाप्त हो जाएं ताकि आने वाले समय में असमी समाज उन्नति कर सके। यदि आप इतिहास में जाएं तो आप पायेंगे कि असमी लोग असम की कुछ मूल जनजातियों से मिलकर पले हैं। यह बोड़ो या बंगाली या उड़िया या मणिपुर आदि जातियों की भाँति मूल जनजाति या मूल समुदाय नहीं हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि वे इन जनजातियों का दमन कर दें और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे जहां उनका दम घुटने लगे और असमी समाज के पक्ष में मरने के लिये बाध्य कर दिए जाएं तो असमी समाज फलेफूलेगा। यही कारण है कि उन्होंने झूठी तस्वीर पेश की और राष्ट्र को धोखा देने में सफल हुए तथा मैदानी जनजातीय लोगों को पांचवी और छटी अनुसूचियों के क्षेत्र से बाहर रखा। यह सर्वविदित है कि नरसंहार के अतिरिक्त लोगों को बरबाद करने का एक निश्चित तरीका उन्हें उनके क्षेत्र से अलग कर देना या उस क्षेत्र के जनसंख्या के अनुपात को बिगाड़ना उनकी भाषा तथा संस्कृति को छीन लेना है। इन क्षेत्रों को पांचवीं और छठी अनुसूचियों में जनजाति क्षेत्रों के रुप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था क्योंकि नेताओं की इच्छा जनजातीय जनसंख्या को छितराने की थी। यद्यपि षडयन्त्र रचा गया था फिर भी राजनीतिक नेता वास्तविकता की पूर्णतः उपेक्षा नहीं कर सके और इसीलिये उन्हें जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिये जनजातीय क्षेत्रों को जनजातीय पट्टी और ब्लॉक घोषित करने पड़े। और उन्होंने असम भूमि और राजस्व (विनियमन) अधिनियम, 1885 के अधीन भूमि के हस्तान्तरण—भूमि के पृथककरण – पर प्रतिबन्ध लगाकर विशेष प्रावधान किया। आज पूरे असम में 45 से अधिक जनजातीय बेल्ट और ब्लॉक हैं। यदि जनजातीय लोग एक स्थान पर बसे हुए न होते और यदि उनका अपना क्षेत्र न होता तो ये 45 बेल्ट और ब्लॉक कैसे बनाए जा सकते थे ?

मेरे मित्र श्री गोस्वामी जनजातीय केन्द्रीकरण का हवाला दे रहे थे और उन्होंने वर्ष 1972 की जनगणना के आधार पर इनकी प्रतिशतता भी निकाली थी।

प्रथमतः यह जनगणना, जिसमें अधिकतर गणनाकार गैर जनजातीय लोग थे, ठीक ढंग से नहीं की गई थी। हम सैकड़ों ऐसे जनजातीय गाँव दिखा सकते हैं—शत प्रतिशत जनजातीय गांव —जिन्हें पूर्णतः गैर जनजातीय असमी भाषी लोग दर्शाया गया है। उन जनजातीय बेल्ट और ब्लॉक के बारे में क्या बिचार है ? जनजातीय बेल्ट और ब्लॉक घोषित करने के क्या मानदंड थे ? एक मानदण्ड तो जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता है। इसकी न्यूनतम प्रतिशतता 50 प्रतिशत होनी चाहिए और जहां कहीं 50 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या हो केवल उन्हीं क्षेत्रों को जनजातीय बेल्ट और ब्लॉक घोषित किया जाएगा। अतः यह वास्तविकता कि इन क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्रों तथा खण्डों के रूप में मान्यता दी गई है इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि वे क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है; यदि आदिवासी बहुमत के आधार पर आदिवासी क्षेत्र और खण्ड बनाये जा सकते थे तो इस छठी अनुसूची को उन आदिवासी क्षेत्रों तक क्यों नहीं बढ़ाया गया जिन्हें असम सरकार के राजस्व विभाग द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी गई थी ? ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि प्रमुख समाज का आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासियों की सम्मति,

[श्री समर ब्रह्म चौधरी]

और उनके कृषि उत्पाद और उनके मन प्राप्त करने का निहित स्वार्थ है। वे उन्हें अलग-थलग करके उनकी आदिवासी पहचान को समाप्त करना चाहते थे।

अतः यदि असम सरकार अब यह तर्क प्रस्तुत करती है कि कुछ क्षेत्र आदिवासी बहुत क्षेत्र नहीं हैं और उन क्षेत्रों में केवल 2 प्रतिशत 5 प्रतिशत अथवा 9 प्रतिशत आदिवासी हैं तो फिर इन आदिवासी क्षेत्रों और खण्डों को आदिवासी क्षेत्रों और खण्डों तथा रूप में घोषित क्यों किया गया जबकि वहां आदिवासी लोगों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी फिर किस कारण से अ: यह कम होकर 2 प्रतिशत अथवा 9 प्रतिशत रह गई है ? जब इस भूमि और राजस्व नियमन अधिनियम, 1985 में आदिवासी लोगों से गैर-आदिवासी लोगों को भूमि हस्तांतरित करने पर प्रतिबन्धित लगा हुआ है तो इन गैर-आदिवासी लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों में घुसपैठ कैसे की और आदिवासी जनसंख्या को 50 प्रतिशत से अधिक से घटाकर 2 प्रतिशत 9 प्रतिशत कैसे कर दिया ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रमुख समाज के नेतृत्व में कांग्रेसी अथवा ए.जी.पी. सरकार ने इन सभी वर्षों में आदिवासियों की भूमि की रक्षा करने की बजाय, ऐसे सभी आदिवासी क्षेत्रों के विनाश के लि; अवैध रूप से रहने वाले लोगों और अनाधिकार प्रवेशकर्ताओं से सांठ-गांठ की ऐसा इतिहास रहा है। इन आदिवासी खण्डों और क्षेत्रों को आदिवासी अल्पसंख्यक क्षेत्र बना दिया गया। यह वास्तविकता इस बात पर बल देती है कि आदिवासी क्षेत्रों को विशेष संरचना दिये जाने की आवश्यकता है और आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार और असम सरकार समान रूप से बचनबद्ध हैं।

असम समझौते में खण्ड 10 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों और खण्डों को क्रियान्वित करने के बारे में सहमत हुई है और आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, उन्हें अक्षरश लागू करने के लिए विशेष नियम, नियमन अथवा कानून बनाये गये हैं। यदि इन भूमि और राजस्व कानूनों को सख्ती से लागू किया जाये तो आपको यह पता लगेगा कि 90 प्रतिशत अथवा 99 प्रतिशत गैर-आदिवासी निवासी या तो अवैध घुसपैठिये हैं अथवा अवैध निवासी हैं। अतः यदि विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए बनाये गये इन कानूनों को लागू किया जाता है तो गैर-आदिवासी घुसपैठिये बेदखल होने के पात्र हैं। भारत सरकार और असम सरकार उन कानूनों को लागू करने और गैर-आदिवासी लोगों को वहां से निकालने के लिए बचनबद्ध है। अतः यह तर्क पूर्णतः आधारहीन है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हैं जहाँ जिला-परिषदों की स्थापना की जा सकती है अथवा उन्हें लागू किया जा सकता है। दुर्भाग्य से इस समय जब हम उपेन ब्रह्मा के नेतृत्व वाले विद्रोही अखिल बोडो छात्र संघ को बातचीत के लिये बुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें यह सूचना मिली है कि हाल ही में असम के मुख्य मन्त्री ने नवगाँव में यह कहा है कि बोडो लैंड बनाने की तो बात ही छोड़िये कोकराझार में जिला परिषदों का विस्तार भी नहीं किया जा सकता, मैं यह नहीं जानता कि क्या यह एक सही सूचना है अथवा नहीं। परन्तु यदि यह सही सूचना है तो इससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की अपेक्षा अखिल बोडो छात्र संघ का रवैया और भी सख्त होगा। और जब ऐसे संवेदनशील राज्य में मुख्य मन्त्री इस प्रकार के वक्तव्य देता है तो ए. जी. पी. के रवैये के बारे अति आशंकित होने के लिए हम अखिल बोडो छात्र संघ को दोष नहीं दे सकते।

ठीक हैं, मैं असम की मैदानी आदिबासी परिषद से सम्बन्ध रखता हूँ। हमने इस आन्दोलन को वर्ष 1967 में आरम्भ किया था और हम प्रत्येक चुनाव में भाग ले रहे हैं। प्रत्येक चुनाव में आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग एक मुद्दा रही है। हर बार इस मुद्दे को उठाया गया था। मैं असम विधान सभा के लिये निर्वाचित हुआ था।

इस बार मैं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ हूं। हमने इसी मुद्दे को लेकर अपना चुनाव लड़ा था। लोगों ने हमें मत दिये थे। मैंने ए.जी.पी. और कांग्रेसी उम्मीदवारों को हराया था। मैं असम मैदानी आदिवासी परिषद के टिकट पर निर्वाचित हुआ था। यह एक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है। हमारा अपना आरक्षित चिन्ह है। हम इस मुद्दे को उठाते रहे हैं परन्तु हम लोकतान्त्रिक तरीकों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। अब हम भी हिंसा का विरोध कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप विद्रोही ए.बी.एस.यू. कार्यकर्ताओं द्वारा असम की मैदानी आदिवासी परिषद के 22 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। इसके बावजूद भी हमने अपने सिद्धान्त को नहीं छोड़ा है। हम उस सिद्धान्त की कीमत अदा कर रहे हैं जिसका हम समर्थन करते हैं। लोग कहते हैं कि हमने आदिवासी लोगों के हितों के साथ विश्वासघात किया है। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया है। यह वक्तव्य ठीक नहीं है। वर्ष 1983 में हिंसक चुनावों के बाद असम में नेल्ली और गोहपूर में हत्याकांड हुए थे—तत्कालीन प्रधान मन्त्री महोदया ने 10 मार्च, 1983 को असम का दौरा किया था। हमें उनसे गेस्ट हाउस नं० 1, जवाहर नगर, गुवाहाटी में मुलाकात करने का सुअवसर मिला था। मैं इसे रिकार्ड में लाना चाहता हूँ। उन्होंने हमें बताया था, मैं उद्धृत करता हूँ "मैं उदयाचल के बारे में आपकी दार्शनिक अवधारणा को स्वीकार करती हूँ परन्तु आप हमें यह बताइये कि इसकी भौगोलिक अवधारणा क्या है। आप इस बात को ठीक प्रकार से बताने में असमर्थ रहे हैं कि आप इस उदयाचल की स्थापना किस क्षेत्र में करना चाहते है। तत्कालीन विशेष गृह सचिव श्री पी० पी० नैय्यर प्रधान मन्त्री महोदया के साथ ही थे। श्रीमती गान्धी ने उनका हमसे परिचय कराया और उनसे हम यह जानकारी देने के लिए कहा कि उदयाचल की भौगोलिक स्थिति को दिखाते हुए एक नोट कैसे तैयार किया जाना हैं : हमने उनसे दो घन्टे तक बातचीत की और उसके बाद 17 मई, 1983 को भारत सरकार को अपना नोट प्रस्तुत कर दिया। कम से कम हमें लिखित रूप में भारत सरकार की औपचारिक प्रतिक्रिया तो प्राप्त हुई। मैं यहां इन सभी बातों का उल्लेख करना नहीं चाहता क्योंकि आप लगातार घन्टी बजा रहे हैं।

वर्ष 1985 के चुनावों के बाद मैं 22 अप्रैल, 1986 को लोकसभा में मैं आया और दिल्ली की गलियों में भारी संख्या में पी.टी.सी.ए. स्वयंसेवकों ने प्रदर्शन किया और वोट क्लब के निकट प्रदर्शन किया हमने राष्ट्रपति जी, गृह मन्त्री, प्रधान मन्त्री, श्री राजेश पायलट तथा कुछ अन्य केन्द्रीय नेताओं से बातचीत की। उसके बाद 27 नवम्बर, 1986 को पहली बार असम की मैदानी आदिवासी परिषद ने 12 घन्टे का रेल रोको कार्यक्रम चलाया। प्रस्तावित उदयाचल क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लगभग 2 लाख स्वयंसेवकों ने उस रेल रोको कार्यक्रम में भाग लिया। जब भारी संख्या में लोगों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की सूचना मिली तो गृह मन्त्री श्री बूटा सिंह ने इस मुद्दे के समाधान के लिए त्रि-पक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा। मैं केन्द्र सरकार के प्रति कृतज्ञ हूँ कि श्री बूटा सिंह ने त्रिपक्षीय चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा। तब भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने असम की सरकार को पत्र लिखा। लेकिन न जाने असम गण परिषद की राज्य सर-

[श्री समर ब्रह्म चौधरी]

कार को क्या शंका हुई कि उन्होंने त्रिपक्षीय चर्चा के लिए समय नहीं दिया। तब 1987 में अखिल बोडो छात्र संघ (ए.बी.एस.यू.) ने अपनी मातृभूमि की मांग शुरू की और इसने अपना आन्दोलन शुरू किया। इसी बीच पी.टी.सी.ए. द्वारा भी अनेक उग्र आन्दोलन किये गये। लेकिन फिर भी असम गण परिषद् की राज्य सरकार ने त्रिपक्षीय चर्चा के लिए हमें समय नहीं दिया। तब जाकर वर्ष 1988 में, असम के राज्यपाल श्री भीष्म नारायण सिंह के कहने पर त्रिपक्षीय वार्ता के लिए एक तिथि निश्चित की गयी। और 17 मई 1988 को दिसपुर के गेस्ट हाउस नं० 1 में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। तत्कालीन गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री चिन्तामणी पणीग्रही, गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव, गृह विभाग के विशेष संयुक्त सचिव ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री, राजस्व मन्त्री और कुछ अन्य मन्त्रियों समेत मुख्य सचिव, पुलिस महा निदेशक और गृह विभाग के आयुक्त ने असम की सरकार का प्रतिनिधित्व किया। वहाँ हम दो मुद्दों पर सहमत हो गये। प्रथम तो यह कि मैदानी भागों की जन-जातियों की समस्या एक राजनीतिक समस्या है और इसका समाधान राजनीतिक तरीके से किया जाना चाहिए, द्वितीय यह कि एक आम सहमति के समाधान के लिए वार्तायें जारी रखनी चाहिए। 17 मई 1988-के एक महीने बाद असम की सरकार द्वारा एक दूसरी बैठक आयोजित की जानी थीं। हम लोगों ने किसी भी स्थान और तिथि के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। हमने उनसे कहा था कि किसी भी तिथि और स्थान के लिए हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। जहां कहीं भी आप हमें बुलायें हम वार्ता में भाग लेने के लिये तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके तुरन्त बाद ही यहां गृह मन्त्रालय में फेर-बदल होने के कारण परिस्थितियाँ बदल गयीं। श्री चिन्तामणी पणिग्रही के स्थान पर वर्तमान मन्त्री श्री सन्तोष मोहन देव ने पदभार सम्भाला था। जब श्री देव ने पदभार सम्भाला तो असम गण परिषद की सरकार और अधिक आशंकित हो गयी जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय बैठक कभी नहीं हुई। मेरा विरोध इसी बात से है। यदि असम की राज्य सरकार वार्तायें और चर्चायें जारी रखती तो शायद ए.बी.एस.यू. को, चाहे यह श्री सन्तोष मोहन देव द्वारा प्रोत्साहित किया गया हो या किसी अन्य के द्वारा अथवा नक्सलवादियों द्वारा इसे समर्थन दिया गया हो या विदेशी ताकतों द्वारा इसे मदद मिल रही हो, क्योंकि आजकल इस प्रकार की अनेक खबरें आ रही हैं—मैं नहीं जानता हूँ कि इनमें सच्चाई है अथवा नहीं—उग्रवादी ढंग से आन्दोलन चलाने का अवसर नहीं मिलता। दुर्भाग्यवश असम गण परिषद् की सरकार ने वार्ताओं और चर्चाओं को जारी नहीं रखा। इसने इन्हें रोक दिया। इसी कारणवश बोडो क्षेत्र में स्थिति बिगड़ने का जिम्मेदार मैं असम गण परिषद की सरकार को मानता हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि हमें इस बोडो समस्या को अपने राजनीतिक वैर को चुकाने का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति दोष लगाने का अवसर इसके द्वारा उत्पन्न नही होने दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

यह सिर्फ बोडो से ही सम्बन्धित प्रश्न नहीं है बल्कि यह जनजातियों के अस्तित्व को बनाये रखने का भी प्रश्न है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी अनेक प्रश्न शामिल हैं। इसमें अस्तित्व रक्षा का प्रश्न निहित है, इसमें यह प्रश्न भी निहित है कि वर्तमान समय में भारत में कौन सा तरीका अधिक प्रभावकारी है, शान्ति, अहिंसा और प्रजातांत्रिक तरीका अथवा हिंसा और उग्रवाद का तरीका? इनमें से कौन सा तरीका अधिक अधिक प्रभावकारी है? हमें इस दृष्टिकोण से ही इस

समस्या को देखना चाहिए क्योंकि अनेक जनजातियों और जातीय आन्दोलनों का भविष्य इस समस्या के समाधान पर ही निर्भर है। यदि उग्रवादी लोगों की बात मान ली जाये तो इससे अन्य जगहों पर, चाहे यह झारखंड हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम और मणिपुर भी हो सकता है, शीघ्र ही उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। मुझे आशंका है कि मणिपुर और सिक्किम में भी जातीय समस्या उठ रही है क्योंकि सिक्किम के जनजातिय लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि लेपचाओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबन्ध होने चाहिए। मणिपुर पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय लोग भी यह चाह रहे हैं कि जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए चाहे छठी सूची के अन्तर्गत अथवा कुछ अन्य उपाय उपलब्ध किये जाने चाहिए। अतः इसमें अनेक प्रश्न निहित हैं। अतः मैं भारत सरकार और असम की सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या को सिर्फ कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। एक अन्य वर्ग को राजनीतिक लाभ दिये जाने के दृष्टिकोण से इसे नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बार यदि हिंसात्मक अथवा उग्रवादी दल की बात मान ली जाए तो देश के अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हो जाने वाले अन्य उग्रवादी दलों की बात मान लेने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। हमें हिंसा में शामिल होना चाहिए अथवा नहीं यह बात उन लोगों को उपयुक्त नहीं लगती है जो इसका सामना कर रहे हैं और जनजातिय लोग इसका सामना कर रहे हैं। अतः हमें हिंसा में शामिल होना चाहिए अथवा नहीं यह बात उन लोगों को उपयुक्त नहीं लगती है। उन्हें यह बात अच्छी लगती है कि उनके अपने अस्तित्व के लिए और जातीय अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ उपाय उपलब्ध कराये जायेंगे। अतः मेरा मुद्दा यह है कि असम के और विभाजन का प्रश्न नहीं है, यह तो जनजातियों को आत्म निर्णय का अधिकार दिये जाने का प्रश्न है। जैसाकि श्री बिपिन पाल दास ने कहा है कि यह सिर्फ बोडो का प्रश्न नहीं है या सिर्फ भारतीय जनजातियों का प्रश्न नहीं है, आज पूरे विश्व में जनजातिय लोग नये दृष्टिकोण अपना रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ सक्रियता पूर्वक यह विचार कर रहा है कि क्या स्तर, विशेष सुरक्षा और विशेष अधिकार उन्हें दिये जाने चाहिए। महोदय, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जनजातिय लोगों के लिए बना कार्यकारी दल का सत्र अभी चल रहा है और आगामी अगस्त में उनका दूसरा सत्र जिनेवा में होने जा रहा है। महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें जनजातिय लोगों के कार्यकारी दल, जो कि जनजातिय लोगों को विशेष अधिकार दिये जाने के लिए सक्रिय ढंग से विचार कर रहा है, के सत्र में भाग लेने के लिए जनजातिय प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र संघ (जिनेवा) भेजना चाहिए।

महोदय, वर्ष 1987 में मुझे कार्यकारी समूह के एक अधिवेशन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां मुझे यह बात प्रस्तावित करने का अवसर प्राप्त हुआ था कि एक अलग व्यक्ति अथवा समूह के रूप में प्रकृति के साथ और एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों में आत्म निर्णय की विचारधारा हममें अन्तर्निहित है। यह विचारधारा मौलिक, एक दूसरे से सम्बन्धित और अनुवर्त्ती है। जैसा कि हम सूर्य, चन्द्रमा और ब्रह्माण्ड, ऋतु परिवर्तन और उसके प्रभावों का संबंध प्रकृति और मनुष्यों के साथ पाते हैं उसी प्रकार आत्मनिर्णय की विचारधारा का भी अपना एक लय, संतुलन और महत्व है। इसका अर्थ देश के दसरे वर्गों के साथ मधुर संबंध और लगाव कायम करना है ताकि एक शान्तिपूर्ण वातावरण में जातीय अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्ग भी अपनी भौगोलिक सीमा की रक्षा कर सकें और अपनी एक अलग जातीय पहचान बनाये रख सकें

[श्री समर ब्रह्म चौधरी]

और इस प्रकार से आत्म सम्मान और गरिमा बनाये रखने में और सभ्यता का उच्च स्तर प्राप्त करने में मदद कर सकें। आत्म निर्णय द्वारा आत्मानुशासन भी उत्पन्न होता है। यह 'जीओ और जीने दो' का सिद्धान्त है। अतः आत्मनिर्णय के अधिकार में हस्तक्षेप करने की कोशिश न करें।

मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं लेकिन समय नहीं है। लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कुछ परामर्श देना चाहता हूं। अब असम की सरकार और अखिल बोडो छात्र संघ के लिए यह एक प्रतिष्ठा की बात हो गयी है। जब तक केन्द्रीय सरकार की आमंत्रित नहीं किया जाता है अखिल-बोडो छात्र संघ वार्तालाप में भाग नहीं लेगा। राज्य सरकार केन्द्र सरकार की उपस्थिति नहीं चाहती चाहती है और यह अखिल बोडो छात्र संघ और राज्य सरकार के बीच ही समस्या का समाधान करना चाहती है। अतः यदि वे अपनी-अपनी बातों पर अड़े रहे तो रेल की दो समानान्तर पटरियों की भांति वे कभी नहीं मिलेंगे। अतः मैं यहां एक परामर्श देना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को मिला कर एक शिष्टमंडल बनाया जाये जो विशेष उत्तरदायित्व के साथ वहां जाकर समस्या का अध्ययन करें और यह परामर्श दें कि इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को क्या उपाय करने चाहिए। इस परामर्श के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.32 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 20 अप्रैल, 1989/30 चैत्र, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।